अष्टम माला, खंड 37, अंक 27

सोमवार, 4 अप्रैल, 1988
15 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 59
Date 4/10/88

(खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 4 अप्रैल, 1988/15 चैत्र, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 35, नीचे से दूसरी पंक्ति, "(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 19, "(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 14, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 64, पंक्ति 10, "(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 17, "(क) और (ग)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 104, पंक्ति 11, "(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 13, "काम्लेक्स" के स्थान पर "काम्प्लेक्स" पढ़िये।

पृष्ठ 113, पंक्ति 14, "श्री यशवन्तराय गडाख पाटिल" के स्थान पर "श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल" पढ़िये।

पृष्ठ 212, पंक्ति 5 के नीचे निम्नलिखित जोड़िये -

"श्री पी0वी0नरसिंह राव: मैंने ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं देखा जिसे कोई राज्य सरकार विभाग के रूप में चला रही हो।"

विषय-सूची

अष्टम माला खण्ड 37, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 27 सोमवार, 4 अप्रैल, 1988/15 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 532, 537, 539, 542 और 546 से 550	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—159
तारांकित प्रश्न संख्या : 531, 533 से 536, 538, 540, 541, 543 से 545 और 551	20—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5508 से 5544 और 5546 से 5680	29—159
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	159—161
राज्य सभा से सन्देश	162—164
ऐजल में 29 और 30 मार्च, 1988 को हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	164—166
सरदार बूटा सिंह	
कार्य-मंत्रणा समिति	166—167
इक्यावनवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	167—171
(एक) नागपुर में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना	
श्री बनवारी लाल पुरोहित	167
(दो) श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में एक स्मारक बनाना और 25 मार्च को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित करना	
श्री जगदीश अवस्थी	167

* किसी सदस्या के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) गोआ को फैरी नौकाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	
श्री शांताराम नायक	168
(चार) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना	
श्री जी० एस० बासवराजू	169
(पांच) हैदराबाद और रामगुंडम के बीच के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना	
श्री जी० भूपति	169
(छः) दिल्ली की रोहिणी आवास योजना में पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना	
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक	170
(सात) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद निपटाने के लिए एक अधिकरण गठित करना	
प्रो० के० के० तिवारी	170
(आठ) ओरियन्ट पावर केबल लिमिटेड, कोटा का अधिग्रहण करना	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	171
अनुदानों की मांगें, 1988-89	172—256
(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	172—214
श्री एल० पी० शाही	172
श्री पराग चालिहा	176
प्रो० नारायण चन्द पराशर	177
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	182
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	184
श्री अब्दुल रशीद काबुली	188
श्रीमती मारग्रेट आल्वा	195
श्री पीयूष तिरकी	203
श्री पी० वी० नरसिंह राव	204

विषय	पृष्ठ
(दो) वस्त्र मंत्रालय	214—256
श्री सत्यगोपाल मिश्र	215
श्री शरद दिघे	220
श्री कादम्बुर जनार्दनन	223
श्री हरूभाई मेहता	226
श्री अब्दुल हन्नान अंसारी	232
श्री दिग्विजय सिंह	234
डा० दत्ता सामन्त	239
श्री मुरली देवरा	245
श्री मदन पांडे	250
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि	253
श्री प्रकाश वी० पाटिल	255
श्री वी० कृष्ण राव	255

लोक सभा

सोमवार, 4 अप्रैल, 1988/15 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की सप्लाई

+

*532. श्री मिलाल हंसदा :
श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तन्त्र के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक तथा कन्ट्रोल के कपड़े की सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली हुई है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे दालों सहित किसी भी अन्य वस्तु, जिसे वे आवश्यक समझते हों, को वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर लें।

श्री मतिलाल हंसदा : भयंकर सूखे तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दालों सहित आवश्यक वस्तुयें सप्लाई करेगी।

श्री सुख राम : जैसा कि मूल प्रश्न के जवाब में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि राज्य सरकारें किसी भी वस्तु को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अन्य वस्तुओं को इसमें शामिल करना भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि हम पहले ही खाद्यान्नों के वितरण पर 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि राजसहायता के रूप में खर्च कर रहे हैं। वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाईयों को देखते हुए अन्य वस्तुओं को इसमें शामिल करना सम्भव नहीं है।

श्री मतिलाल हंसदा : मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्र सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दालें सप्लाई करेंगी।

श्री सुख राम : ऐसे राज्य हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये दालें भी सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे लगभग 7-8 राज्य हैं यदि और कोई राज्य इस मद को उसमें शामिल करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमारे लिए राजसहायता देना सम्भव नहीं है। राजसहायता उन्हीं राज-सरकारों को वहन करनी होगी।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं कर रही है और यही कारण है—मुझे यह जानकारी अखबारों से मिली है—कि हमारी राज्य सरकार ने लोगों का कोटा कम कर दिया है जो उन्हें पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलता रहा था ? मैं ठीक तस्वीर जानना चाहती हूं। क्या मन्त्री महोदय पश्चिम बंगाल के कोटे में वृद्धि करेंगे ?

श्री सुख राम : हमने राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन माल उठाने इत्यादि के आधार पर किया है और कोई भेदभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को चावल तथा गेहूं का पर्याप्त कोटा दिया गया है तथा इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

पर्यटन के लिए समुद्र तट का विकास

*537. श्री शान्ताराम नायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का समुद्र तट का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिमी तट के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस बारे में सम्बद्ध राज्य सरकार से कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में उनकी क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

समुद्र-तटों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना पर्यटन मन्त्रालय की अनुमोदित स्कीमों में से एक है। यह मन्त्रालय राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसमें कतिपय रक्षोपायों के अधीन समुद्र-तटों पर आधार-संरचना का विकास शामिल है। यह मन्त्रालय राज्य सरकारों से नियमित सम्पर्क बनाए रखता है और समुद्र-तट पर्यटन परियोजनाओं सहित योजनागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक, इस मन्त्रालय ने पश्चिमी तटों पर समुद्रतट पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	गुजरात	अहमदपुर मांडवी में कुटीरें	21.02	10.00
2.	गुजरात	नारगोल में समुद्र-तट कुटीरें	30.17	25.00
3.	केरल	काप्पड़ में समुद्र-तट विहार-स्थल	46.69	4.00
4.	महाराष्ट्र	गणपतिफुले में कुटीरें	8.77	5.00
5.	महाराष्ट्र	वलनेश्वर में समुद्र-तट विहार-स्थल	34.10	10.00
		जोड़ :	140.75	54.00

श्री शांताराम नायक : कुछ समय पहले केन्द्र सरकार ने समुद्र-तट से 500 मीटर तक दूरी के क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकता चाहे यह घर हो या उद्योग हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कानून या प्रतिबन्ध अभी भी हैं अथवा क्या इसमें ढील दी गई है? यदि हां, तो कितनी ढील दी गई है।

श्री गिरिधर गोमांगो : प्रतिबन्ध उस समय लगाया गया था जब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने यह निर्देश दिया था कि ज्वार आने के समय के समुद्र तट से 500 मीटर की दूरी तक कोई उद्योग या निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और हाल ही में हमने कुछ विशेष मामलों में इसमें छूट देकर इसे 500 मीटर से 200 मीटर कर दिया है। एक उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालयी समिति ने इस छूट को स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते कि कुछ सुरक्षा उपाय किए जाएं।

श्री शांताराम नायक : हाल ही में गोवा सरकार ने पर्यटन पर एक वृहत योजना तैयार की है जिसमें 10 या 20 वर्षों तक वैध सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार भारत सरकार भी देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए पर्यटन पर कोई वृहत योजना तयार करने का विचार रखती है।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, हमें गोवा राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई वृहत योजना प्राप्त हुई है। यह मन्त्रालय के जांचाधीन है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी घाट के लिए हम अपनी वृहत योजना बनाने जा रहे हैं ताकि समुद्र-तटीय आरामगाहों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा सके।

जांच पूरी हो जाने के बाद हम गोवा के समुद्र-तट का विकास करेंगे तथा अन्य प्रस्तावों पर विचार करेंगे जिन्हें राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।

श्री डी० एम० रेड्डी : क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि राज्यों में समुद्र-तट तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं और इस प्रकार इन स्थलों की सुन्दरता समाप्त हो रही है। मद्रास में 'मरीन' बीच देश भर में सबसे खूबसूरत समुद्री बीचों में से एक है, तथा राज्य सरकार की इसके प्रति उदासीनता के कारण यह अब बहुत विकृत हो गया है। अब वहां भद्दी इमारतें बन गई हैं और पहले की तरह लोग इस पर अपनी शाम की सैर का मजा नहीं ले सकते हैं। पुरी में जो लोग भगवान जगन्नाथ के सामने प्रार्थना करने जाते हैं तो उनको समुद्र-तट बहुत ही गन्दा मिलता है। क्या केन्द्र सरकार राज्यों को समुद्र-तटों के रख-रखाव तथा समुद्र-तट क्षेत्र में भद्दी इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए निर्देश देगी ?

श्री गिरिधर गोमांगो : समुद्र-तटों पर निर्माण के कारण हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसके पश्चात् जब राज्य सरकारों ने इस दूरी को 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर करने के लिए दबाव डाला तो हमने कुछ सुरक्षा उपायों के आधार पर छूट दे दी। इस प्रक्रिया में गोवा, मद्रास, महाबलीपुरम तथा त्रिवेन्द्रम को स्वीकृति दी जानी थी।

हमने राज्य सरकार से एक तटीय प्रबन्ध योजना बनाने के लिए निवेदन किया था ताकि राज्य सरकार की वृहत योजना के तहत सभी पहलुओं को शामिल कर लिया जाये जिनके लिए काफी सुविज्ञता की जरूरत है। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली तटीय प्रबन्ध योजनाओं के अनुरूप वृहत योजना में सभी पहलू रखे जाएंगे।

श्री बृजमोहन महन्ती : 500 मीटर तक की सीमा का कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह केवल भारत सरकार की इच्छाजनित धारणा है। कोई भी इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या समुद्र-तट से 500 मीटर तक की सीमा को वैधानिक आधार देने का कोई प्रस्ताव है।

अब समुद्र-तट पर आसानी से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यहां तक कि कुछ मामलों में राज्य सरकार तथा भारत सरकार भी इसमें शामिल हैं। इसका अर्थ है कि बिना किसी बाधा के समुद्र-तट पर पांचतारा होटल बनाने की इजाजत दी गई है। अतः इस पृष्ठभूमि में, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसे वैधानिक आधार दिया जाएगा और क्या सरकार सभी अवैध कब्जों को हटाने तथा समुद्र-तटों पर गन्दगी फैलाने वाली सभी गतिविधियों को हटाएगी। विशेषतौर पर मैं पुरी, कोणार्क तथा गोपालपुर का जिक्र कर रहा हूं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। परन्तु हमने 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर करने सम्बन्धी केवल कुछएक मामलों पर ही विचार किया है। इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, जब तटीय प्रबन्ध योजना तैयार की जाएगी तो इन सभी पहलुओं को शामिल कर लिया जाएगा।

पर्यटकों के लिए सस्ते होटल

+

539. **श्री अनिल बसु ।**
श्री माणिक राव होडल्य गावित :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन स्थलों, विशेषकर आगरा, जयपुर, कोडाईकनाल, उदयपुर, दार्जिलिंग, दीघा, खजुराहो, आदि जैसे स्थानों के समीप होटलों की कमी है;

(ख) पर्यटकों के लिए होटल की व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए पिछले दो वर्षों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कम बजट वाले पर्यटकों के लिए सस्ते होटल की व्यवस्था करने के लिए नए होटलों के निर्माण के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई धनराशि दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आगरा, जयपुर, कोडाईकनाल, उदयपुर, दार्जिलिंग, दीघा, खजुराहो, आदि जैसे पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर होटल आवास की कमी सामान्यतः महसूस की गई है ।

पर्यटकों के लिए होटल आवास में वृद्धि करने के वास्ते निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। गत दो वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने 144 अतिरिक्त होटल कमरे बनाए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा परियोजना स्तर पर अनुमोदित होटलों में से कुछ इसी अवधि के दौरान खोले गए।

निम्नलिखित होटल परियोजनाएं भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं :—

क्र० सं०	होटल परियोजना का नाम	स्टार श्रेणी	कमरे
1.	होटल कोनयीपोलो अशोक इटानगर (संयुक्त उद्यम)*	1-2	22
2.	होटल पांडिचेरी अशोक (संयुक्त उद्यम)*	1-2	20

*संयुक्त उद्यम=राज्य सरकारों/निगमों के सहयोग से संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाएं ।

पर्यटन विभाग ने गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 1 और 2 स्टार श्रेणियों के लिए योजनाबद्ध 69 होटल परियोजनाएं भी अनुमोदित की हैं जिनके पूरा हो जाने पर 2,615 कमरे उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान करती है।

ऊपर भाग (क) में उल्लिखित स्थानों पर निम्नलिखित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों के वास्ते निधियां स्वीकृत की हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	दीघा (पश्चिम बंगाल) में समुद्र-तट कुटीरों और पर्यटक गृह का निर्माण	40.17	20.00
2.	फतहपुर सीकरी (आगरा) में पर्यटक परिसर	69.17	63.00
3.	दार्जिलिंग में यात्री निवास	47.30	10.00

श्री अनिल बसु : आजकल पर्यटन को एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा जाता है जो देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इस देश के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान कर सकता है। उत्तर में मन्त्री जी ने कहा है कि पर्यटकों के लिए आवास की कमी है। उन्होंने यह भी कहा है कि आवास में वृद्धि करना सरकार का सतत प्रयास है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा पिछले दो वर्षों में पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि की तुलना में आवास में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, यह प्रश्न मुख्य रूप से स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिए सस्ते होटल आवास से सम्बन्धित है जो आकर सस्ते पर्यटक आवास, जो अब उपलब्ध हैं, में आकर रहते हैं। महोदय, इन वर्षों में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 1986 में पर्यटक संख्या 29.1 प्रतिशत से भी अधिक हो गए जो 1985 में 0.2 प्रतिशत थी। 1987 में यह संख्या 7.8 प्रतिशत थी। इसलिए, पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। जो आवास उपलब्ध हैं तथा विभिन्न शहरों तथा नगरों में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों को आवास प्रदान करने के लिए योजना बना ली गई है, शायद 1990 तक हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह सारा कार्य केवल भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा ही नहीं किया जाता परन्तु राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जाता है। अतः महोदय, हमारे पास जो योजना है वह केवल तभी कामयाब होगी जब यह तीनों क्षेत्र होटल बनाने में सहयोग करें और केवल तभी समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी।

श्री अनिल बसु : मेरा प्रश्न पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए होटल आवास में वृद्धि के अनुपात के बारे में था। तथापि मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या पर्यटन विभाग या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने सातवीं योजना के अन्त में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है और सरकार इस योजनावधि के अन्त तक इस प्रकार के पर्यटकों को किस प्रकार से आवास उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

श्री गिरिधर गोमांगो : देश में आने वाले पर्यटकों की तुलना में आवास की कमी है। हम सन् 1990 तक वर्तमान आवास व्यवस्था को बढ़ाने की आशा करते हैं परन्तु वर्तमान होटल कमरों की क्षमता के साथ-साथ सम्भावित होटल आवास और पर्यटकों के लिए आवश्यक कमरों में अभी तक अन्तर है। सातवीं योजना के दौरान हमारे पास कितनी ही संख्या में योजनाएं हैं जोकि पर्यटकों के लिए मुख्यत: यात्री-निवासों की व्यवस्था, सड़क के किनारे उपलब्ध सुविधाओं और एक या दो सितारा होटलों के साथ-साथ पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली ठहरने की जगहों और छोटे रेस्टोरैन्ट तक सीमित हैं। फिर भी होटल आवास पाने में पर्यटकों को अड़चन नहीं आएगी। हम इस वक्त उपलब्ध आवास में सन् 1990 तक काफी हद तक वृद्धि कर पाएंगे।

प्रो० के० वी० थामस : भारत सरकार ने केरल में यात्री निवास के निर्माण के लिए कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। मैं केरल में इन यात्री निवासों के निर्माण के लिए अब तक दी गई धनराशि और इसके निर्माण में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री गिरिधर गोमांगो : हमने कोचीन में यात्री निवास के निर्माण का अनुमोदन किया है। उसके लिए वर्ष 1988 में जो धनराशि स्वीकृत की गई थी वह 35 लाख रुपए थी और अब तक 10 लाख रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। इसका कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि खजुराहो के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर छतरपुर में पांच-सितारा होटल बनाए जाने का प्रावधान है, उसका काम कब शुरू होगा और उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है। उसके साथ, खजुराहो के नजदीक ही पर्वत श्रेणी-माला पर एक राजगढ़ पैलेस है, जो चारों ओर से बहुत सुरम्य घाटी है, सुन्दर वन हैं और नदी का किनारा है, इतने सुन्दर स्थान पर स्थित होने के कारण क्या उस पैलेस को किसी होटल में परिवर्तित करने का या वहां कोई होटल खोलने की सरकार की योजना है। क्या सरकार उस स्थान को पर्यटक दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : इसके लिए मुझे एक नया नोटिस चाहिए।

बहरीन को कुद्रेमुख लौह अयस्क की सप्लाई

+

*542. **श्री वी० कृष्णराव** :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बहरीन के बीच कोई समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत भारत इस वर्ष कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात करेगा;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क का कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा;

(ग) इससे कुद्रेमुख लौह अयस्क संयंत्र में उत्पादन की स्थिति में कितना सुधार होगा;

(घ) क्या कुछ अन्य देश भी कुद्रेमुख लौह अयस्क का आयात करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० तथा अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, बहरीन के बीच प्रतिवर्ष 15 लाख टन तक के हिसाब से 5 वर्ष तक लौह-अयस्क सांद्रण की सप्लाई करने के लिए सितम्बर, 1985 में एक दीर्घावधि करार पर हस्ताक्षर हुए थे। तथापि सितम्बर, 1986 से अरब आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० का संयंत्र प्रचालनरत नहीं है इसलिए परिकल्पित खरीद नहीं की गई है। इस संयंत्र के पुनः चालू होने पर कुद्रेमुख को लौह-अयस्क सांद्रण की सप्लाई करने का मौका मिलेगा उस स्थिति में कुद्रेमुख के उत्पादन निष्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। कुद्रेमुख ने जापान, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, हंगरी, आस्ट्रेलिया, टर्की सहित अन्य कई देशों से लौह-अयस्क (सांद्रण तथा पैलेटों) के आर्डर प्राप्त किए हैं। वर्ष 1987-88 (फरवरी, 1988 तक) के दौरान कुद्रेमुख ने कुल 27.32 लाख टन सांद्रण तथा 6.60 लाख टन पैलेटों का निर्यात किया।

श्री वी० कृष्ण राव : महोदय, यह समझा जाता है कि बहरीन द्वारा पर्याप्त मात्रा में लौह-अयस्क की खरीद करने में असफल हो जाने के बाद कुद्रेमुख परियोजना के पास पर्याप्त मांग नहीं है। यदि ऐसा है तो इसे अन्य देशों जैसे जापान को भेजा जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि कुद्रेमुख परियोजना लाभ कमा रही है या घाटे में चल रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस समय यह घाटे में चल रही है।

श्री वी० कृष्ण राव : क्या यह सच है कि कुद्रेमुख कम्पनी ने कुद्रेमुख से मंगलौर तक लौह-अयस्क सांद्रण को ले जाने के लिए एक पाइप लाईन बनाई है ? मुझे पता चला है कि यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध इस पाइपलाइन के कार्य न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह सच है कि लौह-अयस्क सांद्रण को ले जाने के लिए पाइपलाइन है परन्तु मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। यह ठीक प्रकार से कार्य कर रही है।

राज्यों में नलकूप लगाने की आवश्यकता

+

*546. श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री वी० तुलसीराम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक हुए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि नियोजकों ने जल संसाधन विशेषकर भू-जल के उपयोग के लिए राज्यों छः लाख कम गहराई वाले नलकूप लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार कितने नलकूप लगाए जाएंगे;

(घ) इन नलकूपों के लगाए जाने के पश्चात प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) और (च) आवश्यक वित्तीय सहायता की पूर्ति कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित चालू योजना से दी जाएगी ।

विवरण

राज्य	जिलों/खण्डों की संख्या	केन्द्रीय सहायता की आबंटन (लाख रुपए)	1500 प्रति बेधन/ खुदे कुएं की दर पर उथले नलकूपों/खुदे कुओं की संख्या	सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने वाला अस्थाई क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1. असम	3/25	122.22	8.148	8,148
2. आंध्र प्रदेश	8/127	620.88	41,392	41,392

1	2	3	4	5
3. बिहार	18/327	1,598.64	1,06,576	1,06,576
4. मध्य प्रदेश	22/273	1334 39	88,960	88,960
5. महाराष्ट्र	7/80	391.10	26,073	26,073
6. उड़ीसा	5/148	723.54	48,236	48,236
7. उत्तर प्रदेश	36/651	3,182.62	2,12,175	2,12,175
8. पश्चिम बंगाल	7/188	919.10	61,274	61,274
योग :	106/1819	8,892 49	5,92,834	5,92,834

*इस योजना के लिए पिछले वर्ष से खर्च न की गई बकाया राशि उथले नलकूपों/खुदे कुओं के लिए मंजूर की जाएगी ताकि 6 लाख नलकूपों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कम गहराई वाले नलकूपों की योजनाओं का लाभ उन प्रदेशों को तो मिल जाएगा, जहां वाटर लेवल उच्च स्तर पर है, परन्तु हमारे प्रदेश महाराष्ट्र में जहां जल-स्तर काफी गहराई में चला गया है, वहां उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। क्या सम्मानीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बहुत ही कम राशि दी गई है, हमारी इरिगेशन केवल 13 परसेंट है, इसलिए इसमें क्या कुछ पैसा बढ़ाने की कोशिश वह करेंगे ?

श्री भजन लाल : महाराष्ट्र आल-रेडी इस स्कीम में शामिल है। इस स्कीम में 8 प्रदेश हैं— असम, आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें महाराष्ट्र के 7 जिले और 80 ब्लाक शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र को देने के लिए हमने 3 करोड़ 91 लाख की राशि रखी है जिससे 26073 कुएं लगाने का हमने प्रोग्राम रखा है।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : महाराष्ट्र के लिए 3 करोड़ की राशि आपने दी है, जबकि अन्य प्रदेशों को 15, 20 करोड़ की राशि दी है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जहां ज्यादा गहराई है, वहां संयुक्त स्कीम देने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री भजन लाल : गहराई वाले नलकूप लगाने के लिए हमारे पास अलग एक योजना बनाने का विचार है। इसके अलावा मुख्य में हम एक साल मे 10 लाख डग वैल और लगाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि नई स्कीम बनने के बाद महाराष्ट्र में जहां पानी का लेवल नीचे चला गया है और उसके लिए जरूरी हुआ तो महाराष्ट्र को भी उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि अगर नलकूप गहरे लगाने पड़े तो फिर वह उस पर सोचेंगे,

तो वह बतायें कि कितने फुट तक के नलकूप को वह गहरा नहीं मानते हैं और किसको गहरा मानते हैं, क्या इसकी कोई परिभाषा उन्होंने तय कर रखी है, क्योंकि गहराई के नाम पर बहुत ज्यादा किसानों के साथ अन्याय और धक्का होता है ? अगर मंत्री जी उसकी कोई परिभाषा तय कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शैलो ट्यूबवैल आमतौर पर 100, 125 और 150 फुट तक ही कामयाब होते हैं, उसके बाद में डेढ़ सौ फुट से अधिक अगर पानी गहरा है तो उसे डीप ट्यूबवैल कहते हैं और उसके लिए मोटर आदि बड़ी यानी ज्यादा हार्स पावर की लगानी पड़ती है । उसमें भी हम कोशिश करेंगे । मैंने पहले भी बताया है कि उत्तर प्रदेश शैलो ट्यूबवैल में शामिल है । जहां पानी काफी गहरा है वहां गहरे नलकूप लगेंगे । इन स्कीमों के अलावा दूसरी स्कीमें भी चालू हो सकती हैं । इसके लिए हम सर्वे और इग्जामिन कर रहे हैं । आशा है कि बहुत जल्दी एक फाइनल फैसला कर लेंगे ।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना में कोई राजसहायता दिए जाने की बात है । यदि हां, तो क्या इस प्रकार की राजसहायता का लाभ गरीब खेतिहरों को उनकी जाति पर ध्यान न देते हुए अर्थात भले ही वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित न हों, मिल रहा है ? यदि नहीं, तो स्थिति के महत्व को देखते हुए और सरकार की इस चिन्ता को देखते हुए कि अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाए, क्या सरकार सभी गरीब खेतिहरों को उनकी जाति पर विचार किए बगैर राजसहायता देने पर विचार करेगी ?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या कम गहराई में लगाए गये ये नलकूप केवल खरीफ मौसम या रबी मौसम के दौरान सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए हैं । रबी मौसम के दौरान भी वर्तमान जल स्तर पर्याप्त नहीं होगा । अतः रबी मौसम में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए क्या इन नलकूपों को गहरा करने की कोई योजना है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें रबी और खरीफ की फसल का सवाल नहीं है । सवाल तो ट्यूबवैल लगाने का है और इसमें तीन हजार सहायता के तौर पर दिए जाते हैं यानी कि 1500 रुपए भारत सरकार की तरफ से 1500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारे मुल्क में इसके लिए 88 करोड़ 92 लाख रुपया खर्च होगा और देश में 5,92,834 ट्यूबवैल लगेंगे ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या एस० सी० और एस० टी० को इस स्कीम के द्वारा सहायता दी जाएगी ?

श्री भजन लाल : सीमान्त किसानों को इसके द्वारा सहायता दी जाएगी और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बकायदा शामिल हैं ।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

*547. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या समुचित अनुवर्ती कार्यवाही न किए जाने के कारण मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर फिर से बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) मजदूरों के फिर से बंधुआ मजदूर बनने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस पहलू के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, कुछ मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं । इन अध्ययनों ने कार्यक्रम में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ।

(ग) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबन्धित राज्य सरकार का है । बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन वित्तीय सहायता को 1-2-86 से 4000/- रु० से बढ़ाकर 6250/- रु० प्रति बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों के साथ समाकलित करें ।

बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने तथा उनके पुनर्वास से संबन्धित कार्य में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने की योजना 30-10-87 से शुरू की गई है ।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं लेबर मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि जबकि हमारा देश प्रगति कर 21वीं शताब्दी के प्रवेश द्वार पर है तो फिर बन्धुआ मजदूरों की समस्या आज भी हमारे सामने मुंह बायें क्यों खड़ी है ? यह एक प्रशासनिक समस्या के साथ-साथ एक सामाजिक कुरीति के रूप में भी हमारे देश में विद्यमान है । क्या सरकार ने सामाजिक स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिए कोई उपाय किए हैं ? देखने में यह आया है कि इस सम्बन्ध में सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर डाल दी जाती है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ इण्टरफियर करती है और क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : 2-3 एजेन्सियां हैं जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है । और हमें 29 फरवरी, 1988 तक मिली फीगर्स के अनुसार हमने 2,24,562 आदमियों को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अन्दर हमने जिनको रीहैबिलिटेट कर दिया है और जिनको दो टाइम रोटी कमाने के लिए, जगह देने के लिए, बैंकों से मदद करने के लिए और सेण्टर की तरफ से और स्टेट की तरफ से मदद···(व्यवधान)···सुनिए । यह बहुत सीरियस सवाल है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको एक दूसरे के ऊपर करके कर दें । बन्धुआ आदमियों से आपका भी उतना ही कन्सर्न है जितना हमारा कन्सर्न है। हमने 2,24,562 आइडेंटिफाइड आदमियों में से 1,98,508 लोगों को

सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बसा दिया है और बाकी जो बेलैंस 26054 आदमी रह गए हैं उनके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि स्टेट द्वारा उनकी पूरी-पूरी मदद की जाए, बैंकों को कहा है कि वे पूरी-पूरी मदद करें। हमने उनको जो पैसा साथ मिलकर दिया है वह तकरीबन सरकार की तरफ से 6,250 रुपये हर बॉण्डेड लेबर को दिए जाते हैं जिसमें 50 परसेन्ट स्टेट गवर्नमेंट का है और 50 परसेन्ट सेण्टर का है। इसके अलावा यदि बैंक और गवर्नमेंट स्कीम्स का देखा जाए तो हर बॉण्डेड लेबर को तकरीबन 15 हजार रुपए तक का फायदा मिला है।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : सरकार बन्धुआ मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान क्रास्ड चैक से किया जाए ताकि उनका आर्थिक शोषण रोका जा सके। इसके साथ ही उनकी छुट्टियों की पगार के लिए क्या प्रावधान है ? साथ ही मजदूरों में कार्य न करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री जगदीश टाईटलर : यह सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है, वह जिस तरह से ठीक समझे, स्थिति को देखते हुए उसके हिसाब से अपना कानून लागू करे।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : श्रम मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों की एक समिति श्री गुरूदास दासगुप्ता, सांसद, राज्य सभा के नेतृत्व में बनाई गई थी। उन्होंने इन खेतिहर मजदूरों का देश के विभिन्न भागों, जैसे बिहार आदि में अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जहां बन्धक मजदूर हैं वहां कृषि मुख्य पेशा है। लोगों द्वारा इस प्रकार के कई लोग भर्ती किए जाते हैं और वे उन्हें अपने राज्यों में काम लेने के लिए बन्धक मजदूरों के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और क्या सरकार कृषि क्षेत्र, के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने पर भी विचार करेगी ?

और यदि न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है और इस क्षेत्र के लिए जो विनियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन नहीं किया जाता है और इस तरह के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये जाते हैं तो क्या इससे जमींदारों और इस प्रकार के लोगों द्वारा बन्धुआ मजदूर प्रथा का उत्पादन रोकने में मदत मिलेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : यह प्रश्न दो भिन्न प्रकार के श्रमिकों से सम्बद्ध है— बन्धुआ मजदूर और वे मजदूर जो खेतों में कार्य करते हैं।

मेरा उत्तर यह है कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार—मैं समझता हूं कि मैं शुद्धि कर सकता हूं— जो अधिकांश सिफारिशें समिति द्वारा दी गई थी, उनमें से दो के सिवाय सभी को स्वीकार कर लिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह वह प्रश्न है जिसे मैं पांचवें श्रम मंत्री से पूछ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मुझे सन्तोषजनक उत्तर मिलेगा।

क्या यह सच नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही फरीदाबाद में पत्थर की खदानों का

दौरा करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया था और बन्धुआ मजदूरों से सम्बद्ध शिकायतों के बारे में प्रथम सूचना साक्ष्य पता करने की कोशिश की थी ?

क्या यह सच नहीं है कि रिपोर्ट कुछ समय पहले पेश की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपने निदेश दिए थे और फरीदाबाद में मजदूरों से सम्बन्धित वे निदेश अभी तक कार्यान्वित किए जाने बाकी हैं ?

यदि ऐसा है तो क्या आप अपने प्रभाव का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए ? क्योंकि आप एक नये मंत्री हैं, अतः आप इसे ताजे दिमाग से कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : युवा भी हैं ।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई थी उसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है । परन्तु मैं अपने प्रभाव का प्रयोग करके राज्य सरकार को इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राजी करने की कोशिश करूंगा ।

[हिन्दी]

राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

*548. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में गैर-सरकारी पार्टियों के माध्यम से वैज्ञानिक आधार पर गोदामों का निर्माण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या खाद्यान्नों को भंडारण के लिए राजस्थान से अन्यत्र भेजे जाने की कोई योजना है;

(घ) क्या खाद्यान्न खुले में पड़े रहे और खराब हो गए तथा सड़ गये;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार खराब हुए खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में देश में उत्पन्न खाद्यान्न के उचित भंडारण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । ये गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार निजी पार्टियों द्वारा बनवाए गए थे ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में निजी पार्टियों से 3.71 लाख मीटरी टन की हुई भण्डारण क्षमता किराये पर ली थी।

(ग) राजस्थान को खाद्यान्नों का स्टाक न केवल राज्य की जरूरतों बल्कि अन्य राज्यों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए भेजा और वहां भण्डारित किया जाता है। इसलिए, राजस्थान से अन्य राज्यों को भी अपेक्षित मात्रा में स्टाक भेजा जाता है।

(घ) और (ङ) 1986-87 के दौरान राजस्थान में भिन्न-भिन्न समय पर कवर और प्लिथ (केप) स्टोरेज में भण्डारित खाद्यान्नों का स्टाक 2.69 लाख मीटरी टन से 4.84 लाख मीटरी टन के बीच था। इस स्टाक में से वर्ष के दौरान 156 मीटरी टन गेहूं खराब हो गया था।

(च) खाद्यान्नों का स्टाक यथा सम्भव ढके हुए गोदाम में रखा जाता है। जो स्टाक ढके हुए गोदामों में नहीं समा सकता है उसे कवर और प्लिथ (केप) स्टोरेज के अन्तर्गत रखा जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा कवर और प्लिथ (केप) व्यवस्था के अन्तर्गत स्टाक की सुरक्षा करने के लिए निम्न-लिखित पग उठाए जाते हैं :—

(1) कैप स्टोरेज में भण्डारित स्टाक के लिए समुचित निकासी और निभार की व्यवस्था की जाती है;

(2) स्टाक को पोलीथीन की चादरों से ढककर नाइलोन के रस्सों से बांध दिया जाता है;

(3) अनाज को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए साफ मौसम में खुले में स्टाक को हवा लगाई जाती है; और

(4) कीटाणुओं, चूहों, पक्षियों आदि से क्षति की रोकथाम करने के लिए नियतकालिक निरीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि भण्डारण क्षमता पर्याप्त न होने की वजह से देश का 156 मी० टन अनाज सड़ गया। आज देश अकाल की भयंकर विभीषिका में है और इस स्थिति में इतने अनाज का सड़ जाना बहुत दुःखद बात है। मैं माननीय मन्त्री जी ने पूछना चाहती हूं कि इतना अनाज जो सड़ा गया यह केवल राजस्थान में भण्डारण व्यवस्था के अन्तर्गत ही खराब हुआ ?

दूसररी बात यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न बाद में।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, राजस्थान में भण्डारण क्षमता की कोई कमी नहीं है। 156 मी० टन अनाज जो सड़ा है वह प्राकृतिक कारणों से सड़ा है क्योंकि हमारे पास दो किस्म के भण्डारण हैं। एक तो कवर्ड हैं और दूसरा सिस्टम है कवर एण्ड प्लिथ कैप सिस्टम, जिसमें प्लिथ बनाई जाती है और ऊपर से ढांप दिया जाता है। वहीं पर वह अनाज रखा हुआ था जोकि नेचुरल काजेज की वजह से खराब हो गया। इस वास्ते नहीं खराब हुआ कि वहां पर भण्डारण क्षमता की कोई कमी थी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि देश में कुल कितना अनाज सड़ा है। मन्त्री जी ने अपने क्लैरिफिकेशन में भी यह नहीं कहा कि यह केवल राजस्थान में सड़ा है या पूरे देश में सड़ा है। आपने बताया कि प्राकृतिक कारणों से सड़ा है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आज देश में भयंकर अकाल है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या अनाज का सड़ जाना उचित है?

मेरा दूसरा सप्लीमेन्टरी क्वैश्चन यह है कि आपके पास जो स्टोरेज की क्षमता है क्या उसमें निकट भविष्य में अनाज सड़ने की सम्भावना है?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न राजस्थान से सम्बन्धित था इसलिए मैंने राजस्थान से सम्बन्धित 156 मी० टन अनाज सड़ने की फीगर बताई है। यदि वे अलग से प्रश्न करें कि सारे देश में कुल कितना अनाज सड़ा तो उसका जवाब भी मैं दे दूंगा। राजस्थान से सम्बन्धित यह प्रश्न था इसलिए मैंने राजस्थान के सम्बन्ध में बतला दिया।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय मन्त्री जी शायद अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ा ही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कुल कितना अनाज सड़ा है। राजस्थान का कहीं उसमें जिक्र ही नहीं है। उसकी हेडिंग तो आपने लगाई बाकी मैंने तो उसमें यह पूछा था कि देश में कितना अनाज सड़ा, केवल राजस्थान के बारे में ही नहीं पूछा था कि वहां पर कितना अनाज सड़ गया। राजस्थान से क्या आप अनाज शिफ्ट कर रहे हैं यह क्वैश्चन तो है बाकी यह कहीं नहीं पूछा कि केवल राजस्थान में कितना अनाज सड़ा। इसलिए यदि मन्त्री जी के पास इस समय फीगर्स नहीं है तो बाद में दे दें परन्तु उसको गलत न बतलायें।

श्री सुख राम : भारतीय खाद्य निगम के पास 1986-87 में जो कुल अनाज रखा था उसके खराब होने का जो परसेन्टेज है वह कुल अनाज का 0.64 परसेन्ट है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मेरे दूसरे सप्लीमेन्टरी का जवाब तो मंत्री जी ने दिया ही नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान के लोगों ने, आपके आदेश से इतना अधिक पैसा लगाकर भण्डारण की व्यवस्था की है लेकिन आपने बताया कि भण्डारण की व्यवस्था की वजह से ही अनाज नहीं सड़ा बल्कि पालिथीन बैग में ठीक से न रखने की वजह से सड़ा है तो मेरा प्रश्न यह भी था जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि क्या आप इस भण्डारण क्षमता को राजस्थान से शिफ्ट करके देश के दूसरे कोने में ले जाना चाहते हैं?

तीसरा प्रश्न यह भी था कि निकट भविष्ट में अनाज न सड़े—क्या इसकी भी आपने कोई व्यवस्था कर ली है, क्या आपने इस बात को जांच लिया है कि निकट भविष्य में अनाज नहीं सड़ेगा?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 11.03 लाख टन कवर्ड भण्डारण की क्षमता है।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष जी, मंत्री जी राजस्थान के बारे में उत्तर देते हैं जबकि ये चाहती हैं कि पूरे देश की बात हो।

श्री सुख राम : राजस्थान का प्रश्न है। आप राजस्थान की हैं। आपने प्रश्न राजस्थान के बारे में किया है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : आपने सवाल को पढ़ा नहीं है।

श्री सुख राम : मैंने सवाल पढ़ा हुआ है। आपने राजस्थान की भण्डारण क्षमता के बारे में प्रश्न पूछा है, तो राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास वह 11.03 लाख टन की कवर्ड भंडारण क्षमता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल सारे देश का है। सवाल का आखिरी पैरा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप प्रश्न के एक-भाग को पढ़िए। (व्यवधान)

श्री सुख राम : जो स्टेटमेंट मैंने रखा है, उसी में जवाब दे दिया है। उसी में जवाब दे दिया है कि क्या-क्या इफैक्टिव स्टैप्स हमने लिए हैं, ताकि अनाज सड़े नहीं। यही उत्तर में है, आपने उसको पढ़ा होगा। आपने राजस्थान के बारे में पूछा, वह मैंने आपको बताया कि 11.03 लाख टन की क्षमता है और 47,910 टन की और कैपेसिटी के गोदाम राजस्थान में बनाए जा रहे हैं। जहां सारे देश का प्रश्न है, 267 लाख टन की क्षमता के गोदाम हैं। अगर आप राजस्थान का पूछना चाहता हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : देश का ही मैन्शन है, आपने इसका जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, बहुत हो गया।

मध्य प्रदेश को नियन्त्रित मूल्य के कपड़े का वितरण

*549. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कमजोर वर्गों के लोगों को गेहूं, चावल और तेल के अलावा कपड़ा भी वितरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में इन लोगों को कुल कितना कपड़ा वितरित किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि ये वस्तुएं जिन लोगों में वितरित की जानी होती हैं, उन तक पहुंच रही हैं अथवा नहीं ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, जो कंट्रोल के कपड़े का बन्दोबस्त करने वाली राज्य एजेन्सी है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश के चम्बल प्रभाग में कंट्रोल के कपड़े की 488 गांठें वितरित की गईं।

(ग) कंट्रोल के कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कंट्रोल का कपड़ा उन लोगों को वितरित किया जाए, जिनके लिए वह है।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चम्बल प्रभाग में कंट्रोल के कपड़े की 488 गांठें वितरित की गई, लेकिन गरीब लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है। न कहीं राशन कार्ड द्वारा दिया जाता है और न बोर्ड लगा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो कपड़े का वितरण नहीं हो रहा है, क्या उसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार की नोडल एजेंसी, एस० सी० सी० एप्रूव की गई है, उसकी जिम्मेदारी है कि स्टेट कन्ज्यूमर फैडरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट के जो नोमनिज हैं, उनको एलोकेशन करें। इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के माध्यम से बंटवारा होता है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बंटवारा ठीक ढंग से कराए। जहां-जहां से हमको शिकायत आती है, हम उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं कि वह ठीक ढंग से बंटवारा करे। हमारे पास मध्य प्रदेश से ऐसी कोई इर्रेगुलैरीटीज की शिकायत नहीं आई है। यदि माननीय सदस्य बतायेंगे कि कहां अनियमितताएं हैं, तो उसके बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट को जरूर लिखेंगे, ताकि उसकी ठीक ढंग से व्यवस्था हो।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का "क" भाग है—क्या राज्यों के कमजोर वर्गों के लोगों को गेहूं, चावल और तेल के अलावा कपड़ा भी वितरित किया जा रहा है ? मेरे गुजरात में सौराष्ट्र और राजकोट जिले में बहुत सूखा है। वहां कमजोर लोगों के लिए ज्यादा बंटवारा करने की कोई योजना है ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने यह जो चीप कन्ट्रोल्ड क्लाथ है, यह महज गरीब लोगों के लिए और जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, उन्हीं के लिए निर्धारित किया है—और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जहां-जहां कमजोर वर्ग के लोग हैं जो स्टेट की कन्ज्यूमर काआपरेटिव फेडरेशन्स हैं, उनका यह काम बनता है कि वे वहां उस कपड़े को उनको दें। माननीय सदस्या अगर कोई शिकायत बतायेंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में लिखेंगे क्योंकि उन्हीं को इसका इन्तजाम करना है।

[अनुवाद]

नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों के लिए नागरिक कानून

\+

*550. **डा० ए० के० पटेल :**
डा० फूलरेणु गुहा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश की नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों के लिए एक आदर्श नागरिक कानून बनाने का विचार है और इस पर विचार करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने समस्त देश के लिए "एकल नगर निगम अधिनियम" पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है । समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है ।

डा० ए० के० पटेल : मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि मेरे प्रश्न के सभी चार भागों का एक ही उत्तर दिया गया है । यह देखा गया है कि जहां कहीं भी विपक्षी दल नगर निगमों के कार्य-प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से मेरे राज्य में जहां तीन निगमों का कार्य विपक्ष के पास है वहां राज्य सरकार द्वारा उनसे सौतेला व्यवहार किया जाता है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को यह समिति गठित की गई और क्या रिपोर्ट पेश करने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, 1985 में यहां पर मेयर्स कान्फ्रेन्स हुई थी और उसमें मेयर्स की तरफ से यह विचार रखा गया था कि सिंगिल म्यूनिसिपैलिटी एक्ट हो, इण्डिया में एक ही एक्ट बनना चाहिए । यह कहना गलत है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी म्यूनिसिपैलिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है । उसमें विरोधी पार्टियों के मेयर्स भी थे और इसके लिए ज्वाइन्ट सेक्रेटरी लेविल की कमेटी सेट-अप की गई है । 1986 में फिर मेयर्स ने कहा कि इसमें हमको भी सम्मिलित किया जाए । उनके भी व्यूज हैं । तीन, चार मीटिंग हो गई हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम उस पर विचार करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : शहरी क्षेत्रों में मकानों का निर्माण नियन्त्रित करने सम्बन्धी अधिनियमनों की अधिकता भ्रष्टाचार के पनपने का आधार बन गया है । नगरपालिका अधिनियम, शहरी अधिकतम सीमा अधिनियम, नगर आयोजना अधिनियम, उप-नियम, भवन निर्माण सम्बन्धी उप-नियम, प्रादेशिक विनियमन जैसे कई अधिनियमन हैं जिनसे एक नागरिक को, यदि वह किसी भी शहरी जमघट में एक छोटे घर का निर्माण करना चाहता है, सामना करना पड़ता है । जैसा कि मैंने कहा था यह लगभग सभी राज्यों में भ्रष्टाचार के पनपने का स्थान बन गया है । इन सभी अधिनियमों को मिलाकर एक समान अधिनियमन होना चाहिए और एक केन्द्रीय प्राधिकरण होना चाहिए जहां नागरिक जा सके और उन्हें न केवल नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें अपितु मकान बनाने की स्थिति में भी हो सके । क्या मन्त्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि इस प्रकार का एक अधिनियमन कम से कम तीन महीने या छह महीने में लाया जा सकेगा ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत-सी निकाय हैं और बहुत सी हमारी संस्थाएं काम करती हैं इस चीज को देखते हुए मेयर्स ने कहा है कि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है । इसलिए एक तरह का एक्ट होना चाहिए । जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उनके कार्यक्रमों को देखते हुए मेयर्स ने भी सजेशचन्स दिए हैं और उनकी बैठकें भी हुई हैं और उनकी जो रिकमन्डेशन्स हैं उनको हम देखेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम देखेंगे मेयर्स ने भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए । इसकी बैठकें हो रही हैं । दिल्ली में दो बार बैठकें हुई हैं, बम्बई में हुई है और कलकत्ता में भी

हुई है और बड़े-बड़े नगरों में किस तरह के एक्ट्स हैं और कहां पर क्या सहूलियतें हैं, इन सब चीजों को देखा जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटीज कहती हैं कि हमको बहुत दिक्कतें हैं, पापूलेशन बढ़ रही है और आक्टराय खत्म कर दी गई है और किस तरह से उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन ठीक हो, ये सारी एस्पेक्ट्स हैं, जिन पर जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि सारे देश में कितनी नगरपालिकाएं हैं और उनमें से कितनों ने चुनाव कराए हैं और उनमें से कितनी नामजद निकाय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

[हिन्दी]

इसके लिए तो आपको दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या मन्त्री महोदय सभी नगरपालिका चुनावों में मतदान के लिए 18 वर्ष की आयु करने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है।

डा० बी० एल० शैलेश—अनुपस्थित।

श्री टी० बशीर—अनुपस्थित।

प्रश्न सूची समाप्त हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित धनराशि

*531. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास की प्रत्येक योजना के लिए केन्द्र द्वारा आबंटित, जारी की गई धनराशि और राज्यों द्वारा प्रत्येक योजना के लिए किए गए अंशदान का राज्यवार संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और यह कुल आबंटन का कितने प्रतिशत है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस विभाग के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी को दर्शाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**मंत्रालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5853/88**]

टूरिस्ट लॉज, काजीरंगा का प्रबन्ध

*533. श्री सैफुद्दीन अहमद : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने काजीरंगा स्थित टूरिस्ट लॉज का प्रबन्ध कार्य स्थायी रूप से असम राज्य सरकार को सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या असम राज्य सरकार द्वारा टूरिस्ट लॉज के कर्मचारियों को, जिन्हें प्रारम्भ में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नियुक्त किया गया था, पूरे वेतन के लाभ सहित सेवा में रख लिया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकार द्वारा बेहतर पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण रखने की दृष्टि से, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने काजीरंगा स्थित वन गृह असम सरकार को अन्तरित कर दिया है ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के उन भूतपूर्व कर्मचारियों को, जिन्होंने असम सरकार में रोजगार के विकल्प का प्रयोग किया, राज्य सरकार के तदनुरूपी वेतनमान की अनुमति दी गई है तथा उनके वेतन को बरकरार रखा गया है ।

गोदामों का निर्माण

*534. श्री प्रकाश चन्द्र ।
श्री ओहरि राव :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 और 1989 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में और अधिक गोदामों का निर्माण कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, जो कि मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, का 1987-88 और 1988-89 के दौरान 14.82 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 1987-88 के दौरान फरवरी, 1988 तक 4.52 लाख मीटरी टन की क्षमता को पहले ही पूरा कर लिया गया है । इन दो उपक्रमों द्वारा इस समय 7.59 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करवाया जा रहा है । शेष क्षमता का निर्माण कार्य 1988-89 के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है ।

निजी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने विषयक कोई प्रस्ताव इस समय मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) 1987-88 के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 38.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं ताकि वे निर्माण कार्यक्रम को शुरू कर सकें । इसी प्रयोजन हेतु भारतीय खाद्य निगम के लिए

1988-89 हेतु 27.75 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृत किया गया है। सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अपने निर्माण कार्यक्रमों में स्वयं अपने स्रोतों से धनराशि लगा रही है और कारपोरेशन को 1987-88 और 1988-89 के दौरान कोई बजटीय समर्थन प्रदान नहीं किया गया है/प्रदान करने की सम्भावना नहीं है। अनुमान है कि सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अपने निर्माण कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए स्वयं अपने स्रोतों से 1987-88 के दौरान लगभग 18.00 करोड़ रुपए और 1988-89 के दौरान 20.00 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

फलों का उत्पादन

*535. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों की खेती के क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) 1984-85 तक के भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। इससे पता चलता है कि फलों के अन्तर्गत के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। केले के अलावा, फलों के उत्पादन सम्बन्धी सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को शहरी विकास के लिए धनराशि का आबंटन

*536. **श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को शहरी विकास के लिए धनराशि का आबंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि तदर्थ आधार पर भी आबंटित की जाती है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास (आई० डी० एस० एम० टी०) और शहरी मूलभूत सेवाएं (यू० बी० एस०) योजनाओं के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को समानाधार पर निधियों का नियतन किया जाता है।

(ख) ये निधियां योजनाबद्ध पद्धति के अनुसार मुहैया की जाती हैं। तथापि, बृहद बम्बई शहर में आवास और मलिन बस्तियों की विकट समस्याओं का सामना करने के लिए, सातवीं योजना अवधि के दौरान व्यय किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 100 करोड़ रुपए के एक विशेष केन्द्रीय अनुदान को स्वीकृति दी गई थी।

(ग) दी गई राशि इस प्रकार है।

वर्ष	आई० डी० एस० एम० टी० के लिए (रुपए लाखों में)	यू० बी० एस० के लिए (रुपए लाखों में)
1985-86	117.00	शून्य (कोई योजना नहीं थी)
1986-87	123.50	5.60
1987-88	108.70	13.60

नीली हरी काई को उर्वरक के रूप में लोकप्रिय बनाना और उसका उत्पादन

*538. श्रीमती वैजयन्ती माला बाली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अत्यधिक कम लागत वाली नीली हरी काई को उर्वरक के रूप में लोकप्रिय बनाने और उसका उत्पादन करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस सस्ते उर्वरक का उत्पादन करने और उसकी तमिलनाडु में छोटे तथा सीमांत किसानों को सप्लाई सुनिश्चित करने का विचार है क्योंकि इसका चावल के खेतों में प्रयोग किया जाता है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) सरकार जैव-उर्वरकों के विकास तथा उपयोग की राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत नीली हरी काई के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली हरी काई का उत्पादन करने और उसे किसानों को उसकी सप्लाई करने के लिए तमिलनाडु में 5 उप-केन्द्र मंजूर किए गए थे। 1987-88 के दौरान इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है।

प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए धन-राशि का आवंटन

540. श्री बाई० एस० महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान कृषि के लिए बजट प्रावधान में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों के 1750 लाख टन के उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवंटित धनराशि में भी इतनी ही वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए निर्धारित लक्ष्य

*541. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अब तक वर्षवार, क्या उपलब्धियां रही हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पर्यटन भारत में सबसे अधिक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन का स्रोत है।

(ख) छठी योजनावधि के दौरान पर्यटन से 5,886 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान पर्यटन से लगभग 9,305 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) सातवीं योजनावधि के पहले 3 वर्षों के दौरान पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रु० में)
1985-86	1,460
1986-87	1,780
1987-88	1,890 (ल)

(ल)=लक्ष्य

[हिन्दी]

पुरानी दिल्ली में कथित अवैध निर्माण

*543. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरानी दिल्ली के वैद्यवाड़ा, चीराखाना, मालीवाड़ा, खारी बावली, चर्खावालान, आदि जैसे क्षेत्रों मे रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के अवैध निर्माण किए जाने की जानकारी है जैसाकि 17 फरवरी, 1988 के "जनसत्ता" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये भवन अग्नि शमन नियमों के अनुरूप है और मजबूती की दृष्टि से सुरक्षित हैं और यदि नहीं, तो मकान-मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या इन भवनों के सम्बन्ध में जांच कराने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सम्बन्धित जनसत्ता समाचार सरकार के ध्यान में आया है ।

इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार निम्नलिखित तीन सम्पत्तियां शामिल हैं :—

1. सम्पत्ति संख्या 3749/VI गली चरणदास, दिल्ली ।

2. सम्पत्ति संख्या 3390 गली हकीम बग्गा हौजकाजी, दिल्ली ।

3. सम्पति संख्या 936-ग, मालीवाड़ा, दिल्ली ।

(ग) और (घ) ये निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम भवन उप नियमों तथा अग्नि शमन विनियमनों के उल्लंघन हैं । दिल्ली नगर को इसका बोध है और ऐसी सम्पत्तियों के मालिकों/निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी है। चूंकि कार्यवाही प्रगति पर है इसलिए कोई जांच का प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

नई डेरी योजना

*544. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमान्त किसानों को दुधारू पशु खरीदने और पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में राज्य-वार इन कार्यक्रमों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए 1988-89 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास कार्यक्रम जैसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को डेरी के पशुओं को अपने स्वामित्व में रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास की राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त पोषण से ऋण सम्बन्धी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । ओसरों को पालने के लिए राजसहायता विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध है ।

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा इससे बाहर डेरी विकास के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त वितरण की राज्यवार स्थिति और गत तीन वर्षों के दौरान विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर-प्रजनित ओसरों का पालन करने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले लाभानुभोगियों की संख्या प्रदर्शित करने वाले विवरण 1, 2, और 3 संलग्न हैं ।

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए 1988-89 के लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण-1

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त पोषण का राज्य-वार संवितरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 1984-85	1985-86	1986-87
1.	चण्डीगढ़	2	4	3
2.	दिल्ली	35	22	7
3.	हरियाणा	307	466	243
4.	हिमाचल प्रदेश	119	71	101
5.	जम्मू और कश्मीर	137	117	103
6.	पंजाब	578	512	464
7.	राजस्थान	280	321	277
8.	असम और उत्तर पूर्वी राज्य	42	102	81
9.	सिक्किम	1	1	1
10.	बिहार	1159	688	550
11.	उड़ीसा	118	62	65
12.	पश्चिम बंगाल व अण्डमान और निकोबार	97	189	219
13.	मध्य प्रदेश	480	559	323
14.	उत्तर प्रदेश	1914	1620	1232
15.	गुजरात	587	599	408
16.	महाराष्ट्र और गोवा	457	637	431
17.	आन्ध्र प्रदेश	144	166	176
18.	कर्नाटक	718	719	565
19.	केरल	405	370	348
20.	तमिलनाडु	1482	1111	543
21.	पांडिचेरी	—	23	5
	योग :	9062	8359	6145

विवरण-2

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बाहर वित्तीय संस्थानों का विकास करने के लिए पुनर्वित्त के वितरण की राज्यवार स्थिति

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 1984-85	1985-86	1986-87
1.	चण्डीगढ़	—	3	—
2.	दिल्ली	5	12	38
3.	हरियाणा	517	675	547
4.	हिमाचल प्रदेश	6	9	72
5.	जम्मू और कश्मीर	2	—	23
6.	पंजाब	700	463	1560
7.	राजस्थान	39	58	49
8.	असम और उत्तर पूर्वी राज्य	10	10	16
9.	सिक्किम	—	2	—
10.	बिहार	21	1	1
11.	उड़ीसा	12	36	47
12.	पश्चिम बंगाल और अण्डमान और निकोबार	14	9	12
13.	मध्य प्रदेश	39	48	179
14.	उत्तर प्रदेश	55	136	169
15.	गुजरात	171	175	166
16.	महाराष्ट्र और गोवा	132	171	247
17.	आन्ध्र प्रदेश	195	218	258
18.	कर्नाटक	157	389	694
19.	केरल	84	148	182
20.	तमिलनाडु	148	374	511
21.	पांडिचेरी	2	6	2
	योग :	2309	2943	4773

विवरण-3

विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के संकर प्रजनित बछड़ा-पालन घटक के तहत सहायता प्राप्त लाभानुभोगियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वर्ष		
		1984-85	1985-86	1986-87
1.	आन्ध्र प्रदेश	3371	1794	394
2.	असम	उ०न०	75	204
3.	बिहार	736	452	40
4.	गुजरात	1392	1218	1287
5.	हरियाणा	3382	3242	2044
6.	हिमाचल प्रदेश	1015	732	655
7.	जम्मू और कश्मीर	933	817	उ०न०
8.	कर्नाटक	3164	3584	3505
9.	केरल	4024	1090	1021
10.	मध्य प्रदेश	2079	2267	825
11.	महाराष्ट्र	3287	3148	3209
12.	मेघालय	शून्य	शून्य	27
13.	नागालैंड	2078	2200	500
14.	उड़ीसा	296	871	2328
15.	पंजाब	4308	2590	4182
16.	राजस्थान	3363	5438	4139
17.	तमिलनाडु	5000	3700	1702
18.	त्रिपुरा	—	7303	5821
19.	उत्तर प्रदेश	3316	3330	3349
20.	पश्चिम बंगाल	1433	669	670
21.	गोवा, दमन व दीव	327	165	343
22.	पांडिचेरी	1196	787	997
23.	दिल्ली	—	शुरू नहीं किए गए हैं	—

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्रों का विकास

*545. **श्री जी० देवराय नायक :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में और पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले का विकास किया जा रहा है और क्या केन्द्रीय सरकार इस पर्वतीय जिले में और पर्यटन केन्द्रों को स्वीकृति दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने करवार में 13.33 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक समुद्र-तट विहार-स्थल का निर्माण करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। कर्नाटक सरकार सरकार से जब कभी अन्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब उन पर वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु विचार किया जाएगा।

प्रबन्ध में श्रमिक भागेदारी

*551. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री टी० बशीर :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्री द्वारा अपने अपने बजट भाषण में कम्पनियों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी योजनाओं पर किए गए व्यय पर आयकर से शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा किए जाने के अनुसरण में, सरकार ने श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की संख्या के निर्धारण के बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह किस प्रकार निर्धारित करने का विचार है कि कम्पनियों के प्रबन्ध में कितने श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार द्वारा तरीख 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प संख्या एल०-56011/1/83-डेस्क-I (बी०) के तहत् अधिसूचित की गई प्रबन्धतन्त्र में कर्मचारी सहभागिता योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। प्रबन्धतन्त्र से अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित ट्रेड यूनियन नेताओं से परामर्श करके उनकी सहमति से उन सभी स्तरों पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के लिए रास्ता निकाले जहां यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन में किया जाने वाला व्यय वित्त मन्त्री की घोषणा के अन्तर्गत आ जाएगा।

[अनुवाद]

पांडेवेश्वर कोयला क्षेत्र में दुर्घटना

5508. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
डा० सुधीर राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1987 को पांडेवेश्वर कोयला क्षेत्र के पश्चिम सैक्शन की गर्त में कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं तथा प्राथमिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध नहीं है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोयला खान के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि गत लोडर को कार्य सतह पर ब्लास्ट होने के कारण गंभीर चोट आई तथा तदोपरान्त चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

(ग) कोलियरी में चिकित्सा सुविधाएं जिनमें प्राथमिक सुरक्षा उपस्कर शामिल है, प्रदान की जाती है ।

(घ) दुर्घटना के लिए जिम्मेवार ठहराए गए शाटफायरर को निलम्बित कर दिया गया ।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में पेन्शन और सामान्य भविष्य सामान्य निधि सम्बन्धी अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित मामले

5509. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में पेंशन और सामान्य भविष्य निधि के कितने मामले अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मामलों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्यालय में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) इसके क्या कारण है;

(ङ) इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अग्रलिखित किसी न किसी कारणवश 10 पेंशन के मामले लम्बित पड़े हुए हैं :—

(i) वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा लम्बित अनुमोदन।

(ii) जन्म तिथि के बारे में विवाद के कारण न्यायाधीन मामला।

(iii) सतर्कता के लम्बित मामले।

(iv) सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेन्शन के कागजात प्रस्तुत न करना।

(v) प्रक्रियाधीन मामले।

जहां तक सामान्य भविष्य निधि के मामलों का सम्बन्ध है, निम्नलिखित किसी न किसी कारण-वश 20 मामले हैं जिन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है।

(i) जो मामले प्रगति पर हैं।

(ii) वेतन तथा लेखा अधिकारी के कार्यालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(iii) कोई दावेदार न होना।

(iv) कर्मचारी गुम है—पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(v) उत्तराधिकारी के प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जाना।

(ग) से (ङ) इस समय 23 ऐसे मामले लम्बित हैं, जिनमें अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि यहां तक कि आवेदक को उनके अनुरोध के स्वीकार न करने के बारे में सूचित कर दिया जाता है, फिर भी अपीलें प्राप्त होती ही रहती हैं। पुत्रों/पुत्रियों/करीबी रिश्तेदारों को रोजगार सीधी भर्ती वाले पदों में से दिया जाता है तथा इस शर्त के साथ कि कुल आरक्षण जिसमें अनुकम्पा के आधार वाले भी शामिल हैं, पदों में 50% से अधिक नहीं होते हैं। तथापि, सरकार ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि बहुत अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर मिन्टो रोड मुद्रणालय में इसके आधुनिकीकरण के कारण और अधिक स्टाफ न रखा जाए।

[हिन्दी]

सागर शहर के लिए "हुडको" की सहायता

5510. श्री नन्द लाल चौधरी। क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सागर शहर में मकानों के निर्माण के लिए आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) हुडको के पास अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हुडको ने सागर शहर में 561 रिहायशी एककों के निर्माण हेतु 4 योजनाओं के लिए 187.06 लाख रुपये की ऋण सहायता पहले ही स्वीकृत कर दी है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त मध्य प्रदेश नगर विकास परियोजना में चार मध्यम दर्जे के कस्बों में एक कस्बा सागर चुना गया है और 867 प्लाटों तथा 660 कोर आवासों के क्षेत्र विकास के लिए 111.86 लाख रुपयों का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धर्मकांटों के लिए स्थलों का आवंटन

5511. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का दक्षिण दिल्ली में धर्मकांटे के लिए स्थल आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पामोलीन आयल के मूल्य में वृद्धि

5412. **श्री सी० सम्बु** :
श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे पामोलीन आयल के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या उपभोक्ता पामोलीन आयल के मूल्य में वृद्धि के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो पामोलीन आयल के मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मायापुरी कालोनी की नागरिक सुविधाओं की देखभाल का कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंपना

5513. **श्री भरत सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम दिल्ली में गवर्नमेंट प्रेस कालोनी, मायापुरी की नागरिक सुविधाओं की देखभाल का कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंपने से रोकने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने सम्बन्धित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से विभिन्न सेवाओं के अधिग्रहण के लिए अपेक्षित धनराशि की मांग की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कालोनी की अनता को नागरिक सुविधाएं वास्तव में कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सड़कों, नालियों, मल निर्यास पद्धति तथा जलपूर्ति से सम्बन्धित दोषों का अन्तिम मूल्यांकन किया जाना था। अन्तिम मूल्यांकन अब कर लिया गया है तथा दिल्ली नगर निगम को दोष प्रभारों के रूप में अदायगी के लिए अपेक्षित धनराशि की मंजूरी जारी की गई है।

(ग) जहां तक नागरिक सुविधाओं का सम्बन्ध है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कालोनी के निवासियों को सम्भव सीमा तक पहले ही उपलब्ध की जा रही है किन्तु सम्पूर्ण पालिका सेवाएं, दिल्ली नगर निगम द्वारा सेवाएं सम्भालने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगी।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों को सहायता

5514. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में गन्ना उत्पादकों ने चालू पेराई के मौसम के अन्त में तैयार खड़ी फसलों को अपने पास रखा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का आगामी वर्षों में इस स्थिति से बचने के लिए फसल ढांचे में परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गन्ने की भरमार के कारण हानि से बचने के लिए किसानों की मदद करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) चालू पेराई मौसम को 1 अक्तूबर, 1987 से 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकारें आमतौर पर यह सुनिश्चित करती हैं कि संपूर्ण अनुबन्धित गन्ना चीनी मिलों ने अपनी पेराई समाप्त करने से पहले पेर दिया है। चालू वर्ष के दौरान गन्ने के बहुत अधिक होने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) से (घ) जब कभी आवश्यक होता है, गन्ने की भरमार की स्थिति से बचने के लिए बुनियादी उत्पाद शुल्क में छूट तथा एक निश्चित क्षेत्र के लिए उपयुक्त वैकल्पिक फसल पद्धति की सिफारिश सहित विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

5515. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परिमाण के आधार पर राज्य-वार और योजना-वार कितनी उपलब्धि हुई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूनिट लागत के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां शीर्षवार, योजना वार और वर्ष वार सभा पटल पर रखे गए विवरण 1 से 16 में दर्शाई गई हैं। [पंचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5854/88]

(ग) और (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में है। इन योजनाओं को राज्यों द्वारा उनकी अपनी निधियों से कार्यान्वित किया जाता है। हमें उनके द्वारा किए गए किसी यूनिट लागत अध्ययन की जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इन्जीनियर का पदनाम

5516. **श्री आनन्द पाठक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियरों का पदनाम पहले ओवरसियर और फिर सैक्शनल आफीसर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब किया गया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पदनाम में प्रत्येक बार परिवर्तन करते समय कार्यों और जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) (i) 1950 के दशक के प्रारम्भ तक यह पदनाम ओवरसियर था।

(ii) 1950 के दशक में यह पदनाम अनुभागीय अधिकारी के रूप में बदला गया था।

(iii) 1970-71 में इसे कनिष्ठ इन्जीनियर में बदला गया था।

(ग) और (घ) उन्हें अनुभागीय अधिकारियों के रूप में पुकारने का निर्णय उपमण्डल में अनुभाग के प्रभारी होने के नाते उनके कार्य के आधार पर किया गया था। इस सम्बन्ध में कनिष्ठ इन्जीनियरों की एक एसोसियेशन द्वारा अभ्यावेदन करने पर इस पदनाम को कनिष्ठ इन्जीनियर में परिवर्तित किया गया था। ड्यूटियों और उत्तरदायित्वों की मूल प्रकृति एक समान है।

निर्माण एजेंसियों को सहायता

5517. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी/ग्रामीण आवास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए किन्हीं निर्माण एजेंसियों, जैसे हुडको को पर्याप्त सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, इनमें से प्रत्येक ऐजेंसी को कितनी धन-राशि जारी की गई;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार, खर्च की गई धन-राशि तथा उनके द्वारा बनाए गए मकानों की संख्या का कोई जायजा किया गया है; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता राशि में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है तथा उसमें कितनी वृद्धि की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखा दी जायेगी ।

उड़ीसा के भीतरी प्रदेश में मछली पकड़ना

5518. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भीतरी प्रदेश में मछलियों की कुल पकड़ के बारे में अनुमान तैयार करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान नमूना सर्वेक्षण की प्रणाली तैयार करने के लिए एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, यदि हां, तो इस परियोजना में सहयोग कर रही एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) यह सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल तट के समुद्री सम्पदा का आकलन करना

5519. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट की समुद्री सम्पदा का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मछली झींगा, मसल आदि के संसाधन और संरक्षण के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्र ने क्या निर्णय लिया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) दक्षिण पश्चिमी तट, जिसमें केरल का तट भी शामिल है, के मछली-संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। तटवर्ती और बेलापवर्ती (पेलाजिक) सर्वेक्षणों से पता चलता है कि तटवर्ती क्षेत्र से मछली का उत्पादन बढ़ाने की संभावनायें बहुत कम हैं। लेकिन, महाद्वीप के बाहरी भाग में 50 से 500 मीटर की गहराई पर पानी में और ढलान वाले हिस्से में स्किवड, क्टल मछली, गहरे समुद्र वाली झींगा, गहरे समुद्र वाली लोबस्टर आदि जैसे डिसर्सल मछली संसाधनों का लाभ उठाने की बहुत गुंजाइश है। समुद्री सर्वेक्षण से भी पता चला है कि केरल तट में टूना, बिल मछली और शार्क उपलब्ध हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने केरल राज्य सहकारी मात्स्यिकी विकास संघ लि० द्वारा कोचीन में 49.03 लाख रुपए की अनुमानित लागत से कम मूल्य की मछली से अधिक मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से इस परियोजना को संशोधित करने के लिए कहा गया है।

पीतमपुरा में समूह आवास कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

5520. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा में दिल्ली में मंगोलपुरी के पीछे बाहरी रिंग रोड पर विभिन्न समूह आवास समितियों द्वारा बनाई जा रही कई आवास कालोनियों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कालोनियों के लिये जल/विद्युत व्यवस्था, टेलीफोन और सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो फ्लेटों के आवंटन से पहले उनमें उक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पानी की लाइनें पहले ही बिछाई जा चुकी हैं तथा इन्हें दिल्ली नगर निगम को सौंपा जा चुका है। परीधीय विद्युत सेवाएं पीतमपुरा में उपलब्ध है तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उनके सम्पर्क करने वाली सभी समितियों को बिजली उपलब्ध कराई गई है। दूरभाष के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है। परीधिय मल निर्यास लाइनें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिछाई जा रही हैं तथा यह कार्य दिसम्बर, 88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। मल निर्यास लाइनें, जिससे यह सीवर जोड़ा जाना है, दिल्ली नगर निगम द्वारा बिछाई जा रही हैं तथा यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हुडको द्वारा राज्यों को ऋण देने के लिए मानदण्डों में संशोधन

5521. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण देने के वर्तमान मानदण्डों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हुडको, और जीवन बीमा निगम को दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और ग्रामीण भूमिहीन तथा दस्तकारों पर विशेष ध्यान देते हुए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आवास तथा नगर विकास निगम आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और ग्रामीण भूमिहीनों को आर्थिक सहायता प्राप्त 6 प्रतिशत ब्याज दरों पर ऋण सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना सम्बन्धी 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास स्थल मुफ्त में वितरित किए जाते हैं और 2000/- रुपए की निर्माण सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष तौर से इन्दिरा आवास योजना आरम्भ की गई है जिससे जनसंख्या की इन श्रेणियों को 10200/- रुपए तक की अधिकतम लागत सीमा वाले आवास एकक उपलब्ध हो सकेंगे। हुडको द्वारा ग्रामीण आवास स्थलों के लिए ऋण देने के मौजूदा मापदण्डों को दिसम्बर, 1985 में और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए मार्च, 1986 में अन्तिम रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने हुडको के वित्तीय निबन्धनों की पुनरीक्षा करने और परिवर्तनों का अनुमोदन करने के लिए एक स्थायी अधिकार प्राप्त समिति का भी गठन किया है।

केरल को पामोलीन तेल का आवंटन

5522. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केरल को पामोलीन तेल के आवंटित कोटे में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी मात्रा में कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) केरल को मार्च, 1988 के 4250 मी० टन की तुलना में अप्रैल, 1988 में 4000 मी० टन पामोलीन आवंटित किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता तथा उनके मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जनवरी, 1988 से सभी राज्यों के लिए आयातित खाद्य तेलों के कोटे में कमी की गई है, क्योंकि खुले बाजार में मूल्य स्थिति में सुधार हुआ है।

पर्यटन सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

5523. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम प्रबन्धकों ने अपनी सम्पतियों/क्रियाकलापों से अधिक लाभ कमाने के लिए कोई उच्चशक्ति प्राप्त समिति गठित की थी; और

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्यों के नाम और पदनाम क्या हैं और उक्त समिति (समितियों) के निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और कब तक यदि कोई प्राप्तियां हुई हैं तो वे क्या हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने परिचालन सम्बन्धी अपनी कुशलता और लाभप्रदता में सुधार लाने की दृष्टि से एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति का गठन किया था जो इसके विभिन्न होटल एककों का निरीक्षण करती है।

(ख) इस समिति को विभिन्न होटलों का निरीक्षण करना था, परिचालन सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों यथा होटल परिचालन, विपणन, अभियांत्रिकी, कार्मिक, लेखा भंडार के बारे में अध्ययन करने थे और जहां कहीं भी जरूरी हो तत्काल निर्णय लेने थे। समिति की सिफ़ारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ पदों की "डिफ्रीजिंग", समयोपरि भत्ते पर होने वाले खर्च में कमी, भोजन की लागत पर नियन्त्रण, सामान-सूची तथा विभिन्न लेनदारों में कमी, क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए विपणन नीतियां तैयार करना, मरम्मत तथा अनुरक्षण, छोटे तथा बड़े नवीकरण, आदि शामिल थे। समिति के सदस्यों के नाम और पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के समग्र कार्य-निष्पादन तथा लाभप्रदता में सुधार लाने की दिशा में योगदान दिया है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है—

वर्ष	निवल लाभ/हानि (लाख रुपये में)
1984-85	(—) 55.47
1985-86	260.63
1986-87	436.25

विवरण

क्र० सं०	नाम	पद
1	2	3
1984-85		
1.	श्री आर० एस० जौली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)
2.	श्री ओ० एन० वर्मा	उपाध्यक्ष (कार्मिक)
3.	श्री एन० एन० क्षेत्रपाल	उपाध्यक्ष (वित्त)
	[14-12-1984 को श्री सी० एस० जैन के स्थान पर लिए गए]	महाप्रबन्धक (लेखा)
4.	श्री आर० के० पुरी	उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)
5.	श्री एस० सी० द्विवेदी	मुख्य सतर्कता अधिकारी

1	2	3
	6. श्री एल० एस० एच० डेचा	महाप्रबन्धक (रख-रखाव)
	[14-12-1984 को श्री एल० आर० पावा के स्थान पर लिए गए]	उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग होटल)
	7. श्री पी० बी० माथुर	उपाध्यक्ष (परिचालन-दक्षिण और पश्चिम) 14-12-1984 से
1985-86		
	1. श्री आर० एस० जौली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल) अध्यक्ष
	2. श्री एल० आर० पावा	उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग होटल) सदस्य
	3. श्री बी० के० धींगड़ा	उपाध्यक्ष (लेखा) सदस्य
	4. श्री एस० एन० शर्मा	उपाध्यक्ष (समन्वय एवं कार्मिक) सदस्य
	5. श्री सी० के० सैमुएल	महाप्रबन्धक (होटल बिक्री) सदस्य सचिव
1986-87		
	1. श्री राजन जेतली	प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष
	2. श्री आर० एस० जौली	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल) सदस्य
	3. श्री आर० के० पुरी	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्य) सदस्य
	4. श्री एन० एन० क्षेत्रपाल	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा) सदस्य
	5. श्री एस० सी० द्विवेदी	मुख्य सतर्कता अधिकार सदस्य
	6. श्री वाई० पी० कपूर	वरिष्ठ उपाध्यक्ष (मानव संसाधन विकास) सदस्य
	7. श्री बी० के० धींगड़ा	उपाध्यक्ष (लेखा) सदस्य
	8. श्री एल० आर० पावा	उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग-होटल) सदस्य
1987-88		
	1. श्री वाई० पी० कपूर	वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष (मानव संसाधनन विकास)
	[14-12-87 से श्री एस० सी० द्विवेदी के स्थान पर लिए गए]	मुख्य सतर्कता अधिकारी
	2. श्री बी० के० धींगड़ा	उपाध्यक्ष (लेखा) सदस्य
	3. श्री एल० आर० पावा	उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग-होटल) सदस्य
	4. सुश्री ए० हांडा	महाप्रबन्धक (गृह व्यवस्था) सदस्य
	5. श्री सी० के० सैमुएल	महाप्रबन्धक (होटल बिक्री) सदस्य सचिव
	सम्बन्धित एकक के एरिया उपाध्यक्ष/एरिया महाप्रबन्धक सदस्य	

मसालों की खेती का कार्यक्रम

5524. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों की खेती के मौजूदा कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने मसालों के विकास के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि नीति के सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मसालों के सम्बन्ध में एक समिति गठित की है। इस समिति से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपनी पहली बैठक से छह महीनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दे।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

5525. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत्स्य नौकाएं/जलयान/यंत्रीकृत नावें खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी मत्स्य नौकाएं/जलयान और यंत्रीकृत नावें खरीदी गयीं;

(ग) क्या इन मत्स्य नौकाओं, जलयानों अथवा यंत्रीकृत नावों को खरीदने में कुछ अड़चनें हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रपति भवन मुद्रणालय में श्रमिकों के पद

5526. **श्री नटवर सिंह सोलंकी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधी भर्ती द्वारा चयन किए गए उम्मीदवारों के पैनल की वैधता अवधि के सम्बन्ध में कतिपय मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में श्रमिकों की नियुक्ति के लिए

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में इन मार्गनिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मार्ग निर्देशनों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेस कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के एवज में मुआवजा

5527. **श्री गंगा राम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन पर शोक मनाने के लिए 24 दिसम्बर, 1987 और 22 जनवरी, 1988 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था;

(ख) क्या भारत सरकार के प्रेस भी इन दिनों बन्द रखे गए थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रेस कर्मचारियों को मुआवजा देने हेतु इन दिनों के एवज में एवजी छुट्टियां देने संबन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत 24-12-87 और 22-1-88 को सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की गई थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार मुद्रणालय औद्योगिक स्थापनाएं हैं तथा वे फैक्टरी अधिनियम एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा प्रशासित होती है। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक स्थापनाएं राष्ट्रपति की मृत्यु या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के सिवाय बन्द नहीं होती हैं। इसलिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा औद्योगिक स्थापनाओं को स्वतः शामिल नहीं करती हैं। इसलिए भारत सरकार मुद्रणालय 24-12-87 और 22-1-88 को बन्द नहीं थे।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए भारत सरकार मुद्रणालयों के कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक छुट्टी की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खाड़ी के देशों में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए सामाजिक बीमा योजना

5528. **श्री मुरलीधर माने** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए सामाजिक बीमा योजना की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन दिए जाने वाले लाभ निर्धारित श्रमिकों पर अभी तक लागू नहीं किए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो निर्वासित श्रमिकों को योजना के अधीन धनराशि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अगदीश टाईटलर) : (क) खाड़ी के देशों जिनमें सऊदी अरब शामिल है, में नियोजित भारतीय श्रमिक संबन्धित स्थानीय श्रम कानूनों के अनुसार सामाजिक बीमा लाभ पाने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) निर्वासित श्रमिकों को, जो पहले सऊदी अरब में सामाजिक बीमा संगठन (सा० बी० सा० स०) को अंशदान दे रहे थे, मार्च, 1987 से ऐसा अंशदान देने से छूट दे दी गई है। सऊदी प्राधिकारियों ने यह निर्णय लिया क्योंकि अधिकांश निर्वासित श्रमिक अपने ठेका नियोजन के कारण वृद्धावस्था पेंशन लाभ पाने के अयोग्य थे। सऊदी अरब के सामान्य सामाजिक बीमा संगठन द्वारा श्रमिक अंशदान की वापसी के प्रश्न पर अभी निर्णय किया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्यों से सुझाव

5529. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबन्धी प्रारूप योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारों से सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर।

(ख) हरियाणा सरकार के ये सुझाव हैं कि दिल्ली महानगरी क्षेत्र (डी० एम० ए०) को आर्थिक गतिविधियों की हतोत्साहित नीति को लागू करने, दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के कस्बों में बड़े तथा मझोले औद्योगिक एककों के स्थान निर्धारण, दिल्ली में नवीन औद्योगिक अवसंरचनाओं पर प्रतिबन्ध, दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में प्रमुख आयात निर्यात समाशोधन केन्द्रों का स्थान निर्धारण सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की डी० एम० ए० को छोड़कर, औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र के रूप में घोषणा इस क्षेत्र में समान बिक्री कर की आवश्यकता, दिल्ली में प्रेषण कर लगाना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली शहरी क्षेत्र के बराबर बिजली की उपलब्धता, दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों के मध्य रेल तथा मार्ग सम्पर्क, तीव्रगामी मार्गों तथा राजमार्गों के साथ-साथ हरित क्षेत्र अवसंरचना का विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन दिल्ली के साथ न मिलाया जाए।

राजस्थान के मामले में, ये सुझाव हैं :—अतिरिक्त क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करना, राजस्थान उप क्षेत्र में 2001 ई० तक प्रक्षेपित जनसंख्या से अधिक शहरी जनसंख्या होने की सम्भावना, रिवाड़ी से अलवर को मिलाने के लिए सड़क का प्रावधान दिल्ली-अलवर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, अलवर में हवाई अड्डे का प्रावधान, राजस्थान के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य निधियों के निवेश के हिस्सों में परिवर्तन का प्रस्ताव तथा दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों की गतिविधियों का परिक्षेपण।

लग्जरी होटलों की स्थापना

5530. **श्री हरिहर सोरन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुछ लग्जरी होटलों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में इस प्रकार का कोई होटल स्थापित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लग्जरी होटलों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम द्वारा फिलहाल परिचालित किए जा रहे होटलों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

भारत पर्यटन विकास निगम	24*	
भारतीय होटल निगम	5**	(इसमें राजगीर स्थित इंडो होल्के होटल्स लि० भी शामिल है जो कि भारतीय होटल निगम की एक सहायक संस्था है)

*एक 1-स्टार, तीन 2-स्टार, 3, 4 और 5-स्टार प्रत्येक के छः छः, एक 5-स्टार डीलक्स तथा एक मितव्ययी श्रेणी के होटल हैं ।

**एक 3-स्टार और चार 5-स्टार ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा में एक 2-स्टार होटल यथा कलिंग अशोक भुवनेश्वर का परिचालन कर रहा है ।

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम फिलहाल उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पुरी में एक 3-स्टार संयुक्त उद्यम होटल की स्थापना कर रहा है । इस संयुक्त उद्यम परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत लगभग 278 लाख रुपए है । इस होटल के 1988-89 के दौरान पूरा हो जाने/चालू हो जाने की संभावना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन

5531. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की विधवाओं से पंजीकरण का अंतरण करने तथा उन्हें फ्लैट/प्लाटों का बिना बारी के आवंटन किए जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन स्वीकार किए गये और कितने फ्लैट/प्लाट बिना बारी के आवंटित किये गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कितने आवेदन विचारार्थ लम्बित पड़े हैं; और

(घ) कितने आवेदन रद्द किए गये और उसके क्या कारण थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) बिना बारी के आधार पर फ्लैटों के आवंटन के लिए विधवाओं से गत तीन वर्षों के दौरान 810 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जहां तक प्लाटों का सम्बन्ध है आवंटन के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे।

(ख) पंजीकृत 117 विधवाओं को फ्लैट आवंटित किए गये हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 47 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

(घ) मामलों के सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात 646 आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है। बिना बारी के आवंटन केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना होता है।

पंजाब को बीजों की सप्लाई में देरी

5532. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने पंजाब को बीजों की सप्लाई में असाधारण देरी की है, यदि हां, तो इस का क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रकार की देरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों/दुकानों का जाली दस्तावेजों पर आवंटन

5533. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों/दुकानों का जाली दस्तावेजों पर आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मकानों/दुकानों के आवंटन के ऐसे कितने मामलों का पता लगा है; और

(ग) जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) गत दो वर्षों अर्थात 1986 तथा 1987 के दौरान दुकानों/मकानों के आवंटन के केवल दो मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आये हैं। एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दूसरे मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और भारी दण्ड देने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिए गए हैं।

"दिल्ली फेसिंग क्राइसिस आफ अरबनाइजेशन" शीर्षक से समाचार

5534. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "दिल्ली फेसिंग क्राइसिस आफ अरबनाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्रामीण जनता के बड़ी संख्या में दिल्ली समेत शहरों में आगमन की रोकथाम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, मनोरंजन और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और योजना बनाई गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार दिल्ली के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रही है। राजधानी की ओर प्रव्रजन के प्रवाह को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना, जिसको इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है, का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सन्तुलित विकास सुनिश्चित करना है।

पंजाब में होशियारपुर में भूमि की चकबन्दी

5535. श्रीमती कृष्णा चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकबन्दी निदेशक ने पंजाब में होशियारपुर जिले के गढ़शंकर तहसील में भवानीपुर गांव में भूमि की चकबन्दी के आदेश किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदेशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या उक्त गांव में भूमि की गिरदावरी गत पांच वर्षों से नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1983 और 1985 में ओलावृष्टि और सूखे से क्षतिग्रस्त हुई फसल के लिए मुआवजे की अदायगी नहीं की जा सकी;

(घ) क्या उक्त गांव में नामान्तरण के 2700 मामले लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उक्त गांव के निवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए तुरन्त क्या कदम उठाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 8 जुलाई, 1980 को पंजाब के चकबन्दी निदेशक ने किलाबन्दी के आदेश दिए थे।

(ख) अधिकांश गांव वालों के असहयोगपूर्ण रवैये और उसके बाद 9 जून, 1982 को पंजाब के तत्कालीन माननीय राजस्व मन्त्री से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण आदेशों को लागू नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् गांवों का दौरा करने और उचित भू-धारकों की बात सुनने व उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए चण्डीगढ़ के चकबन्दी के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक और जालन्धर के चकबन्दी के तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी की एक समिति का गठन किया गया, जिससे कि गांवों की चकबन्दी का

काम पूरा किया जा सके। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा भूमि के सही धारकों को चकबन्दी के लाभ तथा हानियां स्पष्ट कर देने के बाद वे अधिकारी गांव में चकबन्दी की कार्यवाहियों को जारी रखने और उन्हें पूरा करने के पक्ष में जनमत तैयार कर सके थे। समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देने के बाद सरकार ने 22 जुलाई, 1987 को स्थगन आदेश को रद्द कर दिया था।

चूंकि वर्ष 1987-88 के लिए चकबन्दी के लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर दिए गए थे और इस कार्य के लिए स्टाफ को लगाया जा चुका था, इसलिए वर्ष 1987-88 में इस गांव को चकबन्दी के लिए नहीं लिया जा सका। तथापि, वर्ष 1988-89 के लिए लक्ष्य के अनुसार निर्धारित गांवों की सूची में इस गांव को लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं। सरकारी रिकार्ड के अनुसार गांव की गिरदावरी नियमित रूप से की गई है जिसमें 1983-85 की अवधि शामिल है। ओलावृष्टि अथवा सूखे के कारण राहत से सम्बन्धित यदि कोई दावे हैं, तो उन्हें राजस्व विभाग जोकि सम्बन्धित प्राधिकरण है, के साथ उठाया जा सकता है।

(घ) मामांतरण के केवल 283 मामले निपटाने के लिए लम्बित हैं।

(ङ) जब वर्ष 1988-89 में गांव को चकबन्दी के लिए लिया जाएगा तब उन्हें अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए अवसर मिलेगा।

तुर्की से इस्पात छड़ों के आयात से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को हुआ घाटा

5536. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को फ्रांस के मैसर्स डाबाल की मार्फत तुर्की से 350,000 लाख टन इस्पात छड़ों के आयात का ठेका खनिज तथा धातु व्यापार निगम को देने में भारी घाटा हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह ठेका प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से ऊंची दरों पर दिया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सप्लाई किया गया माल ठेके के अन्तर्गत अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत टर्की से 35,000 टन इस्पात के बिलेटों का आयात करने के कारण हानि होने की सूचना दी है। भारी मात्रा में माल का इस्तेमाल करने के पश्चात् "सेल" ने हानि होने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम पर 5.94 करोड़ रुपए का दावा किया। इस दावे की राशि में और कमी होने की सम्भावना है क्योंकि "सेल" ने दावा करने के पश्चात् इन बिलेटों का और इस्तेमाल किया है।

(ख) जैसाकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सूचित किया गया है, इस ठेके को एक टेंडर पर न्यूनतम मूल्य पर अन्तिम रूप दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) आज की तारीख में सम्पूर्ण माल का इस्तेमाल हो चुका है। तथापि यह दावा "सेल" और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के बीच तय होना चाहिए।

साधारण बीमा निगम के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे

5537. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 की रबी और खरीफ और वर्ष 1986 की खरीफ फसल के दौरान भारतीय साधारण बीमा निगम को किसान से कुल कितनी धनराशि के क्षतिपूर्ति के दावे प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रभावित किसानों द्वारा किए गए दावे की राशि में से अब तक राज्यवार कितना भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने किसानों द्वारा किए गए दावों के शीघ्र भुगतान करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय साधारण बीमा निगम ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा खरीफ, 1985, रबी 1985-86 और खरीफ 1986 के दौरान क्रमशः 101 करोड़ रुपये, 2.96 करोड़ रुपये और 160.22 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति के कुल दावे प्राप्त किए गए थे।

(ख) अब तक स्वीकृत किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को बीमाकृत फसलों के लिए हर मौसम के अन्त के बाद चार मास के भीतर पैदावार सम्बन्धी पूरे आंकड़े जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन को देने होते हैं। उसके बाद जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन क्षतिपूर्ति के दावों पर कार्रवाई करता है।

विवरण

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खरीफ 1985 के लिए अदा किए गए दावे	रबी 1985-86 के लिए अदा किए गए दावे	खरीफ 1986 के लिए अदा किए गए दावे
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	385.48	68.67	1125.18
2.	बिहार	1.23	0.59	कोई दावा नहीं

1 2	3	4	5
3. गुजरात	5471.25	26.48	929.07
4. कर्नाटक	303.58	29.78	212.91
5. केरल	37.95	1.24	115.21
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	5.08
7. मध्य प्रदेश	21.59	14.27	—
8. महाराष्ट्र	1978.85	88.60	3887.72
9. उड़ीसा	8.05	4.14	8.29
10. तमिलनाडु	56.40	24.62	31.53
11. राजस्थान	—	13.15	1932.72
12. उत्तर प्रदेश	9.96	7.48	63.05
13. पश्चिम बंगाल	23.31	13.04	212.94
14. त्रिपुरा	—	3.93	1.28
15. अण्डमान और निकोबार	कोई दावा नहीं	—	0.24
16. पांडिचेरी	2.94	—	0.69
17. गोवा, दमन और दीव	—	—	2.80
18. दिल्ली	—	—	—
जोड़ :	8300.59	295.99	8528.71

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित दर की दुकानों में गेहूं न मिलना

5538. **श्री राज कुमार राय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों में गेहूं नहीं था, जिसके फलस्वरूप दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम लिमिटेड को प्रतिदिन लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ा और उचित दर की दुकानों को गेहूं नहीं मिला तथा उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिनौले संसाधित करने वाले एककों की क्षमता का उपयोग

5539. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैज्ञानिक तरीके से बिनौले संसाधित करने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय कितनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग हो रहा है; और

(ग) सरकार का इन एककों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु इनकी कार्य-क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सम्बन्धित एसोसिएशन से उपलब्ध सूचना के आधार पर, छिलका रहित बिनौलों की पेराई तथा निष्कर्षण के लिए संस्थापित क्षमता लगभग 25 लाख मी० टन है। इस समय वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा बिनौले के तेल का उत्पादन बहुत ही कम है।

(ग) सरकार ने निष्कर्षण (एक्सट्रेक्शन) के निर्यात के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्यों पर 10 प्रतिशत का नकद प्रतिपूरक—समर्थन देने की अनुमति दी है। वनस्पति विनिर्माताओं को विलायक निष्कर्षित बिनौले के तेल का उपयोग करने पर उत्पादन शुल्क में 4000 रु० प्रति मी० टन की रियायत दी जाती है।

[हिन्दी]

आठवीं योजनावधि के दौरान राज्यों में परीक्षण केन्द्र की स्थापना

5540. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजनावधि के दौरान लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में इन केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है और इन केन्द्रों के माध्यम से लघु उद्यमों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उन सभी राज्यों में, जहां इस समय इसका शाखा कार्यालय है, एक-एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारियों, चाहे वे बड़े पैमाने के क्षेत्र के हैं अथवा छोटे पैमाने के

क्षेत्र में, के नमूनों का परीक्षण करने के लिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादों की गुणता निर्धारित स्तर की हो।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो का आठवीं योजना के दौरान गुवाहाटी तथा बम्बई में परीक्षण सुविधाएं मजबूत करने के अलावा, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और त्रिवेन्द्रम में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के उत्पादों की गुणता की कोटि को उन्नत करने के लिए दी गई सुविधाएं निम्नलिखित के लिए हैं :

(क) प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करना, जिसके लिए आवश्यक ढांचे, किन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी, उपकरण मिलने के स्रोतों, आदि के बारे में सूचना देना;

(ख) उनके गुणता नियन्त्रण कार्मिकों को परीक्षण की पद्धतियों तथा तकनीकों में प्रशिक्षण देना; और

(ग) विशेष आवश्यकताओं के लिए परीक्षण करना।

[अनुवाद]

रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के कामगारों को वेतन का भुगतान

5541. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर (बिहार) के प्रबन्धकों ने अपने उन कामगारों को वेतन एवं मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जो प्रबन्धकों द्वारा उद्योग को बन्द किए जाने के कारण रोजगार से लगभग चार वर्ष के लिए वंचित हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के कर्मचारियों को अपेक्षित राहत प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27-4-87 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी परिसमापक को निदेश दिया कि कम्पनी में पड़े स्टाक को बेच दे और बिक्री की राशि में से मई, 1984 से 8-7-84 तक की अवधि के लिए मजदूरियों की बकाया राशि का भुगतान करे। सरकारी परिसमापक उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए आगे कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

5542. **श्री आशकरण संखवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कोयला खानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 31 जनवरी, 1988 तक हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(घ) कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई; और

(ङ) कितने मामलों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था और सरकार ने इसके लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) देश में विभिन्न कोयला खानों में 31 जनवरी, 1988 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे और इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाएं		मारे गए व्यक्तियों की संख्या
	घातक	गम्भीर	
1985	176	1007	204
1986	180	1167	214
1987*	163	890	177
1988* (31-1-88 तक)	17	63	17

* अनन्तिम ।

यह दुर्घटनाएं छत का गिरना, साईड का गिरना, व्यक्तियों का गिरना, वस्तुओं का गिरना, ग्राऊन्ड मूवमेंट्स, रोप हालेज, मशीन को लाने ले जाने, विस्फोटक, बिजली आदि जैसे कारणों से हुई थी। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 जिसका प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। इस सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ङ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	दुर्घटना मामलों की कुल संख्या जिनमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था	जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा की गई कार्रवाई		
		चेतावनी	प्रमाण-पत्र निलम्बन	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर अभियोजन चलाया गया
1	2	3	4	5
1985	134	123	8	35

1	2	3	4	5
1986	145	79	12	28
1987*	137	47	10	3
1988*	16	—	—	—

* अनन्तिम ।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में अभाव की स्थिति

5543. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई आदिवासी क्षेत्रों में अभाव की स्थिति है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कुछेक स्थापित मानदण्डों के आधार पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाया जाता है । 1987 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात सूखे से प्रभावित जिलों में आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सूखाराहत के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए सहायता दी है । इस सहायता में कृषि आदान राजसहायता, रोजगार सृजन कार्यक्रम, पेयजल की आपूर्ति, विशेष पोषाहार कार्यक्रम आदि शामिल हैं ।

राहत कार्यों को चलाना मूलत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । केन्द्रीय सरकार प्रभावित राज्यों से विशेष ज्ञापन प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता देकर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है । राज्य सरकारें अभाव की परिस्थितियों की गम्भीरता के आधार पर प्रभावित जिलों में किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और मात्रा का निर्धारण करता है ।

क्विलोन में विशेष रिफ्रैक्टरी परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

5544. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की एक फर्म के सहयोग से केरल में क्विलोन में 70 करोड़ रुपए लागत की विशेष रिफ्रैक्टरी परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या सोवियत फर्म के प्रतिनिधियों ने, जो इस महीने के आरम्भ में त्रिवेन्द्रम में थे, इस सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब पर चिन्ता प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो किवलोन में इस परियोजना का, जिसका प्रस्ताव 1972 में रखा गया था और इसकी मूल लागत 49.63 करोड़ रुपए थी, क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मछली का उत्पादन

5546. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में मछली तथा मछली के उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होता है तथा देश में और विदेशों में इनकी कितनी मांग है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : भारत में 1985 में मछली का उत्पादन 2.82 मिलियन मीटरी टन हुआ, जबकि अनुमानित मांग 4.60 मिलियन मीटरी टन थी। 1985 में विश्व में मछली का उत्पादन 84.95 मिलियन मीटरी टन हुआ। विश्व की मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की मांग से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विश्व के मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के आयात से सम्बन्धित आंकड़े मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की मांग में बढ़ते हुए रुख (1980 के 9.86 मिलियन मीटरी टन से 1985 के 12.47 मिलियन मीटरी टन) को दर्शाते हैं।

आयातित बटर सम्बन्धी समिति के निष्कर्ष

5547. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोबल पुरस्कार को दो विजेताओं ने समिति के उन निष्कर्षों को झूठा बताया जिसने चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना से दूषित हुए आयरलैण्ड के बटर को मानव उपयोग के उपयुक्त बताया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) डा० शिवाराव शांताराम वागले और अन्यों द्वारा भारत सरकार और अन्यों के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष स्थगन याचिका सं० 1987 की 15409 में याचिका देने वालों ने नोबल पुरस्कार विजेताओं द्वारा उत्तर स्वरूप भेजे गए वे पत्र प्रस्तुत किए थे जिनमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि कम मात्रा की रेडियो-धर्मिता वाले खाद्य पदार्थों को न खाना वांछनीय है। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने उनकी दलील को इस आधार पर नहीं माना कि वे पत्र सामान्य किस्म के थे और एक अलग विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करते थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने 8-3-88 के आदेश में यह टिप्पणी भी की कि विशेषज्ञों की समिति, जिसमें दो जाने-माने वैज्ञानिक और उसी प्रकार जाना-माना एक कृषि अर्थविज्ञानी शामिल हैं, इस विचारधारा से भली प्रकार परिचित हैं। उच्चतम न्यायालय ने विशेष स्थगन याचिका को रद्द कर दिया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि मंजूर करने की अधिकतम सीमा

5548. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि मंजूर करने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड है;

(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए धनराशि मंजूरी करने हेतु राज्यवार कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उसमें से मार्च, 1988 तक प्रत्येक राज्य में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण वर्ष हेतु किए गए राज्य आवंटन के 200 प्रतिशत से अधूरी/लम्बित परियोजनाओं की लागत को कम करने के बाद किया जाता है। पिछले वर्ष में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल लागत जितनी उस वर्ष में की गई रिलीजों से अधिक होती है, उसे अधूरी/लम्बित परियोजनाओं की लागत माना जाता है। अनुमोदन की सीमा निर्धारित करने की पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि राज्य सरकारों के पास कार्यान्वयन के लिए हमेशा पर्याप्त परियोजनाएं उपलब्ध रहें और अनुमोदित परियोजनाओं के अभाव में कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों में कोई बाधा न पड़े। इस पद्धति के कारण किसी राज्य के लिए निर्धारित संस्वीकृति सीमा आमतौर पर वर्ष के दौरान आवंटन से अधिक होती है। वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए निर्धारित स्वीकृति की सीमाओं और वर्ष के दौरान रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल धनराशि की राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्रवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1987-88 के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए निर्धारित स्वीकृति की सीमाओं और वर्ष के दौरान उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल धनराशि की राज्य/केन्द्रशासित वार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987 के लिए परियोजनाओं हेतु स्वीकृति सीमा	खाद्यान्नों के मूल्य सहित उपलब्ध की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7617.24	6199.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	122.16	30.03

1 2	3	4
3. असम	934.16	920.17
4. बिहार	8230.97	8525.36
5. गुजरात	1613.13	2377.40
6. हरियाणा	1166.32	616.09
7. हिमाचल प्रदेश	560.24	399.88
8. जम्मू व कश्मीर	740.73	489.10
9. कर्नाटक	4604.15	3097.83
10. केरल	2567.57	2502.85
11. मध्य प्रदेश	7561.40	5353.65
12. महाराष्ट्र	4595.85	4094.45
13. मणिपुर	127.43	68.68
14. मेघालय	72.75	96.50
15. मिजोरम	37.46	39.53
16. नागालैण्ड	180.75	113.48
17. उड़ीसा	3752.54	2988.96
18. पंजाब	653.63	693.21
19. राजस्थान	3185.87	2739.59
20. सिक्किम	62.21	101.76
21. तमिलनाडु	7447.30	5452.80
22. त्रिपुरा	430.30	228.20
23. उत्तर प्रदेश	16152.48	11623.71
24. पश्चिम बंगाल	5662.33	4249.76
25. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	160.99	62.80
26. चण्डीगढ़	46.86	16.62
27. दादरा व नगर हवेली	74.18	30.64
28. दिल्ली	41.53	52.03
29. गोवा, दमन व दीव	157.74	36.74
30. लक्षदीप	20.52	31.55
31. पाण्डिचेरी	105.47	60.27
अखिल भारत	78686.76	63292.96

बौद्ध सर्किट स्थलों में सांची को शामिल करना

5549. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांची को बौद्ध सर्किट स्थलों में शामिल करने के सम्बन्ध में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में बौद्ध केन्द्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है । इस कृतिक बल ने प्रस्तावित बौद्ध परिपथ में सांची को शामिल करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ।

दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन

5550. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा किराया नियन्त्रण कानून सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा गैर-सरकारी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) मकान मालिक तथा किराएदार के हितों के बीच सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से विभिन्न आयोगों/समितियों, जिसमें आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग भी शामिल हैं, की सिफारिशों के सन्दर्भ में दिल्ली भाटक नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

बागवानी के लिए भूमि की अधिकतम सीमा से छूट

5551. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े किसानों की अपने खर्च पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए बागवानी फसलों के सम्बन्ध में भूमि की अधिकतम सीमा से छूट देने का विचार है क्योंकि छोटे और सीमान्त किसान बागवानी की फसलें पैदा नहीं कर सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भूमि राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों ने कृषि भूमि जोतों पर अधिकतम सीमाएं लगाने के लिए कानून बनाए हैं और अन्य बातों के साथ-साथ कुछ श्रेणियों के बारे में अधिकतम सीमाओं से छूट देने के लिए प्रावधान किए हैं। केन्द्रीय सरकार की पहल पर, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमाओं के सम्बन्ध में जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय मार्गदर्शिकायें तैयार की गई थीं। ये मार्गदर्शिकायें विभिन्न राज्यों में अधिकतम सीमाओं में कुछेक एकरूपता लाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। फलोद्यानों के बारे में, राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में राज्यों से सिफारिश की गई थी कि अधिकतम सीमा के प्रयोजन से विद्यमान फलोद्यानों को शुष्क भूमि के रूप में समझा जाए और किसी अतिरिक्त भूमि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नारियल और सुपारी बागानों, केला उद्यानों, अमरूद के बागों और अंगूर के याडों को फलोद्यानों के रूप में नहीं समझा जाएगा। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शिकाओं में ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत फलोद्यानों के लिए पहले से अनुमेय अधिकतम सीमायें काफी अधिक हैं। इसके अलावा, इन सीमाओं में कोई और छूट देना अनुपाती न्याय की नीति जो कि स्वतन्त्रता के बाद से अपनायी जा रही है, के विरुद्ध होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के शाखा कार्यालय

5552. श्री के० एन० प्रधान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा खोले गए और बन्द किए गये शाखा कार्यालयों के स्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यालयों को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) गत दो वर्षों अर्थात् 1986-87 और 1987-88 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने अपना कोई शाखा कार्यालय नहीं खोला है। ग्वालियर में एक परिवहन एकक 15-11-87 को बन्द कर दिया गया क्योंकि विभिन्न कारणों से यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। इन कारणों में राज्य पर्यटन विकास निगम और निजी प्रचालकों, आदि द्वारा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था भी शामिल थी।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को पर्याप्त रूप में केन्द्रीय सहायता न दिया जाना

5553. प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार को अभाव राहत कार्यक्रमों के अन्तर्गत छह हजार से अधिक गांवों की ओर ध्यान देना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कुओं को गहरा करने, टैंकर आदि द्वारा पेयजल आपूर्ति आदि के लिए की गई 54 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की मांग की तुलना में केवल 9.43 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का 44 करोड़ रुपये की कमी को भी पूरा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजे गए अपने ज्ञापन में अक्तूबर, 87 से मार्च, 88 और अप्रैल-जून 1988 की समयावधि में क्रमशः 6170 और 5930 गांवों को कार्यक्रम के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था।

(ख) सूखा राहत उपायों को शुरू करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार, आपदा की गम्भीरता और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता मुहैय्या करके केवल राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता देती है। निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 9.43 करोड़ रुपए के व्यय की उच्चतम सीमा अनुमोदित की गयी है।

(ग) जी नहीं।

इण्डियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० द्वारा अर्जित लाभ

5554. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से इण्डियन फार्मर्स एण्ड कोआपरेटिव फर्टिलाइजर लि०, नई दिल्ली के शुद्ध लाभ में कमी आयी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और जुलाई, 1987 से दिसम्बर, 1987 तक इण्डियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० को कितना शुद्ध लाभ/हानि हुई; और

(ग) इण्डियन फार्मर्स एण्ड फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० के लाभ में वृद्धि करने और इसे अधिक सक्षम एकक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) सहकारिता वर्ष 1984-85 से दिसम्बर 1987 तक के लिए इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० का लाभ, वर्ष-वार नीचे दिया गया है :—

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	शुद्ध लाभ
1984-85	36.27
1985-86	33.92
1986-87	10.18
जुलाई से दिसम्बर 1987	7.54 (अनन्तिम)

प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां, उच्चतम भण्डारण लागत और कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, उच्चतम छूट आदि के कारण मुख्य रूप से कम उठान होने पर वर्ष 1986-87 का लाभ वर्ष 1985-86 से कम रहा है।

(ग) सामान्य मौसम परिस्थितियों में अधिक उठान होने, मालसूची भण्डारण लागत में कमी होने आदि से लाभ में वृद्धि होने की आशा है।

कृषि विश्वविद्यालय

5555. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या इन सभी विश्वविद्यालयों को शासित करने हेतु एक ही अधिनियम बनाने का कोई विचार है; और

(ग) क्या विशिष्ट विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्र आवंटित करके कृषि अनुसन्धान में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) देश में 26 कृषि विश्वविद्यालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

राज्यों में राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना

5556. **श्री अजय मुशरान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सहायता से राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनायें लागू कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तिलहन उगाने वाले 17 राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 भागीदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह योजना तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों के लिए सहायता की व्यवस्था करती है। 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को भारत सरकार की भागीदारी के रूप में निर्मुक्त की गई धनराशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र०सं०	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	221.038

1 2	3
2. असम	33.709
3. बिहार	14.810
4. गुजरात	144.537
5. हरियाणा	11.800
6. हिमाचल प्रदेश	3.55
7. जम्मू व कश्मीर	2.015
8. कर्नाटक	148.203
9. मध्य प्रदेश	141.846
10. महाराष्ट्र	81.58
11. उड़ीसा	35.697
12. पंजाब	9.150
13. राजस्थान	93.974
14. सिक्किम	3.184
15. तमिलनाडु	129.91
16. उत्तर प्रदेश	83.909
17. पश्चिम बंगाल	13.69
योग :	1172.602

[अनुवाद]

गुजरात की ऋण आवश्यकताएं

5557. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**
श्री छीतूभाई गामित :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा गुजरात के सूखा पीड़ित किसानों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान गुजरात को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी राशि दी जानी है; और

(ग) तीनों ऋणों पर ब्याज की दर क्या है और इस सम्बन्ध में दिए गए विभिन्न ऋणों का अनुपात क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऋण की जरूरतों का आकलन करने के बाद और इन बैंकों से आवेदन प्राप्त होने पर मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण सीमा स्वीकृत करता है । वर्ष 1987-88 (31 दिसम्बर, 1987 तक) के दौरान गुजरात में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई अल्पावधि ऋण सीमा लगभग 90.75 करोड़ रुपए थी ।

1987-88 (दिसम्बर, 1987 तक) के दौरान गुजरात में सहकारी समितियों द्वारा वितरित किया गया अल्पावधि ऋण 93.42 करोड़ रुपये था । 1988-89 में ऋण के वितरण का स्तर कई घटकों जैसे मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों, 1987-88 के अन्त तक अधिशेष राशि के स्तर आदि पर निर्भर करेगा ।

अल्पावधि कृषि ऋणों की ब्याज की दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

1-3-88 से लागू अल्पावधि कृषि ऋणों से सम्बन्धित ब्याज की दर

अग्रिम राशि की सीमा	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)—%
(क) 7,500/- रुपए तक	10.00
(ख) 7,500/- रुपए से अधिक और 15,000/- रुपए तक	11.50
(ग) 15,000/- रुपए से अधिक और 25,000/- रुपए तक	12.50 से 14.00
(घ) 25,000/- रुपए से अधिक	14.00 से 15.50

पारादीप फास्फेट के निगमित कार्यालय को नई दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानांतरित करना

5558. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार और पारादीप फास्फेट के अधिकारियों से कम्पनी के निगमित कार्यालय को नई दिल्ली से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि संयन्त्र पारादीप में लगा हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में मुख्यालय होने से उन्हें विभिन्न मामलों में राज्य सरकार से संपर्क करने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करने की सुविधा सहित इस मामले के सभी पहलूओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर यह उचित नहीं समझा गया है कि इस स्तर पर मैसर्स पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी० पी० एल०) के कोरपोरेट कार्यालय को स्थानान्तरित किया जाये।

विश्व बैंक सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन

5559. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री शान्ति धारीवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन हेतु विश्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमतायें बढ़ाने सम्बन्धी एक परियोजना पर केन्द्रित थी;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित किए जायेंगे तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बातचीत प्रारम्भिक अवस्था में है और ब्यौरे अभी तैयार करने हैं।

पशुओं की नस्ल सुधार सम्बन्धी कृषि उत्पाद उपकर

5560. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पाद उपकर निधि के अन्तर्गत पशुओं की नस्ल सुधार अनुसंधान हेतु कितनी योजनाएं मन्जूर की गई थी;

(ख) क्या पशुओं की नस्ल सुधार सम्बन्धी अनुसंधान के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं का राज्यवार तथा वर्ष-वार संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) कृषि उत्पाद उपकर निधि के अन्तर्गत 1986-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 22 पशु प्रजनन अनुसधान योजनाओं को स्वीकृति दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में इन्टरकाम प्रणाली

5561. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मिन्टो रोड, स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में इन्टरकाम प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस कम्पनी ने उक्त कार्य पूरा किया तथा इस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या ये इन्टरकाम उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स गैप ब्रिजिज ने 1,05,927.00 रुपए की कुल लागत पर कार्य निष्पादित किया।

(ग) इस समय इन्टरकाम उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर रहा है।

(घ) त्रुटियों को ठीक करने के लिए तथा उपकरण को ठीक प्रकार चलाने के लिए कार्रवाई की गई है।

अयोध्या का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

5562. **श्री निर्मल खत्री** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अयोध्या में 26.80 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ओपन एअर थियेटर हेतु एक मंच तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं के निर्माण के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण परिषदें

5563. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किन-किन राज्यों ने राज्य स्तर की उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की है और किन-किन राज्यों ने अभी तक इन परिषदों की स्थापना नहीं की है;

(ख) क्या किन्हीं राज्यों ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की है; और

(ग) क्या इन परिषदों ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (ख) राज्यों से मिली सूचना से पता चलता है कि अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के संघ-राज्य क्षेत्रों ने राज्य-स्तर की उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की है ।

(ख) बिहार सरकार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना अधिसूचित कर दी है । इसके अलावा, कुछ राज्यों ने भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतितोष तंत्र की स्थापना करने की कार्रवाई को अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ग) कुछ राज्यों ने राज्य-स्तर की उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की बैठकें आयोजित की हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

5564. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक केन्द्रीय सरकार स्वीकार और अस्वीकार कर चुकी है; और

(ख) अभिसमय स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 166 अभिसमयों को स्वीकार किया है । इनमें से, भारत ने 34 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है जिनमें से दो को बाद में प्रत्याखित कर दिया गया था ।

(ख) अभिसमय के मूलपाठ तथा की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण को, जिसमें अनुसमर्थन न करने या प्रत्याख्यान के कारण शामिल है, प्रत्येक मामले में संसद के समक्ष रखा जाता है ।

[हिन्दी]

बिहार में आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

5565. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1987 और जनवरी, 1988 में बिहार को आवश्यक वस्तुओं की कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) आबंटित की गई मात्रा मांग से कितनी कम थी; और

(ग) बिहार सरकार ने आगामी महीनों के लिए कितनी मात्रा की मांग की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबल राम) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के आबंटन का निर्णय केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकता व मांग, बाजार में उपलब्धता, पहले उठाई गई मात्रा और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में लेते हुए समय-समय पर किया जाता है। इन वस्तुओं का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होता है।

2. दिसम्बर, 1987 तथा जनवरी, 1988 में बिहार को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन की स्थिति नीचे दी गई है :—

(मीटरी टनों में)

माह	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	आयातित खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
दिसम्बर, 1987	1,10,000	40,000	33,459	3,100	34,327
जनवरी, 1988	1,10,000	40,000	33,459	2,100	36,327

कंट्रोल के कपड़े की निर्मुक्ति (गांठों में)

माह	सूती कपड़ा	पोलिस्टर कमीजों का कपड़ा
दिसम्बर, 1987	230	—
जनवरी, 1988	—	398

[अनुवाद]

ताइवान के मत्स्य-पोतों द्वारा मछली पकड़ने के लिए पनामा और सिंगापुर के झण्डे लगाना

5565. **श्री आनन्द सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी सुविधा के लिए झंडे लगाकर पनामा और सिंगापुर के 50 प्रतिशत से अधिक ताइवानी मत्स्य पोतों को देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) हमारे देश के जल क्षेत्रों में किसी विदेशी मत्स्यन जलयान को मछली पकड़ने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, देश के जल क्षेत्रों और अन्य प्रतिबन्धित क्षेत्रों के बाहर भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्रों में मत्स्यन के लिए चार्टर किए गए 43 विदेशी मत्स्यन जलयानों के सम्बन्ध में परमिट वैध हैं। इनमें से 40 जलयान ताइवान मूल के हैं जिसमें 38 जलयान पनामा में पंजीकृत हैं और बाकी दो जलयान ताइवान में पंजीकृत हैं। चार्टर किए गए अन्य तीन जलयान जापानी पंजीकरण के हैं।

भारतीय खाद्य निगम में मजदूरी में वृद्धि

5567. **डा० बसा सामंत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की मजदूरी में वर्ष 1979 से कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) क्या उन्होंने जनवरी, 1988 में उनके यूनियन के नेताओं के साथ एक बैठक की थी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ग) जी, हां।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए उनके अपने प्रबन्ध और राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा 10-8-87 को हस्ताक्षरित चर्चा ज्ञापन के आधार पर एक प्रस्ताव भेजा गया था और वह अब सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में पत्थर की खदानों के लिए सुरक्षा नियम

5568. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में पत्थर की खदानों में उचित सुरक्षा नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पत्थर की खदानों के कार्यकरण के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पत्थर की खदानों में नियमों को उचित रूप से लागू किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण से सम्बन्धित उपबन्ध खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में दिए गए हैं। इन उपबन्धों का अनुपालन खान प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। सांविधिक उपबन्धों का प्रवर्तन कराने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के

अधिकारी दिल्ली स्थित पत्थर खदानों का निरीक्षण नियमित रूप से करते हैं। चार पत्थर खदानों में जहां दशाएं खतरनाक पाई गई खान अधिनियम की धारा 22 के अधीन निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाये गए विभिन्न उल्लंघनों के कारण पत्थर खानों के प्रबन्धतन्त्रों के विरुद्ध 10 अभियोजन मामले भी दायर कर दिए गए हैं।

तिलहनों और खाद्यान्नों का विकास

5569. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नये तथा उन्नत किस्म के तिलहनों तथा खाद्यान्नों के विकास के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक क्या उपलब्धि हुई है;

(ग) क्या तिलहनों तथा खाद्यान्नों के विकास के लिए विदेशों से भी बीज प्राप्त किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो किस किस्म के बीज प्राप्त किये गये तथा इस दिशा में कितनी प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में विभिन्न जीवीय तथा गैर जीवीय दबावों का अपनी अन्दरूनी ताकत से प्रतिरोध करने वाली तिलहनों तथा अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए संकेन्द्रित प्रयत्न किए गए हैं।

(ख) विकसित की गई तिलहनों तथा अनाज की अत्यधिक प्रमुख अधिक उपज देने वाली किस्मों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सीधे उपयोग तथा प्रजनन कार्यक्रमों में उपयोग के लिए भी कई उन्नत किस्में तथा जनित्र-द्रव्य सामग्री को इस्तेमाल में लाया गया है। विभिन्न आर्थिक तथा अन्य वांछनीय विशेषताओं के लिए विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी दशाओं के अन्तर्गत इन अनुवृद्धि का मूल्यांकन किया गया है। तिलहनों में, सूरजमुखी की अनुवृद्धि जैसे ई० सी०-68414, ई० सी०-68415, मार्डन उन्नत पेरेबोदिक तथा सोयाबीन किस्मों के मामले जैसे डेविस, हार्डी ब्रेग, उन्नत पेलिकन का इस्तेमाल किया गया है तथा अब इन्हें व्यावसायिक फसलों के रूप में उगाया जा रहा है। उसी प्रकार अनाजों में लरमा राजे-64, सेनेरा-63, सेनेरा-64 तथा माया-64-गेहूं में, आ० आर०-8, पंकज, आई० आर०-5, आई० आर०-20, आई० आर०-36, महसरी चावल की किस्में देश में आम खेती के लिए स्वीकृत की गई। सीधे उपयोग के अतिरिक्त, धान में कई विदेशी प्रजातियां जैसे सियाम-29, लेओन्ग-142, लैब म्यूरे मटर का प्रजनन उन्नत किस्मों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। गेहूं में अम्बेर बीज वाली किस्में जैसे कल्याण सोना, सोनालिका, सफेद लेरमा तथा छोटी लेरमा को मेक्सिको से प्राप्त प्रजनक सामग्री से चुना गया था।

विवरण-1

वार्षिक तिलहनी फसलों की प्रमुख उन्नत किस्मों/संकर किस्मों की सूची

1. मूंगफली : जे० एल०-24, कादरी-3, कादरी-71-1, आई० सी० जी० एस०-11, आई० सी० जी० एस०-44, को-1, टी० एम० वी०-2, टी० एम० वी०-7, टी० एम० वी०-10, टी० एम० वी०-12, डी० एच०-8, डी० एच०-3-30, जी० जी०-2, जी० जी०-11, यू० एफ०-70-103, टी० जी०-1, टी० जी०-3, टी० जी०-17, एम-13, एम०-197, एम०-37, आर० एस० बी०-37, आर० एस०-138, कोशल, चित्रा, चन्द्रा, एस० जी०-84, ए० के०-12-24, आर० एस० बी०-87, किसान, ए० एल० आर०-1, बी० एल० आर०-1.

2. तोरिया सरसो : तोरिया एम०-27, टी० एस०-29, अगरानी, बी० आर०-23, टी०-9, टी०-36, भवानी, पी० टी०-30, पी० टी०-303, संगम, आई० टी० एस० ए०, टी० एल-15, डी० के०-1.

भूरी सरसों : बी० एस०-2, बी० एस०-70, बी० एम० एच०-1, पूसा कल्यानी, के० ओ० एस०-1.

पीली सरसों : बिनौय, टी०-151, के०-88, पी० एस०-66, वाई० एस० पी० बी०-24.

सरसों : सीता, भगीरथी, लाहा-101, वरुणा, शेखर, क्रान्ति, कृष्णा, वैभव, वरदान, रोहिनी, पतन मस्टर्ड 67, दुर्गामनी, पूसा बोल्ड, प्रकाश, आर० एच०-30, आर० एल० एम०-198, आर० एल० एम०-514, आर० एल० एम०-619.

तारामीना : टी०-27, आई० टी० एस० ए०

गोभी सरसों : जी० एस० एल०-1.

3. तिल : गोरी, माधवी, कृष्णा, प्रताप, सोमा, सूर्या, तिलोतमा, इ-8, फूले तिल-1, टापी, जेटी-7, एन०-32, विनायक, कनक, कालिका, टी० सी०-289, टी० एस०-25, टी० एम० वी०-6, को-1, पंजाब तिल-1 ।

4. सोयाबीन : एम० ए० सी० एस०-58, एम० ए० सी०, एस०-13, अंकुर, अलंकार, ब्राग, पंजाब-1, शिलाजीत, पी० के०-308, पी० के०-327, पी० के०-262, पी० के०-472, जे० एस०-2, गौरव, के० एच० एस० बी०-2 ।

5. सूरजमुखी : पैरेवोदिक, उन्नत पेरेवोदिक, माईन, सूर्य, इ०, सी०-68415, को-1, को-2, बी० एस० एच०-1, के० बी० एस० एच०-1, एम० एस० एफ० एच०-1, एम० एस० एफ० एच०-8, एम० एस० एफ० एच०-10 ।

6. कुसुम : ए०-1, ए०-300, एस०-144, मीमा, नीरा, एन०-7, मजोरा, सागर मुत्यालू, जे० एस० एफ०-1, टाइप-65

7. रामतिल : आई० जी० पी०-72, आई० जी० पी०-76, एन०-12-3, एन०-5, एन०-71, आर० सी० आर०-18, जी० ए०-10।

8. अलसी : के०-2, एल० सी०-185, एल० सी०-54, हिमालनी, टी०-397, हीरा, मुक्ता, नीलम, जवाहर-17, जवाहर-7, जवाहर-552, जवाहर-1, सी०-429, चम्बल, नीला, पूसा-2, पूसा-3, जवाहर-23, गरिमा, गौरव, श्वेता, शुभ्रा।

9. अरंडी : अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, जी० ए० यू० सी० एच०-1, जी० सी० एच०-2, जी० सी० एच०-4, आर० सी०-8, एस० ए०-2, टी० एम० वी०-5।

विवरण 2

अनाजों में प्रमुख उन्नत किस्मों/संकर किस्मों/कम्पोजिट किस्मों की सूची

(क) धान :

(क) बारानी ऊपराऊं	समुद्रा, सुफला, तृप्ति, त्रिवेणी, विजय, सोना, सत्तारी, शक्ति, सहासनी, सूर्य, अन्नादा, प्रसन्ना, पुष्कला, स्वर्ण प्रभा, भाग्य, ओनम एस० के० एल०-6, ए० सी० के०-5, नीला, पधारा, टी० पी० एस०-1, अश्वनी।
(ख) बारानी तराऊं	जयश्री, सावित्री, सी० एन०-539, सी० एन०-540, स्वर्णधान, पी० एल० ए०-1100, सुगन्दा, मानसरोवर, सेशू, महेन्द्र, अभिलाष, अविनाश, मंडिया विजया, एस० वाई० ई०-75, जोगेन, सविता।
(ग) बारानी गहरे पानी वाले क्षेत्र	जानी, बाकू, एन० सी०-490, एन० सी०-491, बिरज, सरेश, जलाधी, सरासा, उदया।
(घ) लवण से प्रभावित क्षेत्र	सी० एस० एस० आर०-2, सी० एस० एस० आर०-4, आई० ई० टी०-6694, आई० ई० टी०-6695, आई० ई० टी०-8117, ऊसर-1, सी० एस० एस० आर०-5,
(ङ) अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र	हिमालय-1, हिमालय-2, वी० एल० धान-39, एच० पी० यू०-2171, शफी, शिन बोल, वी० एल० धान-16.
(च) सिंचित क्षेत्र	सी० ओर०-4, सी० आर०-101, मंधयावनी, कुन्ती, खितेश, विकास, आई० जी० पी०-1-37, को-43, धन्य लक्ष्मी, शभा मेहसुरी, श्रीनिवास, प्रतिभा, सोनासली, वमशी, विक्रामारैया, बीरसद्न-202, रत्नागिरी-1, रत्नागिरी-2, पी० आर०-108, पी० आर०-109, मनहर, नरेन्द्र-80, पंत धान-6, जी० आर०-202, हिमालय-741.
(छ) पालभिज की प्रतिरोधी	ऊषा, आशा, अमेली, विक्रम।
(ज) तना छेदक की प्रतिरोधी	सस्याश्री, विकास, रामा-कृष्ण

(झ) बैक्टिरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी — पी० आर०-4141

(ञ) गेहूं :

1. उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू कश्मीर, हि०प्र० उ० प्र० के भाग) — सो० पी० ए० एल०-1796, एच० बी०-208, बी० एल०-421, बी० एल०-616, एच० एस०-206, एच० डी०-2380, यू० पी०-1109.

2. उत्तरी मैदानी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उ० प्र० दिल्ली, म० प्र०, जम्मू कश्मीर के भाग) — एच० डी०-2204, एच० डी०-2329, डी० डब्ल्यू० एल०-5023 पी० बी० डब्ल्यू०-34, एच० डी०-2285, डब्ल्यू० एल०-4 0. आई० डब्ल्यू० पी०-72, डब्ल्यू० एच०-311, कुन्दन, एच० डी०-2428, पी० बी० डब्ल्यू०-154, पी० बी० डब्ल्यू०-175.

3. पश्चिम मैदानी क्षेत्र (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के भाग) — डब्ल्यू०-147, एच० डी०-2009, राज०-1972, डब्ल्यू० एच०-283, राज०-1555, डब्ल्यू० एच०-291, राज०-2184, बी० डब्ल्यू०-12, राज०-3077.

4. उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र (पूर्वी उ० प्र०, बिहार) — एच० पी०-1102, यू० पी०-262, एच० यू० डब्ल्यू-55, एच० यू० डब्ल्यू०-206, एच० पी०-1209, एच० डी०-2307, एच० यू० डब्ल्यू०-213, एच० यू० डब्ल्यू०-234, के०-8020 (त्रिवेणी)

5. दूरवर्ती पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, दूरवर्ती पूर्वी राज्य, छोटा-नागपुर) — यू० पी०-262, एच० पी०-1209, एच० डी०-2402, एच० डी०-2385.

6. दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा, तटवर्ती आंध्र-प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र (मध्य प्रदेश) महाराष्ट्र के कुछ भाग) — लोक-1, डब्ल्यू० एच०-147, स्वाती, सुजाता, मुक्ता' संकर-65.

7. मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश, बुन्देलखंड क्षेत्र (यू० पी०), गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग) — लोक-1, डब्ल्यू० एच०-147, एच० डी०-2278, एच० डी०-2236, राज०-1553, एच० आई०-1123, एच० आई०-1077, जे०-405, एच० डी०-2327.

8. प्रायद्वीपीय क्षेत्र (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, और तमिलनाडु के मैदान) — एच० डी०-2189, एच० डी०-2278, डी० डब्ल्यू० आर०-39, एच० डी०-4502, एन० आई० 5439, बिजागा येलो, एच० आई०-977, प्रगति ।

9 दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र (तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्र और पालनी पहाड़ियां)	एच० डब्ल्यू० 741

(ग) मक्का :

एन० एल० डी० सफेद, हेमन्त (कम्पोजिट) कंचर को-1, दियारा-3, डी०-765, स्वान (कम्पोजिट), प्रताप-1, नवजोत, संगम, नवीन, फार्म सावेरी, एम० सी० यू० 508, अरुण, बी० एल० मक्का-41 ।

(घ) जौ :

बी० एल० जौ-1, जाग्रति, लखन, बी० एन० 75, केदार, बी० एच० एस० 46, पी० एल० 172, बी० एच० एन० 169 ।

देश के भीतरी क्षेत्रों में समुद्री मछलियों की सप्लाई के उपाय

5570. **श्री बीलतसिंहजी जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के भीतरी भागों में समुद्री मछली की सप्लाई करने के लिए कदम उठाने का विचार है ताकि उनका भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों को भी अपने कारोबार बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न बन्दरगाहों पर शीतागारों के निर्माण और उचित मूल्य पर मछली खरीदने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वदेश में मछली के बेचे जाने को बढ़ावा देने के लिए उन बन्दरगाहों को जहां मछली पकड़ी जाती है खपत वाले केन्द्रों से जोड़े जाने के लिए बहुत से शीतागारों की स्थापना के लिए अभी हाल ही में सुझाव प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस सुझाव पर राज्य सरकारों के परामर्श से और ऐसी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

सोवियत संघ में भारतीयों को रोजगार

5571. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा, इन्जीनियरी जैसे पेशे में विशेषज्ञता प्राप्त बढ़ई, प्लम्बर और लोहार जैसे कामों में कुशल भारतीयों को कोटे के आधार पर सोवियत संघ भेजने का समझौता सोवियत संघ से करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालयों में लम्बित कर्मचारी भविष्य निधि मामलों की संख्या

5572. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक/दो वर्षों से और दो वर्षों से अधिक समय से न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) देरी का मुख्य कारण न्यायालयों में कार्य-भार का होना है, जो विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत दायर किए गए मामलों पर कार्रवाई करते हैं तथा भविष्य निधि मामलों को प्राथमिकता देने में असमर्थ है ।

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन किए गए अपराधों के विचारण के लिए पश्चिम बंगाल में दो विशेष न्यायालयों को स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । न्यासी बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि महाराष्ट्र और बिहार में भी, जहां बहुत अधिक मामले लम्बित पड़े हैं, वैसे न्यायालय स्थापित किए जाएं । आशा है कि प्रस्तावित विशेष न्यायालय भविष्य निधि मामलों का शीघ्र निपटान करेंगे ।

विवरण

31-3-1987 को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन 1-2 वर्षों और 2 वर्षों से ऊपर लम्बित अभियोजन मामलों के राज्यवार ब्यौरे

क्षेत्र	कर्मचारी भविष्य निधि		परिवार पेंशन निधि		कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि	
	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से ऊपर	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से ऊपर	1 से 2 वर्ष	2 वर्ष से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	41	219	20	53	21	45
बिहार	92	5,184	—	810	66	282

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	77	297	—	75	—	—
गुजरात	75	390	14	63	87	41
हरियाणा	346	209	346	209	68	125
कर्नाटक	386*	480*	—	—	—	—
केरल	108	13	91	9	46	17
मध्य प्रदेश	127*	761*	—	—	—	—
महाराष्ट्र	766	4,012	518	1,822	434	1,676
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	87	—	—	61	—	26
उड़ीसा	129	923	35	71	35	173
पंजाब	119	171	55	99	22	171
राजस्थान	16	144	1	8	2	37
तमिलनाडु	96	989	43	305	43	227
उत्तर प्रदेश	320	143	—	—	142	353
पश्चिम बंगाल	5,534	5,963	1,420	3,502	501	1,512
कुल :	8,319	19,898	2,543	7,087	1,467	4,685

*परिवार पेंशन निधि तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि से सम्बन्धित मामले शामिल हैं।

वसन्त बिहार के फ्लैटों में बालकनि की दीवारों को ऊंचा करना

5573. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वसन्त बिहार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग परिसर नई दिल्ली के ग्राउन्ड फ्लोर के मकानों की बालकनि की दीवारों को ऊंचा करने के लिए वहां की एरिया वेलफेयर एसोसिएशनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अनुरोध के कब तक स्वीकृत होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) आवेदन की तकनीकी तथा वास्तुशिल्पीय व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। आशा है कि जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

नारियल का उत्पादन

5574. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या देश में नारियल उत्पादन में तेजी से कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) नारियल का उत्पादन करने वाले राज्य हैं—केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा।

(ख) वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक देश में नारियल का उत्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (दस लाख गिरी)
1983-84	5808
1984-85	6913
1985-86	6770
1986-87	6404

(ग) नारियल की उत्पादकता इन कारणों से कम है :—

(1) किसान सामान्यतया उन्नत खेती की पद्धतियां नहीं अपनाते, (2) पुराने तथा रोग ग्रस्त पाम वृक्षों की संख्या बहुत अधिक है, (3) सिंचाई की सुविधाओं की कमी, (4) पौधे लगाने के लिए घटिया किस्म की आनुवंशिक स्टाक का उपयोग और (5) सीमान्त तथा अनुपजाऊ भूमि में भी खेती करना।

(घ) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, नारियल विकास बोर्ड विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जैसे अच्छी किस्म की नारियल की पौद के उत्पादन की परियोजना और देश में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल उगाने वाले मुख्य राज्यों में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने की परियोजना।

चावल और आटा मिलों का कार्यचालन

5575. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्ष 1987 के सूखा से प्रभावित चावल और आटा मिलों के कार्य करने की दशाओं के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो चावल और गेहूं की असन्तोषजनक सप्लाई के कारण राज्य-वार कितनी चावल और आटा मिलें बन्द हो गई हैं; और

(ग) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

5576. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट जैसी भवन निर्माण सामग्री की अत्यधिक कमी होती जा रही है;

(ख) क्या इन सामग्रियों के अभाव और इसके परिणामस्वरूप इनके मूल्यों में वृद्धि होने से आवास निर्माण की गति पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो भवन निर्माण सामग्री को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में पशु विकास योजना

5577. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्र प्रायोजित पशु विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया था;

(ख) 425 विकास कार्यक्रम की राज्यवार मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) देश में और विशेषरूप से बिहार मे प्रति पशु दूध के उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर क्या है;

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत छोटा नागपुर मे किए गए विकास कार्य का ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने और देश में प्रति पशु दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

बागवानी सम्बन्धी एक अध्ययन दल की स्थापना

5578. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश के विभिन्न भागों में बागवानी विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बागवानी और विपणन सम्बन्धी एक अध्ययन दल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) इस अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में बागवानी उत्पाद के विकास और विपणन के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल गठित किया है ।

(ख) इस अध्ययन दल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(1) उपयुक्त बागवानी फसलों का पता लगाना और विकास तथा उत्पादन की उनकी क्षमता ।

(2) इन फसलों के विपणन और परिसंस्करण के लिए उपाय सुझाना ।

(3) सातवीं योजना के शेष वर्षों और आठवीं योजना के लिए कार्यकारी योजना तैयार करना ।

(ग) आशा है कि यह अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट 1988-89 के दौरान प्रस्तुत कर देगा ।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

5579. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने नए इस्पात सन्यन्त्रों की स्थापना की जाएगी तथा कितने विद्यमान सन्यन्त्रों का विस्तार किया जाएगा और प्रत्येक मामले में उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की जाएगी;

(ग) वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने का अनुमान है; और

(घ) इसके लिए क्या साधन जुटाए जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1988-89 के दौरान एकीकृत इस्पात कारखानों में अपरिष्कृत इस्पात का परिकल्पित

उत्पादन निम्नानुसार करने की योजना बनाई गई है :—

(लाख टन)

	लक्ष्य	
	सेल	टिस्को
अपरिष्कृत इस्पात	89.4	24.0

यद्यपि भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों के 40-40 लाख टन तक चल रहे विस्तार कार्यों के चालू वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है तथापि इस समय निर्माणाधीन विशाखपत्तनम इस्पात परियोजना में चालू वर्ष के अन्त तक उत्पादन भी शुरू हो जाने की सम्भावना है। इसके अलावा सरकार, प्रौद्योगिकी उन्नत करने और वर्तमान सुविधाओं को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से दुर्गापुर, राउरकेला, "इस्को" और बोकारो को आधुनिक बनाने की भी योजना बना रही है। यद्यपि आधुनिकीकरण की इन योजनाओं पर पर्याप्त कार्रवाई चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाएगी, तथापि क्षमताओं को पुनः स्थापित करने/वृद्धि करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) और (घ) वर्ष 1988-89 में "इस्को" सहित "सेल" के कारखानों में विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर 855.50 करोड़ का पूंजी-निवेश होने की परिकल्पना की गई है। "सेल" के आन्तरिक संसाधनों, इस्पात विकास निधि तथा ऋणों से धन जुटाया जाएगा।

दिल्ली दुग्ध योजना में घटिया किस्म की दूध की थैलियां

5580. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रयोग की जाने वाली पोलीथीन की थैलियां रखने उठाने में फट जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अच्छी किस्म की थैलियों का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) पोलीथीन की थैलियां रखने उठाने की प्रक्रिया के दौरान नहीं फटती हैं। तथापि, कभी-कभी इनके चूने की रिपोर्ट मिली है जब चूने वाली थैलियों का पता चलता है, तो उन्हें बदल दिया जाता है।

खनिज भवन, हैदराबाद

5581. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी**
श्री मोहम्मद महफूज अली खान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के "खनिज भवन" की अनुमानित लागत कितनी है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना था;

(ख) "खनिज भवन" का निर्माण वास्तव में कब पूरा हुआ और इसके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण लागत में निर्धारित लागत की तुलना में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) क्या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के एकक ने निर्माण लागत मे सहायता दी थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० (एन० एम० डी० सी०) के "खनिज भवन" की अनुमानित लागत 251 लाख रुपए थी और आरम्भ में इस भवन को सितम्बर, 1984 में पूरा करने का कार्यक्रम था।

(ख) "खनिज भवन" मार्च, 1985 तक पूर्णतया पूरा हो गया था, परन्तु इस्तेमाल के लिए इसे 3 महीने पूर्व ही कब्जे में ले लिया गया था। सीमेंट उपलब्ध न होने, मोजेक टाइलों की सप्लाई में विलम्ब, आदि के कारण इसे पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ था। इसके पूरा होने पर 273 लाख रुपए की लागत आई थी अर्थात् आरम्भ में स्वीकृत लागत से 22 लाख रुपए की अधिक लागत आई थी, यह वृद्धि, मुख्यतया सीमेंट और इस्पात के मूल्यों में कानूनी वृद्धि तथा अग्नि-शमन उपकरणों की व्यवस्था, जिनके लिए मूल अनुमान में व्यवस्था नहीं की गई थी, के कारण हुई थी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित दो अन्य उपक्रमों ने इस भवन के निर्माण की लागत में निम्नानुसार हिस्सा दिया था :—

मेटलर्जिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि० (मेकन)	30 लाख रुपए
स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (सिल)	30 लाख रुपए

मदर डेरी के दुग्ध बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाना

5581. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी के दुग्ध बिक्री केन्द्रों की संख्या दिल्ली दुग्ध योजना केन्द्रों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में मदर डेरी के कुछ और बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। मदर डेरी द्वारा दूध वितरण करने की प्रणाली दिल्ली दुग्ध योजना की प्रणाली से भिन्न है।

(ग) जी, नहीं।

यात्रिकाओं का निर्माण

5583. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन मंत्री यात्री निवासों और यात्रिकाओं के निर्माण के बारे में 7 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसाकि उसमें उल्लिखित है स्वीकृत किए गए यात्रिकाओं और यात्री निवासों के निर्माण में अद्यतन कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन यात्रिकाओं, जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, के निर्माण कार्य को किस तारीख तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन राज्यों में अन्य यात्रिकाओं/यात्री निवासों के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कम्पिल में यात्रिका पूरी हो चुकी है और यात्रियों के लिए खोल दी गई है। वृन्दावन में यात्रिका के दो ब्लाक हैं, एक ब्लाक पूरा हो चुका है और यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। कुरूक्षेत्र में यात्री निवास पूरा हो गया है और यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। नैना देवी (हिमाचल प्रदेश), जहां कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है, को छोड़कर शेष यात्रिकाओं और यात्री निवासों का कार्य पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) चूंकि यात्रिकाओं का निर्माण कार्य भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा तथा यात्री निवासों का निर्माण कार्य विभिन्न सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की सम्भावित तारीख बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) दिनांक 7-11-1986 के लोक सभा प्रश्न सं० 667 के उत्तर में उल्लिखित यात्रिकाओं और यात्री निवासों के अलावा, निम्नलिखित यात्रिकाओं और यात्री निवासों को मंजूरी दी गई है :

मायापुर (पश्चिम बंगाल), द्वारकाजी (गुजरात) और महेश्वर (मध्य प्रदेश) प्रत्येक स्थान पर एक-एक यात्रिका।

नागापतनम (तमिलनाडु), कोणार्क (उड़ीसा), पहलगाम (जम्मू एवं कश्मीर), क्विलॉन, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, त्रिचूर (केरल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), शेगांव (महाराष्ट्र), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), एजुल (मिजोरम), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड) प्रत्येक स्थान पर एक-एक यात्री निवास।

(घ) उपर्युक्त पैरा (ग) में उल्लिखित यात्रिकाएं और यात्री निवास पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पंचायती राज

5584. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को भेजे गए पंचायती राज से सम्बन्धित सिंघवी समिति के अवधारणा पत्रों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उन राज्य सरकारों से जिन्होंने इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, अनुरोध करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) डॉ० एल० एम० सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा "प्रजातन्त्र और विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण" के बारे में तैयार किए गए संकल्पना पत्र के मसौदे को सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया था। इस संकल्पना पत्र पर केन्द्रीय कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में 7 अगस्त, 1987 को चुनिंदा राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की हुई बैठक में भी चर्चा की गई थी। हालांकि, अधिकांश राज्य पंचायती राज संस्थाओं के नियमित आधार पर चुनाव कराने और उन्हें पर्याप्त शक्तियां सौंपे जाने के पक्ष में थे। फिर भी, इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने के बारे में सर्वसम्मति नहीं थी।

ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के लिए राज्यों को विदेशी सहायता

5585. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजनाओं के संवर्धन के लिए राज्यों को कोई विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी सहायता से किन-किन राज्यों को लाभान्वित होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी सहायता वाली ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाएं जो 1986-87 और 1987-88 में अनुमोदित की गई थी, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1986-87 और 1987-88 में अनुमोदित द्विपक्षीय सहायताप्राप्त ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाएं

क्रमांक	राज्य	सहायता देने वाली द्विपक्षीय एजेन्सी	योजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	अन्य ब्यौरे
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	नीदरलैंड	प्रकासम ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	प्रकासम	7.36	70 गांवों की कवरेज के लिए
2.	,,	,,	मेडक ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	मेडक	6.40	64 गांवों की कवरेज के लिए
3.	,,	,,	महबूबनगर ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	महबूबनगर	7.73	27 गांवों की कवरेज के लिए जिसमें सिंचाई घटक भी शामिल हैं।
4.	,,	,,	कुरनूल ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना	कुरनूल	7.41	7 गांवों की कवरेज के लिए
5.	,,	,,	दारसी ग्रामीण जल विस्तार सप्लाई परियोजना	प्रकासम	2.99	30 गांवों की कवरेज के लिए

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	नीदरलैंड	संथालपुर विस्तार क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना	बनासकांठा	10.44	48 गांवों की कवरेज के लिए पाइप द्वारा जल सप्लाई
7.	,,	,,	लाठी-लिल्वा क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना	अमरेली	7.27	9 गांवों व 1 शहर की कवरेज के लिए। फ्लोरिसिस से प्रभावित क्षेत्र
8.	,,	,,	सामी-हारिज क्षेत्रीय ग्रामीण जल सप्लाई योजना	मेहसाना	24.81	111 गांवों और 1 शहर की कवरेज के लिए
9.	हिमाचल प्रदेश	,,	लोंगवठी-बामसोन ग्रामीण जल सप्लाई योजना का सुधार	हमीरपुर	0.63	82 गांवों की कवरेज में पाइप द्वारा जल सप्लाई में सुधार
10.	केरल	,,	पवारथी और आस-पास की पंचायतों के लिए व्यापक जल सप्लाई योजना	पालघाट	17.50	5.22 लाख जनसंख्या के लाभार्थ

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	डेनमार्क-डेनिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (डानीडा) के माध्यम से	कोलाचेरी और आस-पास की पंचायतों के लिए केन्द्रीय जल सप्लाई योजना	कन्नानोर	7.94	2.49 लाख जनसंख्या के लाभार्थ
12.	,,	,,	एडाप्पल और आस-पास की पंचायतों के लिए व्यापक जल सप्लाई योजना	मालाप्पुरम	3.70	2.14 लाख जनसंख्या के लाभार्थ
13.	,,	,,	चीकोड और आस-पास की पंचायतों के लिए व्यापक जल सप्लाई योजना	मालापुरम व कोजिकोड	2.64	3.82 लाख जनसंख्या के लाभार्थ
14.	मध्य प्रदेश	संघीय जर्मन गणराज्य	ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना—दूसरा चरण	अनेक मण्डल	45.00	379 गांवों की कवरेज के लिए संघीय जर्मन गणराज्य का योगदान 50% ऋण करारों के जरिये
15.	उड़ीसा	डानीडा	समन्वित ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना—दूसरा चरण	पुरी-कटक बालासोर	36.00	हैडपम्प योजनाएं—पानी में अत्यधिक और लवणता की समस्याओं और समन्वित स्वास्थ्य शिक्षा और रख-रखाव पर बल

1	2	3	4	5	6	7
16.	राजस्थान	यूनिसेफ के जरिए स्वीडन (स्वेडिस) इन्टरनेशनल डेवलपमेंट आथारिटी	समन्वित गिनीकृमि उन्मूलन जल सप्लाई और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	बांडवाडा	12.00	सामुदायिक भागीदारी स्टेप वैल्स का संरक्षण, हैंडपम्पों की स्थापना आदि पर
17.	उत्तर प्रदेश	नीदरलैंड	ग्रामीण जल सप्लाई उप योजना-IV	इलाहाबाद वाराणसी	11.93	हैंडपम्प योजनाएं
18.	,,	,,	समन्वित ग्रामीण स्वच्छता स्वास्थ्य शिक्षा आदि परि-योजना-उप योजना-V	इलाहाबाद वाराणसी	3.73	पर्यावरण सम्बन्धी स्वच्छता पर बल देते हुए साफ्टवेयर गति-विधियों का विस्तार

नोट : 1. अधिकांश परियोजनाओं में पूरा होने के लिए 2 से 4 वर्षों तक का समय लगता है। इस अवधि के दौरान परियोजना लागत को वितरित कर दिया जाएगा।

2. अधिकतर राज्यों द्वारा योजना के कार्यान्वयन पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3. सामान्यतः विदेशी सहायताप्राप्त परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति कार्यान्वयन राज्यों को की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोयला डिपुओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्था

5586. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क आधार पर 5 वर्ष पहले आवंटित किए कोयला डिपो स्थलों पर बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और कितने कोयला डिपो स्थलों पर आज तक बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में आवंटितियों को अपने नाम पर बिजली और पानी के कनैक्शन लेने के लिए अधिकार पत्र प्रदान किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटियों को कोयला डिपो स्थलों के लिए बिजली तथा पानी के अलग-अलग कनैक्शन प्रदान करने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" उनके अनुरोध पर दिए जाते हैं। अधिकांशतः पुनर्वास कालोनियों में पानी उपलब्ध है तथा जो भी पानी के कनैक्शन के लिए आवेदन करता है, उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कनैक्शन दे दिया जाता है। अलग-अलग बिजली के कनैक्शन व्यक्तियों द्वारा डेसू से प्राप्त करने होते हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसका खण्डन किया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के एकक

5587. **श्री शांता राम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कार्यरत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के एककों की संख्या कितनी है;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान कितने एकक स्थापित किए गए हैं; अथवा स्थापित करने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के गोवा स्थित एकक की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में गोआ के लिए क्या भावी योजना तैयार की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रायोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 39 और प्रायोजनाएं शामिल की गई हैं।

(ग) गोवा में फसल, पशुधन, मात्स्यिकी और प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण से सम्बन्धित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के एकक कार्य कर रहे हैं। इन एककों की मुख्य उपलब्धियां ये हैं :

I. फसलें

खाद्य फसलें : निम्नलिखित आशाजनक किस्मों का पता लगाया गया।

धान—भवानी और आई० ई० टी० 6623

मक्का—गंगा-5

मूंगफली—स्पैनिश इम्प्रूव्ड

गन्ना—को-7527

II. बागानी फसलें

कसावा, शकरकन्दी, नारियल, काली मिर्च और काजू की आशाजनक किस्मों की पहचान की गई है।

फलों में आम, केला, सपोटा और अनन्नास की किस्मों की पहचान की गई है।

III. मात्स्यिकी

(i) अध्ययन से यह पता चला है कि मैकरेट्स को पकड़ने के लिए गोलाकार गिलनेट का शाम के समय प्रयोग करना सुबह के प्रयोग से अधिक कारगर पाया गया है।

(ii) पैर्पारिंग जिब्स के साथ फिट किए गए गियर से सीधे जिब्स में फिट किए गए नेट की तुलना में झींगा और मछली अधिक संख्या में पकड़ी जाती हैं।

(iii) पुराने गियर में सुधार लाने के कारण गोवा में पहली बार चीनी डिप्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है।

IV. प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण

(i) राष्ट्रीय प्रदर्शनों के द्वारा 148 फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है जिनमें 3394 किसानों और कृषि महिलाओं ने भाग लिया।

(ii) प्रदर्शन प्लाटों पर धान की अधिकतम पैदावार 78 क्विंटल/हैक्टेयर से 112 क्विंटल/हैक्टेयर के बीच थी।

(iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 121 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था जिनमें 2381 किसानों, कृषि महिलाओं और ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया।

V. पशुधन

खरगोशों में, "रसियन चिंचिल्ला" में यहां के वातावरण में रहने की अच्छी क्षमता पाई गई। मुर्गियों, बत्तखों और बटेरों की अनेक नस्लों का मूल्यांकन किया गया।

(घ) भावी योजनाएं निम्नलिखित हैं :

(i) चारे के साथ फसलों की बेहतर किस्मों, पशुओं, पक्षियों की नस्लों और सस्य विधियों की पहचान के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी।

(ii) समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के प्रबोधन और मूल्यांकन तथा देशी गियर डिजाइनों में सुधार करना।

(iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा खेतों पर संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(iv) राष्ट्रीय प्रदर्शन।

विवरण

राज्यवार प्रायोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संस्थान	राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र	प्रायोजना निदेशालय	अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	3	4	13
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	1	—	—	1
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	—	—	—	1
4.	बिहार	1	—	—	1	2
5.	गुजरात	—	1	—	1	2
6.	हरियाणा	5	3	1	7	16
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	4	6
8.	केरल	4	1	—	2	7
9.	कर्नाटक	1	2	1	7	11
10.	महाराष्ट्र	4	1	—	3	8
11.	मध्य प्रदेश	2	2	—	6	10
12.	मेघालय	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
13.	नई दिल्ली	3	1	2	17	23
14.	नागालैंड	—	1	—	—	1
15.	उड़ीसा	2	1	—	2	5
16.	पंजाब	—	—	—	2	2
17.	राजस्थान	2	1	—	3	6
18.	तमिलनाडु	2	—	—	1	3
19.	उत्तर प्रदेश	9	4	2	7	22
20.	पश्चिम बंगाल	3	—	—	1	4

गोआ में श्रम कल्याण योजना,

5588. **श्री शांताराम नायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ राज्य में कार्यान्वित की जा रही श्रम कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के स्वरूप और क्षेत्र का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) ये योजनाएं किस तन्त्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं को गोआ में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजनायें प्रमुखतः चिकित्सीय, शैक्षिक, आवासीय, जल आपूर्ति तथा मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

(ग) योजनाओं के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई उपलब्धियां अनुबन्ध-I में दी गई हैं।

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक तन्त्र के अध्यक्ष कल्याण आयुक्त हैं जिनका मुख्यालय नागपुर में है। उनकी सहायता के लिए गोआ में तैनात एक सहायक कल्याण आयुक्त हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क खनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याण निधि से किए गए कल्याणकारी क्रियाकलापों के ब्यौरे

शीर्ष	वर्ष			टिप्पणी
	1984-85	1985-86	1986-87	
1	2	3	4	5
स्वास्थ्य				
(क) औषधालयों के अनुरक्षण के लिए खान प्रबन्धतन्त्रों को सहायता अनुदान की अदायगी।	47,450.00	3,38,900	3,90,000	—
(ख) खान प्रबन्धतन्त्रों को एम्बुलेंस वैन खरीदने के लिए अनुदान की अदायगी।	—	55,000	1,05,659	—
(ग) कैंसर रोगी को वित्तीय सहायता।	—	—	4,906	एक रोगी
(घ) घातक व गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के तहत लौह अयस्क खनिकों के आश्रितों/विधवाओं को वित्तीय सहायता।	360.00	1,184	4,177	—

इसके अतिरिक्त

*टीका में 60 बिस्तरों का केन्द्रीय अस्पताल और करचोरम (सनबोर्ड) में एक स्थिर एवं चल औषधालय खान श्रमिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यमान है।

आवास

निर्मित मकानों की संख्या

अपना मकान स्वयं बनाओ योजना।	—	—	4	—

1	2	3	4	5
शिक्षा				
लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/ खनिकों के बच्चों को छात्र-वृतियां देना	1,12,540.00	1,27,590.00	1,43,430.00	—
मनोरंजन				
(1) सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल कूद गतिविधियों के लिए खान प्रबन्धकों को वित्तीय सहायता की भुगतान।	5,860.00	7,437.00	8,876.00	—
(2) खेल सामान खरीदने के लिए प्रबन्धकों को अनुदान।	5,060.00	—	4,178.00	—

गोवा में मत्स्य-पालन विकास

5589. **श्री शांताराम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गोवा में मत्स्य पालन का बड़े पैमाने पर विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गोवा में मत्स्य पालन के विकास के लिए चालू केन्द्रीय योजना कौनसी है; और

(घ) प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) गोवा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नीचे दर्शायी गई हैं : —

(1) "समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1986 में 35 हैक्टेयर के क्षेत्र को कवर करने के लिए 19.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ खारे जल में एक जलकृषि फार्म और 1987 में 96.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ खारे जल में झींगा मछली के बीजों की एक हैचरी को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।

(2) "सक्रिय मछुवारों के लिए ग्रुप दुर्घटना बीमा योजना" के तहत 9500 मछुवारों को बीमित किया गया है। इस योजना के लिए 1987-88 तक भारत सरकार के अंश को निर्मुक्त किया जा चुका है।

(3) "मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक मछुवारा गांव के लिए 100 मकानों, 1 सामुदायिक हाल और 5 ट्यूबवेलों के निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। 1987-88 के दौरान, 3,15,600 रुपए की धनराशि भी निर्मुक्त की गई है।

(4) "पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 20 जलयानों के मोटरीकरण करने हेतु 1987-88 के दौरान 75,000 रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

गोआ को खाद्य पदार्थों की सप्लाई

5590. श्री शांताराम नायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और मदवार गोआ सरकार को कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थों का आवंटन किया गया तथा उसने कितनी मात्रा में इन्हें उठाया;

(ख) क्या गोआ सरकार से घटिया किस्म के खाद्यान्न की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गोवा सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थीं और उनके द्वारा उठायी गई थी :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा
1985	27.6	12.7	44.5	39.4
1986	27.6	12.6	54.8	41.6
1987	22.8	13.3	51.7	51.4

(इन आंकड़ों में जुलाई तक दमन और दीव के आंकड़े भी शामिल हैं)

(ख) और (ग) 1987 के दौरान गोवा सरकार से खाद्यान्नों की घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में इस मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पूर्व में ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी विधिवत् जांच की गई थी और विभाग द्वारा गोवा की राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपचारी उपाय किए गए थे।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

5591. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल में कितने गोदाम हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या राज्य में और गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में ऐसे केन्द्रों में जहां भारतीय खाद्य निगम के अपने और किराए के गोदाम थे, उनकी संख्या 155 थी। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा धनकुनी (जिला हावड़ा) में इस समय 10,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

विवरण

1-1-1988 को स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण गोदामों के केन्द्र/स्थान

क्र० सं०	केन्द्र/स्थान का नाम	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)
1.	बांकुरा	बांकुरा
2.	बेलियातोर	
3.	बिशनपुर	
4.	इन्डस	
5.	इन्दपुर	
6.	मेजिया	
7.	रानीबन्ध	
8.	सोमामुखी	
9.	शकरटी	
10.	सात्तोरा	
11.	अहमदपुर	बीरभूम
12.	अबिनाशपुर	
13.	बोलपुर	
14.	दुबराजपुर	

1	2	3
15.	मोल्लारपुर	)
16.	रामपुरहट	) वीरभूम
17.	सैनथिया	)
18.	सूरी	)
19.	आसनसोल	)
20.	बर्दवान	)
21.	गुषकारा	)
22.	गालसी	)
23.	काटवा	)
24.	कालना	)
25.	मेमारी	) बर्दवान
26.	रानीगंज	)
27.	रामजीवनपुर	)
28.	सीतरामपुर	)
29.	सेहराबाजार	)
30.	गोपालपुर	)
31.	दुर्गापुर	)
32.	श्यामनगर	)
33.	अगरपाड़ा	)
34.	बैरकपुर	)
35.	खरदाह जूट मिल	)
36.	केलविन जूट मिल	)
37.	सुबरबन	)
38.	कोसीपुर	)
39.	अम्बिका जूट मिल	)
40.	बंगाल जूट मिल	) कलकत्ता
41.	फोरशेरे	)
42.	हनुमानगढ़ जूट मिल	)
43.	हावड़ा	)
44.	शालीमार	)
45.	बेहाला	)
46.	लाके	)
47.	कलकत्ता साइलो प्लांट	)
48.	बरूकलिन	)
49.	जिन्जेर पूल	)

1	2	3
50.	कूच बिहार	)
51.	घरबहा	)
52.	दिनाहाटा	)
53.	गोसाईरहट	) कूच बिहार
54.	हल्दाबाड़ी	)
55.	तूफानगंज	)
56.	चांगराबांधा	)
57.	अन्टा	)
58.	अन्दूल	)
59.	अनन्तपुर	) हावड़ा
60.	बगनान	)
61.	मुंशीरहाट	)
62.	पंचपाड़ा	)
63.	आरामबाग	)
64.	बेलमुड़ी	)
65.	भद्रेश्वर	)
66.	चम्पाडांगा	)
67.	चिनसुराह	)
68.	चान्दीतोला	)
69.	जंगीपाड़ा	) हुगली
70.	खानकुल	)
71.	मोगरा	)
72.	मंडल	)
73.	पांडुआ	)
74.	रिसरा	)
75.	सेरामपुर	)
76.	तारकेश्वर	)
77.	अलीपुरद्वार	)
78.	बीरपाड़ा	)
79.	बेरूबाड़ी	)
80.	देवग्राम	) जलपाईगुड़ी
81.	धूपगुड़ी	)
82.	फ्लाकाटा	)
83.	हल्दीबाड़ी	)
84.	जलपाईगुड़ी	)

1	2	3
85.	मालबाजार	जलपाईगुड़ी
86.	मैनागुड़ी	
87.	उडलाबाड़ी	
88.	सौरानी	
89.	सुखाईपोकरी	
90.	अलगड़	
91.	दार्जिलिंग	
92.	घूम	
93.	कुरसियोंग	दार्जिलिंग
94.	कालिमपोंग	
95.	कामख्यागुड़ी	
96.	बुलबुल चान्दी	
97.	हरीशचन्द्रपुर	मालदा
98.	मंगलबाड़ी	
99.	सामशी	
100.	बेलडा	
101.	बालुघाट	
102.	बालीचाक	
103.	सी० के० रोड	
104.	गरबेटा	
105.	घाटाल	
106.	कोनताई	
107.	झारग्राम	मिदनापुर
108.	मिदनापुर	
109.	खड़गपुर	
110.	पांशकुड़ा	
111.	तेरापोखिया	
112.	टामलुक	
113.	अन्डी	
114.	बेलडंगा	
115.	बरहामपुर	
116.	धुलियां	
117.	कोसीमबाजार	मुर्शिदाबाद
118.	जयगंज	
119.	कान्डी	
120.	रघुनाथगंज	

1	2	3
121.	भाटजंगला	)
122.	बगुला	)
123.	नवद्वीप	)
124.	करीमपुर	)
125.	पलासी	) नादिया
126.	तेहटा	)
127.	कृष्णानगर	)
128.	कल्याणी	)
129.	बलरामपुर	)
130.	चराह	)
131.	झालदा	) पुरूलिया
132.	अद्रा	)
133.	अशोकनगर	)
134.	बोंगानोन	)
135.	बसीरहाट	)
136.	बारासात	)
137.	कैनिंग	)
138.	हारबर	)
139.	काकद्वीप	) 24-परगना
140.	मथुरापुर	)
141.	नईहटी	)
142.	हसनाबाद	)
143.	संतोषपुर	)
144.	मोगराहट	)
145.	जोका	)
146.	बज-बज	)
147.	बुनियादपुर	)
148.	बेलूरघाट	)
149.	बंगालबेड़ी	)
150.	दालकोल्हा	)
151.	गंगारामपुर	) पश्चिमी दिनाजपुर
152.	हिल	)
153.	इस्लामपुर	)
154.	रायगंज	)
155.	देवग्राम	) गोपालपुर

केरल में मछली उतारने हेतु घाटों के निर्माण के लिए आवंटन

5592. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987-88 और 1988-89 के लिए केरल राज्य में मछली उतारने हेतु घाटों के निर्माण के लिए कोई आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घाटों के प्रस्तावित स्थान क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं परन्तु केरल के लिए मंजूर की गई मछली उतारने वाले केन्द्रों से सम्बन्धित व्यय को छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह सम्बन्धी योजनाओं के लिए सम्बन्धित वार्षिक बजट के आवंटन में से पूरा किया जाता है ।

(ग) 1987-88 और 1988-89 के दौरान केरल में मछली उठाने वाले केन्द्रों के लिए कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया था । तथापि मंजूर किए गए तथा निर्माणाधीन मछली उतारने के वर्तमान केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मंजूर की गई तथा निर्माणाधीन मछली उतारने के वर्तमान केन्द्रों की सूची

केरल

1. कसारगोडे
2. चरूवथूर
3. नीलेश्वरम
4. पालाकोडे
5. धरमादम
6. न्यू महे
7. मुनक्काकदावु
8. चेट्टूवाई
9. थीट्टापल्ली
10. दक्षिण पारावूर
11. वल्लीकुन्नु
12. चेलिल गोपालपेट्टा
13. वेल्लाइल बीच

14. पल्लीथोट्टम (क्विलों पत्तन)

15. विझिजम उत्तर

16. विझिजम दक्षिण ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० का उत्कृष्ट कार्य निष्पादन

5593. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (केरल) को वर्ष 1987-88 के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी हां, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय यूरोप पुरस्कार 1988 देने के लिए ट्रेड लीडर्स क्लब मैड्रिड द्वारा मै० फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) का चयन किया गया था । पुरस्कार ट्रेड लीडर्स क्लब मैड्रिट द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन कम्पनी ऐडिटोरियल कार्यालय के सहयोग से प्रारम्भ किया गया है और उसे यूरोपीय देशों में से निष्पादन के आधार पर चुनी गयी 120 कम्पनियों को वार्षिक रूप से दिया जाता है । इस पुरस्कार के लिए नामांकन चैम्बर आफ कामर्स अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना और ऐडिटोरियल कार्यालय द्वारा समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों तथा विपणन अनुसंधान के आधार पर किया जाता है ।

केरल में मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना

5594. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान केरल में मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा मात्स्यिकी गांवों की स्थापना के लिए उक्त राज्य को अनुदान/सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इस धनराशि के सही उपयोग पर निगरानी रखने के लिए सरकार की कोई एजेन्सी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केरल में मत्स्यन सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए 1986-87 में 222.224 लाख रुपए, 1987-88 में 119.333 लाख रुपए और 1988-89 में 177.193 लाख रुपये (अनन्तिम) आवंटित किए हैं ।

केरल सरकार ने 1985-86 में 234.607 लाख रुपये (162.94 लाख रुपए ऋण और 71.667 लाख रुपए राजसहायता के रूप में) तथा 1986-87 में 92.086 लाख रुपए (77.068

लाख रुपए ऋण तथा 15.018 लाख रुपए राजसहायता के रूप में) इस्तेमाल किए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाकर तथा मुख्यालय और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरे करवाकर धन के इस्तेमाल पर नजर रख रहा है। इन परियोजनाओं पर और अधिक कड़ी नजर रखने के लिए दिसम्बर, 1987 में त्रिवेन्द्रम में एक परियोजना कार्यालय भी खोला गया है।

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कोष की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मछुआरों के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्य करने के लिए सातवीं योजना में अनुदान के रूप में 400 लाख रुपए की एक रकम नियत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1987-88 में केरल को 76.94 लाख रुपए की लागत से कल्याण कार्य चलाने के लिए छह मछुआरा गांव आवंटित किए गए हैं। सहायता के स्वरूप के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर खर्च वहन किया जाना है। इसलिए 3 मछुआरा गांवों में सुविधायें सुलभ कराने के लिए 1987-88 में केरल को केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में दस लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

मत्स्य उद्योग के विकास के लिए विदेशी सहायता

5.95. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में विदेशी सहायता से मत्स्य उद्योग का विकास करने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं और इन देशों ने कितनी सहायता मंजूर की है;

(ग) क्या झींगा पालन, स्वच्छ जल में मछली पालन तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को भी आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल राज्य में विदेशी सहायता के साथ मात्स्यकी विकास के लिए केरल सरकार से प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

परियोजना का नाम	वित्त देने वाली विदेशी एजेन्सी	कुल परिव्यय	परियोजना के मुख्य घटक	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1. झींगा मछली पालन	अरब देशों के	128.5	झींगा मछली का पालन	अरब देशों के

1	2	3	4	5
	के लिए मात्स्यकी विकास परियोजना	आर्थिक विकास के लिए कुवैती निधि	लाख रुपए	करने के लिए खारे जल में जलकृषि का विकास	आर्थिक विकास के लिए कुवैती निधि (संस्था) सिद्धांत रूप से इस परियोजना को धनराशि देने के लिए सहमत हो गई है।
2.	मत्स्य संघ के जाल बनाने वाले परिसर का विस्तार	जापान सरकार	328 लाख रुपए	जापान से जाल बनाने वाली 15 मशीनों का आयात	जापानी सहायता के लिए परियोजना को प्रस्तुत किया गया। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	केरल जलाशय मात्स्यकी विकास परियोजना	जर्मन संघीय गणराज्य	663 लाख रुपए	त्रिचुर जिले में विज्ञानी जलाशय में जाल बाड़े में मछली पालन	जर्मन सहायता के लिए परियोजना को जर्मन सरकार को प्रस्तुत किया गया। नवम्बर, 87 में एक जर्मन दल ने केरल का दौरा किया। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	खारे जल की मात्स्यकी परियोजना	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	2265 लाख रुपए	खारे जल में मछली और झींगा मछली का पालन	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को प्रस्तुत किए जाने हेतु सिफारिश की गई।
5.	खारे जल की फार्म हैचरी हेतु मार्ग-दर्शी योजना	जापान	116 लाख रुपए	झींगा मछली हैचरी को स्थापित करना	हाल ही में प्राप्त हुआ।
6.	विभिन्न कुशल पद्धतियों से मछली पकड़ने की परि-योजना	जापान	786 लाख रुपए	गहरे समुद्र में मात्स्यकी जलयानों को प्रारम्भ करना	हाल ही में प्राप्त हुआ।
7.	मछुआरा कल्याण	डेनमार्क	1439 लाख रुपए	मछुआरों के गांवों में स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाएं	हाल ही में प्राप्त हुआ।

खाद्य प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

5596. **श्री बी० कृष्ण राव :**
श्री एस० एम० गुरुडी :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1988 को मैसूर में हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन में खाद्य प्रौद्योगिकी के आयात के अफ्रीका में स्वावलम्बी विकास पर पड़े प्रभाव पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी खाद्य उत्पादन में एक ऐसी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) कौन-कौन से देश कृषि उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए सहमत हुए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सम्बन्धित विभागों/संगठनों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

"एशियाड" फ्लैटों की बिक्री

5597. **श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शेष "एशियाड" फ्लैटों को बेचने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनकी बिक्री के लिए क्या मानदण्ड अपनाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसवीर सिंह) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

5598. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री मणिकराव होडल्या गावित :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री सुभाष यादव :
श्री सीताराम जे० गावली :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना जिसमें संशोधन करने के बारे में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था, तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब लागू की जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं, जैसा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले ही बताया है। सभी सम्बन्धित पक्षों से परामर्श की प्रक्रिया को योजना को शुरू करने से पहले पूरा करना होगा।

दिल्ली में नए आवास निकायों के कर्मचारी

5599. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली आवास बोर्ड और दिल्ली गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान दिल्ली विकास प्राधिकरण से अथवा अन्य विभिन्न विभागों और राज्यों से रखा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली आवास बोर्ड, दिल्ली गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत मौजूदा स्टाफ को ही पुनः लगाने का प्रस्ताव है तथा दिल्ली आवास बोर्ड और दिल्ली गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड के लिए अन्य विभागों और राज्यों से फिलहाल किसी कर्मचारीवृन्द को रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

पर्यटन योजनाओं के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि

5600. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितना परिव्यय किया गया है;

(ख) उस परिव्यय में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए उन्हें अब तक कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा पर्यटन विभाग के लिए 68.68 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में से अभी तक निम्नलिखित राशि उपयोग में लाई जा चुकी है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उपयोग की गई राशि
1985-86	12.85
1986-87	18.42
1987-88	18.81 (25-3-88 तक)

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृत की गई राशियों और रिलीज की गई राशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5855/88]

उड़ीसा में बन्धुआ मजदूर

5601. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1987-88 के दौरान कितने बन्धुआ मजदूरों की पहचान की गई और उनका पुनर्वास किया गया;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में इनके पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने और पुनर्वासित करने के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

31-12-1987 की स्थिति

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
	पता लगाया		
438	741	575	1754
	पुनर्वासित किए गए		
669	1215	616	2500

(ग) किसी वर्ष विशेष में पुनर्वास पर खर्च की गई राशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा रखी जाती है। तथापि, 1987-88 के दौरान उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 84,01,875 रुपए की राशि दी गई है।

उर्वरकों के अधिक मूल्य

5602. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों पर लगे अत्यधिक कर के कारण किसानों को उर्वरक बहुत अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं और इससे हमारे देश में उर्वरकों के अधिक प्रयोग को हतोत्साहित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रति बोरी (50 कि० ग्रा०) उर्वरक का वास्तविक मूल्य क्या है और भिन्न-भिन्न राज्यों में इसपर कितना कर लगता है;

(ग) सरकार की वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान कर के रूप में पूरे देश से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा उक्त अवधि के दौरान उर्वरक पर कुल कितनी राजसहायता दी गई है; और

(घ) कर में कमी न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार उर्वरकों पर कोई कर नहीं लेती है। संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारें बिक्री कर लगा सकती हैं। अत: विभिन्न राज्य सरकारों को बिक्री की अलग-अलग दरें लगाने तथा बिक्री कर के निर्धारण और उसकी वसूली करने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाने के अधिकार प्राप्त हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उर्वरकों पर क्रमश: लगभग 1900 करोड़ रुपए तथा 2200 करोड़ रुपए की राजसहायता प्रदान की गई।

(घ) जिन राज्यों में उर्वरकों पर राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर लगाया जाता है, उन राज्य सरकारों से कई बार उर्वरकों को बिक्री कर तथा अन्य करों से मुक्त रखने तथा उनकी कीमत कम से कम रखने का अनुरोध किया गया है। वित्तीय अड़चनों के कारण सम्बन्धित राज्य सरकारें कोई कमी करने के पक्ष में नहीं हैं।

गृह निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता

5603. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवास समस्या को हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) इन संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता से देश में किन-किन स्थानों पर आवास विकास का कार्य आरम्भ किया गया और प्रत्येक राज्य में कितनी आवासीय कालोनियों अथवा मकानों का निर्माण किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास तथा संबंधित कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

संस्थान	कार्यक्रम	विदेशी अभिकरण	राशि
1. हुडको	हुडको-I	ब्रिटेन	14.75 मिलियन पौंड
2. हुडको	हुडको-II	ब्रिटेन	24.00 मिलियन पौंड
3. हुडको	के० ए० डब्लू० चरण-I	पश्चिम जर्मनी	69.1 रुपए
4. एच० डी० एफ० सी०	—	अमेरिका (यू० एस० ए० आई० डी०)	40.0 मिलियन डालर (रुपए के समतुल्य)

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण 1, 2, तथा 3 में दिए गए हैं। एच० डी० एफ० सी० स्वयं सीधे ही निर्माण गतिविधियां आरम्भ नहीं करता है क्योंकि यह व्यक्तिगत को, सहकारी समितियों, कम्पनियों आदि को आवास निर्माणार्थ केवल वित्तीय सहायता देता है। अत: इस सहायता के माध्यम से निर्मित आवास एककों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-1

आर० टी० ए० सहायता के अन्तर्गत हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे (चरण-1 शहरी/ग्रामीण तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए स्थल तथा सेवा)

(रुपए लाखों में)

राज्य/योजना सं०		परियोजना लागत	ऋण राशि	स्वीकृत रिहायशी एकक	पूर्ण हुए रिहायशी एकक	प्रगतिधीन रिहायशी एकक
आन्ध्र प्रदेश	— 9	216.79	171.70	2787	2664	113
गुजरात	— 6	690.27	306.79	16579	13878	679
हरियाणा	— 4	197.35	123.07	4065	1423	172
कर्नाटक	—20	762.64	221.85	20918	20562	466
केरल	—13	1600.00	800.00	40000	32176	3099
मध्य प्रदेश	— 1	7.63	6.52	100	—	100
महाराष्ट्र	— 4	215.62	183.33	2840	2822	—
पंजाब	— 3	198.90	99.46	5000	5000	—
राजस्थान	—11	203.24	175.40	2988	2650	260
तमिलनाडु	— 1	74.55	63.35	1584	1584	—
उत्तर प्रदेश	—11	670.32	569.11	8392	3462	3075
पांडिचेरी	— 2	14.83	12.38	193	193	—
योग :	85	4852.14	2732.96	105446	86414	7964

विवरण-2

आर० टी० ए० सहायता के अन्तर्गत हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे (चरण-II शहरी/ग्रामीण तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए स्थल तथा सेवा)

(लाख रुपयों में)

राज्य/योजनाओं की संख्या		परियोजना लागत	ऋण राशि	स्वीकृत रिहायशी एकक	पूर्ण हुए रिहायशी एकक	प्रगतिधीन रिहायशी एकक
आन्ध्र प्रदेश	—17	967.21	530.38	28640	25580	1702
बिहार	— 2	200.00	100.00	5000	3339	1285
गुजरात	—19	1251.04	511.27	31015	23305	3039
हरियाणा	— 1	58.88	50.78	736	500	236
जम्मू तथा कश्मीर	— 2	20.62	17.87	273	—	—
कर्नाटक	—14	470.88	176.07	11268	10382	1240
केरल	— 3	521.40	407.63	10000	8905	1095
मध्य प्रदेश	— 6	128.82	77.99	5226	2452	1653
महाराष्ट्र	—10	404.34	343.28	5255	2833	2366
उड़ीसा	—10	762.58	572.58	20375	11800	5483
पंजाब	— 5	505.98	300.30	11029	8985	1136
राजस्थान	—14	548.44	469.35	6925	5993	912
तमिलनाडु	—12	793.06	414.46	18876	17396	1382
उत्तर प्रदेश	—10	270.28	229.91	3393	1000	1686
पश्चिम बंगाल	— 1	15.47	12.06	200	200	—
योग :	126	6919.04	4213.93	158212	122670	24115

विवरण-3

(रुपये लाखों में)

राज्य	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	एककों की संख्या	निर्मित
केरल	9	1348.39	807.50	14100	3367
तमिलनाडु	6	419.50	354.68	5445	1507
उत्तर प्रदेश	2	55.27	49.03	1085	512
राजस्थान	3	93.36	51.39	801	172
त्रिपुरा	1		12.81	193	—
	21	1916.52	1275.41	24849	4558

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

5604. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का विचार है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में किसी समिति को नियुक्त किया है यदि हां, तो इसके प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान की शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उदयपुर (राजस्थान) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खोले गये डेरी विभाग को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव की जांच हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने पहले ही राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान का दौरा कर लिया है तथा इस समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

5605. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटन केन्द्रों को खोला गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार से चम्बल डिवीजन के शनिदेव तथा शिहोनिया-कांकण मठ का विकास करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय राज्यों में पर्यटक केन्द्रों को खोलने का कार्य नहीं करता बल्कि पर्यटन आधार संरचना का सृजन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अभी तक मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में विभिन्न पहले से चली आ रही और नई परियोजनाओं के लिए 78.98 लाख रुपए रिलीज किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों की खरीद

5606. **श्री ओहरि राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्नों की खरीद का सामान्य लक्ष्य कितना है और इस राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न दिया जाता है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वहां पर सूखे और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आगामी चावल की फसल के दौरान केरल से अनाज की खरीद न करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष में लगभग 15 लाख मीटरी टन लेवी चावल की वसूली की जाती है जिसमें से 10 लाख मीटरी टन से भी अधिक मात्रा राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भेड़ों के उत्पादन तथा पशुधन विकास के लिए खतरा

5607. **श्री एच० ए० डोरा :**
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कुओं के पानी में नाईट्रेट और मैगनेशियम की बहुत अधिकता होने के कारण राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भेड़ोंके उत्पादन को भारी खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या नाइट्रेट विषाक्तता की समस्या से राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिलों में भी पशुधन को भारी खतरा पैदा हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि अन्य पशुओं पर नाईट्रेट तथा मैगनेशियम के अधिक संकेन्द्रण के प्रभाव पर कोई खोज नहीं की गई है, तो भी ऐसा अनुमान है कि भेड़ पर जैसा इसका प्रभाव पड़ता है वैसा ही इसका प्रभाव अन्य पशुओं पर भी पड़ेगा।

(ग) पशु, विशेषकर भेड़ इन दो लवणों के संकेन्द्रण को क्रमशः 1.0 ग्राम प्रति लीटर तथा 4.0 ग्राम प्रति लीटर पानी तक सह सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए ताजे पानी में इसको घोलना लाभप्रद होगा। कजरी में सौर ऊर्जा के प्रयोग से पानी के खारेपन को दूर करने की विधि पर कार्य चल रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजनाएं

5608. ***श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या कृषि मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कुल कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी परियोजनायें और आरम्भ की गईं;

(ग) इन परियोजनाओं से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) छठी योजना के दौरान आरम्भ की गई प्रायोजनाओं की कुल संख्या 19 है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 39 और प्रायोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है।

(ग) ये प्रायोजनाएं देश के सभी राज्यों के लाभ के लिए चलाई जाती हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन प्रायोजनाओं पर अब तक 1097.20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

5609. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों और जनता को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत उनकी सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा उपभोक्ता संगठनों में उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं—संगोष्ठियां आयोजित करना, कार्यशालाएं आयोजित करना, विवरणिकाएं प्रकाशित करना, आदि। जन-माध्यम, विशेष रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तथापि, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को शिक्षित करने हेतु कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए धन की कमी

5610. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सीताराम जे० गावलि :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री सुभाष यादव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में धन की कमी के कारण कोई गति नहीं हो रही है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड ने धन की कमी के कारण कोई संशोधित योजना तैयार की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) क्या योजना आयोग ने संशोधित योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को शीघ्रता से लागू करने और समय पर इसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धन देने हेतु कोई उपाय किए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 305.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक परियोजना तैयार की थी, जिसमें से 146.11 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में रेलवे, दूर-संचार तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए और 1987-90 की अवधि के लिए क्षेत्रीय मार्गों सहित 159.47 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में शहरी विकास योजनाओं के लिए है। योजना आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को अतिरिक्त निधियां देने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

(घ) समय-समय पर मामले की समीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में पर्यटक काम्प्लेक्स

5611. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू प्लेस के निकट बनाये गये पर्यटक काम्प्लेक्सों को अब तक चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) ऐसे पर्यटन स्थलों को पूरी तरह से चालू करने के लिए कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में बनाये गए जो पर्यटक विहार-स्थल अभी तक चालू नहीं किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) डिस्ट्रिक्ट पार्क, कालका जी (नेहरू प्लेस) में रेस्तरां और पिकनिक हट परिसर।

(2) बुडलैण्ड एरिया, महरौली में रेस्तरां और पिकनिक हट्स आदि।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव है कि उपरोक्त परिसरों को परिचालन हेतु दिल्ली पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए।

राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी प्रारूप

5612. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1987 में तैयार किया गया भारत का राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी प्रारूप अप्रैल, 1987 में "यू० एन० कमीशन ऑन ह्यूमैन सैटिलमैंट" के समक्ष प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी प्रारूप पर संसद में चर्चा करने के बाद इसे दिए गए अन्तिम रूप को 6 अप्रैल, 1988 को दिल्ली में होने वाली "यू० एन० कमीशन ऑन ह्यूमैन सैटिलमेंट" की आगामी बैठक में रखेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। मार्च, 1987 में तैयार किया गया राष्ट्रीय आवास नीति सम्बन्धी प्राथमिक प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र मानव आवास आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन नैरोबी (केन्या) में विचारों तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के रूप में अप्रैल, 1987 में हुए आयोग के 10वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए प्रतिनिधियों में इसकी प्रतियां परिचालित की गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

आयरलैंड के मक्खन की खेप को स्वीकृति

5613. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा आयरलैंड के मक्खन की 3000 टन की खेप को किस प्रकार से जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) मक्खन कितने समय तक खराब नहीं होगा;

(ग) क्या यह भेंट के रूप में प्राप्त हुआ है अथवा सरकार द्वारा खरीदा गया है;

(घ) मक्खन को किस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या मक्खन पर इसके आयातित होने तथा इसके उत्पादन की और इसके खराब होने की तारीख भी अंकित की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तरल दूध में मिलाने के लिए डेरियों को मक्खन निर्मुक्त किया जा रहा है।

(ख) यह मक्खन अच्छी क्वालिटी का है और इसकी क्वालिटी को समय-समय पर जांच और प्रबोधन किया जाता है।

(ग) यह मक्खन उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के मक्खन का वर्तमान निर्गम मूल्य महानगरों की डेरियों के लिए 20,000 रुपए प्रति मीटरी टन है और महानगर की श्रेणी में न आने वाले अन्य नगरों की डेरियों के लिए 30,000 रुपये प्रति मीटरी टन है।

(ङ) विनिर्माण की तिथि कार्टन (डिब्बा) पर दी जाती है और मक्खन की क्वालिटी की समय-समय पर जांच की जाती है।

मेरीडियन होटल का लीज किराया

5614. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का मेरीडियन होटल की और लीज किराए के रूप में बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : विन्डसर प्लेस में एक पांचतारा होटल के निर्माणार्थ नई दिल्ली नगर पालिका ने मैं० सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स, लिमिटेड के साथ एक लाइसेन्स करार किया है। उन्होंने सूचित किया है कि निर्माण पूर्ण करने तथा होटल आरम्भ करने के ध्येय से तथा होटल के पास धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सितम्बर, 1988 तक लाइसेन्स फीस अदा न करने के लिए विलम्बन काल प्रदान किया है। विलम्बन अवधि समाप्त होने के पश्चात नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा विलम्बन काल के लिए लाइसेन्स फीस के रूप में ब्याज सहित होटल पर देय सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

राष्ट्रीय जल धारा विकास कार्यक्रम

5615. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ऊपरी कोलाब तथा इन्द्रावती में जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या बाढ़ प्रभावित नदी सुवर्ण रेखा के समेकित जल धारा प्रबन्ध की योजना उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गई है तथा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है, यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में धन का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1985 में, उड़ीसा सरकार ने 32.03 करोड़ रुपए, 32.10 करोड़ रुपए तथा 18.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रमशः ऊपरी कोलाब, इन्द्रावती तथा सुवर्ण रेखा के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे थे।

(ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित नए स्रवण क्षेत्र "नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण" तथा गंगा बेसिन के बाढ़ प्रवण नदियों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की दो चालू केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विस्तार करके 7वीं योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग के परामर्श से विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, संसाधन सम्बन्धी अड़चनों के कारण यह सम्भव नहीं था कि इन स्रवण क्षेत्रों को 7वीं प्लान स्कीमों में शामिल किया जाय।

अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन

5616. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राज्यवार कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) बेहतर किस्म की झींगा और पोनो के पालन और मछुआरों विशेषरूप से उड़ीसा में मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनसे क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय मछली उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उड़ीसा में, अच्छी किस्म के मछली बीज के उत्पादन के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत 4 वाणिज्यिक मछली बीज हैचरियां काम कर रही हैं और एक हैचरी का निर्माण किया जा रहा है। इन मछली बीज हैचरियों का निर्माण इस आधार पर किया गया है कि ये अपने पूरे उत्पादन स्तर पर आने पर लगभग 930 लाख मछली बीज प्रति वर्ष उत्पादित करेंगी।

मछली पालन के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा के 13 जिलों में 13 मछली पालक विकास एजेन्सियां स्वीकृत की गई हैं। इन मछली पालक विकास एजेन्सियों ने अब तक लगभग 22,432 हैक्टार जलक्षेत्र मछली पालन के अन्तर्गत शामिल किया है जिसमें लगभग 33000 मछुआरों/मछली पालकों को लाभ हुआ है।

विवरण

अन्तर्देशीय मछली उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां (हजार मीटरी टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85		1985-86		1986-87(अन्तिम)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	145.0	104.6	160.0	107.5	160.0	108.0
2.	असम	58.5	48.2	63.8	50.1	68.0	52.4
3.	बिहार	120.0	110.0	125.0	130.0	135.0	135.2
4.	गुजरात	30.0	23.8	30.0	24.0	35.0	24.8

1 2	3	4	5	6	7	8
5. हरियाणा	10.0	10.0	13.5	13.5	15.0	15.0
6. हिमाचल प्रदेश	3.2	2.7	2.4	3.0	3.8	2.5
7. जम्मू व कश्मीर	12.0	10.0	10.6	10.6	11.5	11.1
8. कर्नाटक	55.0	39.6	55.0	39.0	55.0	36.0
9. केरल	29.0	27.6	30.0	28.2	31.0	27.2
10. मध्य प्रदेश	25.0	24.0	26.0	32.4	28.0	46.9
11. महाराष्ट्र	40.0	29.0	45.0	30.8	46.0	34.9
12. मणिपुर	7.0	5.0	6.0	5.5	7.0	5.8
13. मेघालय	1.4	0.7	2.0	0.7	1.2	0.6
14. नागालैंड	न	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6
15. उड़ीसा	54.0	51.9	60.0	51.8	60.0	59.6
16. पंजाब	3.5	3.5	3.8	4 0	5.0	5.2
17. राजस्थान	17.0	16.0	17.0	12.6	15.0	16.4
18. सिक्किम	न	न	न	न	न	न
19. तमिलनाडु	210.0	160.0	215.0	140.0	180.0	131.0
20. त्रिपुरा	10.0	10.0	11.0	11.0	12.0	11.4
21. उत्तर प्रदेश	50.0	49.7	54.0	67.3	80.0	83.8
22. पश्चिम बंगाल	375.0	369.5	400.0	389.5	415.0	412.3
23. अरुणाचल प्रदेश	0.7	0.3	न	0.4	0.5	0.5
24. गोवा	2.0	1.4	3.0	1.5	3.0	1.2
25. मिजोरम	2.0	1.8	2.4	2.0	2.4	2.3
26. अण्डमान	न	न	न	न	न	न
27. चण्डीगढ़	न	न	न	न	न	न
28. दिल्ली	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4
29. दमन और द्वीव	न	न	न	न	न	न
30. लक्षद्वीप	न	न	न	न	न	न
31. पांडिचेरी	1.6	1.2	1.6	1.9	1.9	1.9
32. दादर और नागर हवेली	न	न	न	न	न	न
कुल योग :	1264.1	1103.1	1340.9	1160.0	1374.4	1229.0

*योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य।

न=नगण्य।

अनाज की "अन्नपूर्णा किस्म"

5617. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ब्यूरो आफ जेनेटिक प्लांट रिसर्च रिजनल स्टेशन, शिमला ने हाल ही में अधिक उत्पादन देने वाली और सूखा प्रतिरोधी अनाज की किस्म का विकास किया है जिसका नाम अन्नपूर्णा है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अनाज का प्रयोग किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी हां, शिमला में स्थित राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा चोलाई के दाने की अन्नपूर्णा किस्म विकसित की है जो सूखा प्रतिरोधी है तथा जिसकी 20-25 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज देने की क्षमता है। 1986 में इसके रिलीज करने की सिफारिश की गई।

(ख) अन्नपूर्णा बीज का संवर्धन किया गया और इसे किसानों तथा अन्य अभिकरणों को उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में आगे और संवर्धन तथा कृषि के लिए सप्लाई किए गए हैं।

खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत

5618. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति कितनी खपत है;

(ख) खाद्य तेल की आवश्यकता के बारे में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत तिलहनों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) क्या देश में खाद्य तेलों की कमी है और और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) तेल वर्ष 1985-86 से 1986-87 के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत लगभग 6.6 कि० ग्रा० वार्षिक है।

(ख) सरकार द्वारा तिलहनों/तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए/किए जाने वाले विभिन्न उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन परियोजना के कार्यान्वयन के अलावा, विशेष तिलहन उत्पादन संवर्धन कार्यक्रम (आयलसीड्स प्रोडक्शन थ्रस्ट प्रोग्राम) शुरू करना, जिसके अन्तर्गत तिलहन उगाने वाले किसानों को बीजों, पौध संरक्षण और प्रौद्योगिकी विस्तार के सम्बन्ध में सहायता देने हेतु राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना।

(3) तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनो, चावल की भूसी, आदि का उपयोग करना।

(6) प्रधानमन्त्री के आदेशानुसार तिलहन उत्पादन के बारे में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करना।

(ग) जी हां।

(घ) देशीय खाद्य तेलों की मांग तथा उनकी आपूर्ति के बीच अन्तर है। कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) गत दो वर्षों के दौरान तिलहनों का कम उत्पादन होना; और

(2) मानसून का अनिश्चित होना।

राज्यों में खाद्य तेलों के समान मूल्य

5619. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न इण्डिया आयल इण्डस्ट्री ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को खाद्य तेलों के समान मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) हाल ही में ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास

5620. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें प्रारम्भ की गई हैं अथवा करने का विचार है और इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय

सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	रिलीज की गई राशि
1.	बीबी-का-मकबरा, औरंगाबाद की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	2.56
2.	ऐलीफेंटा, अजन्ता और एलोरा में टॉयलेट और पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था	3.00
3.	गणपतिफुले में समुद्रतट कुटीरें	5.00
4.	वलनेश्वर में समुद्रतट बिहार-स्थल	10.00
5.	शेगांव में यात्रा निवास	10.00
6.	अजन्ता फुटहिल्स का विकास	2.00
7.	खोपोली में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	15.00
	जोड़ :	47.56

मंत्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रस्तावों के गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

विदेशों में भारतीय श्रमिक

5621. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्रीमती बसव राजेश्वरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग में कमी आई थी;

(ग) खाड़ी के देशों सहित विदेशों में कुल कितने भारतीय श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा निकट भविष्य में उनकी संख्या में कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(घ) क्या भारतीय श्रमिकों को उनकी भर्ती के समय निर्धारित वेतन प्राप्त हो रहे हैं;

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सेवा शर्तों और उनके कल्याण को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है;

(च) क्या भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) वर्ष 1988 में सरकार की स्वीकृति हेतु कुल कितने भारतीय श्रमिक प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। भारतीय जनशक्ति निर्यात में वर्ष 1986 की तुलना में वर्ष 1987 में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) लगभग नौ लाख भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे हैं जिनमें खाड़ी क्षेत्र शामिल है। वर्ष 1988 के दौरान विदेशी नियोजक में कुछ वृद्धि होने की आशा है।

(घ) से (च) पर्याप्त सेवा दशाओं और कल्याण के अतिरिक्त, कर्मकारों को सामान्यत: भर्ती के समय तय की गई मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तथापि, दुर्व्यवहार/कदाचार और मजदूरी की कम अदायगी आदि से सम्बन्धित कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर मामले को सम्बन्धित देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेशी नियोजकों के साथ उठाया जाता है।

(छ) आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक सूचना दी गई हो, प्राप्त होने पर उत्प्रवास अनुमति दी जाती है।

पर्यटन को निर्यात उद्योग के समकक्ष मानना

5622. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग के एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें सरकारी, गैर-सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी शामिल थे, ने प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया है और उसमें प्रोत्साहन और सहायता प्राप्त करने के लिए पर्यटन उद्योग की अन्य निर्यात उद्योगों के समान मानने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मांगें की गई हैं और क्या सरकार उनके प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। प्रशान्त एशिया यात्रा संघ (इण्डिया चैप्टर) की कार्यकारिणी समिति ने, जिसमें सरकार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी शामिल हैं, पिछले महीने प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) इस ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यटन उद्योग को अन्य निर्यात उद्योगों के समान रखने, वित्तीय राहतें प्रदान करने, देश में पर्यटन आधार संरचना सुविधाओं में वृद्धि और सुधार करने के प्रस्ताव शामिल हैं। ऐसे प्रस्तावों पर विचार करना पर्यटन मन्त्रालय की एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय करना सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों की सहमति पर निर्भर करेगा।

बंगलौर में बागवानी फसलें

5623. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में परती भूमि का बागवानी फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसाकि भारतीय बागवानी अनुसन्धान संस्थान ने सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इससे देश में अधिक फसलें उगाई जा सकेंगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बंगलौर और उसके आस-पास की कुछ परती भूमि का उपयोग बागवानी फसलें उगाने के लिए किया जा सकता है।

(ख) से (घ) कृषि मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला सहकारी बैंक

5624. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है, जिनमें जिला सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं पाया है;

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1987-88 के दौरान राज्यवार कितनी सहायता दी है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को किसानों को ऋण देने के मामलों में कुप्रबन्ध और प्राथमिक सहकारी समितियों में कुप्रशासन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दी जाने वाली सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तन्त्र की स्थापना की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

संगठित औद्योगिक क्षेत्र में तालाबन्दी, हड़ताल और बन्द रहने के कारण कार्य दिवसों की हानि

5625. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, संगठित औद्योगिक क्षेत्र में तालाबन्दी, हड़ताल, बन्द और जबरी छुट्टी के कारण कितने कार्य दिवसों की हानि हुई;

(ख) इन वर्षों के दौरान श्रम समस्याओं के कारण कितने औद्योगिक एकक प्रतिवर्ष 90 से अधिक कार्य दिवसों के लिए बन्द रहे;

(ग) क्या सरकार का औद्योगिक विवादों को निपटाने और उत्पादन सम्बन्धी हानि को न्यूनतम करने के लिए संस्थागत तन्त्र की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) श्रम ब्यूरो से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, हड़तालों, तालाबन्दियों तथा जबरी छुट्टियों के कारण वर्ष 1985, 1986 और 1987 में क्रमशः 298.6 लाख 360.9 लाख तथा 310.8 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई।

(ख) हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण 90 दिन से अधिक प्रभावित रहने वाले औद्योगिक एककों की संख्या वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 में क्रमशः 259, 279 तथा 293 थी।

(ग) और (घ) औद्योगिक सम्बन्धों तथा विवाद निपटान पद्धति के पुनर्गठन के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कई संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है अन्यों के साथ-साथ प्रस्तावित संशोधनों में उच्च शक्ति प्राप्त अधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों की कमी

5626. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों की कमी के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास की तीन योजनाओं के अन्तर्गत, जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, प्रतिवर्ष वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितनी धनराशि निवेश की गयी; और

(ग) इन पर पूंजी निवेश करने वाली एजेन्सियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एजेन्सी द्वारा की गई पूंजी निवेश का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार द्वारा रायल्टी की दरों में संशोधन के लिए अनुरोध

5627. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में खनन किए जा रहे कोयले तथा अन्य खनिज अयस्कों पर दी जाने वाली रायल्टी पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) पिछली बार रायल्टी किस तारीख को निर्धारित की गई थी; और

(ग) रायल्टी की राशि पर पुनर्विचार किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) खनिजों पर रायल्टी में संशोधन हेतु भारत सरकार ने 1984 में दो अध्ययन दल गठित किए थे —एक खान विभाग द्वारा सभी खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई रेत को छोड़कर) के लिए और दूसरा कोयला विभाग द्वारा कोयले के लिए। बिहार सरकार ने कोयला सहित विभिन्न खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन के बारे में अपने सुझाव भेजे थे।

(ख) और (ग) कोयला, लिग्नाइट तथा भराई रेत को छोड़कर, अन्य खनिजों की संशोधित रायल्टी दरें 5 मई, 1987 को अधिसूचित की गई थीं; कोयला और भराई रेत की रायल्टी दरें पिछली बार 12 फरवरी, 1981 को अधिसूचित की गई थी तथा कोयला रायल्टी दरों में संशोधन सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

5628. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चावल मिलों का अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या चावल मिलों का अनिवार्य रूप से आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक राज्यवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सांविधिक व्यवस्था की गई है। नियम के संगत भाग से उद्धरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-5856/88**] नियमों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें दी गई सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

विवरण

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	चावल मिलों की कुल संख्या	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	19730	11728
2.	असम	3287	1016

1 2	3	4
3. बिहार	4872	51
4. गुजरात	3394	1052
5. हरियाणा	1887	1090
6. हिमाचल प्रदेश	1181	313
7. जम्मू और कश्मीर	सूचना प्राप्त नहीं हुई	—
8. कर्नाटक	10855	1370
9. केरल	14796	1303
10. मणिपुर	169	1
11. महाराष्ट्र	4623	890
12. मध्य प्रदेश	3674	94
13. मेघालय	93	—
14. नागालैंड	सूचना प्राप्त नहीं हुई	—
15. उड़ीसा	743	289
16. पंजाब	5940	1789
17. राजस्थान	441	86
18. सिक्किम	— कोई चावल मिल नहीं	—
19. तमिलनाडु	20847	2728
20. त्रिपुरा	703	1
21. उत्तर प्रदेश	5485	2216
22. पश्चिम बंगाल	9462	250
23. चण्डीगढ़	29	27
24. दिल्ली	33	26
25. पांडिचेरी	220	30
26. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	— कोई चावल मिल नहीं	—
27. अरूणाचल प्रदेश	— कोई चावल मिल नहीं	—
28. दादरा और नगर हवेली	32	23
29. लक्षद्वीप	— कोई चावल मिल नहीं	—
30. गोवा	685	17
31. मिजोरम	— कोई चावल मिल नहीं	—
जोड़ :	1,13,181	26,390

[हिन्दी]

मुर्गी और मत्स्य पालन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

5629. **श्री राज कुमार राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में मुर्गी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया गया है, यदि हां, तो इसका किस तरह उपयोग किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान उपर्युक्त उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुर्गी और मात्स्यिकी विकास के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में निर्मुक्त की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	1985-86	1986-87	1987-88
मुर्गीपालन	—	5.00	1.50
मात्स्यकी	0.611	82.00	43.64

(ख) केन्द्रीय शेयर का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है :—

(1) ग्रामीण गरीब लोगों के लाभ के लिए बेकयार्ड मुर्गी उत्पादन एककों की स्थापना करने तथा पिछड़े/आदिवासी और अन्य दूरदराज के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के मुर्गीपालन निगमों/संघों और इसी प्रकार के अन्य संगठनों को अण्डों तथा मुर्गी का सुगमता से विपणन करने तथा आहार की पूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने;

(2) मछली तालाब विकास सम्बन्धी विकास कार्यकलापों और राजसहायता के रूप में पहले वर्ष आदानों, मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण तथा स्टाफ के बढ़े हुए वेतन आदि की लागत के लिए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए 105.30 लाख रुपए का अस्थायी आवंटन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान

5630. **श्री राज कुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितने किसानों को उनकी फसल के लिए मुआवजे का भुगतान किया जायेगा जो राज्य में पड़े सूखे के कारण नष्ट हो गयी थीं;

(ख) राज्य में किसानों को मुआवजे की कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा; और

(ग) किसानों को मुआवजे की धनराशि का कब तक भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ग) उत्तर प्रदेश में वृहत फसल बीमा योजना के तहत् खरीफ मौसम, 1987 में 4.58 लाख किसान कवर किए गए थे। ऐसे किसानों, जिनकी बीमित फसल सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है, की संख्या और ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति के दावों की देय धनराशि के बारे में ब्यौरे को भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी है।

उत्तर प्रदेश को पेयजल पूर्ति योजनाओं के लिए सहायता

5631. **श्री राज कुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण पेयजल पूर्ति योजनाओं के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने गांवों को इन योजनाओं में शामिल किया जाएगा; और

(ग) शेष ग्रामों को कब तक इन योजनाओं में शामिल किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाती है। 1987-88 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 37.50 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

आगरा, सुल्तानपुर और उन्नाव जिलों के मिनी-मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए पेयजल सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक को 10 लाख रुपए की राशि दी गई है।

सूखा राहत सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति का सामना करने के लिए रु० 8.70 करोड़ के व्यय की अधिकतम सीमा अनुमोदित की गई थी जो रिग तथा भू-भौतिकीय उपकरण खरीदने के लिए अनुमोदित रु० 53 लाख के अलावा है।

(ख) 1987-88 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 9700 समस्याग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल सुविधाओं के अन्तर्गत कवर करने का लक्ष्य है।

(ग) आशा है कि सातवीं योजना के अन्त तक (मार्च, 1990) सभी बाकी बचे समस्याग्रस्त गांवों में शुद्ध पेयजल सप्लाई की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

[अनुवाद]

ट्रेवल एजेंटों के विरुद्ध मामले

5632. **श्री तम्पन थामस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान विदेशों में कार्य करने के लिए मजदूरों की भर्ती सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने के लिए ट्रेवल एजेंटों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उत्प्रवासी महा संरक्षक द्वारा कितने मामले उठाए गए; और

(ख) इस प्रकार की एजेन्सियों द्वारा मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 1987 के दौरान मान्यताप्राप्त भर्ती एजेन्सियों के विरुद्ध 31 मामले दर्ज किए गए थे जिसके आधार पर 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इसी प्रकार गैर-मान्यताप्राप्त भर्ती एजेन्सियों के विरुद्ध 268 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें 252 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और 5 दोषी पाये गए थे। पुलिस कार्रवाई के अलावा शिकायतों के सत्यापन के पश्चात् 6 दोषी भर्ती एजेन्सियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किए गए हैं और एक का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

बिजली की सप्लाई में कटौती के कारण कर्नाटक में श्रम घण्टों की हानि

5633. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1986-87 में और 1987-88 में अब तक बिजली की सप्लाई में कटौती किए जाने के कारण कितने श्रम घण्टों की हानि हुई; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) बिजली की कमी की वजह से जबरी छुट्टियों के कारण हुई श्रम दिवस हानि से सम्बन्धित सूचना कैलेन्डर वर्ष वार रखी जाती है। श्रम ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान कर्नाटक में बिजली की कमी से जबरी छुट्टियों के कारण हुई श्रम दिवस हानि क्रमशः 310,854 तथा 229,751 थी।

(ख) कर्नाटक को बिजली का हिस्सा रामागुण्डम एस० टी० पी० एस० के केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों, मद्रास अणुशक्ति और नवेली दूसरी खान से कटौती करके मिलता है। इसके अलावा, इसे पड़ोसी राज्यों की पद्धतियों से यथासम्भव सहायता भी दी जाती है। सातवीं योजना अवधि के दौरान, कर्नाटक में 593.25 मेगावाट को चालू करने का कार्यक्रम है।

गुजरात समुद्रतट के साथ-साथ नारियल के पेड़ लगाना

5634. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात समुद्रतट के साथ-साथ नारियल के पेड़ लगाने के लिए कोई प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का देश में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात में समुद्रतट के साथ-साथ नारियल के पेड़ लगाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने गुजरात में खम्बात की लवणीय परती भूमि में नारियल के बागान उगाने की व्यवहार्यता के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए 1986 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा 1987 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में यह भूमि केवल कुछ हद तक ही उपयुक्त है और इस पर गहन रूप से नारियल की खेती करने में खतरा है। तथापि, इस समिति ने नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के उत्पादन के बारे में अध्ययन करने के लिए दस हैक्टार में बागान लगाने की एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने की सिफारिश की है। नारियल विकास बोर्ड ने राज्य सरकार से इस उद्देश्य के लिए दस हैक्टेयर भूमि हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया है।

"इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडी" के भवन को होटल में बदला जाना

5635. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में "इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी" के वर्तमान भवन का अधिग्रहण करके उसे पांच सितारा/चार सितारा होटल में बदलने के प्रस्ताव की अद्यतन प्रगति क्या है;

(ख) इस भवन का अधिग्रहण किस तारीख तक किए जाने की सम्भावना है और श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को नई संस्थापना में कब तक खपाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान कर्मचारियों को अन्य नौकरी दिलाए जाने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सातवीं योजना में शिमला में "इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज" के भवन को एक पांच तारा/चार तारा होटल के रूप में स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

असम में तीर्थस्थल केन्द्रों को सहायता

5636. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम राज्य के किन-किन तीर्थ स्थलों को सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) असम राज्य के पर्यटन केन्द्रों और तीर्थस्थानों के विकास के लिए आठवीं योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को राज्य में किसी तीर्थ केन्द्र की सहायता देने हेतु असम सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) पर्यटन और तीर्थ केन्द्रों का विकास करने के लिए आठवीं योजना के आवंटनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

असम में निम्न आय वर्ग के लिए मकान

5637. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लोगों/कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कितने मकान बनाये गए हैं; और

(ख) क्या असम के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मकान बनाए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों का आवंटन एवं निर्माण सहायता की योजना तथा इन्दिरा आवास योजना असम के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इसी प्रकार असम के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग की आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण किया जाता है। 1985-86, 86-87 और 87-88 के दौरान असम में उपर्युक्त योजनाओं के सम्बन्ध में वर्षवार उपलब्धि इस प्रकार है :—

		1985-86	1986-87	1987-88 (13-12-87 तक)
(क)	आवास स्थलों का आवंटन (परिवार)	9551	10000	5476
(ख)	निर्माण सहायता का प्रावधान (परिवार)	9552	10000	5476
(ग)	इन्दिरा आवास योजना (रिहायशी एकक)	सूचित नहीं किया गया	सूचित नहीं किया गया	215
(घ)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (रिहायशी एकक)	2589	2285	1757
(ङ)	निम्न आय वर्ग आवास (रिहायशी एकक)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	74

असम को वनस्पति का कोटा

5638. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान असम को वनस्पति का कितना कोटा आबंटित किया गया;

(ख) क्या आबंटित मात्रा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सरकार राज्यों को वनस्पति का कोई आबंटन नहीं करती। तथापि, असम में वनस्पति की कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

वस्तुओं को उचित मूल्यों पर बेचने के लिए कदम उठाना

5639. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारी अपना सामान उचित मूल्यों पर बेचें, कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात्, गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, कण्ट्रोल का कपड़ा, मिट्टी का तेल और सॉफ्ट कोक उचित मूल्यों पर उपलब्ध करा रही है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारी अपनी वस्तुएं उचित मूल्यों पर बेचें, सरकार ने जो उपाय किए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अपने प्रवर्तन तन्त्र को चुस्त करें और जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों, सट्टेबाजों आदि के खिलाफ अभियान चलायें ताकि उन्हें माल को समटने तथा जमा करने से रोका जा सके।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य, जिला, उप प्रभागीय तथा उचित दर की दुकान के स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, उपभोक्ता संस्थाओं, उद्योग, व्यापार, स्वैच्छिक संस्थाओं, आदि के प्रतिनिधियों की सलाहकार समितियां गठित करें, जोकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर निगरानी रखें और उन्हें मानीटर करें।

(iii) जिला-समाहर्त्ताओं से कहा गया है कि वे (क) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके मूल्यों की सतत आधार पर समीक्षा करें;

(ख) उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार तथा उद्योग से निरन्तर बातचीत करें; और

(ग) चुनी आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, दालों, मांस, चाय, काफी, चीनी की उपलभ्यता और मूल्यों की ध्यानपूर्वक समीक्षा करें।

(iv) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, और उनकी उपलभ्यता को निरन्तर मानीटर करने के लिए नागरिक पूर्ति विभाग में एक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसे नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने की सलाह दी गई है।

मत्स्यन बन्दरगाह

5640. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्माणाधीन मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : अनुसूची के अनुसार छोटे मत्स्यन बन्दरगाह के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय तटवर्ती इन्जीनियरिंग और मात्स्यकी संस्थान निर्माण की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को तकनीकी मामलों पर सलाह देती है।

बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों के सही समय पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी बड़े पत्तन न्यासों की है।

मत्स्यन बन्दरगाहों को कार्यान्वयन की प्रगति पर क्षेत्रीय दौरों, रिपोर्टों और चर्चाओं के जरिए नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता

5641. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों में छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है।

(ख) 1987-88 के दौरान केन्द्रीय भागीदारी के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है। यह योजना राज्य सरकारों से समान अंशदान की व्यवस्था करती है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई निधियां धनराशियों के उपयोग तथा बराबरी के अनुदान पर आधारित हैं, जिसका प्रावधान योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किया जाता है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा द्वारा दिए गए प्रस्ताव

5642. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केवल एक परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है, जो पुरी जिले में नहरों और नदियों के पुश्तों पर दया पश्चिमी ब्रांच नहर के दायें किनारे आदि पर सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित है। राज्य से मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरे अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य के लिए, वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए एक सीमा होती है, इसे लम्बित/अधूरी परियोजनाओं की लागत को वर्ष हेतु किए गए राज्य आबंटन के 200 प्रतिशत से कम करने के बाद निर्धारित किया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल लागत जितनी उस वर्ष में की गई रिलीजों से अधिक होती है, उसे लम्बित/अधूरी परियोजनाओं की लागत माना जाता है। 1987-88 हेतु उड़ीसा के लिए अधिकतम सीमा 37.52 करोड़ रुपये थी। इसके मुकाबले, भारत सरकार ने वर्ष के दौरान 52 85 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अनुमोदित की। वर्ष 1987-88 के दौरान जितना भी किया जा सकता था उससे यह काफी अधिक है। तदनुसार, वर्ष के दौरान इससे अधिक कुछ भी अनुमोदित नहीं किया जा सकता था।

उड़ीसा में ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

5643. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) इस आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को 1986-87 में 37.10 लाख रुपए तथा 1987-88 में 23.00 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के लिए 1988-89 हेतु 71.40 लाख रुपए का अनन्तिम आबंटन किया गया है ।

(घ) 1986-87 हेतु किए गए आबंटन तथा 1987-88 में रिलीज की गई धनराशि की तुलना में 1988-89 के लिए अनन्तिम आबंटन में पर्याप्य रूप से वृद्धि की गई है।

कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

5644. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से उनके राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का देश में सभी कृषि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने का विचार है;

(ग) इससे कितने राज्य सहमत हैं और कितने राज्यों ने निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) भारत सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) पहले ही सभी राज्य सरकारों को अपने सम्बन्धित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) के संशोधित वेतनमानों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो चुकी है, बशर्ते कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना की शर्तों को स्वीकार करें । तद्नुसार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने सभी राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को इसकी सूचना दे दी है ।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेलम इस्पात सन्यन्त्र

5645. **श्रीमती वसव राजेश्वरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सेलम इस्पात सन्यन्त्र के दूसरे सेन्जीमीर मिल को अन्ततः मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस मिल पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ग) इस सन्यन्त्र की क्षमता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 69.37 करोड़ रुपए (वर्ष 1987 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर);

(ग) पहली सेण्डजिमीर मिल की 32,000 टन क्षमता सहित बेदाग इस्पात की वार्षिक क्षमता 70,000 टन है।

पंजाब में खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी के तेल का आबंटन

5646. **श्री कमल चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पिछले एक वर्ष से खाद्य तेल, चीनी, मिट्टी के तेल की भारी कमी के कारण इन वस्तुओं की मांग पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन वस्तुओं का मद-वार और माह-वार कितनी अतिरिक्त मात्रा में आबंटन किया गया और उस राज्य द्वारा उन्हें प्राप्त किया गया;

(ग) क्या उस राज्य को उक्त तथा अन्य वस्तुओं के उचित वितरण के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आबंटन का निर्णय केन्द्रीय सरकार के पास स्टॉक की उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में इनकी उपलभ्यता, आदि को ध्यान में रखकर समय-समय पर किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इससे राज्य की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

अन्य राज्यों की तरह पंजाब को मिट्टी के तेल का आबंटन, गत वर्ष की उसी अवधि के लिए किए गए आबंटन पर 7 से 7½% अधिक की दर से किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूखे, बाढ़, एल० पी० जी० की कमी आदि जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, जब कमी उनसे अनुरोध प्राप्त होता है, उपयुक्त मात्रा तदर्थ आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का मासिक कोटा 1-10-1986 की लक्षित आबादी के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के समान प्रतिमान के आधार पर आबंटित किया जाता है, और उनसे प्राप्त मांग अथवा अनुरोध के आधार पर आबंटित नहीं किया जाता है।

सभी राज्यों, जिसमें पंजाब भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अन्य सुझावों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि प्रवर्तन उपायों में तेजी लाई जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित दर की दुकानें उचित रूप से कार्य करें और आवश्यक वस्तुएं उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे हैं।

पिछले एक वर्ष में पंजाब के बारे में आयातित खाद्य तेलों, लेवी चीनी, मिट्टी के तेल के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा की माहवार स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

	आयातित खाद्य तेल		मिट्टी का तेल		लेवी चीनी
	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन
मार्च, 87	1050	1481	20865	23369	7945
अप्रैल, 87	1050	270	20865	20674	7945
मई, 87	1050	166	20865	20297	7945
जून, 87	1250	948	20865	20419	7945
जुलाई, 87	1150	1388	22890	23094	7945
अगस्त, 87	2000	910	22890	22856	7945
सितम्बर, 87	2000	1188	22890	22918	9141*
अक्तूबर, 87	2400	1087	22890	22886	9141*
नवम्बर, 87	2400	2767	22940	22949	7945
दिसम्बर, 87	2400	1046	22940	22913	7945
जनवरी, 88	2300	1240	22940	22915	7945
फरवरी, 88	2000	769	22940	उपलब्ध नहीं	7945

*इसमें 1196 मी० टन का त्यौहार कोटा शामिल है।

धान की खेती के विकास के लिए कार्य-योजना

5647. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने धान की खेती के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन राज्यों को शामिल किया है;

(ग) क्या इस योजना में केरल राज्य को शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों के दौरान धान सहित अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक कार्य-योजना बनाई गई है।

(ख) चावल के विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए 13 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का चयन किया गया है।

(ग) जी, हां। केरल को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) राज्यों का चयन उनकी उत्पादन क्षमता और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी दो वर्षों के दौरान अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जा सकने वाले अंशदान के आधार पर किया गया है। केरल के मामले में पिछले पांच वर्षों से धान के उत्पादन में कमी आ रही है और यह 1982-83 के 13.06 लाख मीटरी टन से कम होकर 1986-87 में 11.34 लाख मीटरी टन हो गया है। 1986-87 के दौरान देश के कुल चावल उत्पादन में इस राज्य का अंशदान मुश्किल से 1.8 प्रतिशत था। इस राज्य में आगामी 2 वर्षों के दौरान चावल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसे उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया गया है। वैसे, केरल में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के सामान्य कार्यक्रम जारी रखे जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं की परियोजना

5648. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख कुओं की एक योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत 20 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ उपलब्ध की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 लाख कुओं के निर्माण की एक योजना तैयार की गई है। इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस योजना पर आबंटनों के 30 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

(ख) योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [प्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5857/88]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा टोकन प्रणाली पुनः शुरू किया जाना

5649. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बिक्री केन्द्रों से दूध की बिक्री की टोकन प्रणाली किस वर्ष में समाप्त की गई थी; और

(ख) क्या सरकार का दूध के वितरण में गड़बड़ी को देखते हुए दूध की बिक्री की टोकन प्रणाली पुनः शुरू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) टोकन प्रणाली 1978 में समाप्त कर दी गई थी, तथापि यह प्रणाली 1983 में कुछ इलाकों में फिर से शुरू की गई थी, परन्तु 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया था। चूंकि वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक रूप से चल रही है इसलिए फिर से टोकन प्रणाली को चालू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि मेला

5650. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले वार्षिक कृषि मेले की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद केवल कृषि संस्थानों से ही किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को आमन्त्रित करता है अथवा ग्राम पंचायतों को अपने प्रतिनिधियों को मेले का दौरा करने के लिए आमन्त्रण भेजा जाता है; और

(ग) मेले पर अनुमानतः कितना व्यय किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत कार्य करने वाला भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान वार्षिक तौर पर कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करता है। इसका आयोजन कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को विशेषतौर पर किसानों एवं कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं में लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है। कृषि से सम्बन्धित भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष एक केन्द्रीय विषय (फोकलथीम) का चयन कर लिया जाता है और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस खास पहलू पर ध्यान देने की जरूरत होती है—उसके महत्व को बतलाया जाता है। इस वर्ष के कृषि विज्ञान मेला का केन्द्रीय विषय (फोकल थीम) "अधिक उत्पादन के लिए कम लागत वाली कृषि प्रौद्योगिकी" था।

(ख) यह संस्थान न केवल किसानों और कृषि संस्थानों के कृषि कर्मियों को बुलाता है, बल्कि देश के जिला कृषि अधिकारियों के द्वारा गांवों में कार्य करने वाले कृषि कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों को भी बुलाता है। टेलीविजन, रेडियो तथा समाचार पत्रों जैसे मास मिडिया द्वारा इस मेले का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है ताकि काफी संख्या में कृषि से सम्बन्धित लोग इसमें भाग ले सकें।

(ग) 1987-88 में मेले पर किया गया खर्च करीब 39,000 रु० था।

दिल्ली में खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी

5651. **श्री पी० एम० सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने व्यापारियों द्वारा जमा की गई आवश्यक खाद्य वस्तुओं का पता लगाने हेतु छापे मारने के लिए एक पृथक विंग खोला है;

(ख) यदि हां, तो इस विंग के विस्तृत कार्य क्या हैं और गत छः महीनों के दौरान इसके द्वारा कितने मामलों की जांच हुई;

(ग) कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) बरामद की गई और जब्त की गई खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य आयुक्त के नियन्त्रण में कार्य कर रही प्रवर्तन शाखा और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का जमाखोरी विरोधी/मुनाफाखोरी विरोधी सैल वे एजेन्सियां हैं, जो आवश्यक वस्तुओं के लाइसेंसधारियों, जमाखोरों तथा ब्लैकबाजारियों की जांच करने/उन पर छापे मारने के लिए जिम्मेदार हैं। सितम्बर, 1987 से फरवरी, 1988 तक गत छः महीनों के दौरान, इन एजेन्सियों द्वारा 1,711 जांच की गई/छापे मारे गए। इन जांचों/छापों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) विभागीय कार्यवाही, जिसके तहत 611 मामलों में जमानत की राशि जब्त की गई।

(2) कड़ी विभागीय कार्यवाही, जिसके तहत 40 मामलों में लाइसेंस के निलम्बन/रद्द करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई।

(3) 55 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गईं।

(घ) निम्नलिखित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए :—

मदें	मात्रा
नारियल का तेल (15 कि० ग्रा०)	439 टीन
खाद्य तेल (आयातित खुले टीन)	7560 टीन
रेपसीड तेल (2 कि० ग्रा० पैक)	78 पैक
रेपसीड तेल (15 कि० ग्रा०)	46 टीन
आर० बी० डी० ताड़ का तेल (15 कि० ग्रा०)	05 टीन
दालें	316 बोरियां
खाद्य तेल	1500 कि० ग्रा०

अण्डमान और निकोबार में निर्माण कार्य

5652. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह में निर्माण कार्यों की निगरानी और पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए दो शीर्ष निकायों, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूहों प्रत्येक के लिए एक-एक, शीर्ष निकाय का गठन किया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिनांक 2 फरवरी, 1988 के संकल्प संख्या 28012/124/85-निर्माण-3 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5858/88]**

सोवियत संघ को मकानों के निर्माण में सहायता

5653. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने अपने देश में मकानों के निर्माण में भारतीय विशेषज्ञों की सहायता लेने हेतु सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सोवियत संघ में तीन होटलों के निर्माण के ठेके भारतीय फर्मों को दिए गए हैं।

पामोलीन विरंजित (ब्लीच्ड) तेल में कोलिस्ट्राल की प्रतिशतता

5654. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री पामोलीन विरंजित (ब्लीच्ड) तेल में कोलिस्ट्राल की प्रतिशतता के बारे में 17 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिष्कृत विरंजित, और गन्धरहित पामोलीन में गौण तत्वों के अलावा अन्य कौन से प्रमुख तत्व हैं;

(ख) पामोलीन तेल के डिब्बों में इन तत्वों के नाम मुद्रित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पामोलीन का नियमित प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस परिष्कृत, विरंजित और गन्धरहित पामोलीन तेल के तत्वों के सम्बन्ध में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की क्या राय है और उपभोक्ताओं को इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) परिष्कृत, विरंजित एवं निर्गंधीकृत पामोलीन में अन्य प्रमुख तत्व पामिटिक तथा ओलिक व लीनोलीक अम्लों के ग्लिसराइड हैं।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उपबन्ध के अनुसार खाद्य उत्पादों में संघटकों के रसायनिक तत्व लेबिल पर नहीं देने होते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पामोलीन एक खाद्य तेल है और इसका उपयोग करते समय उपभोक्ताओं द्वारा कोई एहतियात बरतने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में पामोलीन का वितरण

5655. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सितम्बर, 1987 और मार्च, 1988 के बीच उचित दर की दुकानों से प्रतिमास पामोलीन के 2 किलो के कुल कितने टिन वितरित किए गए;

(ख) क्या सप्लाई किए गए इन टिनों पर गुजरात में कांडला में इन्हें डिब्बा बन्द करने वालों के नाम अंकित थे;

(ग) क्या ये टिन "हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन, द्वारा पैक किए गए टिनों की तुलना में घटिया किस्म के पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो किस्म में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली में उचित दर की सभी दुकानों द्वारा भुगतान किए जाने के 20 से 25 दिन के पश्चात उन्हें पामोलीन की सप्लाई प्राप्त हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का सप्लाई की वर्तमान प्रणाली और सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे कि पामोलीन कम समय में सप्लाई किया जाए ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली प्रशासन ने उचित दर की दुकानों को सितम्बर, 1987 से 25 मार्च, 1988 के दौरान पामोलीन (2 किलोग्राम के छोटे पैक) की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति की :

सितम्बर, 1987	—	143000 टीन
अक्तूबर, 1987	—	86000 टीन
नवम्बर, 1987	—	93000 टीन
दिसम्बर, 1987	—	156000 टीन
जनवरी, 1988	—	72172 टीन
फरवरी, 1988	—	57800 टीन
मार्च 1988 (25-3-1988 तक)	—	20000 टीन

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार यह सही नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

लोहा और इस्पात की आयात-प्रक्रिया को सरल बनाना

5656. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोहा और इस्पात की आयात-प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान प्रक्रिया के अन्तर्गत क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) वाणिज्यिक मंत्रालय की वर्ष 1988-91 की नई आयात नीति की घोषणा में आवश्यक सीमा तक

प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई होगी तो उसकी जानकारी नई नीति/प्रक्रिया की समुचित आजमाइश के बाद ही मिलेगी।

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

5657. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की सहायता से तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में वर्षवार और राज्यवार कितना व्यय किया गया, उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में तिलहनों का लक्ष्यों से कम उत्पादन हुआ और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सत्तरह तिलहन उत्पादक राज्य, तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्यों को 1984-85 के दौरान शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। 1985-86 से आगे राज्यों को 50:50 के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना, 14 तिलहन उत्पादक राज्यों के अभिवृद्धि क्षेत्रों में 1987-88 के दौरान शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की गई है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व्यय, उत्पादन लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अधिकतर राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान लगातार सूखा पड़ने के कारण तिलहनों का लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो सका है।

विवरण

राज्य	व्यय (लाख रुपए में)			उत्पादन के लक्ष्य (लाख मीटरी टन में)			उपलब्धि (लाख मीटरी टन में)		
	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	373.27	229.2765	464.073	19.25	19.50	18.00	14.4	14.6	राज्यों से
2. असम	7.15	29.3080	66.279	1.60	1.70	1.60	1.5	1.6	1987-88
3. बिहार	29.98	36.0565	54.431	1.25	1.45	1.50	1.3	1.3	के फसल
4. गुजरात	436.96	180.9000	377.447	27.50	30.00	18.00	8.8	16.7	अनुमानों के
5. हरियाणा	27.15	133.0370	58.8	1.70	1.90	3.00	2.8	2.3	अभी प्राप्त
6. हिमाचल प्रदेश	4.42	3.9600	3.55	×	×	×	×	×	होने का समय
7. जम्मू और कश्मीर	1.52	2.5150	2.015	0.55	0.60	0.75	×	×	नहीं हुआ है ।
8. कर्नाटक	171.68	117.9300	362.015	11.25	12.00	15.50	9.9	14.1	
9. मध्य प्रदेश	274.32	92.6760	324.496	13.75	15.50	16.00	14.2	12.3	
10. महाराष्ट्र	489.29	159.3500	282.915	15.00	15'75	16.50	9.8	8.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. उड़ीसा	132.00	61.700	108.597	7.00	7.50	9.00	8.5	7.9	
12. पंजाब	9.57	26.8800	107.42	1.20	1.40	3.00	2.0	1.7	
13. राजस्थान	80.55	51.8260	244.964	9.60	9.85	12.50	9.1	8.8	
14. सिक्किम	1.82	3.6800	3.184	×	×	×	×	×	
15. तमिलनाडु	444.00	150.6400	302.295	12.50	13.00	13.50	12.3	11.4	
16. उत्तर प्रदेश	142.36	94.8650	299.539	13.50	14.15	13.00	10.1	9.6	
17. पश्चिम बंगाल	24.08	29.6500	46.449	1.95	2.10	3.00	2.3	2.6	
×अन्य	—	—	—	0.40	0.60	0.90	1.3	1.3	
अखिल भारत :	2698.12	1404.3500	2868.467	138.00	147.00	145.00	108.3	114.5	

×अन्यों में शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमाकृत फसल

5658. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किन-किन फसलों का बीमा किया गया है;

(ख) क्या फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मूंगफली का बीमा करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि राज्य में यह द्वितीय मुख्य फसल के रूप में उभर कर आयी है; और

(ग) यदि हां, तो मूंगफली को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वृहत फसल योजना सहित गेहूं, धान, कदन्न मक्का सहित दालें तथा मूंगफली सहित तिलहनों को कवर करती है। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार ने अब तक इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ धान की फसल शामिल की है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत मूंगफली को शामिल करने के लिए स्वतन्त्र है, बशर्ते कि उनके द्वारा अपेक्षित उपज के आंकड़े दिए जा सकें।

उर्वरक संयंत्रों के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाना

5659. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ उर्वरक संयंत्रों में नई प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नई प्रौद्योगिकी को अपनाना उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो उन उर्वरक संयंत्रों के नाम क्या हैं, जहां नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) इस समय उर्वरक संयंत्रों के लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मौजूदा संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में ऊर्जा बचत और उन्नत कार्य क्षमता पर लक्षित रेट्रोफिट द्वारा प्रौद्योगिकी को उन्नत करना शामिल है और नई प्रौद्योगिकी द्वारा मौजूदा प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए सस्ता पर्यटन पैकेज

5660 **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने मध्यम वर्ग के पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सस्ता पर्यटन पैकेज योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई पर्यटन पैकेज योजना कहां तक लोकप्रिय हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने (स्वदेशी) पर्यटन का संवर्धन करने और असमृद्ध पर्यटकों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए सस्ती एक-मुश्त यात्राएं शुरू की हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) किफायती स्थानीय दृश्यावलोकन यात्रा : गाइड और प्रवेश-शुल्क सहित पूरे दिन के लिए 20/- रुपए।

(2) आगरा और फतेहपुर सीकरी की एक-दिवसीय यात्रा : गाइड और प्रवेश-शुल्क सहित प्रति व्यक्ति 125/- रुपए।

(3) संग्रहालय तथा अप्पू घर यात्रा : 25/- रुपए में, बच्चों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए।

(4) पिकनिक यात्रा : स्कूल के विद्यार्थियों के लिए।

(5) दिल्ली की सायंकालीन यात्रा : बिरला मन्दिर, इण्डियागेट, अप्पू घर, लाल किले में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन दिखाया जाता है।

(6) अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर और दिसम्बर के महीनों में श्रीनगर-गुलमर्ग, बदरीनाथ-केदारनाथ, बदरीनाथ, शिमला-कुल्लु-मनाली, नैनीताल, बम्बई-गोआ, दक्षिण भारत, काठमांडु की "अवकाश यात्रा रियायत" यात्राएं उचित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली पर्यटन विकास निगम की एक-मुश्त यात्राओं की लोकप्रियता उत्साह-वर्धक रही है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) स्थानीय दृश्यावलोकन यात्रा (किफायती) : यह यात्रा सितम्बर, 1987 में शुरू की गई थी और अभी तक 5,752 पर्यटकों ने इस यात्रा का लाभ उठाया है।

(2) आगरा-फतेहपुर सीकरी की एक दिवसीय यात्रा : यह एक नियमित यात्रा है और 1-4-1987 से 6,281 पर्यटकों ने इसका लाभ उठाया है।

(3) दिल्ली की सायंकालीन यात्रा : 1-4-1987 से 1,909 पर्यटकों ने इस यात्रा का लाभ उठाया है।

(4) संग्रहालय तथा अप्पू घर यात्रा। 1-4-1987 से 405 पर्यटकों ने इस यात्रा का लाभ उठाया है।

(5) हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा : 1-4-1987 से 420 पर्यटकों ने इसके तहत यात्रा की है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य

5661. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा वर्ष 1987-88 में एल्यूमिनियम के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा वास्तव में एल्यूमिनियम का कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने वर्ष 1989-90 में एल्यूमिनियम का और अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) के कोरबा (मध्य प्रदेश) स्थित एल्यूमिनियम काम्पलेक्स में विक्रेय एल्यूमिनियम उत्पादन के लक्ष्य और लब्धियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	स्थापित क्षमता	लक्ष्य	लब्धि
1987-88	1,00,000 टन	97,000 टन	(i) 82,629 टन (फरवरी, 1988 तक) (ii) 91,100 टन (31 मार्च, 1988 तक संभव)

बाल्को की विधानबाग (पश्चिम बंगाल) स्थित गढ़ाई यूनिट में वर्ष 1987-88 के दौरान विक्रेय एल्यूमिनियम उत्पादों के लक्ष्य और लब्धियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	1978 में अधिग्रहण के समय आकलित क्षमता	लक्ष्य	लब्धि
1987-88	6400 टन	3000 टन	(i) 1497 टन (फरवरी, 1988 तक) (ii) 1610 टन (31 मार्च, 1988 तक संभव)

विधानबाग स्थित रुग्ण यूनिट (पुरानी और जर्जर मशीनरी युक्त) जून, 1984 में राष्ट्रीयकृत करके बाल्को में निहित की गई है।

(ग) और (घ) वर्ष-1988-89 में बाल्को के कोरबा काम्प्लेक्स से विक्रेय एल्यूमिनियम का उत्पादन लक्ष्य 95,000 टन रखा गया है।

वर्ष 1988-89 में बाल्को की विद्यानबाग यूनिट में विक्रेय एल्यूमिनियम का उत्पादन लक्ष्य 2,000 टन रखा गया है ।

वर्ष 1989-90 के लिए बाल्को का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

नमक मजदूरों का शोषण

5662. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नमक का उत्पादन करने वाली इकाइयों के मजदूरों का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सूचना जो एकत्र की जा रही है यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा ऊर्जा बचत के लिए किए गए उपाय

5663. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने ऊर्जा की बचत के लिए कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को ईंधन की बचत करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपायों और उनमें मिली सफलता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने यूनीडो की सहायता से ईंधन तेल की बचत के लिए कोरबा (मध्य प्रदेश) स्थित एल्यूमिनियम कम्पलेक्स के दो रोटरी एल्यूमिना कैल्साइनरों में से एक का परिवर्त्तन शुरू किया है । परिवर्त्तन कार्य जून, 1988 में पूरा होने की आशा है, जिससे ईंधन तेल की खपत में लगभग 21% की बचत होगी और फलतः करीब 1.4 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी । इसके अलावा, प्रगालन कार्यों में विद्युत ऊर्जा की बचत के प्रयास में 1988-89 में संयंत्र स्तरीय परीक्षण करने का विचार है, ताकि ऊर्जा खपत में कटौती हेतु लिथियम कार्बोनेट के उपयोग की दक्षता और अर्थवत्ता का अध्ययन किया जा सके तथा प्रोसेस पैरामीटरों की पुष्टि की जा सके ।

कम्पनी ने 1987-88 में ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाया था, जिसके फलस्वरूप कोरबा संयंत्र की फाउन्ड्री शाप में ईंधन तेल की खपत में 19% बचत हुई थी । इस प्रसंग में वार्षिक बचत 50 लाख रुपए होने का अनुमान है ।

हिमाचल प्रदेश में रिवालसर में एक पर्यटक आवास का निर्माण

5664. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में रिवालसर नामक स्थान पर एक पर्यटक आवास सम्बन्धी निर्माण परियोजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत और अन्य ब्योरे क्या हैं; निर्माण कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है और यह कार्य कब तक समाप्त होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना को अन्तिम रूप, स्वीकृति कब तक दी जाएगी और निर्माण कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रिवालसर में एक पर्यटक सराय का निर्माण करने के लिए 12.05 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना में शामिल हैं—आठ डोरमीटरी, छः स्वीट्स, एक रसोईघर, एक भोजनकक्ष और एक क्लॉक रूम। निर्माण कार्य 16 जून, 1987 को आरम्भ हुआ और इसके मार्च, 1989 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना की वित्तीय स्थिति

5665. **श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के लाभ तथा हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : पिछले तीन वर्षों के प्रचालन के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० को निम्नलिखित हानि हुई है :—

वर्ष	हानि (करोड़ रुपए)
1984-85	22.27
1985-86	21.03
1986-87	14.92

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण सम्बन्धी भारत-जर्मन वार्ता

5666. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन संयुक्त समिति की नई दिल्ली में 14 मार्च, 1988 को हुई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी बैठक में राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जर्मन सरकार ने कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम जर्मनी की सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अभी तक कोई वित्तीय सहायता की पेशकश नहीं की है ।

पशु-पालन हेतु डेनमार्क की सहायता

5667. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी के सदस्य, जो 1985 में उड़ीसा आए थे, राज्य सरकार को कोरापुट जिले के लिए पशु-पालन विकास योजना पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना के प्रस्ताव के बुनियादी विकासात्मक उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) अधिक दुग्ध उत्पादन और भार ढोने की क्षमता वाले पशुओं और भैंसों की समान किस्मों का क्रमिक विकास ।

(2) आनन्द की रूपरेखा के अनुसार एक सहकारी दुग्ध विपणन तन्त्र तैयार करना ।

(3) परियोजना वाले क्षेत्र में आमतौर पर पशु पालने वाले किसानों की तथा खासतौर पर ग्रामीण लोगों में अपेक्षाकृत गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना ।

(ग) जी, हां ।

(घ) परियोजना का प्रस्ताव और सर्वेक्षण की रिपोर्ट डेनिडा मिशन को पहले ही भेजे जा चुके हैं । आशा है कि डेनिडा के प्राधिकारी बाद में पुनरीक्षा मिशन चलायेंगे जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ परामर्श करते हुए भारत सरकार और डेनिडा मिशन मिलकर इस परियोजना प्रस्ताव को अन्तिम रूप देंगे ।

उड़ीसा में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम

5668. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जमा हुआ वीर्य द्रव वीर्य की तुलना में अधिक लाभदायक है;

(ख) उड़ीसा में जमे हुए वीर्य बैंक किन-किन स्थानों पर है तथा किन-किन पशुओं का गर्भाधान किया जाता है अथवा किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जमे हुए वीर्य बैंक कटक, कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिर, फूलबानी और सम्बलपुर में स्थित है । गोपशु तथा भैंसें दोनों गर्भाधान किए जा रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1987-88 के दौरान राज्य सरकार को 7.15 लाख रुपए और 9.67 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है ।

दिल्ली में "अपना फ्लैट योजना"

5669. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "अपना फ्लैट योजना" जैसी कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितनी सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी नयी सामूहिक आवास समितियों का पंजीकरण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आवास-योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

5670. **श्री टी० बशीर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान, अब तक वर्षवार, केरल में विभिन्न आवास-योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) क्या इस आवंटित धनराशि से निर्माण किए जाने वाले मकानों की संख्या के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त किए गए लक्ष्यों का वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है और सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

सातवीं योजना नियतन और सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए असम में आवास के लिए किए गए नियतन इस प्रकार हैं :—

(रुपए लाखों में)

सातवीं योजना	1985-86	1986-87	1987-88
6500	1000	800	889

(ख) और (ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजनाओं नामतः ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन योजनाओं के लिए लक्ष्य वर्ष-वार आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और सातवीं योजना के गत तीन वर्षों के लिए विवरण इस प्रकार हैं : —

	1985-86		1986-87		1987-88	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(क) आवास स्थलों का आवंटन (परिवार)	8000	11039	6000	7892	5000	4013*
(ख) निर्माण सहायता का प्रावधान (परिवार)	8000	3237	3000	3656	15000	6606*

*29-2-88 तक

विदेशी पर्यटकों की केरल यात्रा

5671. श्री टी० बशीर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने केरल की यात्रा की; और

(ख) अधिक विदेशी पर्यटकों द्वारा केरल राज्य की यात्रा किए जाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 और 1987 के दौरान केरल के कुछेक केन्द्रों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :—

केन्द्र	1986	1987
कोवलम	44,626	39,529
कोचीन	34,488	26,813
त्रिवेन्द्रम	6,215	12,287
थेक्कड़ी	10,238	10,213

राज्य सरकार ने अन्य केन्द्रों में आंकड़ों को एकत्र करना अभी आरम्भ नहीं किया है।

(ख) केरल की ओर विदेशी पर्यटकों के प्रवाह में वृद्धि लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं—इस राज्य में पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का व्यापक प्रचार और पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना।

केरल में राहत कार्य

5572. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सूखे से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है जहां पर राहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ख) सिंचाई, पेयजल, कृषि, खाद्यान्नों आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि 1987 में सूखे से 14 जिले प्रभावित हुए थे। राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में सूखे की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में राहत कार्यक्रमों के स्वरूप और मात्रा के बारे में निर्णय करती है।

(ख) विभिन्न मदों के सम्बन्ध में 15 जनवरी, 1988 को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

मद	व्यय
1. रोजगार सृजन कार्य (सिंचाई कार्यों सहित)	3.16
2. पेयजल	12.25
3. विशेष पोषण कार्यक्रम	1.50
4. गोपशु संरक्षण	0.73
5. अनुग्रह राहत	1.05
6. कृषि आदान राजसहायता	3.90

काली मिर्च की उत्पादकता के लिए प्रस्तावित बृहद योजना

5673. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक बृहद योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादों का आयात

5674. **डा० जी० विजय राम: राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा भेंट अथवा वाणिज्यिक आधार पर आयातित दुग्ध उत्पादों को राज्य सरकारों को सप्लाई किया जाता है, जैसाकि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित मदर डेरियों को सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भेंट अथवा वाणिज्यिक आधार पर कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को वर्षवार और राज्य-वार कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादों की सप्लाई की गई; और

(घ) इस उत्पाद का कितना मूल्य वसूल किया गया तथा राज्यों को इन उत्पादों की किस प्रयोजन के लिए सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

5675. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था और उसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए ब्रिटेन से सहायता

5676. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन सरकार, शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है;

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(घ) इस सहायता के अन्तर्गत कौनसी योजनाओं को शुरू करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में पाराद्वीप में अमोनिया और यूरिया परियोजनाओं की स्थापना

5677. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग से उड़ीसा में पाराद्वीप में 900 टी० पी० डी० अमोनिया और 1500 टी० पी० डी० यूरिया की एक परियोजना स्थापित करने हेतु एक औद्योगिक एकक को आशय पत्र जारी करने की सिफारिश की थी । यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चा माल और तैयार माल के समुद्र मार्ग से परिवहन की सुविधा है जिसके कारण रेल परिवहन पर भार कम होगा;

(ग) क्या विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) से (घ) मैसर्स सेंचूरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० को उड़ीसा राज्य में पाराद्वीप में 900 मी० टन प्रति दिन अमोनिया संयंत्र तथा 1500 मी० टन प्रति दिन यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने के बारे में एक आवेदनपत्र उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा 12-5-86 को उर्वरक विभाग को प्रेषित किया गया था । उड़ीसा सरकार ने भी उर्वरक विभाग से उक्त कम्पनी को आशयपत्र जारी करने की सिफारिश की है ।

अनुमान है कि परियोजना की लागत 600 करोड़ रुपए के लगभग होगी । परियोजना में फीडस्टाक (नैफथा) का परिवहन समुद्री रास्ते से तथा विशाखापत्तनम और कलकत्ता को यूरिया का प्रेषण भी तटीय नौवहन से करने की परिकल्पना की गयी है ।

आठवीं योजना के दौरान नयी परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार ने नयी नाइट्रोजनयुक्त परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान, संख्या (संख्याओं) तथा आकार (आकारों) तथा

उनके फीडस्टाक को इंगित करने के लिए जून, 1986 में एक अध्ययन दल का गठन किया। अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार ने मामले पर अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

समान कार्य के लिए समान वेतन

5978. **श्री कमला प्रसाद सिंह :**
श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के उपबन्धों और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य अथवा एक ही प्रकार के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक देने के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान पारिश्रमिक देने का सिद्धान्त समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 4 में शामिल है जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई नियोजक किसी स्थापन या नियोजन में अपने द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को पारिश्रमिक, चाहे वह नकद या वस्तु रूप में संदेह हो, उस दर से कम दर पर नहीं देगा जिस दर पर उसके द्वारा उस कर्मकार से भिन्न लिंग के कर्मकार को उस स्थापन या नियोजन में एक ही काम या समान प्रकृति के काम के लिए दिया जाता है।

काली मिर्च का उत्पादन

5679. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में काली मिर्च का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) पिछले वर्ष कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या काली मिर्च के उत्पादन में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1986-87 में काली मिर्च का उत्पादन 32,900 मीटरी टन था।

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार काली मिर्च की निर्यात की गई मात्रा 36,879 मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) काली मिर्च की उत्पादकता 1984-85 में 167 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 1986-87 में 240 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो गई है।

उड़ीसा के फूलबनी जिले में काली मिर्च की खेती

5680. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबनी जिले की जलवायु काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र में काली मिर्च उगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में काली मिर्च की खेती की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 1978-79 के दौरान 2.5 हैक्टेयर में काली मिर्च संतति उद्यान स्थापित करने की योजना मंजूर की है।

(ग) उड़ीसा के फूलबनी जिले में काली मिर्च की खेती के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

11.55½ म० पू०

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। पंजाब के हालात बहुत ही गम्भीर हैं। (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। पिछले एक सप्ताह के दौरान पंजाब में हुआ जनसंहार एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार के पास प्रमाण है कि पाकिस्तान का इस मामले में प्रत्यक्ष हाथ है। सरकार पाकिस्तान से शिकायत क्यों नहीं जता रही ? हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इस पर सरकार की कार्रवाई चाहते हैं। (व्यवधान)

महोदय, विपक्ष ने जिस तरह से उनसठवें संशोधन विधेयक का विरोध कर आचरण किया है और गलत जानकारी फैलाई है, इससे उन्होंने आतंकवादियों का उत्साहवर्धन किया है। पंजाब में आतंक सीधे·····का परिणाम है···(व्यवधान)···देश भर में विपक्षी दलों द्वारा गलत जानकारी फैलाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : विपक्ष इसका जिम्मेदार है। वे प्रोत्साहन दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त। शान्त।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के हालात अत्यन्त गम्भीर

हैं। विदेशी हथियार आ रहे लगते हैं और आतंकवादियों ने वास्तव में अनुच्छेद 21 की धज्जी उड़ा दी है, कहने का अर्थ है कि वहां पर जीवन की सुरक्षा और आजादी नहीं है। अतः हमें नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आज उपस्थिति शायद कम है आप इस चर्चा को किसी अन्य दिन के लिए निर्धारित कर दें। (व्यवधान)

इस विषय पर सभा में एकता है। हमें सभा को इस विषय पर बांटना नहीं चाहिए। हम सभी इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी बोलने दीजिए। आप मुझे भी कुछ कहने दीजिए।

अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पंजाब की स्थिति पर इस सभा में यथाशीघ्र ही चर्चा करवाने को इच्छुक है। हम समय और तिथि पर सहमत हो जाएं तो हम पंजाब पर चर्चा कर सकते हैं। पंजाब में हो रही घटनाओं पर चर्चा की आवश्यकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में अच्छा यह है कि आप सब मिल कर एक काम करो। ऐसा न करो कि पंजाब को भूल ही जाओ। यह तो मत करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हम सभा को बांटना नहीं चाहते । हमें खुशी है कि चर्चा होगी ।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : उन्हें कुछ तो अक्ल की बात करनी चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए जान सबको प्यारी होती है । आपने गारन्टी करी है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया इस सदस्य के बोलने पर कुछ तो अंकुश लगाए । (व्यवधान)

अब हम कह रहे हैं कि समूची सभा एकमत है, तो एक सदस्य महोदय धृष्टतापूर्वक कह रहे हैं कि सदस्यों को अक्ल की बात करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : आपने उनसठवें संशोधन का विरोध क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप लोकतन्त्र के विरुद्ध हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम इस पर चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

11.58 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नेशनल फैडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली और नेशनल फैडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली, आदि के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ लेबर कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5839/88]

(2) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5840/88]

(3) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5841/88]

(4) (एक) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5842/88]

(5) (एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5843/88]

(6) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फैडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-5844/88]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1988, जो 11 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 252(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5845/88]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : श्री डूमर लाल बैठा की ओर से मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987, जो 29 सितम्बर, 1987 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 50(131)/86-एफ एण्ड एस/सी ए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-5846/88]

— ———

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आज समाचार है कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने बताया है कि श्रीलंका पर एक गुप्त समझौता करने के लिए श्री प्रभाकरण को लाखों रुपए दिए गए थे। यह एक गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दें। मैं पता करा लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उनको इस पर वक्तव्य देने दो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि कोई गुप्त समझौता हुआ है, तो यह एक गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लगाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप उनको इस पर वक्तव्य देने के लिए निर्देश देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना बहुत समय से लम्बित चली आ रही है। उद्योग मन्त्रालय पहले ही बता चुका है कि उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। परन्तु इसे मंजूरी नहीं दी गई है। वित्त मन्त्री को इस परियोजना को जितना भी हो सके, शीघ्र मंजूरी देनी चाहिए क्योंकि यह मेरे राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महासचिव।

12.00 मध्याह्न

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1988 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 मार्च, 1988 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, श्रीलंका के मामले पर चर्चा करनी होगी.....

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, पाकिस्तान में अनुसूचित जाति की हिन्दू औरतों का बलपूर्वक और सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है। यह मानवाधिकारों का हनन है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है। इसलिए, मैंने नोटिस दिया है। कृपया इसे मंजूरी दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में सूचना के लिए पूछूंगा।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। उस दिन यहां पर पंजाब के माननीय सदस्यों ने जो खाद का सैंपल हाउस में दिया था, उसके बारे में हमने इन्क्वारी की है और सारी इन्क्वारी की रिपोर्ट आपकी इजाजत से सदन में रख देंगे। इसमें दो मैन्यूफैक्चरर्स, सोसायटी और 14 लोगों के खिलाफ बाकायदा केस रजिस्टर किया गया है, गिरफ्तारी की गई है और सख्त एक्शन लिया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह ऐसे सभा में खड़े होकर कैसे वक्तव्य दे सकता है। नियमों के अन्तर्गत पहले नोटिस देना होता है और तब वक्तव्य दिया जाता है.....**(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : नियमों के अन्तर्गत, वक्तव्य देने के लिए नोटिस देना होता है...**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : पहले उसे नियम पढ़ने के लिए कहें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करना कि मुझे लिखकर दे देना, उसके बाद आप यहां पर कर देना।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने एक हफ्ते के लिए कहा था जानकारी देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है कहा था, आप मुझे लिखकर दे दीजिए, जिससे कि वह अण्डर रूल्स आ जाएगा और उसी हिसाब से आप यहां पर कर देना।

[अनुवाद]

हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

श्री तम्पन थामस : श्रीलंका के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देख लिया है, मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूं। मैंने आपको भी बताया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे उच्चायुक्त ने एक वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि उन्होंने वक्तव्य दिया है या नहीं। मुझे पता लगाना है। उन्होंने यह कहा है या नहीं, मुझे इसकी पुष्टि करनी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कोलम्बो में हमारे उच्चायुक्त···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी यही कहना है। हो सकता है उन्होंने यह कहा हो, हो सकता है न कहा हो। मुझे तथ्य प्राप्त करने हैं और तब आपकी बात पर आऊंगा।

श्री तरुण गोगोई : कहा गया है कि अरबों डालर·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, जो भी हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : शान्ति समझौता के लिए भी हम अदायगी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दुनिया में बगैर कीमत के कोई चीज मिलती है क्या, जान भी देनी पड़ती है।

प्रो० मधु दण्डवते : जान भी दी और पैसा भी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या पता दिया या नहीं दिया,

[अनुवाद]

यह अलग चीज है जिसका पता लगाना है।

---

12 03 म० प०

ऐजल में 29 और 30 मार्च, 1988 को हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मिजोरम की राजधानी ऐजल में 29 और 30 मार्च को ऐसी दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं जिनमें असम राइफल्स की 22वीं बटालियन के जवान और स्थानीय नागरिक उलझ गए और परिणामस्वरूप दस व्यक्ति मारे गये। ये घटनाएं, असम राइफल्स के एक जवान द्वारा शराब के नशे में ऐजल के पुलिस अधीक्षक के साथ किए गये दुर्व्यवहार के कारण घटित हुई। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। स्थिति सामान्य बनाने में राज्य सरकार की मदद के लिए अर्ध-सैनिक बलों की कुमक भेजी गई है। राज्य सरकार द्वारा इन घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सैन्य प्राधिकारियों ने भी घटनाओं की न्यायालय द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं। असम राइफल्स के उक्त जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं, माननीय सदस्यों को घटनाक्रम से अवगत कराना चाहूंगा।

ऐजल में 29 और 30 मार्च, 1988 को हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

29 मार्च, 1988 की सायं लगभग 7 बजे ऐजल के पुलिस अधीक्षक ने, जो अपने वाहन में जा रहे थे, ऐजल में स्थित असम राइफल्स के बटालियन मुख्यालय के सामने असम राइफल्स के एक जवान को नशे की हालात में पाया। पुलिस अधीक्षक के अंगरक्षक और असम राइफल्स के जवान के बीच झगड़ा हुआ। इसी बीच, निकट बटालियन मुख्यालय से असम राइफल्स के और जवान आ गए और उसके बाद हुई हाथापाई में पुलिस अधीक्षक के साथ मारपीट की गई जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस अधीक्षक का अंगरक्षक, जो गम्भीर रूप से घायल हो गया था, उसे भी अस्पताल ले जाया गया जहां शरीर पर लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना के तुरन्त बाद स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तथा वहां पहुंच कर असम राइफल्स के कैम्प क्षेत्र को घेर लिया। भीड़ ने भारी पथराव किया और चारदिवारी के एक हिस्से तथा यूनिट के मन्दिर को नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने जूनियर कमीशन्ड ऑफिसरों के क्लब और मन्दिर को आग लगाने का प्रयास भी किया। रिपोर्ट के अनुसार, सन्तरियों से हथियार छीनने और कैम्प क्षेत्र में घुसने के प्रयास किए गए थे। रात के लगभग 10 बजे, असम राइफल्स के जवानों ने गोलियां चलाईं। उन्होंने देर रात में पुन: फायरिंग की। फायरिंग में, 34 नागरिक घायल हुए, जिनमें से 13 गम्भीर रूप से घायल हुए और 21 को प्राथमिक उपचार के बाद जाने दिया गया। इसके बाद उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। तथापि, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए भीड़ फिर जमा हो गई और उसने 30 मार्च, 1988 को सुबह कैम्प क्षेत्र पर फिर से हमला करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप असम राइफल्स के जवानों को फिर से फायरिंग का सहारा लेना पड़ा जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये और 14 घायल हुए। इन घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या अब दस हो गई है। इनमें मिजोरम सशस्त्र पुलिस के 3 जवान भी शामिल हैं। असम राइफल्स के दो जवानों को भी सिर में गम्भीर चोटें आई हैं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ऐजल में करफ्यू लगा दिया गया। अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त कुमक भेजी गई है और उसकी सेवाएं मिजोरम सरकार को सौंप दी गई हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक 30 मार्च को दोपहर के आसपास ऐजल पहुंचे। उन्होंने असम राइफल्स के परिसर का दौरा किया तथा टुकड़ियों को यूनिट लाइन्स में ही रहने और बाहर न आने का आदेश दिया। असम राइफल्स के जिस जवान ने 29 तारीख को दुर्व्यवहार किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असम राइफल्स के महानिदेशक ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। वे मिजोरम के मुख्य मन्त्री से भी मिलने गए और उन्हें की गई कार्रवाई का विवरण दिया जिसमें न्यायालय की जांच भी शामिल है। उन्होंने मुख्य मन्त्री को आश्वासन दिया कि आजकल ऐजल में तैनात असम राइफल्स की 22वीं बटालियन को बदल दिया जाएगा। उन्होंने स्थिति के समाधान हेतु उपाय करने के लिए असैनिक पदाधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। तीसरी कोर के कोर कमांडर भी 31 मार्च, 1988 को ऐजल पहुंचे। वे मुख्य मन्त्री से मिलने गए और उन्हें आश्वासन दिया कि 22वीं असम राइफल्स के स्थान पर चरणबद्ध-रूप से कोई और बटालियन तैनात कर दी जाएगी। 31 मार्च को स्थिति में सुधार आया जब स्कूल और दुकानें खुल गई, वाहन चलने लगे तथा सरकारी कार्यालयों में काम-काज सामान्य ढंग से होने लगा।

हम मिजोरम सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और स्थिति पर निकट-निगरानी रख रहे हैं। एहतियाती कार्रवाई के रूप में रात का करफ्यू जारी है और 30 मार्च के बाद किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। मिजोरम सरकार ने इन घटनाओं में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को 50,000 रु० और प्रत्येक घायल को 20,000 रु० का अनुग्रह-अनुदान देने की घोषणा की है।

मैं उन बदनसीबों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं जो इन घटनाओं में मारे गए व घायल हुए हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और सेना उन परिस्थितियों का पता लगाएगी, जिनकी वजह से ये घटनाएं हुई और परिणामस्वरूप लोग मारे गए हैं तथा इन घटनाओं की जिम्मेवारी निश्चित करेगी, लेकिन समय की मांग यह है कि राज्य सरकार और असम राइफल्स के पदाधिकारियों को स्थिति का समाधान करने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए राज्य सरकार और असम राइफल्स के पदाधिकारी आपस में निकट समन्वय रखते हुए कार्य कर रहे हैं और स्थिति में पर्याप्त और निरन्तर सुधार आया है।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, इस वक्तव्य पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री एच० के० एल० भगत।

12.08 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, हम नहीं सुन पाए कि उन्होंने क्या कहा, महोदय, क्या आप सुन पाए हैं ? (व्यवधान) उनके होट हिलने से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्या कहा होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 30 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, शुक्रवार 15 तारीख को छुट्टी है तथा सभा की बैठक नहीं है तथा उस दिन के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का बैलट हो चुका है। मेरा संकल्प भी बैलट में आया है इसलिए, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं मेरा अनुरोध है कि इन्हें अगले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों वाले दिन के लिए आगे ले जाया जाये। इस शर्त के अधीन यह पारित हो जाए। मैंने इस आशय का एक पत्र भी लिखा है।

श्री तम्पम थामस (मवेलिकरा) : महोदय, प्रश्नों का भी बैलट किया गया था—तथा मेरा प्रश्न भी बैलट में आया है।

श्री शरद दिघे : गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प अगले शुक्रवार के लिए आगे ले जाये जाएं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर हाउस एग्री करे तभी हो सकता है। भगत जी, ये पूछ रहे हैं कि 15 तारीख को छुट्टी कर रहे हैं तो प्राइवेट मैम्बर्स रेजोल्यूशन का क्या होगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : मेरा संकल्प बैलट में आ चुका है। इसे अगले शुक्रवार के लिए आगे ले जाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत, आपका क्या विचार है ?

श्री एच० के० एल० भगत : यदि सभा यही चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इससे सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 मार्च, 1988 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नागपुर में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करना

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : नागपुर शहर में चार टेलीफोन एक्सचेंज हैं अर्थात मुख्य, इतवारी, हिंगना और काम्पटी जिसकी 20100 लाइनों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता है।

12.10½ म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके विपरीत यहां 15,000 की प्रतीक्षा सूची है। इससे बकाया तथा नागपुर में और एक्सचेंज शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। विद्यमान एक्सचेंज भी काफी पुराने इलैक्ट्रो-मैकेनिकल किस्म के हैं। यह समझा जाता है कि 10,000 लाइन का इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने का

प्रस्ताव है जो काफी समय से लम्बित पड़ा है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस एक्सचेंज को तुरन्त चालू किया जाए । इसके अलावा सखरधारा, वी० आर० सी० ई०, हिंगना और कांप्टी में नए एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है । नए एक्सचेंज स्थापित करने में विलम्ब के कारण पुराने उपकरण लगे रहते हैं जिससे जनता को प्रदान की जाने वाली सर्विस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 15,000 की यह प्रतीक्षा सूची भी नागपुर में वास्तविक टेलीफोन मांग को स्पष्ट नहीं करती है क्योंकि लोग पैसा ब्लाक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि निकट भविष्य में नए कनेक्शन दिए जाने की कोई संभावना नहीं है ।

उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार नागपुर में 10,000 लाइनों वाले इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज को चालू करने के प्रस्ताव को तुरन्त कार्यान्वित करे । सखरधारा, वी० आई० सी० ई०, हिंगना और काम्पटी में नए एक्सचेंज खोलने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(दो) श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में एक स्मारक बनाना और 25 मार्च को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित करना

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन, इसकी एकता, अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने व उसको मजबूत बनाने में देश के इतिहास में कानपुर महानगर का स्थान अत्यन्त गौरवमयी रहा है । देश के जिन महान सपूतों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उसमें से अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का स्थान बहुत अग्रणी है । वे अदम्य साहस वाले व्यक्ति थे तथा उनको अपने सिद्धान्त एवम् आदर्श प्राणों से भी अधिक प्रिय थे । एक निडर पत्रकार के रूप में उन्होंने सदैव स्वतन्त्रता की ज्योति को प्रज्जवलित किए रखा तथा जन मानस को सदैव उसके दायित्व का बोध कराने का अनवरत प्रयास करते रहे । देश के महान सपूत भगत सिंह को 23 मार्च, 1931 को फांसी दिए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़कने पर विदेशी शासकों द्वारा इस भड़की हुई हिंसा को साम्प्रदायिकता का मोड़ देने के कुत्सित षडयन्त्र को विफल करने और साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने के लिए विद्यार्थी जी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिखलाया और उसी के प्रयास में उन्होंने 25 मार्च, 1931 को अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर दिया । उनके बलिदान से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि उनका बलिदान हमें भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन अत्यन्त खेद है कि अभी तक इस वीर सपूत की स्मृति में उनके बलिदान स्थल पर एक स्मारक तक का निर्माण नहीं किया गया है ।

अतः सरकार से अनुरोध है कि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान स्थल पर उनका एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए तथा 25 मार्च को साम्प्रदायिक सौहार्द एवम् राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया जाए और यदि संभव हो तो 25 मार्च को अवकाश घोषित करके लोगों को साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के आदेशों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए ।

(तीन) गोआ को फैरी नौकाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : गोआ में, 5 जुलाई, 1986 को मांडोवी नदी पर मांडोवी,

पुल के ढह जाने के बाद गोवा में नदी नौवहन विभाग यात्रियों व वाहनों को लाने ले जाने के लिए अतिरिक्त नौका सेवा चला रहा है। नदी नौवहन विभाग हर समय औसतन 10 नौकाएं तथा 3 मोटर लांच प्रति दिन चला रही है ताकि 1 लाख यात्रियों और 20,000 वाहनों को मांडोवी नदी के आरपार लाया ले जाया जाये। मांडोवी पुल बह जाने के बाद जब एक सरकारी दल ने गोवा का दौरा किया तब इतने भारी यातायात के लिए परिवहन मंत्रालय ने गोवा सरकार को कम से कम 25 नौकाएं देने का वायदा किया था। मंत्रालय ने 2 मोटर लांचों, की खरीद के लिए 50 लाख रु० की राशि का भी आश्वासन दिया था। परिवहन मन्त्रालय द्वारा गोवा सरकार को दी गई 4 नौकाएं तथा 4 आर० पी० एस० पोत स्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपर्याप्त हैं। आर० पी० के पोतों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह सही चालू हालत में नहीं हैं। नदी नौवहन विभाग ने परिवहन मन्त्रालय से यह भी अनुरोध किया है कि नौका सेवा पर टिकट की बिक्री से विभाग को तीन लाख रु० का मासिक राजस्व प्राप्त होता है उसको उपयोग/पुनः निवेश किया जाए।

इन परिस्थितियों में मेरा यह अनुरोध है कि परिवहन मन्त्रालय नई नौकाएं खरीदने के लिए गोवा सरकार को आवश्यक निधियां प्रदान करें तथा टिकट की बिक्री से प्रतिमाह प्राप्त 3 लाख रु० की राशि का उपयोग/पुनः निवेश करने की अनुमति दे।

(चार) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना

श्री जी० एस० बासवराजू (टुमकुर) : महोदय, विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि० महान राजनेता भारत रत्न, सर एम० विश्वेश्वरैया द्वारा वर्ष 1922 में शुरू किया गया था तथा यह भारत में पहला सरकारी क्षेत्र का इस्पात सन्यन्त्र था।

यह देश में सबसे बड़ा अयस्क और विशेष इस्पात सन्यन्त्र बन गया है तथा बाजार में यह अपनी गुणता के लिए विख्यात है।

फैक्ट्री का स्वामित्व संयुक्त रूप से भारत सरकार मार्फत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और राज्य सरकार क्रमशः 40 : 60 के अनुपात में है। निधियों की कमी के कारण इसके आधुनिकीकरण के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार सन्यन्त्र के आधुनिकीकरण के लिए और निधि को निवेश करने की स्थिति में नहीं है।

इस सन्यन्त्र में दस हजार व्यक्ति कार्यरत हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इसके आधुनिकीकरण तथा अधिग्रहण के लिए कदम उठाए।

(पांच) हैदराबाद और रामगुंडम के बीच के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : महोदय, रामगुंडम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जिसके विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। यहां कोयले के बृहत भण्डार हैं। यहां पर एन० टी० पी० सी०, भारतीय उर्वरक निगम के कार्यालय तथा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। चूंकि रामगुंडम इतना महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है, हैदराबाद तथा रामगुंडम के बीच की सड़क राजमार्ग है जो कि इतने महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

इसलिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि केन्द्र द्वारा इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना चाहिए।

(छः) दिल्ली की रोहिणी आवास योजना में पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : महोदय, 1979 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि० वी० प्रा०) रोहिणी आवासीय योजना दिल्ली में प्लाटों के लिए आवेदनपत्र मांगे थे। शहरी विकास मंत्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस योजना के लिए दि० वि० प्रा० द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या से प्लाटों की संख्या अधिक थी। 1982 के बाद दि० वि० प्रा० ने आवेदकों को प्लाट आवंटित करने शुरू किए। आवंटितियों को प्लाटों पर तीन वर्ष के भीतर मकान बनाने का समय दिया गया था। सैक्टर 3, 7 और 8 में बड़ी संख्या में मकान बन गए हैं परन्तु दि० वि० प्रा० ने पेयजल, सड़क, बिजली तथा सफाई के प्रबन्ध की मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। जिन्होंने 3 वर्ष के भीतर अपने मकानों का निर्माण नहीं किया है उनसे जुर्माना वसूल किया गया है। जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं उन्हें पेयजल उपलब्ध न होने के कारण पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। लोगों ने इन मकानों के निर्माण पर लाखों रुपए व्यय किए हैं तथा मूलभूत सुविधाओं के बिना वहां रहना असम्भव है।

इसलिए शहरी विकास मन्त्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वह दि० वि० प्रा० से उपर्युक्त सभी सैक्टरों में अविलम्ब पेयजल के कनेक्शन देने के लिए कहे। यदि दि० वि० प्रा० पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो सम्बद्ध प्राधिकारियों से कहा जाए कि जब तक पेयजल उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक जुर्माना अथवा आवास कर न लिया जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद निपटाने के लिए एक अधिकरण गठित करना

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं बार-बार संसद के सभा पटल से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार, विशेषतया इनके बलिया और भोजपुर जिलों में होने वाले सीमा सम्बन्धी विवाद की ओर दिलाता रहा हूं।

दोनों राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी निपटारे के विषय में संसद में एक अधिनियम है। इसी अधिनियम के अनुसरण में एक स्वतन्त्र निकाय, नामतः त्रिवेदी आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें सम्बन्धित राज्यों के दावे और प्रति दावों के अन्तिम निपटान के लिए मोटे तौर पर मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त बताए गए थे।

त्रिवेदी अधिनिर्णय के आधार पर सभी विवाद समाप्त हो जाने चाहिए थे परन्तु मुख्य मंत्रियों और दोनों राज्यों के अधिकारियों के कई बार आपस में मिलने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल सका।

निरन्तर अनिश्चितता में गंगा के किनारे-किनारे जो इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है, बिहार के भोजपुर क्षेत्र के किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे अपनी जमीन जो कानूनन उनकी है, की खेती करते हैं—किन्तु कटाई के मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश के किसान जबरदस्ती उनकी फसल की कटाई कर लेते हैं। लगभग प्रति वर्ष इससे तनाव

होता है और हत्याएं होती हैं। पिछले ही सप्ताह अन्धाधुन्ध गोली बारी किए जाने से भोजपुर जिले के नैनीजोर गांव का एक किसान मारा गया। इस घटना के बाद गम्भीर तनाव बन रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप अधिक हिंसा का होना अनिवार्य है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विवाद के सम्बन्ध में अपना अन्तिम अधिनिर्णय देने और अल्पकालिक उपाय के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार के किसान अपनी पकी हुई फसल को आगे और परेशानी और हिंसा के बिना काट सकें, एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें।

(आठ) ओरियन्ट पावर केबल लिमिटेड, कोटा का अधिग्रहण करना

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत कोटा राजस्थान में स्थित ओरियन्ट पावर केबल लि० में कार्यरत श्रमिकों की दुर्दशा की तरफ श्रम मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

375 एकड़ में स्थित ओरियन्ट पावर केबल लि० की स्थापना जापानी सहयोग से 1962 में हुई थी। यह भारत की सात प्रमुख केबल बनाने वाली कम्पनियों में से एक थी। परन्तु इसके मैनेजमैंट ने इसको रुग्ण घोषित करके 1986 से बन्द कर दिया है। इसमें कार्यरत श्रमिक दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं। दो वर्षों से इनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिला है।

केबल नगर नाम की बस्ती भी उजड़ गई है। इस कालोनी में रहने वाले सभी श्रमिकों के नल-बिजली के कनैक्शन तक काट दिए गए हैं।

सभी औद्योगिक तथा श्रमिक नियमों को तोड़ कर यह कम्पनी तथा इसके प्रबन्धक श्रमिकों का पैसा हजम कर गए हैं। कोटा जैसे राजस्थान के उपजाऊ जिले की 375 एकड़ जमीन रौंधकर तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा यह कम्पनी निगलने की कोशिश कर रही है।

केन्द्रीय सरकार इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करके इस कम्पनी को अपने हाथ में लेकर पुनः चालू करे ताकि इस मृत उद्योग को फिर से जीवित किया जा सके तथा यहां के श्रमिकों तथा उनके परिवारों को भूखों मरने से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको वह पढ़ना होगा, जो आपने लिखा है। केवल अनुमोदित पाठ को ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

———

12.24 म०प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेंगे।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में शिक्षा और संस्कृति विभागों से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर विचार किया जा रहा है और कई माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। विस्तार में न जाकर मैं खासतौर से इसके एक पक्ष के बारे में ही कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। वैसे तो पार्लियामेंट सैशन के दौरान सवालों के जरिए प्राइमरी एजूकेशन पर काफी बातें की जा चुकी हैं और उसी का एक पक्ष है सैकेण्डरी एजूकेशन। नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने बजट की बहस के दौरान प्रश्न उठाए थे।

इस देश में सितम्बर 1985 में सैकेण्डरी और हायर-सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या 66290 थी और प्राइमरी स्कूलों की संख्या 5 लाख 28 हजार थी। इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सैकेण्डरी स्कूलों में करीब 169 लाख और मिडिल में पढ़ने वालों की संख्या 281 लाख और प्राइमरी में 864 लाख है। इसमें दो-चार कमोबेश हो सकते हैं, क्योंकि यह फिगर 30-9-85 तक के हैं। इसमें शिक्षकों की संख्या यदि हम जानना चाहें तो सैकेण्डरी में 11 लाख और मिडिल में करीब 10 लाख और प्राइमरी में 15 लाख 10 हजार, यानी करीब 25 लाख शिक्षक प्राइमरी और मिडिल में काम कर रहे हैं। और सारे 11 लाख शिक्षक सैकेण्डरी स्कूलों में काम कर रहे हैं।

हमारे सामने सवाल यह है कि अब तक जो शिक्षा दी जाती रही है, उसमें नई एजूकेशन पालिसी के तहत क्या तरमीम हो रही है, क्या उसको आगे क्वालीटेटिव और क्वान्टिटेटिव बढ़ाने की कोशिश हो रही है? ऐसी मानना है कि 10 बरस की उम्र तक सैकेण्डरी का कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। यह करीब-करीब सभी देशों में इण्टरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया है। यही मान्यता है। हमारे यहां अभी जितने लोग सैकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने के लायक हैं, इस उम्र के हैं। इनमें सब को हम वहां नहीं ला सकते हैं, यहां तक कि हमारा इम्फैसिस तो अभी प्राइमरी में यूनिवर्सलाइजेशन पर है। जो काफी उन्नत देश हैं, जैसे अमरीका है, रूस है, उनके यहां सैकेण्डरी के लेवल तक इन्वाल्वमेंट है, लेकिन हमारे यहां तो अभी प्राइमरी पर ही जोर है। इसलिए सैकेण्डरी में भी काफी स्कूल-गोइंग एज के चिल्ड्रैन अभी स्कूल से बाहर हैं, लेकिन नई एजूकेशन पालिसी में हमारा प्रयास यह है कि उनकी पढ़ाई के स्टैंडर्ड को हम ऊंचा करें, साधनों से हम स्कूलों को अच्छा बनाएं, एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफार्म लाएं, टैक्स्ट-बुक्स ऐसी तैयार की जाएं जिनके आधार पर उनकी शिक्षा में नया दृष्टिकोण बने और उन्हें नई दृष्टि दी जा सके।

जहां तक रिमूवल आफ डिस्पैरिटी का सवाल है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में डिस्पैरिटी की बात यहां अक्सर उठाई जाती है, इस सिलसिले में हम ऐसा सोचते हैं कि सभी स्कूलों में पढ़ाने के साधनों को हम मुहैय्या करें और उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो।

दूसरी बात है वोकेशनलाइजेशन की, जिसमें पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी कुछ काम करना सीखें, जिसमें पढ़कर बाहर निकलने पर वह अपने को काम के लायक पा सकें, ऐसा न महसूस करें कि स्कूल से निकलकर वह पढ़े-लिखे बेकार हो गए। 1990 तक 10 परसेण्ट हाई स्कूलों में वोकेशनल एजूकेशन को लागू करने का इरादा है। वोकेशनल एजूकेशन इस देश में तमिलनाडु में बहुत पहले से चल रही है, उसके लिए ऐसा सोचा गया है कि नेशनल लैवल पर और स्टेट लैवल पर वोकेशनल एजूकेशन की काउंसिल की स्थापना हो और बहुत से कोर्सेज इसके लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि 600 डिफरैंट काम इसमें हो सकते हैं जो वोकेशनल के अन्दर पढ़ते समय आदमी सीख सकता है। ये डिफरैंट फील्ड में होंगे, एग्रीकल्चर, हार्टीकल्चर, कामर्स, क्राफ्ट और कुछ इण्डस्ट्री वगैरह में होंगे।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : गांव के स्कूलों मे बैठने की जगह नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है। आप प्राइमरी स्कूल में पहले बैठने की जगह दीजिए।

श्री एल० पी० शाही : उस दिन आप नहीं थे, जिस दिन बात हुई थी।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब, उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। देहातों में स्कूलों में न पट्टी है और न टाट है।

श्री एल० पी० शाही : दूसरी आइटम है, इम्प्रूवमैंट इन साइन्स एजूकेशन। तीसरा आइटम है इम्प्रूवमेंट इन साइन्स एजूकेशन। इसमें हम सभी स्कूलों को साइन्स किट्स फेज्ड मैनर से देंगे और सबको एक लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे।

चौथा आइटम है क्लास प्रोजेक्ट यानी कि कम्प्यूटर के बारे में जो मिस्टिसिज्म या जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी कराएंगे। इसी को हम क्लास प्रोजेक्ट कहते हैं। हम हाई स्कूलों में 1200 कम्प्यूटर दे चुके हैं और धीरे-धीरे हाई स्कूलों में भी इसे देने जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल्स पर जो ब्रिलयेन्ट लड़के हैं वह केवल एक पेरेन्ट्स के नहीं हैं। हमारे समाज में जो तेज और अच्छे लड़के या लड़कियां पढ़ने वाले हैं वे सारे समाज और देश के धन हैं। हम उनकी पढ़ाई-लिखाई में खासतौर से रुचि ले रहे हैं। एक हमारी नेशनल टैलयन्ट स्कालरशिप योजना है जिसके तहत हम कम्पीटिटिव आधार पर उनकी नियुक्ति कर उनका खर्चा वहन करते हैं। दूसरे हमारे नवोदय विद्यालय हैं। नवोदय विद्यालय में भी कम्पीटिशन के आधार पर एडमिशन होता है और इसमें गरीब से गरीब घर का लड़का भी अगर वह उस स्टेज में होगा, तो उसकी सारी जवाबदेही सरकार की हो जाती है। इन दोनों स्कीमों के द्वारा समूचे देश के लेवल पर हम टैलेंटिड चिल्ड्रेंस का एजूकेशन इस प्रकार करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत न हो और ऐसा न हो कि पैसे की कमी के कारण कोई टैलयन्ट अविकसित ही रह जाए और वह कली खिले ही नहीं और वे केवल कली रूप में ही रह जाए।

इसके अलावा ओवर-आल इम्प्रूवमेंट की भी बात है। इसमें कालेज आफ टीचर एजूकेशन को हर जगह इम्प्रूव किया जा रहा है। हर तरीके से फिजिकल एसेट्स बढ़ाकर और उसकी क्वालिटी को बढ़ाकर इसमें सुधार लाया जा रहा है। टैक्स्ट-बुक्स के बदलने का जहां तक सवाल है, एन० सी० ई०

आर० टी० के जिम्मे यह काम डाला गया है और हम एक योजनाबद्ध तरीके से नई टैक्स्ट-बुक्स बनाने जा रहे हैं और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को परस्यू करेंगे कि वह नई टैक्स-बुक्स को अपनाए।

इसके अलावा जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रन्ट और स्कूल काम्पलेक्स सिस्टम की बात है। वह अभी लागू पूरी तरह नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा ख्याल है कि हायर-सैकेण्डरी के अगल-बगल 5-10 मिडिल स्कूल और 25-50 प्राइमरी स्कूल हैं उन सबका सुपरविजन उस हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रिंसिपल या दूसरे लोगों को दिया जाए। स्कूल काम्पलेक्स सिस्टम की योजना आज से 10-12 साल पहले आई थी। लेकिन वह उस वक्त पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी थी। कहीं-कहीं किसी स्टेट में एक्सपेरिमेंट लेवलसिस पर यह लागू हुआ था। अब हमारा यह विचार है कि धीरे-धीरे इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में या एरिया में लेकर आए।

इसके बाद दूसरा सवाल इगजामिनेशन रिफार्म का आता है। अभी हमारा जो मार्किंग सिस्टम है—जैसे कि किसी को 73 नम्बर मिले हैं, किसी को साढ़े 73 और किसी को 50। इस प्रकार ऐसे नम्बर देकर मन में यह इम्प्रेशन होता है कि ठीक मार्किंग हुई है। ऐसे सिस्टम से आधे नम्बर से कोई फस्ट आ जाता है तो कोई सैकिण्ड आ जाता है। लेकिन वास्तव में इसमें बराबर एक क्वशचन-मार्क लगा रहता है। क्योंकि नम्बर देने वाले परीक्षक कई होते हैं। सबका एक जैसा ध्यान पेपर देखते वक्त नहीं रहता होगा और सब एक दृष्टि से नम्बर नहीं देते होंगे। इसलिए विचार ऐसा हुआ कि इग्जामिनेशन का जितना महत्व हमारे सिस्टम में आ गया है उसको कम किया जाए। हर स्कूलों में जो टर्मिनल इग्जामिनेशन होते हैं उनको हटाकर रैगुलर असैसमेंट करके इसके महत्व को कम किया जा सकता है। इसके हमें दो फायदे होंगे—एक तो लड़के भी रैगुलर रहेंगे और शिक्षक भी नियमित रूप से पढ़ायेंगे जो कि उनकी किताबों और नोट-बुक से जाहिर होगा कि यह बात उनको पढ़ाई गई या नहीं। वह पढ़ा कि नहीं, उन्होंने इसको ग्रहण किया कि नहीं।

दूसरी बात, जो नम्बर हम देते हैं उसमें यह कहना बड़ा कठिन है कि जिसको 75 नम्बर दिए या 71 दिए या 72 दिए उनमें क्या फर्क है या 73-75 में क्या फर्क है इसलिए इनको हम ग्रेड्स में कर दें तो डिफरैण्ट ग्रेड्स में कर देने से एक एग्जैक्टीट्यूड का भान होता है, वह नहीं होगा और उसकी वजह से जो कमी-बेशी रिफ्लैक्ट उसके रिजल्ट में कर जाती है या हो सकती है किसी ने अच्छा लिखा हो और उसके नम्बर दो कम आ गए हों तो वह डिप्रैस्ड हो जाता है, वैसा भी नहीं होगा इसलिए उसको बदलकर ग्रेड्स में हम ले जाना चाहते हैं।

तीसरी बात सैमिस्टर सिस्टम और क्रेडिट लर्निंग सिस्टम की है। अभी जो हम परीक्षा लेते हैं, सैमिस्टर सिस्टम होने से उसमें कुछ सुधार होगा। क्रेडिट लर्निंग सिस्टम का अर्थ यह है कि अभी जब परीक्षा होती हैं तो पांच या सात या आठ विषयों की परीक्षा होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विकास के लिए कि उसने क्या ग्रहण किया, इन 5 विषयों में ही समाहित करके लिख दिया जाए, यह सम्भव नहीं इसलिए क्रेडिट लर्निंग सिस्टम का मतलब यह हुआ कि उसने एम० सी० सी० में भाग लिया कि नहीं, उसने डिबेट में भाग लिया कि नहीं, उसने सोशल सर्विस कैम्प में भाग लिया कि नहीं, उस आदमी ने स्पोर्ट्स या दूसरी एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया कि नहीं, तो यह सारे जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं, किसी व्यक्ति विशेष के या विद्यार्थी के, जिसमें वह शरीक होता है, वह एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफ्लैक्ट नहीं करता लेकिन अगर हम क्रेडिट सिस्टम कर दें, इन सब के लिए थोड़ा अलग-अलग कर दें और सबका सम, टोटल जोड़कर देखें तो उसमें उसके व्यक्तित्व की ज्यादा झलक आएगी,

उससे उसकी ज्यादा पहचान हो सकेगी, उसके कार्यों का, उसकी पर्सोनेलिटी का ज्यादा रिफ्लेक्शन इस सिस्टम में हो सकेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं।

नवोदय विद्यालय के बारे में भी चर्चा हुई है, इस हाऊस में कुछ लोगों ने, कई सदस्यों ने कहा है इसमें जल्दी में नहीं चलना चाहिए, धीरे-धीरे चलना चाहिए, कन्सोलिडेट करके चलना चाहिए। उनकी राय अच्छी है और उस अच्छी राय को सुखाड़ से और बल मिल गया है क्योंकि सुखाड़ की वजह से हमारा एलाटमैंट घटा है इसलिए हम धीरे तो आपसे आप हो गए हैं। जहां हमें ज्यादा स्कूल खोलने थे, सुखाड़ की वजह से वह कम हुए। बीच में शिक्षकों का वेतन बढ़ा, रिवाइज हुआ तो हमको प्लान से लेकर नान प्लान में पैसा देना पड़ा जबकि हमारे मंत्री जी ने पहले दिन बता दिया था कि हमारे यहां कोई पैसा सरैण्डर नहीं हुआ है। हमारा 1210 करोड़ का बजट प्लान नान प्लान का था और अब तक हम 1209 करोड़ कितने लाख हम खर्च कर चुके है, यह भी चार दिन पहले की रिपोर्ट है। बीच में बन्द हो गया था ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब खर्च कर चुके हैं। हमें 85-86 करोड़ रुपया प्लान से डाइवर्ट करके नान प्लान में देना पड़ा है, इन वजूहातों के कारण। तो जहां तक नवोदय स्कूलों का सवाल है, जैसा मैंने अर्ज किया कि उसमें मैरिट पर ही एडमीशन होता है। किसी-किसी माननीय सदस्य ने एक शका उत्पन्न की है कि कितने लड़के गरीब घर के आए या सोशली बैकवर्ड आये तो मैं बताना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स, दोनों के मिलाकर जितने परसेण्ट कहे गए थे या जितने नार्मली पोपुलेशन के आधार पर परसेण्टेज आता है उससे ज्यादा परसेण्टेज में लड़के आ चुके हैं, अभी तक जो स्कूल खुले हैं। जैसे शैड्यूल्ड कास्ट्स के 18.1 परसेण्ट आ चुके हैं और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडैण्ट्स 10.2 परसेण्ट आ चुके हैं। जहां तक पेरेण्ट्स के इन्कम ग्रुप का सवाल है, जिनके पेरेण्ट्स की एनुअल इनकम 3000 रु० से कम है वे 19.4 परसेण्ट आ चुके हैं और 3000 से 6000 रुपये के इनकम वाले 21.2 परसेण्ट आ चुके हैं और 6000 से 12000 इनकम वाले 22.3 परसेण्ट आ चुके हैं तो आप देखें पहले तो 6000 से कम इनकम वाले 41 परसेण्ट आ गए और 6000 से 12000 की इनकम वाले 22 परसेण्ट आ गए तो 63% स्टूडैण्ट्स ऐसे हैं···

श्री बीर सेन (खुर्जा) : यह आंकड़े तो लेखपाल की रिपोर्ट में हैं न, लेखपाल को कोई 100 रु० दे दे तो जो वह लिखकर दे दे वही उसकी आमदनी हो जाती है।

श्री एस० पी० शाही : जब आप बोला करते थे, आप यहां थे, वह बता दीजिए कि किसी दूसरे की रिपोर्ट पर जवाब दिया करते थे। जो रिपोर्ट आती है उसी पर जवाब होता है 12 हजार से 18 हजार की इनकम वाले 18 परसेन्ट हैं। इसी तरह से जाते जाते जब नीचे जाते हैं तो 50 हजार की इनकम वाले आधा परसेन्ट हैं। 36 हजार से 50 हजार तक 17 परसेन्ट हैं। यह जो सोशल स्टेटस है कन्ट्री का, इनकम प्वाइन्ट आफ चीफ व्यू से, वह इसमें रेफलेक्ट करने की कोशिश की है।

यह नयी योजना है और इसमें शिक्षक पुराने स्कूलों से लिए जा रहे हैं। आइडियल कंडीशन तो यह हो सकती थी कि पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग हो जाती नयी योजना के अनुसार, और तभी ट्रेन्ड शिक्षक जाकर स्कूलों को शुरू करते लेकिन क्या हम उतने दिनों तक रुक सकते थे? डिमोक्रेसी में बराबर प्रेशर रहता है कि काम जल्दी हो और जल्दी करने का जो सिलसिला है उसमें इसको शुरू किया गया। पहले साल 1985-86 में 2 स्कूल खुले हैं। दूसरे साल 1986-87 में 81 खुले। तीसरे साल 1987-88 में 117 स्कूल खुले हैं। यानी कुछ मिलाकर 200 स्कूल खोले गए हैं और बाकी खुलने

वाले हैं। कोशिश हो रही है कि इनको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। अच्छे शिक्षक लिए जायें। लेकिन अभी तो जो अवस्था है उसमें शिक्षकों के रेक्रूटमेंट में, जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उन्हीं में से लिए जायेंगे। लेकिन जब हमारी नयी पद्धति के आधार पर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से अच्छे-अच्छे टीचर निकलेंगे तो वे रिप्लेस करते जायेंगे। अभी तो डेप्युटेशन पर ही लोग लिए जा रहे हैं। परमानेन्ट एप्वाइन्टमेंट उस तरह का नहीं है शिक्षकों का।

इन चन्द शब्दों के साथ, यहां पर सेकेन्डरी एजूकेशन के सम्बन्ध में जो बातें उठाई गई थीं, उनके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है—मुझे अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि केन्द्रीय विद्यालय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के खास फलक को उचित महत्व दे नहीं पा रहे या जानबूझ कर नहीं दे रहे। मणिपुर, नागालैंड और उत्तरपूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है। जो अन्य क्षेत्रों के लिए अपनाये गए प्रतिमान के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। 1987 में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विशेष भर्ती बोर्ड का गठन किया गया था। केवल क्षेत्र के बाहर के लोग, जिनके अपने रिश्तेदार थे और जो अस्थायी तौर पर वहां रह सकते थे, नियुक्त हुए थे। इसलिए स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

एक और विभेदक बाद है। उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए पसन्द करने वाले लोगों को मूल वेतन के अतिरिक्त 15% अतिरिक्त भत्ता दिया गया था और शर्त थी कि वे कहीं स्थानांतरण नहीं करवायेंगे। यह विभेदकारी है—क्योंकि उस क्षेत्र के लोग, मान लीजिए मणिपुर के किसी व्यक्ति की नियुक्ति त्रिपुरा या असम में कहीं हो जाती है तो उसको तो दिया जाता है परन्तु उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लोगों को इस विशेष भत्ते से वंचित रखा जाता है। दूसरी खास बात यह है कि उस विशेष भत्ते के लिए शर्त यह थी कि वे लोग कोई स्थानांतरण नहीं मांगेंगे। किन्तु, किंतु किसी भी तरह से हमारे पास रिकार्ड है कि उस विशेष बोनस का लाभ उठाने वाले बहुत से लोगों को उनके स्थायी निवास स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सम्बन्धित मन्त्रियों श्री शाही और श्री राव दोनों की जानकारी में मैं पहले ही क्षेत्र के क्रुद्ध हुए प्रिंसीपलों के कतिपय बहुत ही आपत्तिजनक रवैये के बारे में ला चुका हूं। मैं सिर्फ एक घटना बताऊंगा। केन्द्रीय विद्यालय, डिप्पो, में प्रिंसीपल स्थानीय स्थितियों के प्रति इतना प्रतिकूल था कि उसने वार्षिक परीक्षा उसी दिन करवायी जिस दिन असम अपना बहुत, महत्वपूर्ण त्यौहार बोहाग बिहू मनाता है। मैंने यह बात मन्त्री महोदय की जानकारी में लायी। किन्तु, अब तक एक भी उत्तर नहीं मिला है।

फिर मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय का हवाला देता हूं जो असम समझौते का एक भाग है। हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कुछ प्रगति कर रहे हैं। किन्तु हम अनुभव करते हैं कि चूंकि असम समझौते के कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में सख्त रोष है—यह विशेष केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक राजनीतिक मामला नहीं बन जाना चाहिए, जैसाकि अब यह लगता है। समझौते में एक उपबन्ध के रूप में इसे शामिल कर लेने का प्रयोजन ही यह बताता है कि हमें अवश्य ही स्थानीय

लोगों की मांगों की विशेषताओं को बर्दाश्त करना चाहिए। इसलिए जितनी जल्दी केन्द्रीय विश्वविद्यालय कोई ठोस कदम उठायेगी उतना ही बेहतर होगा।

दूसरी बात ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में है। असम में ऐतिहासिक स्मारक बहुत हैं। किन्तु किसी सुधार या किसी स्मारक को बनाए रखने की रफ्तार ऐसी है कि हमारी ओर से कई कार्यवाहियों के बावजूद कुछ खास नहीं हो पाया। अब हमारे पास सरकारिया आयोग की रिपोर्ट है। इस बात के हवाले दिए जाते रहे कि—किसी विशेष क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक को उस क्षेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। शायद इसका राष्ट्रीय महत्व है।

हमारे पास महान नारी जयमती जैसे काफी लोग हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान किया और लचित बोरफुकोन जिसने मुगलों का विनाश किया, उन्हें राष्ट्रीय हीरो माना जाता है किन्तु, उनकी याद में राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए हम अपने बहुत बुद्धिमान और माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। इससे बहुत रोष पैदा होगा कि असम के ऐतिहासिक गौरव की जांच किसी भी तरह की नहीं गयी, उसे बहुत कम सम्मान दिया गया और उसकी सराहना भी बहुत कम की गयी।

हमारे मन्त्री जी, बहुत दक्ष तथा अनुभवी हैं। असम में, हम ग्रामीण क्षेत्रों से कई युवा पुरुष तथा महिलायें लाये हैं। किन्तु ग्रामीण खेलों के लिए प्रदान की गयी सुविधायें पूर्णरूपेण उपयुक्त नहीं थी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि असम के ग्रामीण युवाओं को किस प्रकार उभारा जाये और उनके लिए कुछ सुविधायें लायी जायें इसके लिए विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी को बहुत से काम करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं? किन्तु, मैं इन बातों को ध्यान में रखने के लिए उनसे विशेषरूप से कहता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास के माननीय मन्त्री जी द्वारा इस सभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। और मैं इस प्रयोजनार्थ इस सभा में प्रस्तुत मांगों का भी समर्थन करता हूं।

मैं शुरू में ही मन्त्री महोदय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे इस सभा ने कुछ समयपूर्व अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, के क्रियान्वयन में कार्यकुशलता को सुधारने के लिए बधाई देना चाहूंगा। 3 जनवरी, 1977 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और हमारी बहुत पुरानी शिकायत कि केन्द्र शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अधिक नहीं कर रहा है, खत्म हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से जो नई सरकार आई, उसने अवसर का समुचित उपयोग नहीं किया और वस्तुतः शिक्षा को राज्य सूची में हस्तांतरित कराना चाहा जिससे बहुमूल्य समय खराब हुआ। इस प्रकार 1968 के प्रथम राष्ट्रीय नीति संकल्प को सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका और बाद में ही विशेषकर वर्ष 1985 में ही जब सरकार ने इस कार्यक्रम और नीति को शुरू करने का निर्णय किया तभी अन्ततः मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई और इस सभा में लाई गई और जिसको स्वीकृति प्रदान की गई।

रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर क्रियान्वयन रिपोर्ट का अवलोकन करने पर मुझे खुशी हुई है कि सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की और प्रौद्योगिकीय साधनों के विकास से कदम से कदम

मिलाया और कार्यकुशलता में सुधार की रिपोर्ट दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही 93 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली की अधिष्ठापना को स्वीकृति दे दी है और 200 महाविद्यालयों में भी लघु कम्प्यूटर सहायता प्रदान की गई है। यह कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं है लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय शुरूआत है और दूसरी बात यह है कि सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य उच्च शिक्षा परिषदें स्थापित करने के लिए कतिपय दिशानिर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका क्रियान्वयन शुरू किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर आपत्ति की और नए दिशानिर्देश भेजे गए हैं और इस प्रकार यह मान लिया गया है कि उचित समय पर राज्य उच्च शिक्षा परिषदें स्थापित की जाएंगी। अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कहने को बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि इस सभा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, जिस पर कई वर्षों से चर्चा नहीं हुई है, पर चर्चा करने का अवसर मिले ताकि उच्च शिक्षा पर इस सभा में व्यापक रूप से विचार-विमर्श हो सके क्योंकि उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के स्तर, इसका परिरक्षण आदि केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। अतः मेरा निवेदन है कि वि० अ० आ० की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाए। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों की रिपोर्टें मिल गई थीं और शिक्षकों की शिकायतों के लिए महेरोत्रा आयोग बनाया गया। बातचीतों के दौर हुए और तत्पश्चात इसका क्रियान्वयन हुआ। अभी भी यत्र-तत्र कुछ विसंगतियां हैं, और विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अभी भी अपनी मांगों पर डटा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर भी विचार करने और शिक्षकों की जो भी शिकायतें हैं, उन्हें दूर करने का अनुरोध करूंगा ताकि नई शिक्षा नीति को प्रत्येक परिसर, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में व्यवहारतः क्रियान्वित करने के लिए संसद राज्य सरकार, शिक्षक समुदाय और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाए और सम्मिलित प्रयास किए जा सकें।

मैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अच्छे कार्य की भी सराहना करूंगा जो कि अपेक्षित नए दिशानुकूलन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में सहायता करती है और 1.5 लाख शिक्षकों प्रशिक्षित किया गया है। यह एक बृहत कार्य है और प्रधान मन्त्री जी को भी रा० शै० अ० प्र० प० के अग्रणी बौद्धिक कार्य के रूप में इसके कार्य की सराहना करके खुशी हुई है। पिछले वर्ष से निदेशक श्री मल्होत्रा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि रा० शै० अ० प्र० प० देश भर में विशेषकर विभिन्न राज्यों के साथ मंत्रणा करके शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने, और उन कार्यक्रमों, जिन्हें अभी तक धन और इसी तरह की चीजों के अभाव में चलाया नहीं जा सका है, को चलाने के लिए और भी प्रयास करेगी। मेरी मुख्य चिन्ता उच्च शिक्षा के नए संस्थानों, विशेषकर क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय और स्थापित किए जा रहे नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में है। मैं चाहता हूं कि इन संस्थानों की राष्ट्रीय दृष्टिकोण से फैला कर स्थापित किया जाए और देश के सभी हिस्सों को इनका लाभ मिलना चाहिए। सरकार का यह प्रयास न हो कि क्योंकि ऐतिहासिक रूप से कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश के कतिपय भागों में स्थित रहे हैं वहां कुछ अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी पास ही हो सकते हैं, इससे कुछ दबाव पड़ा है। मेरा अनुरोध है कि देश के सभी हिस्सों, उत्तर-पश्चिमी हिस्से यथा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, हरियाणा आदि और दूसरे हिस्से भी जिन्हें अभी तक वंचित रखा गया है, को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थान निर्धारण का लाभ मिले क्योंकि अन्ततः वे गति-निर्धारक बन जाते हैं।

मैं उत्तर-पश्चिम राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए और हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के लिए निवेदन करूंगा।

मैं यह भी चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि विशेषकर संसद सदस्य सभी केन्द्रीय शैक्षिक स्कीमों, विशेषकर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय स्कूलों से सम्बन्धित स्कीमों, जिन्हें आप व्यावहारिक रूप दे रहे हैं, में शामिल हों। लोगों की केन्द्रीय सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं, वे विधायकों के पास नहीं जाते, वे शिक्षा स्तर में सुधार, गुणवत्ता में सुधार और कभी-कभी दाखिले के लिए भी संसद सदस्यों के पास पहुंचते हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों के संसद सदस्यों को अपने दलों से मुक्त रहते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषकर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय स्कूलों की जो नयी प्रणाली लागू की गई है और राज्य उच्च शिक्षा परिषदें जैसी संस्थाओं, जिन्हें स्थापित किया जा रहा है, के कार्य में जुट जाना चाहिए। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे, इससे जिला और राज्य स्तर पर संसद की भूमि का निर्वहन होगा और उन्हें आवाज मिलेगी और इससे सभी को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि संसद सदस्य अपनी राज्य सरकारों से सामंजस्य रखते हुए कार्य करेंगे, क्योंकि कोई भी संसद सदस्य अपने ही राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के भी विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहता।

यह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, संसद सदस्यों और विधायकों सभी के हित में है कि जिला तथा राज्य स्तर पर प्रबन्ध की एक समान पद्धति और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी लागू की जाए।

अब मैं विशेषरूप से संस्कृति के क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करूंगा, इस पर प्रधानमन्त्री का ध्यान केन्द्रित रहा है। उन्होंने सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य आरम्भ किया। यह एक अच्छा संकेत है कि उनमें से सबने काम करना आरम्भ कर दिया है किन्तु कार्यकरण तथा निष्पादन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। अनेक चीजें जिन्हें मैंने देखा है वे वह भूमिका नहीं निभा रहे हैं जो उनको निभानी चाहिए। एक प्राथमिक भूमिका क्षेत्र को एकीकृत करके उनके मतभेदों और असंगतियों को दूर करना था किन्तु यदि बड़े कार्यकर्त्ताओं को इन संस्थाओं का प्रमुख बना दिया जाता है तो होता यह है कि उनके पास समय नहीं होता। हमारे अपने उत्तरी केन्द्र में श्री राम जो पंजाब के मामले में पहले से ही व्यस्त हैं, सांस्कृतिक केन्द्र के शासी निकाय के चेयरमैन हैं, किन्तु उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। क्या मैं आपसे इस पहलू पर ध्यान रखने के लिए कह सकता हूं कि बड़े कार्यकर्त्ताओं, जिन राज्यों में संस्थान स्थापित हैं उनके प्रमुखों के स्थान पर यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति संस्थानों के प्रमुख बना दिए जायें तो मैं समझता हूं कि भाग लेने वाले राज्य इस विचार के विरुद्ध नहीं होंगे क्योंकि इन केन्द्रों को आरम्भिक अवस्था में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जब तक आरम्भिक अवस्था में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता उनसे बहुत अच्छे परिणामों की आशा करना उचित नहीं होगा।

अब मैं भाषाओं के प्रोन्नयन के लिए आपका ध्यान चाहूंगा। वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नजर-अंदाज किया गया है यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा पोन्नत, स्वीकृत और अनुमोदित किया गया है और उसका कार्यान्वयन किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत है किन्तु भाषा विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति अभी नहीं बनी। कई भाषायें हैं जो संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है किन्तु वे जीवित भाषायें हैं, उनकी सुदीर्घ साहित्यिक परम्परा भी है, किन्तु उन्हें पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में मैं—हिन्दी को राष्ट्रीय सम्पर्क के रूप में विकसित करने का स्वागत करता हूं। उसके लिए किसी को भी आपत्ति नहीं होगी और हिन्दी को सभी तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। यद्यपि इस समय 40 प्रतिशत से भी कम लोग हिन्दी बोलते हैं किन्तु जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों का अधिक महत्व नहीं है क्योंकि समूचे देश के लिए हिन्दी हमारी सम्पर्क भाषा है और हम उसका स्वागत करते

हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचारों को उद्धृत करूंगा—

> "भारत एक बेल बूटेदार कपड़ा है जिसमें बहुत से रंग साथ-साथ मिलकर सुन्दर डिजाइन बना रहे हैं। यह एक गलनशील बर्तन नहीं है जिसके संयोजक तत्व अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए हमारी परम्परायें अनेक जातीय समूहों, क्षेत्रों और भाषाओं में एक आधारभूत समन्वय है। प्रत्येक अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखने और राष्ट्रीय जीवन में योगदान करने में समर्थ हैं।"

इसलिए भाषाओं के विशिष्ट चरित्र के परिरक्षण संरक्षण और संवर्धन करना ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए सरकार का आगे आना चाहिए क्योंकि यद्यपि विकासशील भाषाओं, जो कभी-कभी दस लाख से भी ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, को उपयुक्त, संसाधन और संरक्षण नहीं मिलता। इस सन्दर्भ में साहित्य अकादमी और संस्कृति विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

1.00 म० प०

महोदय, मैं यह देखकर खुश हूं कि संस्कृति विभाग ने इस सभा के समक्ष एक सुन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह एक बहुत कलात्मक कृति है। इसमें बहुत-सी अच्छी बातें हैं किन्तु मैं जिसे सदर्भित करना चाहूंगा। वह यह है पिछले माह मेरे एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री शाही ने बताया था कि सरकार ने 34 ऐसी क्षेत्रीय भाषायें विकसित करने का निर्णय लिया है जो 10 लाख अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा उनमें से एक है। महोदय, कई राज्य अकादमियां और स्वैच्छिक स्तर पर कई अन्य संस्थान इन भाषाओं के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। वे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख रहे हैं और हमारे संस्कृति विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य है कि जीवित भाषायें समाप्त न हों, कि लोककथा का संरक्षण हो और यह सुरक्षित रहे। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि इन भाषाओं की कला तथा संस्कृति का संवर्धित हो। महोदय, मैं साहित्य अकादमी की भूमिका की विशेषरूप से अभिशंसा करूंगा जिसने अब तक 22 भाषाओं अर्थात् अनुसूची में शामिल भाषाओं से भी अधिक को मान्यता दी है। किन्तु इसके अलावा भी अनेक भाषाएं हैं जिन्हें विकसित किया जाना है और जिन्हें मान्यता दी जानी है, जिनकी मान्यता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। किन्तु किसी न किसी बहाने उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही इसलिए मैं एक उदार सुझ की आशा करता हूं और सुझाव दूंगा कि भाषा विकास बोर्ड और साहित्य अकादमी को प्रोत्साहन दिया जाए।

महोदय, मैं दो अन्य वक्तव्यों का भी स्वागत करता हूं जो हाल ही में दिए गए थे कि राष्ट्रीय अनुवाद ब्यूरो और राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना की जा रही है। महोदय, ये दो संस्थान हैं जो देश में एकता लायेंगे क्योंकि पूरे देश भर में हमारे सांस्कृतिक रूप की विभिन्न किस्में फैली हुई हैं किन्तु वे दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहीं। अनुवाद सुविधा की कमी के कारण, देश के अन्य भाग की भाषा के सौन्दर्य की प्रशंसा करना संभव नहीं है और इसलिए वह सांस्कृतिक जीवन की मुख्य धारा में अंशदान नहीं कर सकतीं। मैं यह सुझाव भी दूंगा कि शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध को व्यापक बनाया जाये और इस सम्बन्ध में मैं एक बहुत दुखद विसंगति के बारे में बताना चाहूंगा। केन्द्रीय स्कूल में भी संगीत के अध्यापक को प्राथमिक स्कूल के अध्यापक का वेतनमान दिया जाता है जबकि संगीत आत्मा और

बुद्धि को परिष्कारक माना जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं और जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में है उन्हें केन्द्रीय स्कूलों में आरम्भ किया जाना चाहिए। इस समय, कला, चित्रकला, संगीत और यहां तक कि शारीरिक शिक्षा का केन्द्रीय स्कूलों में महत्व नहीं दिया जाता है।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : क्योंकि विश्वविद्यालय कला को मान्यता नहीं देती।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : इसलिए यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का दोष नहीं है जो उनमें दक्षता चाहते हैं। हमारी प्रतिभा चाहे कला, संगीत या किसी भी अन्य क्षेत्र में हों व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के बाद कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए कृपया इसके बारे में कुछ करें। केन्द्रीय स्कूल के विद्यार्थियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो भी विषय हमारे देश के लिए पारस्परिक तौर पर बहुत अच्छे हैं और जो देश का समन्वित विकास कर सकते हैं उन सभी को उच्च स्तर पर आरम्भ किया जाए और विद्यार्थियों को बाद में विद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए। इसलिए प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों, चाहे वे राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूल हों या केन्द्र के केन्द्रीय स्कूल या नवोदय स्कूल और अन्ततः विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के हों, उनके बीच सक्रिय एवं सजीव सम्बन्ध होगा।

महोदय, अब मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में थोड़ा-सा कहूंगा। देश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति की ओर ध्यान दे रहा है और आपने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय आरम्भ करके बहुत अच्छे कार्य किए हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के अंर अध्ययन केन्द्र खोले जाएं विशेषतया विशेष श्रेणी के राज्यों में, जिनमें अधिक विश्वविद्यालय नहीं हैं और जिनमें उनके विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर की सुविधायें नहीं हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं संस्कृति विभाग सचिव, संयुक्त सचिव श्री मनमोहन सिंह और विभिन्न अकादमियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की अभिशंसा करता हूं किन्तु मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि शिक्षा संस्कृति से जुड़ी हुई और उस पर आधारित होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इस देश की शिक्षा पद्धति जीवित रह सकेगी और जिन्होंने हमारे अतीत के शैक्षिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की अन्तर्निहित शक्ति जो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों तथा अन्य लोगों के लिए प्रेरक बनी और उन्होंने शिक्षा की भूमिका का प्रयोग करना आरम्भ किया, समयान्तर में वही फलदायक होगी। मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक विद्यालय में एक संस्कृति के अध्यापक की व्यवस्था करने का आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है किन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृति के लिए विभिन्न आधारभूत सांस्कृतिक साज-सामान भी उपलब्ध कराया जाए। राज्यों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संसाधनों के अभाव के कारण, इतनी भी निधियां नहीं होतीं कि वे विद्यालय के लिए भवन उपलब्ध करा सकें। अतः मैं आपके द्वारा किए गए इस प्रयास का स्वागत करता हूं कि आपने आधारिक स्तर पर ही प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि से धन प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध किए हैं। किन्तु मैं यहां इस बात पर बल देना चाहूंगा कि केवल भवनों के होने से ही विद्यालय नहीं बन जाते। शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आधारभूत ढांचा तथा पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों से ही विद्यालय संस्कृति के उचित केन्द्र बन सकेंगे।

आपके प्रयासों से प्रत्येक गांव की संस्कृति को फलने-फूलने दिया जाए तथा सांस्कृतिक तथा

नैतिक मूल्यों का प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। देश के लिए वह खुशी का दिन होगा जब आखिरकार एक बच्चा प्राथमिक शिक्षा स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक अपने व्यक्तित्व को अपने प्रदेश की भाषा में अपनी मातृभाषा में संस्कृति के अनुरूप विकसित कर सकेगा, तथा बाद में राष्ट्र भाषा हिन्दी में तथा अंग्रेजी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा जिसे किसी भी आधार पर उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके द्वारा एक सामान्य व्यक्ति देश के सभी भागों में अपने भावों को व्यक्त कर सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा मैं माननीय मंत्री को तथा अन्य मंत्रियों को जो उनके मंत्रालय में हैं, विशेषकर श्री शाही तथा श्रीमती आल्वा को बाल कल्याण तथा अन्य विषयों में उनके द्वारा किए गए काम के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क को आजाद हुए चालीस साल हो चुके हैं लेकिन तालीम अभी एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर ही हो रही है और कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मकान की बुनियाद मजबूत होगी तो ऊपर जो स्टोरी बनायेंगे, वह भी मजबूत होगी। लेकिन ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। प्राईमरी स्कूल, जहां से बच्चे की तालीम शुरू होती है जहां वह ए बी सी डी सीखता है, वहां जो टीचर्स की हालत है वह मैं आपके सामने ब्यान करना चाहूंगा। सुबह सात बजे हल जोतने के बाद वह स्कूल में आते हैं और बच्चे वहां मारे-मारे फिरते हैं। टीचर हैं सिर्फ दो और बच्चे डेढ़ सौ। आप अन्दाजा लगाइए कि क्या हालत होगी। बैठने के लिए स्कूल में जगह नहीं है और स्कूल बने भी हैं तो उनकी छत नहीं है। धूप और बरसात में बैठना पड़ता है। यह प्राईमरी स्कूल का ढांचा है। मास्टर साहब तशरीफ लाए, दस्तखत किए और चले गए क्योंकि वे करीब के ही गांव में रहते हैं। आना-जाना और बड़ी माकूल तनख्वाह। मैं यह गुजारिश करूंगा कि मैं अपने आपको आफर करता हूं कि पार्लियामेंट की मेम्बरी मुझसे ले ली जाए और मुझे किसी स्कूल का टीचर बना दिया जाए।.....(व्यवधान) आप हकीकत समझने की कोशिश कीजिए। इतनी उम्दा तनख्वाह और साल में चार महीने की छुट्टियां। इससे बेहतर महकमा नहीं है। मुझे किसी कालेज का प्रिंसीपल बना दिया जाए, वहां बहुत मजे रहेंगे जो आपकी पार्लियामेंट की मेम्बरी में भी नहीं। बच्चों को बहकाना और चले जाना। प्रोफेसर्स और टीचर्स के नोट्स मैंने देखे हैं। उनके कागज अगर आप देखें तो एकदम फाड़ देंगे। पुराने जमाने के नोट्स रखे हुए हैं। आते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं। तालीम की यह कन्डीशन इस मुल्क में चल रही है। नवोदय स्कूल्स के बारे में मुझे यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि ये पोलिटीकली प्रैशर से उठकर बनाए जाते हैं लेकिन एक्चुअली सर्वे नहीं कराया जाता जहां पर कि स्कूल बनना चाहिए। मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी की बात बताता हूं। सबसे पिछड़ा हुआ है तालीम के लिहाज से भी। मेरे क्षेत्र "एटा" में तीस हजार, की माइनोरिटी कम्युनिटी का एक कस्बा है—बरगेन, जिसकी ताईद खुर्शीद आलम खां साहब जो यहां बैठे हुए हैं, जरूर करेंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां (फर्रुखाबाद) : मैं ताईद नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : वहां पर एक भी स्कूल नहीं है। यह तो जामिया के चांसलर हैं। यह नहीं कहते हमारे लिए, लेकिन मैं कहूंगा इनकी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह वह जामिया मिलिया है जो हमारे रहनुमाओं ने कायम की थी। या तो आप इसको बन्द कर दें या उन रहनुमाओं का नाम बन्द कर दें। इसकी तरफ आपको विशेष तवज्जोह देनी चाहिए।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी इन सबकी हमदर्दी उनके साथ थी, लेकिन आज सिर्फ नाम बाकी रह गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप जामिया को बन्द कर दें या इसको पूरा स्टेट्स दें। मैंने चांसलर साहब से भी कह दिया है, लेकिन यह हमारे लिए स्कूल के लिए नहीं कह पाएंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आप बिलकुल बेफिक्र रहिये वह नहीं कहेंगे तो मैं आपको सुनूंगा।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : शुक्रिया। वहां पर केवल सातवीं क्लास तक स्कूल है। वहां पर तीस हजार की आबादी अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वालों की है जो आपने तीन एकड़ जमीन की कन्डीशन निर्धारित की है वह भी मौजूद है। इसके अलावा अध्यापकों के लिए कई सुविधाएं हैं, वहां पर बिजली, पानी और रेल लाइन तथा सड़क भी है। इसलिए वहां पर विद्यालय कायम किया जाए तो अधिक मुनासिब होगा। मैंने आपको लिखकर भी दिया है। जहां तक दाखिले का ताल्लुक है तो गरीब की कहीं भी कोई पूछ नहीं है। आपके जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भी बड़े आदमियों के बच्चे दाखिल होते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। वह जब लंगोटी पहनकर, फटे-पुराने कपड़े पहनकर दाखिले के लिए जाता है तो उसको प्रिंसीपल बाहर निकाल देता है। जो लोग पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं उनके बच्चों को लिया जाता है। दिल्ली में काफी महंगे स्कूल भी चल रहे हैं जिनमें आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाता। यह स्कूल मिशनिरीज द्वारा संचालित होते हैं। इन्होंने स्कूल को एक तरह का पेशा बना लिया है। आप स्कूल खोल लीजिए, आपको एजेन्ट की जरूरत नहीं, चुनाव लड़वाइए, खुद पैसा दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र में प्रोपेगंडा करिए। सरकार ऐसे स्कूल्स को मान्यता देती है जहां कोई तालीम नहीं है। कई हाई-स्कूल ऐसे हैं जहां 500 रुपए में डिग्री मिल जाती है। खां साहब के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा ही एक मशहूर स्कूल है जहां बच्चा फेल हो जाए तो 500 रुपए देकर पास की डिग्री हासिल कर सकता है। यह जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस हैं इनको बिलकुल खत्म कर दिया जाए। आपको एक पालिसी अख्तियार करनी चाहिए कि हर जिले में एक हाई स्कूल कायम करें। इन्टरमीडिएट स्कूल लड़के-लड़कियों का होना चाहिए। एटा में एक डिग्री कालेज है। वहां के लोगों की मांग है कि यहां पर एक लॉ कालेज भी हो, उसकी क्लासेज खोली जाएं। एटा एक क्रिमिनल एरिया है इसलिए लोग चाहते हैं कि वहीं वकालत पास करके वकालत करें।

अब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहना चाहता हूं। बड़ी बदकिस्मती है कि यहां से कोर्ट के प्रतिनिधित्व के लिए चार मेम्बर्स का चुनाव होता है। लेकिन हम लोग जीत नहीं पाते। वहां के वाइस-चांसलर ने बहुत धांधली मचा रखी है। अलीगढ़ के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कोर्ट के मेम्बर भी वहां की हालत जानते हैं। वहां पर मेडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज हैं लेकिन उनमें दाखिले भाई-भतीजों के होते हैं वहां भाई-भतीजावाद के आधार पर दाखिले किए जाते हैं और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इतना पूअर चल रहा है जो बयान के बाहर है। आज उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हालत इतनी नाजुक हो गई है जिसने हिन्दुस्तान के आल्हा किस्म के दिमाग पैदा किए, जहां से पढ़-लिखकर निकलने वाले लोग बहुत बड़े ओहदों पर पहुचे और हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया। परन्तु खेद है कि आज उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब हो गयी है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि आइन्दा वहां जो भी वाइस-चांसलर नियुक्त किया जाए वह ऐसा होना चाहिए जो वहां के हालात से वाकिफ हो, वह उसी यूनिवर्सिटी का कोई ओल्ड ब्वाय होना चाहिए। आप इन्कवायरी करा लें। वहां आप हाशिम अली साहब जैसे वाइस चांसलर नियुक्त करते

हैं या किसी रिटायर्ड आई० ए० एस० को लगाते हैं तो उनके सामने कई तरह की दिक्कत आती हैं। मैं यहां किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं परन्तु वहां का वाइस चांसलर यदि कोई तालीम के क्षेत्र से ही निबुक्त किया जाए तो वह हालात को अच्छी तरह कन्ट्रोल कर सकता है, इन्स्टीट्यूशन को अच्छी तरह चला सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरफ तवज्जह दें।

हमारे यहां कई अरबी के छोटे स्कूल हैं परन्तु उन मकातिब स्कूलों की तरफ सरकार की तवज्जह कम जाती है। एटा जनपद में शायद 1929-30 से एक मकतब चला आ रहा है, जिसे पहले सरकार की ओर से 5 रुपए इमदाद मिलती थी, जो अब बढ़ा कर 25 रुपए कर दी गयी है। आप समझ सकते हैं 25 रुपयों से उसका क्या भला होता होगा और यह राशि भी कितनी दौड़धूप के बाद इतनी की गई है। जिस समय उत्तर प्रदेश में जनाब हेमवती नन्दन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जरूर एक कायदा बनाया था कि स्कूलों में उर्दू सानवी जुबान होनी चाहिए। उनके टाइम में ही स्कूलों में उर्दू के टीचर रखे गए। लेकिन आज स्थिति यह है कि बहुत से स्कूलों में उर्दू टीचर्स की जगह खाली पड़ी हुई हैं उनको फिल-अप नहीं किया जाता। यदि कोई लड़का आता है तो उसको भगा दिया जाता है। इण्टरमीडिएट पास लड़के उर्दू टीचर के रूप में आना चाहते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि जगह खाली नहीं हैं, जबकि जगह खाली होती हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप उर्दू को सानवी जुबान के रूप में मान्यता दीजिए, उसे आप सौतेली जुबान मत समझिये। हम और आप जो भाषा बोलते हैं, वह उर्दू ही तो है, आप चाहे उसे हिन्दी कहिये या उर्दू कहिये, दोनों भाषाएं एक जैसी ही हैं। दोनों इन्सानों की जुबानें हैं। इसलिए उर्दू के साथ या अरबी मकातिब के साथ सौतेला बर्ताव नहीं होना चाहिए और अरबी मकातिब को भी आप उसी स्तर पर ऐड दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस ओर पूरी तवज्जह देगी।

वैसे तो हमारे मन्त्री जी बहुत लायक और काबिल हैं और वे जानते होंगे कि अमीर खुसरो नाम के महान कवि हमारे देश में हुए हैं। इत्तफाक से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पटियाली कस्बे में उनका जन्म हुआ था। मैंने तत्कालीन मन्त्री श्रीमती कृष्णा साही जी को कई बार लिखा कि आप वहां उनके नाम पर कोई कालेज या स्कूल बनवा दीजिए ताकि उस इन्टरनेशनल पोयट का नाम हमेशा याद किया जाता रहे, जिन्होंने आल्हा दर्जे की हिन्दी और उर्दू जुबान में पहेलियां लिखीं। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां आप दूसरे इदारे बना रहे हैं, वहीं आप पटियाली कस्बे में अमीर खुसरो के नाम पर कॉलेज या स्कूल स्थापित करें, वही उस महान कवि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पिछले वर्ष मन्त्रालय ने कुछ कदम उठाए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अधीन नये अध्यापकों के लिए 34,000 रु० की धनराशि जारी की है। 1.95 मिलियन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 98 जिला शिक्षा केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। 205 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। 9 लाख अध्यापक रखे गए हैं।

'फिर भी, मैं यह कहूंगा कि हम इस क्षेत्र में बहुत आगे नहीं गए हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इसमें और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, स्थिति में सुधार लाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। जब नई शिक्षा नीति स्वीकृत की गई थी तो इसने देश भर में आशाएं और अपेक्षाएं पैदा कर दी थीं। हमने यह महसूस किया था कि यह शिक्षा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता,

सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने, सामाजिक व्यवहार, वृद्धि, विकास तथा सब बातों के लिए है जिससे कि सामाजिक ढांचे को बदला जा सकेगा तथा इस शिक्षा की दोहरी पद्धति जो इस समय समाज में व्याप्त है, शायद चली जायेगी तथा समाज में इस प्रकार की दोहरी पद्धति को बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी कारण आपरेशन ब्लैकबोर्ड पर बल दिया गया था तथा प्रधानमन्त्री और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री ने पहले प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया था, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी शिक्षा दी जाती है, वह गुणवत्ता से पूर्ण होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पब्लिक स्कूलों अथवा समृद्ध लोगों के लिए व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में जाने की आवश्यकता का निराकरण करेगी। हमें यह बताया गया था कि भारत सरकार पर्याप्त धन का आबंटन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विचार-विमर्श के समय मैंने अपने सन्देह प्रकट किए थे। सभी शिक्षा नीतियां ऊंचे आदर्शों को लेकर बनाई गई हैं किन्तु दुर्भाग्यवश जब इनके क्रियान्वयन का समय आता है तो यह नीतियां कार्यान्वयन के स्तर पर धन इच्छा शक्ति तथा अपेक्षित कल्पना के अभाव में व्यर्थ हो जाती हैं।

अब यहां हमने देखा है कि वर्ष 1986-87 में 357 करोड़ रु० की तुलना में पिछले वर्ष 1987-88 में 800 करोड़ रु० दिये गये थे। दुर्भाग्यवश सूखे तथा बाढ़ ने हमारी आशाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा सरकार को 100 करोड़ रु० की कटौती करनी पड़ी तथा इसके अतिरिक्त इसमें से 80 करोड़ रु० अध्यापकों को ऊंचे वेतनमान देने के लिए गैर-योजना व्यय पर खर्च करने पड़े।

श्री ए० ई० टी० बैरो : हड़ताली अध्यापक।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं ऐसा नहीं कहूंगा, किन्तु मैं कहूंगा कि अध्यापकों को। इसके कारण आबंटन में गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है और हम यह आशा कर रहे थे कि यह कम से कम बजट वर्ष 1988-89 में अच्छी होगी, किन्तु मैंने पाया कि यह आबंटन इस वर्ष तथा बजट वर्ष में भी लगभग उसी राशि का है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : शून्य वृद्धि।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं और केवल 800 करोड़ रु० या 835 करोड़ रु० आबंटन का अर्थ है कुछ भी नहीं। यह आबंटन हमारे मन्त्रालय द्वारा की गई 1439 करोड़ रु० की की गयी मांग के विपरीत है। मन्त्री ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को इस आशा तथा विश्वास का वातावरण बिना कोई आधार बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित किया था।

श्री ए० ई० टी० बैरो : दोनों ही विफल हो गए हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : हो सकता है यह विफल हो गये हों। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है, ऐसा कहा गया है कि दोनों नीतियां एक साथ नहीं चलेंगी। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। आप इसमें कैसे असफल हो सकते हैं? (व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश, निश्चित रूप से नीतियों में पूर्ण विश्वास हमारी आशा को बनाए नहीं रख पाएगा। और आशाएं निराशा में बदल रही हैं। हमें बताया गया था कि एक राजनीतिक बचनबद्धता है और यह राजनीतिक इच्छा होनी भी चाहिए। मैं चाहता हूं

कि माननीय मन्त्री जी स्थिति के इस पहलू पर विचार करें। हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी के विचारार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें बच्चों को शिक्षा देने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए क्योंकि मेरे विचार से देश में 254 मिलियन लोग अशिक्षित हैं। इसी दर के आधार पर शायद 21वीं शताब्दी में लगभग 400 से 500 मिलियन लोग अशिक्षित होंगे जो हमारे कार्यनिष्पादन का अच्छा चित्र नहीं प्रस्तुत करेगा।

महोदय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा की इमारत इसी आधारशिला पर बनाई जानी है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान निचले स्तर पर चल रही मामलों की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे राज्य में दिए गए सरकारी सर्वेक्षण से निराशाजनक चित्र सामने आता है कि 50% विद्यालय हर समय खुले मैदान में लगते हैं, 40% विद्यालयों का कोई भवन नहीं है और 20% की टूटी-फूटी इमारत है। उनमें से कुछ में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं और लगभग 13,270 स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाईयां नहीं हैं। केवल 7 विद्यालयों में चॉक और डस्टर हैं। 9453 विद्यालयों में कोई घण्टियां नहीं हैं और केवल 2531 में ब्लैक बोर्ड हैं। महोदय अन्य राज्यों में भी स्थिति बेहतर नहीं है। एक दिन 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में मैं एक समाचार पढ़ रहा था कि पंजाब में वैसी ही निराशापूर्ण स्थिति है जैसी मैंने अभी बताई है। मेरे ख्याल से कहीं भी अच्छी स्थिति नहीं है। महोदय, केवल बिहार में ही कम से कम 13,000 विद्यालयों में स्थिति सुधारने के लिए 72 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि कितना धन दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, अभी मैंने अपनी बात शुरू कर दी है कृपया मुझे बोलने का और समय दीजिए। महोदय, इसलिए मेरे विचार में इन परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिए धन देने में कमी करना सही नहीं होगा क्योंकि जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है हमें इसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, विश्व के दूसरे देशों में प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मेरा सरकार और मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वे इसे अधिक से अधिक महत्व दें।

महोदय, इस सन्दर्भ में लागत लाभ अध्ययन किया गया है। 19 सितम्बर, 1987 के इक्नोमिक्स टाइम्स में उद्धृत ऐसे एक अध्ययन में कहा गया है कि औद्योगिक परिसम्पत्तियों में गैर-सरकारी निवेश से 25% से 35% तक लाभ की तुलना में प्राथमिक शिक्षा में निवेश से 20 से 30% तक लाभ प्राप्त होता है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि सम्पूर्ण विश्व के देशों में प्रारम्भिक अवस्था को महत्व दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम प्राथमिक शिक्षा को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय और गौण (सेकेण्डरी) शिक्षा को महत्व देते हैं। इसकी उपेक्षा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस आपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रत्येक स्तर पर पूर्ण समर्पण और उत्साह से लागू किया जाएगा और मुझे आशा है कि जब ग्रामीण क्षेत्र के उपेक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को यह अनुभव होने लगेगा कि उन्हें भी वही शिक्षा दी जा रही है जो और वर्ग के विद्यार्थियों को दी जा रही है तो स्थिति में काफी सुधार होगा क्योंकि यह हमारे समक्ष रखे गए समाजवादी लक्ष्यों की भावना के अनुकूल है।

महोदय, मैं एक अन्य विकल्प, अर्थात्, शिक्षा की बेहतर प्रणाली का उल्लेख करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मुझे बताया गया है कि पुणे में स्थित भारतीय शिक्षा संस्थान ने प्राथमिक स्तर पर अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए समुदाय पर आधारित प्रणाली शुरू करने का

प्रयास किया है। उनकी कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक समय पर होती हैं जिसके परिणामस्वरूप उपस्थिति, विशेषतया लड़कियों की, काफी अधिक रहती है। शिक्षा को सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है और लागत 50 रु० प्रति विद्यार्थी बताई गई है। मन्त्रालय को उपलब्ध संसाधनों से अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के विकल्पों पर हर सम्भव विचार करना चाहिए। इसी बीच सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्त देने हेतु विश्व बैंक के कथित प्रस्ताव का क्या हुआ।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मन्त्री महोदय ने इस बारे में नहीं सुना है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैंने अभी कहा था कि क्या कोई कथित प्रस्ताव है। यह सूचना थी कि विश्व बैंक ने प्राथमिक शिक्षा को वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। (व्यवधान)

अब महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए हमें 550 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। सदन यह जानना चाहता है कि क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे आशा है कि यह निरक्षरता को समाप्त कर अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा लेकिन धन की कमी इसके मार्ग में बाधा है। इसलिए हम यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या सरकार के पास अपेक्षित धन होगा या नहीं।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग के बिना शिक्षा की गुणवत्ता में इस प्रकार के सुधार का कार्य नहीं किया जा सकता है। जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है मैं उसके कार्यान्वयन के बारे में प्रसन्न नहीं हूं। मैं इस बारे में अन्य सदस्यों के अनुभवों को नहीं जानता हूं लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत सन्तोषजनक नहीं है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकें खरीदने में काफी गड़बड़ होती है, यदि आप स्थिति में सुधार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह प्रौढ़ शिक्षा सफल हो तो एक अभियान चलाया जाना चाहिए। मेरे विचार से हमें स्वैच्छिक संगठनों, जनता और उन विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए जिनमें जन सेवा करने की भावना है और उन्हें देश में कम से कम दो व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान में इन लोगों को शामिल करने के लिए हमें अपेक्षित कदम उठाने चाहिएं क्योंकि मेरे विचार से चाहे हम कितना भी धन खर्च कर दें लेकिन जनता को शामिल किए बिना और उसके सहयोग के बिना हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। (व्यवधान)

महोदय, 205 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। इनकी बहुत आलोचना की गई है कि यह अभिजनवादी विद्यालय हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरा नवोदय विद्यालय में पूर्ण विश्वास है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं और इनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। लेकिन भूमि, भवन की उपलब्धता और ली गई परीक्षा की निष्पक्षता के बारे में उन्हें आश्वासन दिए बिना ही जल्दी में ही ये विद्यालय खोले गए हैं, अपनी जानकारी के आधार पर मन्त्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि मेरे जिले में इन बातों की जांच करने के लिए अवश्य ही एक निगरानी 'सेल' स्थापित करें। इसलिए आपको निर्धन वर्गों के ग्रामीण लड़कों तथा धनाढ्य वर्ग के लड़कों को एक जैसी शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि वे बिना किसी भावना के समाज में शामिल हो सकें। यदि आपका लक्ष्य और आदर्श इतना ऊंचा है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्रकार की

हेराफेरी न हो। इस स्तर पर निगरानी 'सेल' स्थापित करके ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज क्या हो रहा है ? आज जिस तरह से स्कूल खोले जा रहे हैं, मिशनरियां कायम की जा रही हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में सर्वेक्षण कराएं कि इनमें निर्धन वर्ग से कितने और धनाढ्य वर्ग से कितने विद्यार्थी आते हैं। मैं जानता हूं कि इनमें लगभग 40 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से आते हैं। परन्तु फिर भी इन स्कूलों में धनाढ्य वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिला देने के बारे में भारी गोलमाल किया जाता है। इन मामलों की जांच की जानी चाहिए।

कार्य योजना में आपने कहा है कि जिला शिक्षा परिषद् बनाई जाएगी। यदि परिषद् बनाई जाती है तो एक पृथक निगरानी सेल बनाए बिना इन बातों की जांच की जा सकती है। परन्तु अभी तक जिला परिषद् नहीं स्थापित की गई है। मेरे राज्य में तो राज्य परिषद् का भी गठन नहीं किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देखें कि ये निकाय तो शीघ्र कार्य करना आरम्भ करें। नई शिक्षा नीति में आप और क्या लागू करने जा रहे है ? नई शिक्षा नीति से उत्पन्न आकांक्षाओं को आप कैसे पूरा करेंगे ?

जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, मुझे मालूम है कि आप +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा लागू कर रहे हैं। परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि संबंधित उद्योगों के साथ इसका निकट सम्पर्क होना चाहिए। परन्तु उन क्षेत्रों का क्या होगा जहां कोई उद्योग नहीं है। उन क्षेत्रों में आप कैसे सम्पर्क स्थापित करेंगे ? आपको उद्योग मन्त्रालय से बातचीत करनी होगी कि वह उन जिलों में अधिक उद्योग स्थापित करें अथवा कम से कम कुछ उद्योग तो स्थापित करे जहां कोई उद्योग नहीं है ताकि सम्पर्क स्थापित हो सके। यदि आप चाहते हैं कि व्यावसायिकरण की योजना सफल हो और विद्यार्थी इस ओर आकर्षित हों तो ऐसा किया जाना चाहिए।

जहां तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे आधुनिक देश अपनी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के प्रति अत्यन्त सजग हैं। इन देशों में विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण उद्योगों द्वारा किया जा रहा है। अब हमारे लिए भी वह स्थिति आ गई है कि विश्वविद्यालयों को उद्योगों से जोड़ा जाए। उदाहरण के तौर पर स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने अनुसन्धान कार्यों द्वारा सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी उद्योग को जन्म दिया। उस विश्वविद्यालय की सहायता से ही उस प्रकार का उद्योग शुरू हो पाया। हमें ज्ञान अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए तथा अपने विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान के लिए अधिक समय देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाबे आली, मुल्क के अन्दर जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस बिना पर कि हमारे हजारों लाखों तालीमयाफ्ता नौजवान जो कालेजों और बाकी इंस्टीट्यूशंस से फारिग होकर बाहर आ रहे हैं उनमें अक्सर बेकारी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की कामयाबी इस बात से परखी जाएगी कि किस हद तक मुल्क के अन्दर से बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है मैं समझता हूं कि बुनियादी मकसद एजूकेशन का यह होना चाहिए था कि हम कितने लोगों को हर साल एजूकेशन से फारिग करने के बाद उनको रोजगार देते हैं। अगर एजूकेशन का मकसद सिर्फ बी ए, एम ए, करने के बाद उनको बेकार बना देना है तो यह पूरी

कौम की ताकत और उनके वसायल का नुकसान करने के बराबर है। लिहाजा मैं चाहूंगा सरकार अपनी पालिसियां बनाने से पहले, खासतौर से एजूकेशन के सेक्टर में, यह देख ले कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के वसायल फराहम करती है। फक्त ग्रेजुएशन करा देने से बेरोजगारी बढ़ रही है और मुल्क का फायदा नहीं हो रहा है।

मैं आपके जरिए सरकार की तवज्जह जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाना चाहूंगा। हमारे मिनिस्टर साहब इस बात से वाकिफ हैं कि हिन्दोस्तान की आजादी की जद्दो जहद में गांधी जी ने कुछ खास हमारी तालीम की बुनियाद रखने के लिए और हमारे जहन को बेदार करने के लिए हिन्दोस्तान की आजादी के, आने वाले दौर के मुताबिक जो हमारी जरूरियात थीं उनमें से एक चीज जामिया मिलिया को भी समझा था और महात्मा गांधी ने उसका इनीशिएटिव लिया था। मौलाना मोहम्मद अली, महमूदुल हसन, हकीम अजमल खां जैसे बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसमें पहल की और इस आर्गेनाइजेशन, इस इन्स्टीट्यूशन को कायम किया। उसके बाद 1920 से बाकायदा इसने काम करना शुरू किया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन ने एक जमाने में 40 रुपए की मुनाजिमत इस इदारे को चलाने के लिए कुबूल की थी और इस तरीके से अपनी सलाहियतें, अपना खूने-जिगर इस तन्जीम पर सर्फ किया ताकि हिन्दुस्तान में इस आर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, तरक्की मिले। लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में बनी, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी बनी, इन यूनिवर्सिटियों की बड़ी तरक्की हुई है, उनकी बड़ी उन्नति हुई है, सरकार ने बेतहाशा पैसा उन पर खर्च किया, उनका डेवलपमेंट हुआ पर यह कितने हैरत की बात है कि आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को सरकार ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है। यह इंतिहाई अफसोस की बात है कि हमारी ऊपर की सतह पर जो हमारी पालिसीज मुरत्तब हो रही है उसमें यह दोहरी-दानिस्ता गलत तरीका अख्तियार किया जा रहा है और यह चीज हो रही है जिसको दुरुस्त करने के लिए मैं चाहूंगा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को उसका वह मुकाम और वह स्टैट्स मिलना चाहिए जिसकी कि वह मुस्तहक है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में अमली तौर पर दो जबानें सरकारी जबान के तौर पर कुबूल कर ली गई हैं—अंग्रेजी और हिन्दी—लेकिन हिन्दुस्तान जैसे बहुत बड़े मुल्क में, जिसके अपने रिसोर्सेज महदूद हैं, जिसकी अपनी मुश्किलात हैं, ज्यादा देर तक दो जबानों को नहीं चलाया जा सकता। आने वाली नसलों के लिए हिन्दुस्तान में दो जबानें हम सरकारी जबान के तौर पर नहीं रख सकते हैं, यह बहुत बड़े खतरे की बात है, इसने मुल्क को दो हिस्सों दो नजरियों में तकसीम कर दिया अगर हिन्दी करोड़ों लोगों की जबान है और इसको पूरे मुल्क में और विधान में तस्लीम किया गया है तो कोई वजह नहीं है इसको सरकारी जबान के तौर पर क्यों न कुबूल कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि अमली तौर पर हिन्दी जबान को आपने वह मुकाम, वह मनसब नहीं दिया है जिसका कि कांस्टीट्यूशन मुत्काजी है। मैं देखता हूं कि जितने भी कांपिटीटिव इम्तहान हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान हों या जितने भी प्रेस्टीज के इम्तहान होते हैं उनमें हिन्दी के मुकाबले में अंग्रेजी को सदकत हासिल होती है, अंग्रेजी छाई रहती है। उसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान में जो लोग अंग्रेजी पर उबूर नहीं रखते, हमारे नौजवान जो बड़े काबिल, बड़े जहनी बा-सलाहियत हैं लेकिन जिनको अंग्रेजी पर उबूर नहीं, वे महज इसी वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका अंग्रेजी पर काबू नहीं है, अंग्रेजी उनकी जबान नहीं है। उस जुर्म की सजा में हमारी नसलें तबाह हो रही हैं। मैं सरकार को वार्न करता हूं कि

उसे यह फैसला करना पड़ेगा, या तो आपको फिर विधान बदल कर अंग्रेजी को सरकारी जबान बनाना पड़ेगा जोकि मुल्क के लिए एक खतरे की निशानी है, मेरा खयाल है अंग्रेजों की जो लिगेसीज हैं जिन्होंने दबा रखा है हमारी तहजीब और तमद्दुन को आगे बढ़ने से, उसमें भी अंग्रेजी एक रुकावट बन रही है, इसलिए इस मामले में मैं चाहूंगा कि आप जबान के सिलसिले में कोई फैसला करें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा अपने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर से, बड़ी नम्रता के साथ कि हिन्दुस्तान के शुमाल में, जुनूब में उर्दू जबान बोली जा रही है, करोड़ों लोग इस जबान को बोलते हैं। कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर भी उर्दू जबान के माहिर हैं। हम सरकारी तौर पर गालिब इकबाल, फैज, मीर, फिराक गोरखपुरी को बड़ा एन्करेज कर रहे हैं, इन्टरनेशनल कांफ्रेन्सेज दिल्ली में हो रही हैं, लखनऊ में हो रही हैं। पिछले दिनों फैज अहमद फैज पर एक बहुत बड़ा सेमीनार लखनऊ में किया गया, जिसमें उनकी बेगम अलिस फैज को लाहौर से बुलाया गया। उस सेमीनार में यह बताया गया कि यह जुबान हमारी है और ये शायर हमारे हैं। इकबाल "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा" कहने वाला शायर हिन्दुस्तानी है। यह जुबान हमारी है और इसको अपनाना चाहिएं। लेकिन क्या इस जुबान की तरक्की इस तरह से मुमकिन है। आपने यू० पी०, बिहार, एम० पी० और दिल्ली में अभी तक इसको दूसरी जुबान के तौर पर कबूल नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में दस करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू जुबान बोलते है। अगर उनकी जुबान को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर मंजूर किया जाए तो हिन्दी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि उर्दू की धिक्कार कर हिन्दी भी तरक्की लॉपसाइडेड हो रही है। हिन्दी-उर्दू एक जुबान है। उर्दू-हिन्दी का चोली-दामन का साथ है, हिन्दी और उर्दू में इतना अन्तर जरूर है कि यह दो लिपियों में लिखी जा रही है, लेकिन उर्दू और हिन्दी का संगम हिन्दुस्तानी है। आज हम तकरीरें कर रहे हैं, जो भाषण हिन्दुस्तान मुल्क में दिए जा रहे हैं और जो हिन्दी-उर्दू अखबारात छप रहे हैं, वह इसी आसान जुबान में छप रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में अगर कोई जुबान है, फिल्म, ड्रामा और हमारी पब्लिक लाइफ में, तो हिन्दुस्तानी है। यही हिन्दुस्तानी हिन्दी और उर्दू का शीराजाबन्दी है। मरकजी सरकार को इस ओर तवज्जह देनी चाहिए। मेरी यह भी गुजारिश है कि हमारे बच्चों को मादरी-जुबान में तालीम मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आईन के शैड्यूल में दर्ज होने के बावजूद भी उर्दू के साथ डिसक्रिमेशन क्यों हो रहा है। मैं मरकजी सरकार से गुजारिश करूंगा कि उर्दू की तरक्की और उसको आगे बढ़ाना इतना ही काफी नहीं है, बल्कि आने वाली नसलें, जो हमारी उर्दू पढ़ी-लिखी होंगी, उनको यह पता चले कि उर्दू में तालीम हासिल करने के बाद उनको इस किस्म की अशोरेंस मौजूद है कि इस जुबान में पढ़ने के बाद उनके लिए नौकरी के दरवाजे तरक्की के रास्ते खुले हैं।

साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी कल्चरल हैरीटेज की तरफ ज्यादा तवज्जह नहीं दी जा रही है। जम्मू-काश्मीर की रियासत खुदा के फजल से हिन्दुस्तान की प्राचीन संस्कृति का सबसे बड़ा गहवारा है, आर्केलॉजीकल डिपार्टमेंट और बाकी इदारे इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर में आप घूमें और बैली में जाकर देखें, पांडवों के वक्त की प्राचीन यादगारें हैं, चाहे अवन्तीपुरा हो और चाहे पट्टन वगैरह, आस-पास के खण्डरात में बस्तियां-की-बस्तियां निकली हैं, जो पुराने वक्त की हैं। कनिष्क के दौर से और उससे भी पहले के वक्त की हैं। लेकिन मरकजी सरकार की लापरवाही और तवज्जह न देने की वजह से हमारी कल्चर की वरासत और निशानियां मिटती जा रही हैं। इसलिए मैं आनरेबिल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि वे इस तरफ तवज्जह दें।

श्री عبدالرشید کابلی (سری نگر): جناب عالی ملک کے اندر بے روزگاری بڑھتی جارہی ہے اور اس بنا پر کہ ہمارے ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان جو کالجوں اور باقی انسٹی ٹیوشنوں سے فارغ ہوکر باہر آرہے ہیں اُن میں اکثر بے کاری بڑھتی جارہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن ریسورسز منسٹری کی کامیابی اس بات سے پرکھی جائے گی کہ کسی حد تک ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہورہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد ایجوکیشن کا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ہم کتنے لوگوں کو ہر سال ایجوکیشن سے فارغ کرنے کے بعد ان کو روزگار دیتے ہیں، اگر ایجوکیشن کا مقصد صرف بی اے، ایم اے کرنے کے بعد ان کو بے کار بنا دینا ہے تو یہ پوری قوم کی طاقت اور اس کے وسائل کا نقصان کرنے کے برابر ہوگا، لہٰذا میں چاہوں گا سرکار کو اپنی پالیسیاں بنانے سے پہلے خاص طور پر ایجوکیشن کے سیکٹر میں دیکھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے وسائل فراہم کرتی ہے، فقط گریجویشن کرا دینے سے بے روزگاری بڑھتی جارہی ہے اور ملک کا فائدہ نہیں ہورہا ہے۔

میں آپ کے ذریعے سرکار کی توجہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی طرف لے جانا چاہوں گا، ہمارے منسٹر صاحب اس بات سے واقف ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں گاندھی جی نے کچھ خاص ہماری تعلیم کی بنیاد رکھنے کے لئے اور ہمارے ذہن کو بیدار کرنے کے لئے ہندوستان کی آزادی کے آنے والے دور کے مطابق جو ہماری ضروریات تھیں ان میں سے ایک چیز جامعہ ملیہ کو بھی سمجھا تھا اور مہاتما گاندھی نے اس کا انسٹیٹیوٹ لیا تھا، مولانا محمد علی، محمود الحسن، حکیم اجمل خاں جیسے بڑے نیشنلسٹ لیڈرس نے اس میں پہل کی اور اس آرگنائیزیشن اس کنسٹیٹیوشن کو قائم کیا، اس کے بعد ۱۹۲۰ سے باقاعدہ اس نے کام کرنا شروع کردیا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ ہمارے راشٹرپتی

ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک زمانے میں ۴۰ روپے کی ملازمت اس ادارے کو چلانے کے لئے قبول کی تھی اور اس طرح سے اپنی صلاحیتیں، اپنا خون جگر اس تنظیم پر صرف کیا تاکہ ہندوستان میں اس آرگنائزیشن کو جس کا نام جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے ترقی ملے، لیکن میں بہت دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس دلی میں دلی یونیورسٹی ۱۹۲۲ء میں بنی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ابھی بنی ان یونیورسٹیوں کی بڑی ترقی ہوئی ہے ان کی بڑی اہمیت ہوئی ہے، سرکار نے ان پر بے تحاشہ پیسہ خرچ کیا ہے ان ڈیولپمنٹ ہوا پر یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کو سرکار نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہماری اوپر کی سطح پر جو ہماری پالیسیز مرتب ہو رہی ہیں اس میں یہ دیدہ دانستہ غلط طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے جس کو درست کرنے کے لئے میں چاہوں گا جامعہ ملیہ یونیورسٹی کو اس کا وہ مقام اور وہ اسٹیٹس ملنا چاہیے جس کی وہ مستحق ہے۔

میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں عملی طور پر دو زبانیں سرکاری زبان کے طور پر قبول کر لی گئی ہیں، انگریزی اور ہندی لیکن ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جس کے اپنے ریسورسز محدود ہیں، جس کی اپنی مشکلات ہیں زیادہ دیر تک دو زبانوں کو نہیں چلایا جا سکتا، آنے والی نسلوں کے لئے ہندوستان میں دو زبانیں ہم سرکاری زبان کے طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے اس نے بھی ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اگر ہندی کروڑوں لوگوں کی زبان ہے اور اس کو پورے ملک میں اور ودھان میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے اس کو سرکاری زبان کے طور پر کیوں نہ قبول کر لیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر ہندی زبان کو آپ نے وہ مقام وہ منصب نہیں دیا ہے جس کا کہ کانسٹی ٹیوشن متقاضی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی کمپیٹیٹو امتحان

ہیں چاہے پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہوں یا جتنے بھی پریسٹیج کے امتحان ہوتے ہیں ان میں ہندی کے مقابلے میں انگریزی کو سبقت حاصل ہوتی ہے انگریزی چھائی رہتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ انگریزی پر عبور نہیں رکھتے، ہمارے نوجوان جو بڑے قابل، بڑے ذہین، باصلاحیت ہیں لیکن جن کو انگریزی پر عبور نہیں وہ محض اس وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کا انگریزی پر قابو نہیں ہے، انگریزی ان کی زبان نہیں ہے اس جرم کی سزا میں ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، میں سرکار کو وارننگ دیتا ہوں کہ اسے حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو آپ کو پھر وہ حالات پیدا کر انگریزی کو سرکاری زبان بنانا پڑے گا، جو کہ ملک کے لئے ایک خطرے اور پریشانی کی نشانی ہے، میں سمجھتا ہوں انگریزوں کی جو لیگیسیز ہیں، جنھوں نے دبا رکھا ہے، ہماری تہذیب اور تمدن کے آگے بڑھنے سے، اس میں بھی انگریزی ایک رکاوٹ بن رہی ہے اس لئے اس معاملے میں میں چاہوں گا کہ آپ زبان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ہیومن ریسورس منسٹر سے بڑی نمرتا کے ساتھ کہ ہندوستان شمال میں جنوب میں اردو زبان بولی جاتی ہے کروڑوں لوگ اس زبان کو بولتے ہیں، ہیومن ریسورس منسٹر جی اردو زبان کے ماہر ہیں، ہم سرکاری سطح پر غالب، اقبال، فیض، میر، فراق گورکھپوری کو بڑا انکریج کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنس دلی میں ہو رہی ہیں، لکھنؤ میں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں فیض احمد فیض پر ایک بہت بڑا سیمینار لکھنؤ میں کیا گیا جس میں ان کی بیگم ایلس فیض کو لاہور سے بلایا گیا، اس سیمینار میں یہ بتایا گیا کہ یہ زبان ہماری ہے اور یہ شاعر ہمارے ہیں، اقبال "سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا" کہنے والا شاعر ہندوستانی ہے یہ زبان ہماری ہے اور اس کو اپنانا چاہیئے، لیکن کیا اس زبان کی ترقی اس طرح سے ممکن ہے آپ نے

یوپی، بہار، ایم پی اور دہلی میں ابھی تک اس کو دوسری زبان کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، اس ملک میں دس کروڑ سے زیادہ لوگ اردو زبان بولتے ہیں اگر ان کی زبان کو دوسری سرکاری زبان کے طور پر منظور کیا جائے تو ہندی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کو دھتکار کر ہندی کی ترقی لاپ سانجھ ہو رہی ہے، ہندی اردو ایک زبان ہے، اردو ہندی کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہندی اردو میں اتنا انتر ضرور ہے کہ یہ دو لپیوں میں لکھی جا رہی ہے لیکن اردو ہندی کا سنگم ہندوستانی ہے آج ہم تقریریں کر رہے ہیں جو ہندوستانی بھاشن ملک میں دیئے جا رہے ہیں اور جو ہندی اردو اخبارات چھپ رہے ہیں وہ اسی ہندوستانی زبان میں چھپ رہے ہیں بولے ہندوستان میں اگر کوئی زبان ہے فلم، ڈرامہ اور ہماری پبلک لائف میں تو ہندوستانی ہی ہے، ہندوستانی ہندی اور اردو کا شیرازہ ہے، مرکزی سرکار کو اس اور توجہ دینی چاہیئے۔ میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم ملنی چاہیئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئین کے شیڈول میں درج ہونے کے باوجود اردو کے لئے ڈسکریمینیشن کیوں ہو رہا ہے، میں مرکزی سرکار سے گزارش کروں گا کہ اردو کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانا اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آئندہ نسلیں ہماری اردو پڑھی لکھی ہوں گی ان کو یہ پتہ چلے کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو اس قسم کی انسینٹیوز موجود ہیں کہ اس زبان میں پڑھنے کے بعد ان کے لئے نوکری کے دروازے اور ترقی کے راستے کھلے ہیں۔

ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کلچرل ہیریٹیج کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے جموں کشمیر کی ریاست خدا کے فضل سے ہندوستان کی پراچین سنسکرتی کا سب سے بڑا گہوارہ ہے، آرکیلاجیکل ڈیپارٹمنٹ اور باقی ادارے اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں، سرینگر میں آپ اگر ہیں اور دہلی میں جا کر دیکھیں یا نڈوؤں کے وقت کی پراچین یادگاریں ہیں، چاہے اونتی پورا ہو اور چاہے پٹن وغیرہ آس پاس کے کھنڈرات میں بستیوں کی بستیاں نکلتی ہیں جو پرانے وقت کی ہیں کنشکا کے دور سے اور اس سے بھی پہلے کے وقت کی ہیں، لیکن مرکزی سرکار کی لاپرواہی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری کلچر کی وراثت اور نشانیاں مٹتی جا رہی ہیں اس لئے میں آنریبل منسٹر سے گزارش کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिला, अथवा खेल या युवा मामलों के बारे में अभी बहुत अधिक मुद्दे नहीं उठाए गए हैं। इसलिए मुझे बहुत अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने। परन्तु मैं विभाग के उन कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए हस्तक्षेप कर रहा हूं जो मानव संसाधन विकास का एक हिस्सा है और हमारे कार्य का भी एक अंग है।

महोदय, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि नई शिक्षा नीति में महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तथा महिलाओं एवं लड़कियों के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, एन० सी० आर० टी० में एक विशेष सेल बना कर विशेष बल दिया जा रहा है। एन० सी० आर० ई० टी० पाठ्य-पुस्तकों की जांच करती है। मैं कहूंगी कि विगत में पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, हो सकता है अनजाने में ही, महिलाओं के विरुद्ध हूं समाज में कुछ भेदभाव अथवा पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति का प्रचार किया जा रहा था·····(व्यवधान) कुछ राज्यों ने प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए कदम उठाए थे जो कि एक अत्यन्त स्वस्थ प्रवृत्ति थी क्योंकि प्राथमिक स्कूल स्तर पर अधिक महिलाओं को अध्यापन कार्य देने से विशेषतौर पर देहाती इलाकों में अधिक लड़कियां प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेंगी। इसके अतिरिक्त गैर-औपचारिक शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय प्रणाली, महिलाओं के लिए गहन पाठ्यक्रम सभी की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और मैं जानती हूं कि आगामी वर्षों में साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी।

जहां तक महिला विभाग का सम्बन्ध है, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले छह महीनों में इस विषय में बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय समिति जो पहले थी, उसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में हाल ही में इसका पुनर्गठन किया गया है। इसमें महिला विकास के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लिया गया है।

महिलाओं की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने और यह पता लगाने के लिए कहां और क्यों वे सफल नहीं रहे हैं और क्या किया जाना शेष है, एक राष्ट्रीय कोर ग्रुप कुछ ही माह पूर्व गठित किया गया है ताकि 2000 ई० तक महिला विकास के क्षेत्र में कुछ ठोस परिणाम प्राप्त हो सकें। कोर ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसने कुछ सुधारात्मक उपाय, कुछ सकारात्मक हस्तक्षेप तथा मौजूदा योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रगति के बारे में अधिक बल देने की सिफारिश की है ताकि विशेषतौर पर महिलाएं लाभान्वित हो सकें।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : आप दो महिला मिनिस्टरों के अलावा, कोई महिला सदस्य इस समय सदन में नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैरो : कृपया इस बात को नोट कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि वे समूची·····का प्रतिनिधित्व करती है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : हो सकता है कि जहां तक इन मुद्दों का सम्बन्ध है पुरुषों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए, मैं आपकी आभारी हूं कि कम से कम आप तो यहां हैं···मुझे आशा हैं कि इससे अगली योजना की पृष्ठभूमि तैयार होगी जिसे तैयार किया जा रहा है क्योंकि निश्चित रूप से इससे कुछ तथ्य, आंकड़े और शायद कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त प्राप्त होंगे जिनसे महिलाओं के कार्यक्रमों में सुधार होगा। पिछले वर्ष हमने महिला कैदियों—नजरबन्द महिलाओं के लिए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर आयोग गठित किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अन्तः मन्त्रालयी ग्रुप गठित किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा कैसे सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है।

महोदय, स्वनियोजित महिलाओं के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। इसने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। श्रीमती ईला भट्ट इस आयोग की सभापति हैं। अन्तिम रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाने की आशा है।

महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए हमने कुछ नये कार्यक्रम चलाए हैं। एक कार्यक्रम महिला विकास निगमों की स्थापना है जिनमें 51 प्रतिशत निवेश राज्य सरकारें करती हैं और 49 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार देती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हम न केवल वित्तीय सहायता ही प्रदान कर सकें बल्कि महिलाओं के रोजगार के नये क्षेत्रों, लघु उद्योगों का अभिनिर्धारण भी किया जा सके। यह डिजाइन विकास, विपणन और अन्य प्राविधिक सहायता में भी मदद देगा जो न केवल महिलाओं को लघु परियोजनाएं स्वयं लगाने में सहायता देगा बल्कि उन्हें नये क्षेत्रों में बेहतर रोजगार प्राप्त करने में प्रशिक्षण भी देगा।

हमने संसद और उसके बाहर से आये सुझावों को देखते हुए विद्यमान योजनाओं में से कुछ को अधिक व्यवहार्य और सक्षम बनाने का प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ, कार्यशील महिला होस्टलों की योजना हैं। हमने कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए उनको अधिक लाभकारी बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया है। देश के विभिन्न भागों में रह रही विधवाओं तथा विशेषकर युवा विधवाओं के बारे में जिन समस्याओं पर चर्चा हुई थी, उनको देखते हुए कार्यशील महिला होस्टलों में दुखी विधवाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित करके उन्हें उनमें स्थान दिलाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। हमने महिलाओं में चेतना पैदा करने और शिक्षा-औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों के लिए, विशेषकर कानून विषयक प्रशिक्षण प्रदान करने और स्वैच्छिक संगठनों और समाज कल्याण बोर्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता सुविधाओं को जानकारी देने के लिए एक वृहत कार्यक्रम शुरू किया है। परामर्श केन्द्र और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और महिला वर्गों और व्यथित महिलाओं के लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है, सभा में कुछ संशोधनों और नए सती निरोधक अधिनियम, जो संसद में लाया गया था, पर चर्चा हो चुकी हैं। मैं यहां इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि संशोधनों और नये विधेयकों पर चर्चा के दौरान इन पर विस्तार से बहस हो चुकी है। मैं केवल यह कह सकती हूं कि हमारी समस्या कानून से सम्बन्धित नहीं है बल्कि उसका क्रियान्वयन

है और हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकारें विद्यमान समस्याओं में से कुछ की तरफ ध्यान दें क्योंकि हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है। विधान को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इन उपायों के क्रियान्वयन में न केवल उनके सहयोग की आवश्यकता है बल्कि इनके क्रियान्वयन में उनके सक्रिय रूप से भाग लेने की भी आवश्यकता है। हमने राज्य सरकारों के माध्यम से महिलाओं के लिए गृह के द्वारा महिलाओं की सहायता करने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया है। हमने रोजगार के लिए प्रशिक्षण सहायता नामक कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है और इसका विस्तार कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि हम जानते हैं, कतिपय अन्य सामाजिक बुराईयों का सामना करने में संभवतः मदद मिलेगी क्योंकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है और, इसलिए, जब आप महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों या उनसे संबंधित अन्य समस्याओं पर विचार करते हैं तो यह चौतरफा आक्रमण होना चाहिए।

दहेज कानून संशोधित किया गया है। परन्तु इसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से आप अवगत हैं। इसका कारण यह नहीं है कि समाज इसके बारे में सचेत नहीं है परन्तु इसकी वजह यह है कि प्रक्रियाओं और प्रोत्साहक तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं पारित किए गये विधान से लाभ उठा सकें। (व्यवधान)

श्री वीर सेन (खुर्जा) : इसका कारण यह है कि कानून के प्रावधान कठोर नहीं हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : उन्हें गत वर्ष संशोधन के बाद काफी कठोर बना दिया गया है। परन्तु यदि और सुझाव भी है, जिनकी तरफ, आप समझते हैं, कि हमें ध्यान देना चाहिए तो उनको सुनने और यह देखने कि विद्यमान विधान में कैसे सुधार लाया जा सकता है, हम हमेशा तैयार हैं। परन्तु मैं एक······(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लेकिन सती कानून को क्या हुआ ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : गैर-सरकारी सदस्य विधेयक सभा के समक्ष लाया जा रहा है और आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। देवराला की पिछली सती घटना के बाद ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ है जो यह सिद्ध करे कि विद्यमान कानून लाभकारी नहीं है। अतः संसद के प्रत्येक सत्र में कानून को बदलने और नियमों को संशोधित करने के प्रयत्न का कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि हम विद्यमान कानूनों में परिवर्तन की बात करें। हमें यह देखना होगा कि कैसे और कहां असफल रहा है।

जहां तक बच्चों के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है तो और जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, तथा जिनके लिए मुझे संसद सदस्यों से सबसे अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं, वे समन्वित बाल विकास सेवाएं है अर्थात बाल विकास सेवा खण्ड ! मैंने बार-बार कहा है कि हम जन-जाति खण्डों को अनुसूचित-जाति खण्डों को और शहरी गन्दी बस्तियों को प्राथमिकता देते हैं। हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किस प्रकार इन कार्यक्रमों को सब पर लागू करें जिससे जहां तक संभव हो 1990 तक इन सबको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

श्रीमती कल्पना देवी और श्री वी० सी० जैन ने, जो यहां नहीं हैं, समन्वित बाल विकास सेवाएं खण्डों के बारे में विशिष्ट मुद्दे उठाए थे। श्रीमती कल्पना देवी ने कहा था कि इनकी प्रगति

इतनी कम है कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमने 1975 में 33 ब्लाकों के साथ इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी और छठी योजना की शुरूआत में उस समय देश में कुल 150 खण्ड थे। आज, 1987 में, हम 1,480 खण्डों तक पहुंच चुके हैं, और नये खण्डों को शामिल करके, हम 1,708 खण्डों तक पहुच सकेंगे जिनमें 218 राज्यक्षेत्र में हैं। मैं यह नहीं कह सकती कि प्रगति अच्छी नहीं रही है। परन्तु मैं निश्चित रूप से प्रत्येक से सहमत हूंगी कि इस कार्यक्रम का आगे विस्तार किया जा सकता था, बशर्ते योजना आयोग हमें आवश्यक धनराशि दें, जो, जैसाकि, आप जानते हैं, हमेशा कम मिलती है।

हमने इस वर्ष विशेषरूप से 40 परियोजनाएं गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आवंटित की हैं। हमने यहां तक कि प्रशिक्षण आदि प्रक्रियाओं को भी छोड़ दिया है क्योंकि इसकी तात्कालीक आवश्यकता थी और वे सूखा के दौरान गुजरात और राजस्थान के बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों की देखभाल कर सके।

श्री जैन ने विशेषतौर पर राजस्थान के दो जिलों की परियोजनाओं के बारे में पूछा था। वे अभी यहां नहीं हैं लेकिन उन्होंने बाड़मेर और जैसलमेर के बारे में बोला था। मैं यह तथ्य रखना चाहूंगा कि इन दो जिलों में सभी विकास खण्डों समन्वित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत लाया जा चुका है। अतः उन्हें वास्तव में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

बच्चों के लिए अन्य दो कार्यक्रमों के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा कार्यक्रम क्रेच कार्यक्रम है जिसका हम एक बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे हैं। मैं यहां तथ्य और आकड़े नहीं देने जा रहा हू क्योंकि ये पहले ही प्रतिवेदन में दिये गये हैं। ये बहुत आवश्यक हैं क्योंकि काफी संख्या में कम आय वर्ग की कार्यशील महिलाएं जब काम पर जाती हैं तो उन्हें इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए, क्रेचों का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रारम्भिक बाल अवस्था शिक्षा और निगरानी कार्यक्रम शिक्षा विभाग से महिला और बाल विकास विभाग को अन्तरित कर दिया गया है। गत एक वर्ष में हमने इस कार्यक्रम का व्यापक विस्तार किया है। मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति से, आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

2.00 म० प०

जहां तक युवा और खेल विभागों का सम्बन्ध है, युवा कार्य विभाग की ओर, सदन में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जहां तक खेलों का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति उसके परिणामों की ओर देखता है। मैं कहना चाहूंगी कि हमने खेलों के सम्बन्ध में बहुत से नये कार्यक्रम शुरू किए हैं, क्योंकि हमें लोगों की इस चिन्ता का ध्यान है तथा हमें उनकी इस आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, कि खेलों के क्षेत्र में जो कुछ किया गया है वह उसके सकारात्मक परिणाम पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जैसाकि मैंने पहले कहा कि पिछली योजना के बजट में इस प्रयोजन के लिए 33 करोड़ रु० की राशि नियत की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 200 करोड़ रु० कर दिया गया है—इसमें प्रधानमन्त्री को, उनके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देना होगा, जो व्यक्तिगत रूप से खेलों में रुचि ले रहे हैं

तथा अब एकीकृत भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं । अतः खेलों के विकास के लिए बहुत से मामलों में वे व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे रहे हैं ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति के कारण भी खेलों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । स्कूलों में भी, आखिरकार इस बात पर बल देना आरम्भ कर दिया गया है तथा इस बात को समझा गया है कि किसी भी शिक्षा कार्यक्रम में खेलों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए । नवोदय विद्यालयों में विशेषरूप से खेल-कूद के लिए सभी प्रकार की आधार-भूत सुविधाएं होंगी, जो नवोदय विद्यालयों के विकास के लिए आवंटित सुविधाओं का एक हिस्सा होगी । मुझे आशंका है कि यदि कुछ राज्य नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं करते, तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने में पीछे रह जायेंगे जो खेलों के लिए उपलब्ध कराई जा रहीं हैं ।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : वे खेलों में पहले से ही आगे हैं, आप चिन्ता न करें ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : किन्तु हमें प्रत्येक चीज के लिए तो पूर्णतः इन्कार न करें ।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं तो केवल यह कह रही हूं कि आप नवोदय विद्यालय के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे; खेल भी जो इसके साथ चलते हैं ।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी राज्यों के युवा कार्य तथा खेल मन्त्रियों से बार-बार बैठकें हो रही हैं जिसके माध्यम से हमें नियमित रूप से परामर्श प्राप्त हो रहा है । यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे हम धन सम्बन्धी तथा अनुवर्ती कार्यवाही सम्बन्धी अनेक समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, तथा उन्हें सुलझा सकते हैं ।

एक समस्या तो यह है कि हम राज्यों को परियोजनाएं आवंटित करते हैं, संसद सदस्य हमें लिखते हैं; उसके लिए धन की पहली किश्त भेजी जाती है, किन्तु जब तक हम अनुदान की पहली किश्त की उपयोगिता के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लें, हम अनुदान की शेष राशि को जारी नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप मैंने पाया है कि देश में परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं तथा साथ-साथ ही नई परियोजनाओं के लिए मांग आती रहती है । हमने अब यह मामला योजना आयोग के साथ भी उठाया है । क्योंकि हमने पाया है कि राज्यों में अधूरी परियोजनाएं होने का कोई लाभ नहीं है, चूंकि उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कम से कम यह देखें कि जो विवरण हम उन्हें नियमित रूप से भेज रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाये, ताकि हमें स्थिति के सम्बन्ध में वापिस जानकारी प्राप्त होती रहे, क्योंकि ऐसा न होने पर अनुदान, जैसा कि आप जानते हैं दूसरी किश्त के लिए मार्च तक पड़े रहेंगे तथा प्रक्रिया के अनुसार अगले वर्ष में स्वयंमेव आगे नहीं बढ़ाये जा सकते ।

मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि हमने पिछले वर्ष चार देशों सोवियत संघ, जर्मन जनवादी गणराज्य, क्यूबा तथा मारीशस के साथ खेल प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किये हैं । ऐसी और भी संभावना है । क्योंकि विभिन्न देशों के साथ खेल सहयोग के क्षेत्र में रुचि बढ़ने से इस पर काफी

ध्यान दिया जा रहा है। मैं बंगलौर में दक्षिण केन्द्र के विकास में सोवियत संघ द्वारा दिये जा रहे सहयोग की विशेषरूप से सहायता करना चाहूंगी, जो खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के उत्कर्ष के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमें खेलों के उपस्कर, विशेषज्ञ तथा अन्य सामान उनसे प्राप्त हो रहा है।

एम० एन० आई० पी० ई० एस० तथा भारतीय खेल प्राधिकरण का विलय हो जाने से परस्पर व्यापन तथा आवृत्ति की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिली है। छः प्रादेशिक केन्द्र स्थापित हो रहे हैं। पहले हमारे पास ऐसा केन्द्र केवल पटियाला में ही था। इम्फाल में प्रादेशिक केन्द्र का औपचारिक रूप से कल से निर्माण कार्य शुरू होगा, जब प्रधान मंत्री इम्फाल में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 एकड़ भूमि पर उत्तर-पूर्व केन्द्र का शिलान्यास करेंगे। अन्य केन्द्र इस प्रकार होंगे—पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में पश्चिम क्षेत्र के लिए गांधीनगर में, बंगलौर, जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, दक्षिण के लिए, इसके अतिरिक्त गुवाहाटी तथा औरंगाबाद में खेलों के विकास के लिए उपकेन्द्र बनाये जायेंगे। निस्संदेह दिल्ली तथा पटियाला तो मुख्य केन्द्र हैं ही तथा शिमला में पर्वतीय केन्द्र बनाया जा रहा है और मनाली के लिए 'विन्टर गेम्स काम्पलेक्स' की योजना है। बम्बई में हम नौका-विहार केन्द्र का विकास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिन्थेटिक ट्रैक तथा कृत्रिम मैदान बनाए जा रहे हैं, इनमें से, देश के विभिन्न भागों के लिए नौ की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में 57 खेल फील्ड स्टेशन काम कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कालेजों को भी धन देना आरम्भ कर दिया है, क्योंकि हम विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करते। धन हमारी ओर से दिया जाता है तथा विश्वविद्यालय में खेलों के आंतरिक ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अपने प्रशिक्षण, चयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने सम्बन्धी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए नये मार्गनिर्देश तय किये गये हैं। शायद आप विभिन्न विचारों तथा प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में पढ़ रहे होंगे किन्तु पिछले एशियाई खेलों के बाद प्रक्रियाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए तथा खेलों और खेलों के विकास के लिए, करदाताओं को अन्य लाभों से वंचित रखकर, किए गए निवेश के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए हमने संसद के दोनों सदनों में की गई मांग पर उचित कार्यवाही की है। अतः हम आगे बढ़े हैं तथा इन्हें हम मार्गनिर्देश नहीं कहते। हमने इसे श्रेष्ठता के लिए चुनौती—'आप्रेशन एक्सीलेन्स' कहा है, ताकि हम परिणामों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकें। यह आगामी तीन वर्षों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम है (व्यवधान)

हम 1988 में किसी चमत्कार की आशा नहीं करते। ओलंपिक खेलों में हम सीमित रूप से भाग लेंगे, क्योंकि ओलंपिक खेलों के लिए कुछ प्रारम्भिक मानकों को उत्तीर्ण करना होता है परन्तु हम 1990 में बीजिंग में होने वाली आगामी एशियाई खेलों के लिए लम्बी अवधि की तैयारी कर रहे हैं (व्यवधान)

इस वर्ष भारत में कलकत्ता में दक्षिण एशियाई खेल सफलतापूर्वक आयोजित किए गए तथा केरल में राष्ट्रीय खेल बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किए गए। दिल्ली में सभी खेल आयोजित करने के पूर्व परिपाटी में हम परिवर्तन लाये हैं। हम देश के विभिन्न भागों में खेल आयोजित करने का प्रयास

कर रहे हैं, जिससे कि न केवल रुचि को, अपितु मूलभूत ढांचे को भी देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा सके ।

एन० एस० टी० सी० योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है । इस समय हमारे पास 63 विद्यालय हैं जिन्हें हमने भारतीय खेल प्राधिकरण के स्कूलों के रूप में अपनाया है, तथा विशेषरूप से चुने गये 345 बच्चों को इन विद्यालयों में दाखिल कराया गया है । हमने स्वयं महसूस किया है कि 3 वर्षों के अनुभव से हमें स्थिति का विश्लेषण करने तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हम इन सभी विद्यालयों में दी गई सुविधाओं में कैसे सुधार ला सकते है । अतः, हमने विशेषज्ञों का एक छोटा दल बनाया है, जो इन विद्यालयों में जाएगा तथा देखेगा कि क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

हमने विशेष क्षेत्र खेल योजना भी आरम्भ की है । संसद के वाद-विवाद में खेलों को गांवों, ग्रामीण विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, ले जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था । मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत बड़े स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं । इस योजना का उद्देश्य आदिवासी इलाकों में से तथा ऐसे क्षेत्रों में से, जिनका अंवेषण नहीं किया गया है, प्रतिभा की खोज करना है । जहां हमें तीरअंदाजी में बहुत अच्छी सफलता मिली है । जलक्रीड़ा केन्द्र अंडमान तथा अल्लप्पी में खोले जा रहे हैं । हम पूर्वोत्तर राज्यों में सम्पर्क खेलों के लिए कार्यवाही कर रहे हैं । हमने लद्दाख से लम्बी दूरी के धावकों को लिया है । हम कुछ परिणाम प्राप्त करने में सफल हुए हैं । उदाहरण के लिए हाल में हम रे प्रदर्शन में सुधार हुआ है तथा एशियाई तीरअंदाजी चैम्पियनशिप में 40 वर्षों के बाद हमें कांस्य पदक मिला है । एक वर्ष पहले इस विशेष क्षेत्र खेलकूद योजना के अन्तर्गत एक आदिवासी लड़के को चुना गया था और उसे विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया । इस लड़के ने, जोकि एक वर्ष पहले पत्थरखान में पत्थर तोड़कर 2 रु० प्रतिदिन के हिसाब से कमा रहा था, पदक जीता । आज वह एक कांस्य पदक जीतकर एशियाई प्रतियोगिता विजय तक पहुंच गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्रावास बनाने के लिए इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्रतिभा विद्यमान है । हमने पहले ही सात छात्रावास बना दिए हैं और हमें आशा है कि 1990 तक 20 छात्रावास हो जाएंगे जहां पर काम करने वाले युवा, खिलाड़ी अथवा वे व्यक्ति, जिनके अपने क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं है, रह सकेंगे । हम उनका स्थानांतरण कराने अथवा उन्हें कोई रोजगार दिलाने का प्रबन्ध भी करते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण, भोजन और आवास की निःशुल्क सुविधाएं देते है ।

एक वर्ष पहले विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किए गए थे । हमने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर नकद पुरस्कार भी शुरू किये है । लेकिन जो सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है शायद वह है जिला स्तर पर विद्यालयों के लिए धन के पुरस्कार राशि । आठ क्षेत्रों का चयन किया गया है । जिला स्तर की प्रतियोगिताओं को जीतने वाले विद्यालयों को अपने यहां खेल की बुनियादी सुविधाएं बनाने जुटाने हेतु 10,000 रु० की पुरस्कार राशि मिलती है । पिछले वर्ष, हमने जिला स्तर पर विद्यालयों को पुरस्कार राशि के रूप में 1.8 करोड़ रु० दिए । इस वर्ष यह राशि बढ़ कर 2.10 करोड़ रु० हो गई है जिससे पता चलता है कि प्रतियोगिता में अधिकाधिक जिले भाग ले रहे हैं ।

हम पहली बार, देश में भारतीय चिकित्सा परिषद के सहयोग से खेल कूद आयुविज्ञान में एम० बी० बी० एस० के पश्चात एक दस-मास का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है क्योंकि हम यह

समझते हैं कि खेल-कूद प्रशिक्षण और विकास में वैज्ञानिक आदान बहुत आवश्यक है। खेल-कूद आयु-विज्ञान, आयातित उपस्कार तथा दीर्घावधिक प्रशिक्षण को समग्र प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि खेल-कूद में हमने 1994 के राष्ट्रमंडलीय खेलों के आयोजन का प्रस्ताव किया है। हमें लगता है कि वर्तमान आधारभूत सुविधायें इन खेलों के आयोजन के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। हमें आशा है कि 1994 में हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेंगे जिससे हमारे देश की क्रीड़ा संस्कृति को नये आयाम मिलेंगे।

मैं यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने संशोधन कर दिया था कि ग्रामीण खेल मैदानों के विकास कार्यक्रम के लिए हम प्रति जिला 1.00 लाख रु० मंजूर कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि पूरे जिले के लिए यह राशि काफी कम है। अब हमने खण्ड स्तर पर शुरू किया है। अब प्रत्येक खण्ड में खेल की सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त एक केन्द्रीय (नोडल) स्कूल होगा। यह खण्ड के ही खेल-कूद विकास पर ध्यान देगा।

विशेष खेल-कूद विकास क्षेत्र योजना भी बनाई जा रही है जो अनेक खण्डों का एकीकरण करेगी और जिसमें हमारे पास स्टेडियम, छात्रावास, खेल-कूद के विकास की सभी सुविधाओं सहित सम्पूर्ण खेल आधारभूत सुविधा ढांचा होगा। इस प्रकार इससे निम्नतम स्तर पर खेल-कूद के विकास के लिए एक केन्द्र-बिन्दु बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

जहां तक युवा कार्यक्रमों का संबंध है एन० वाई० के० एस० अब एक स्वायतशासी संगठन बन गया है। 1990 तक हमें देश के प्रत्येक जिले तक कार्यक्रम पहुंचाने की आशा है। प्रत्येक जिले में युवा कार्यक्रमों के लिए 2 लाख रु० प्रति वर्ष का बजट होता है। अब हमें इस बजट के पर्याप्त हिस्से को खेलकूद विकास को भी आवंटित करने की आशा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के 3.5 लाख स्वयं सेवक अपने जारी कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भाग लेंगे। जो एकीकरण कैम्प और अन्य कैम्प लगाए जा रहे हैं, वे अब केवल एकीकरण कैम्प ही नहीं होंगे हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोफार्मा का पुनःनिर्धारण कर रहे हैं कि युवा इन कैम्पों में कुछ न कुछ रचनात्मक निर्माण के लिए हिस्सा लें चाहे यह आंगनवाड़ी बनाना हो अथवा स्थानीय जल निकास में सहायता करना अथवा कुछ भी हो, इन कैम्पों के माध्यम से युवाओं के लिए शारीरिक श्रमदान किए जाने की व्यवस्था हो।

युवा पुरस्कार पिछले वर्ष आरम्भ किए गए थे। देश के सभी भागों में व्यापक तौर पर अपने युवा कार्यक्रमों के रूप में युवा सप्ताह मनाया जा रहा है।

जहां तक युवा छात्रावासों का संबंध है, अब हमारे पास 22 छात्रावास हैं। सात निर्माणाधीन हैं और अन्य आठ को मंजूरी दे दी गई है, और राज्य सरकारों द्वारा भूमि आवंटन की प्रतीक्षा में है। निष्कर्षतः मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमें आशा है कि जैसे-जैसे हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, चाहे ये असंक्रमणीकरण के कार्यक्रम हो, पेयजल के अथवा दूसरे तरह के कार्यक्रम हो, युवाओं को अधिकाधिक कार्यक्रमों में लगाकर इनको व्यापक आधार पर कार्य प्रवृत किया जायेगा। हमें विश्वास है कि

यदि हम उन्हें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यप्रवृत कर सके तो राष्ट्रीय विकास में एक प्रचुर सम्पदा का उपयोग किया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर): आजादी की दौड़।

श्रीमती मार्गरेट आल्वा: यह विषय मेरे विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: यह खेलकूद का लपंग है अथवा······(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता: आपने तो शायद दौड़ लगाई हो लेकिन आपके विभाग ने नहीं लगाई। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी: आजादी दौड़ रही थी।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार): हमारा देश धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र है। लेकिन हमारा जो अभी तक का अनुभव है उसमें यहां पर कुछ भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं है। लोकतन्त्र भी अधर में है। आपके देख-भाल का क्षेत्र व्यापक है—मानव संसाधन विभाग। प्रथमतः, मैं आपका ध्यान उड़ीसा की तरफ दिलाना चाहूंगा। सबको खाना उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने हैं। उड़ीसा में ऐसा हो रहा है तथा उड़ीसा के कबीले वाले जिलों—कालाहारी और गंजम की ओर सरकार का ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं किया गया है। वहां कबीले लोग रहते हैं। सरकार हमेशा कबीले क्षेत्रों के विकास के बारे में बात करती है लेकिन सरकार का कोई अधिकारी वहां नहीं गया है और इस संबन्ध में न कोई वक्तव्य दिया गया है। मेरे विचार से उड़ीसा, विशेष रूप से कालाहारी और गंजम जिलों की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिए। अनेक लोग भूख से पीड़ित हैं। वहां भूख से मरने के भी मामले हुए हैं। बच्चों और स्त्रियों को बेचा जा रहा है। इस तरह की भुखमरी वहां फैली हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं। इसलिए हम भारत में साक्षरता की बात गर्वपूर्वक नहीं कर सकते हैं क्योंकि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में निरक्षर लोगों की प्रतिशतता यहां अधिक है।

लपंगेपन का रोग भी बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हम उन्हें आवश्यक भोजन देने में भी समर्थ नहीं हैं। हम समाजवाद की बात करते हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत धर्मनिरपक्ष और समाजवादी राष्ट्र है। लेकिन लोगों का जीवन स्तर विश्व में सबसे निम्न है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और अन्य शहरों, जहां लोग खेलों में भी भाग लेते हैं, के लिए अनेक खेल योजनाएं हैं। लेकिन गांवों में लोगों की स्थिति क्या है? वहां कोई विकास नहीं हुआ है। वहां पेयजल की कमी है। हम स्त्रियों और बच्चों के विकास की बात करते हैं। लेकिन गांव की स्त्रियों और बच्चों की स्थिति आज क्या है और इससे पहले क्या थी? दहेज-प्रथा और 'सती' प्रथा अभी भी प्रचलित है। आप शहरों के बच्चों की ही बात करते हैं। गांवों में जाकर वहां के बच्चों की स्थिति देखिए। मैंने बार-बार चाय बागानों के लोगों के बारे में कहा है और आप कबीलों की बात करते हैं। वहां कोई प्राथमिक स्कूल और उद्योग नहीं है। न राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है। हम 700 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। ये लोग गरीब

और अशिक्षित हैं इसलिए मैं एक बार फिर इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चाय बागानों के लोगों को प्राथमिक शिक्षा देने और बाद में उच्च शिक्षा देने के मामले की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। असम में भी कबीले लोग रहते हैं फिर भी उन्हें कबीले लोग नहीं माना जाता है और अब तक समस्त चाय बागानों के श्रमिकों और 90 प्रतिशत कबीले लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। उनके लिए कहां किस प्रकार के मानव संसाधन है? संसाधन वहां उपलब्ध नहीं है और उनका विकास भी नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हमने निर्णय ले लिया है तो हमें निर्धारित समय का पालन करना चाहिए। हमें मंत्री के उत्तर सहित इस चर्चा को समाप्त करना है। अन्यथा दूसरे मंत्रालय के मामलों को चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकेगा।

श्री पीयूष तिरकी : अतः आप इसका विकास किस प्रकार करेंगे? बेरोजगारी के मामले में विश्व में हमारा पहला स्थान है। दहेज के कारण होने वाली मौतों और महिलाओं के प्रति अत्याचार में भी हमारा पहला नंबर है। अंधेपन के रोग में भी विश्व में हमारा पहला नंबर है। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और किसी भी देश में इतने अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहते हैं। हमारे देश में विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं और यही स्थिति भिखारियों के मामले में भी है।

जैसा कि पहले मैंने पहले कहा है कि यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां समुचित विकास किया जाना है। ये लोग जानवर नहीं हैं बल्कि इंसान हैं। उन्हें भी विकास कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सरकार स्वयं को समाजवादी अथवा धर्मनिरपेक्ष कैसे कहती है। कितने वर्ष हुए हैं? लोकतांत्रिक देश के हैं इसलिए हम लोकतांत्रिक ढंग से काम करना चाहिए। अब आप पूरे भारत में आपातकालीन स्थिति लागू करना चाहते हैं। हर वर्ष लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सत्ता में कौन है। इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति आपकी काफी जिम्मेदारी है।

किसी भी विकास कार्य के लिए आपको उस क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेना होगा। केवल ठेकेदारों की सहायता से ही कार्य करने का प्रयास न करें। प्रत्येक गांव में विकास कार्य केवल धन खर्च करके ही नहीं बल्कि लोगों को विश्वास में लेकर शुरू किया जाना चाहिए इससे विकास का लाभ इन स्थानों पर पहुंच पाएगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि कोई भी विकास कार्य उस क्षेत्र के व्यक्तियों को विश्वास में लेकर ही शुरू किया जाना चाहिए, तब ही आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जबकि उनकी संख्या कुछ कम होनी चाहिए थी क्योंकि चर्चा चल रहे कार्यक्रम पर है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष काफी भिन्न और अच्छी चर्चा हुई थी क्योंकि एक कार्यक्रम विचाराधीन था। मैंने सभा के समक्ष सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को स्पष्ट किया था और सभा में मेरे प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया हुई थी इसलिए पिछले वर्ष मुझे अधिक बेहतर सुझाव मिले थे और उन्हें योजना में शामिल किया गया था। आज केवल यह प्रश्न है कि क्या किया गया है और क्या किया जाना है। इसलिए यह गुणात्मक रूप से इतने बेहतर

नहीं होंगे लेकिन इनकी संख्या अधिक होगी फिर भी इतने अधिक सुझावों में से कुछ बेहतर सुझाव लिए जाएंगे। इस हद तक यह एक उचित चर्चा है।

शिक्षा और नीति के क्रियान्वयन सम्बन्धी विनिर्दिष्ट विषय पर बोलने से पहले मैं सदस्यों का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। यह केवल तथ्य का ही नहीं बल्कि न्यूनता का प्रश्न है। देश के सभी भागों के अनेक सदस्यों ने यह बताया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कौन से कार्य हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। यह ठीक है लेकिन यदि मैं एक वर्ष में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एकरूप प्रगति की सूचना न दे पाऊं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि इसे चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया है। यदि कोई माननीय सदस्य यह कहे कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए थे वह नहीं हुए हैं तो मुझे पिछला सन्दर्भ देते हुए यह बताना पड़ेगा कि इस एक वर्ष में कौन से कार्य किए गए और इस एक वर्ष में यदि उसका क्षेत्र शामिल नहीं किया गया तो यह कहा जा सकता है कि शिकायत तब तक जारी रहेगी जब तक उसे चरणबद्ध कार्यक्रम में शामिल नहीं कर लिया जाता। उदाहरण के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड देश के 20% ब्लाकों में शुरू किया गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। यह एक भिन्न बात है लेकिन जो राज्य इसमें आते हैं उन्होंने अपने केवल 20 प्रतिशत ब्लाक दिए हैं। प्रत्येक ब्लाक की सूची बनी हुई है, प्रत्येक स्कूल की सूची बनी हुई है प्रत्येक स्कूल में जो कमी पाई गई है उसकी सूची बनी हुई है और उस स्कूल के सम्बन्ध में राज्य को जो धन आवंटित किया गया है उसकी सूची बनाई गई है। इसलिए हम हर स्कूल में निचले आधार स्तर तक गए हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। चाहे चुनाव क्षेत्रों के बारे में सामान्य टिप्पणियां तो ठीक हैं परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि किस स्कूल, किस ब्लाक में अभी तक यह शुरू किया गया है अथवा नहीं और क्या 1989 तक शुरू किया जाएगा अथवा नहीं। इसलिए किसी विशेष प्रश्न का एक विशेष तरीके से उत्तर सभी विवरण जानने के बाद ही दिया जा सकता है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है तथा सदस्यों से मेरा यह अनुरोध एवं अपील भी है कि हम आपको राज्यवार, जिला वार, चुना गया ब्लाक, 'डाइट' की स्थापना के लिए चुना गया जिला तथा पिछले एक वर्ष में क्या काम किया गया तथा अगले वर्षों में विशेषरूप से क्या किया जाएगा, क्योंकि चरणबद्ध कार्यक्रम पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, इसका पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे। संसद के प्रत्येक सदस्य को मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार विशेषरूप से चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। क्या सदस्य कृपया इस चरणबद्ध प्रारूप को देखेंगे तथा जहां भी उन्हें लगे कि किसी विशेष स्थान अथवा ब्लाक को शामिल तो कर लिया गया है परन्तु वहां कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है या जिस तरह काम किया जाना चाहिए उस तरह नहीं किया गया है यह सब आप मेरी जानकारी में लाएं। वस्तुतः हम कुछ दल भी निगरानी के लिए भेज रहे हैं परन्तु निगरानी भी पूरे देश में नहीं की जा सकती। शत-प्रतिशत निगरानी भी नहीं की जा सकती। निगरानी भी नमूने के तौर पर ही की जा सकती है तथा उसमें भी समय लगता है। इसलिए संसद के 800 सदस्य मेरे लिए निगरानी करें, वह मुझे बताएं तथा सूचना दें। यही मेरी अपील है। अगले एक महीने में मैं उनको एकत्रित की गई सारी जानकारी तथा अगले वर्ष में क्या विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे इसकी जानकारी दे दूंगा। उन्हें हमारी सहायता करने दें क्योंकि भारत के शिक्षा के इतिहास में केन्द्र सरकार पहली बार निचले आधार स्तर तक गई है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड को हल्के ढंग से नहीं लिया गया है इसे पूरी गम्भीरता के साथ शुरू किया गया है क्योंकि यदि देश में प्रत्येक स्कूल की आवश्यकताओं को देखें तो पता चलता है कि सरकार ने कितना विशाल कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाया है। हमें थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा सहयोग चाहिए ऐसी सामान्य आलोचना की आवश्यकता है जो कहीं भी किसी समय या स्थान पर संगत

है। इसलिए मेरा यही पेशकश है जिसके परिणामस्वरूप यदि मुझे संसद सदस्यों का पूरा सहयोग मिले तो मैं यह कहूंगा कि वे देश के शिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक रूप से भागीदार होंगे।

कुछ सदस्य मेरे पास आए हैं तथा उन्होंने यह पूछा है कि वह किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं देख रहा हूं कि संसद सदस्य पहली बार आलोचना के साथ-साथ अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस प्रकार उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास कोई अन्य प्रस्ताव है, या किसी अन्य तरीके से संसद सदस्यों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में उदाहरणतया पिछड़े क्षेत्रों पर विशेषरूप से ध्यान दिया गया है। इसे आंकड़ों से साबित किया जा सकता है। गैर-पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में हमने पिछड़े क्षेत्रों को दोगुने अतिरिक्त अध्यापक दिए हैं। हरेक बात में हर प्रकार से यह ध्यान रखा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से अधिक प्राप्त हो। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के हितो का इस कार्यक्रम में यथासम्भव ध्यान रखा गया है। मेरा यह विनम्र दावा है कि हर समय इस बात का ध्यान रखा गया है। यदि आपको लगे कि इसे ध्यान में नहीं रखा गया है अथवा यदि आपको इधर-उधर कहीं उल्लंघन लगे तो मैं आपकी बात मानकर वहां जांच करूंगा। महोदय, मुझे मालूम है कि कई कार्यक्रमों में, भारत के दो या तीन राज्य हर बात के लिए एक प्रकार का वातावरण बनायेंगे और हो सकता है उससे सफलता अथवा असफलता का संकेत मिले, मुझे नहीं मालूम वे कौन से राज्य है, परन्तु सभी शिकायतें उन तीन या चार राज्यों से प्राप्त होती हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वस्तुत: मैं वहां जाना चाहता हूं और वहां सफलता अथवा असफलता का पता लगाना चाहता हूं।

कुछ क्षेत्रों में हर कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयां आती हैं, हो सकता है वहां इस प्रकार की स्थानीय कठिनाइयां होती हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं है हमें इसकी जांच करनी होगी। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चेन मे सबसे कमजोर कड़ी भी काफी मजबूत होती है इसी प्रकार शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम अथवा उनका कार्यान्वयन जिन क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ है या कम सफल हुआ है वहां भी पूर्णतया सफल होगा। जहां हम असफल होंगे वहां मैं असफलता मानने के लिए भी तैयार हूं। जब असफलता आपके सामने खड़ी है तो उसे अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, यदि आवश्यकता होगी, तो मैं उनसे अलग से बातचीत करने को तैयार हूं। हम इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे यह देखेंगे कि कार्यक्रम ठीक तरह से क्यों नहीं चल रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तथा गलत दिशा में क्यों जा रहा है, इत्यादि। इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यह राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों के साथ सूक्ष्म रूप से योजना बनाने का प्रश्न है। शिक्षा के इस विशाल कार्यक्रम से जो भी सम्बन्धित होगा उसका ध्यान रखना होगा। तभी हमें कुछ परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। यह केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने का ही प्रश्न नहीं है। यह सभी का काम है। अब यह पहली बार, नई शिक्षा नीति के बन जाने के बाद, केन्द्र सरकार का कार्यक्रम बन गया है। इसलिए हमें नए उत्साह के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए।

मेरे सहयोगियों ने मेरा भार काफी हल्का कर दिया है। सैकेन्ड्री शिक्षा, खेलकूद तथा महिलाओं आदि के कार्यक्रमों का ब्यौरा देकर उन्होंने काफी हद तक मेरा भार हल्का कर दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मानव संसाधन विकास की अवधारणा एक बिल्कुल नई अवधारणा है जो कि नई शिक्षा नीति में पहली बार पिछले दो या तीन वर्षों से शुरू की गई है तथा 1987-88 में पहली बार इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसलिए यह एक नया क्षेत्र है, जिसके बारे में कोई भी निश्चित नहीं है जिसके बारे में कोई यह नहीं कह सकता कि यह पत्थर की लकीर है अथवा इस विषय पर यही आखिरी

बात है तथा इस सम्बन्ध में इसके बाद अब कुछ नहीं कहा जा सकता । यह अभी अस्पष्ट है, इस पर प्रयोग किए जा रहे हैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है । और आज हमारे सामने यही चुनौती है । यह एक नया मार्ग है तथा पुराने रास्तों पर चलने वाला सरल तरीका नहीं है जिस पर शताब्दियों से हमारे पूर्वज चले आ रहे हों । ऐसा कार्यक्रम आज नहीं बनाया जा सकता है । यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमें मार्ग निर्धारण करके मार्ग ढूंढना है पथ प्रदर्शक बनना है । तथा अनुयायियों की तुलना में पथ प्रदर्शक अधिक गलतियां कर सकता है । इसलिए मैं सदस्यों को आगाह करना चाहूंगा कि पहले से हमारे लिए कोई रास्ता तैयार करके नहीं रखा गया है । हमें स्वयं रास्ता ढूंढना है जिसमें हमें नए परीक्षण करने होंगे और उसमें गलतियां भी होंगी । हम गलती भी कर सकते हैं परन्तु हमें उस गलती को समझ कर उसे सही भी करना होगा । नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में इस प्रकार के व्यावहारिक, गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।

महोदय, मुझे वास्तव में बहुत निराशा हुई है कि हमें अधिक राशि, 800 करोड़ रु० से अधिक, नहीं दी गई । हमें यह निराशा कहां ले जाएगी । मैं सभा के समक्ष यह कहना चाहूंगा कि हमें इन्जीनियर की तरह काम करना होगा । इन्जीनियर अपना काम वर्षा के मौसम में शुरू करने नहीं जाता । बरसात के मौसम में वह सब कागजी कार्यवाही करता है तथा केवल अक्टूबर और नवम्बर में यह फील्ड वर्क शुरू करता है । इसी प्रकार हमें उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना है जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता नहीं है । मैंने और प्रो० बैरो ने लगभग 20 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय परीक्षा सुधार समिति में कार्य किया था । मैं दावा करता हूं और मुझे आशा है कि प्रो० बैरो मेरी बात से सहमत है कि हमने एक अत्यन्त व्यावहारिक, तथ्यपरक एवं सुन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । और मुझे याद नहीं कि इसको लागू करने में कोई वित्तीय कठिनाई पेश आई हो । 20 वर्ष तक इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? क्या केवल वित्तीय कठिनाई ही बाधक है ? नहीं, वित्तीय कठिनाई कभी नहीं आई । वास्तव में, यदि हमने उस रिपोर्ट के कुछ भाग को लागू किया होता तो हम कुछ धनराशि बचा लेते । कभी-कभी मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद, मुझे उस रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़े । अब भी वह हमारे पास है । परन्तु जब मुझे पहली बार उस रिपोर्ट की प्रति की आवश्यकता थी तो आपने कहा कि कैसी रिपोर्ट, हमें याद नहीं है ।

श्री ए० ई० टी० बैरो : आपको 'श्री बैरो' को पत्र लिखना चाहिए था ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, आपको लिखने से पहले, मुझे प्रति मिल गई । अन्यथा अन्तिम उपाय के रूप में मैं आपके पास ही आता या मैं हैदराबाद अथवा दूसरे स्थानों पर रखी अपनी पुस्तकों को तलाश करके वह रिपोर्ट प्राप्त करता । अतः स्थिति यह है । जब भी शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में कोई रिपोर्ट पेश होती है, तो एक गलत प्रवृत्ति बन गई है कि पहले धन सम्बन्धी पहलू को देखा जाता है ।

[हिन्दी]

"अरे भाई पैसा तो मिलने वाला नहीं है, यह तो ऐसे ही चलता रहेगा ।"

ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है और हमें उन बातों की ओर ध्यान केन्द्रित करना होगा । यदि एक वर्ष के लिए सूखे के कारण, जो किसी की बस की बात नहीं है, यदि नए कार्यक्रमों अथवा विस्तार कार्यक्रमों पर अंकुश लगता है तो हमें धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, और इतना निराश नहीं होना चाहिए कि देश भर में निराश की भावना पनप जाए । हमें ऐसे कार्यक्रमों

पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जिनके लिए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे अनेक कार्यक्रम तत्काल बना सकता हूं जिनके बारे में क्षेत्रीय स्तर पर सुस्पष्ट समझ और समाधान की आवश्यकता है। धन अभाव के कारण वह नहीं रुकेगा। इसलिए हमें इन मामलों में भी व्यावहारिक होना पड़ेगा। प्रारम्भिक चरण में यह सम्भव है। बहरहाल, इस वर्ष भी हमने कार्यक्रम निर्धारित करने में सात या आठ माह का समय लिया। प्रत्येक गांव में जाकर वहां की स्कूल सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाना क्या मजाक है? क्या अभी तक ऐसा किया गया है? क्या यह कार्य एक या दो महीने में किया जा सकता है? हमें सात या आठ महीने कार्य करना होगा। हमें इन राज्यों में विशेष दल भेजने होंगे। हमें राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से राज्य स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त विशेषतौर पर प्राधिकृत समितियां बनानी होंगी। यदि किसी राज्य से पूरा सहयोग नहीं मिलता है तो क्या किया जाए? अतः यह कार्यक्रम एक संयुक्त कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है। इसी भावना से हमने यह कार्य शुरू किया था। इसीलिए, हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हमने केवल 1987-88 में ही कार्य नहीं किया बल्कि हमने आगामी 2-3-4 वर्षों में किए जाने वाले कार्य का पूर्वाभ्यास भी किया। आठ महीने में पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का स्वरूप देखिए। इस कार्यक्रम के आकार को उस दृष्टिकोण से देखना होगा। यदि हमारा अध्ययन कार्य अधिक है और हमें कार्यक्रमों के संचालन हेतु अधिक लोग चाहिए तो हम एक तन्त्र विकसित करेंगे जिससे यह सम्पूर्ण मानीटरिंग हो जाएगी। इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए विस्तार नहीं करना होगा बल्कि ऐसे कार्य के लिए केवल व्यक्ति सुलभ करने होंगे। मैं उन लोगों की सूची बनाने को तैयार हूं जो इस कार्य को स्वेच्छा से करना चाहते हैं। हजारों लोगों की आवश्यकता होगी। उनके यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा। परन्तु इससे बहुत-सी जानकारी प्राप्त होगी। अतः मैं संसद को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताने को तैयार हूं जिन पर बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है। हमें कार्यक्रम के उस भाग पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और जब भगवान की कृपा से वर्षा हो जाए और देश में सूखे की स्थिति समाप्त हो जाए तब योजना आयोग से इस वर्ष की धनराशि मांग सकते हैं। शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में ऐसी भावना से कार्य करना चाहिए।

महिला शिक्षा के बारे में, मेरे सहयोगी पहले ही जानकारी दे चुके हैं। नवोदय योजना से संबंधित समस्त ब्यौरा शाहीजी दे चुके हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मेरे लिए तो कम से कम यह एक महान और नया अनुभव है। यदि आप किसी स्कूल में जाएं, चाहे वह निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों का स्कूल है अथवा धनाढ्य वर्ग की, क्योंकि इस स्कूल में विद्यार्थियों का आकलन धन के आधार पर अथवा उसके पिता की बैंक जमा पूंजी के आधार पर नहीं किया जाता, आप देखेंगे वहां बुद्धिमत्ता की दृष्टि से सभी प्रकार के लड़के और लड़कियां हैं। इस प्रकार अध्यापक सरलता से उनकी बुद्धि का आकलन कर सकते हैं। वह पिछड़े विद्यार्थी को पढ़ाएगा जबकि जो विद्यार्थी समझ चुका है, वह अध्यापक को अधिक तंग नहीं करेगा अथवा हो सकता है वह ध्यान न दे, परन्तु कुछ हद तक विभिन्न योग्यता वाले स्कूलों में अध्यापक का कार्य सरल है। परन्तु नवोदय स्कूल की स्थिति नई है जहां लड़के और लड़कियां ज्ञान अर्जन के लिए लालायित हैं। वे इतने बुद्धिमान हैं कि एक साथ इतने बुद्धिमान विद्यार्थियों को पढ़ाना अध्यापकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।

आज, माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयां वास्तविक कठिनाइयां नहीं हैं। मैं चयन प्रक्रिया को और अधिक दोष रहित बना सकता हूं। श्री शाही ने बताया कि लड़के किस वर्ग से हैं। मैंने

स्वयं इसकी जांच की है; मैं एक या 2 स्कूलों में गया हूं जहां मैंने प्रत्येक विद्यार्थी, लड़के या लड़की, से बात की है और उनसे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं। कभी मुझे उत्तर मिला कि वह पुलिस सिपाही हैं, कभी उत्तर मिला वे दिहाड़ी कमाने वाले हैं या स्कूल अध्यापक हैं आदि-आदि। परन्तु मुझे आज तक 1000 या 2000 एकड़ भूमि के स्वामी किसी जमींदार का बच्चा नवोदय विद्यालय में नहीं मिला। अभी तक और यह 'अभी तक' महत्वपूर्ण है, हम चाहते हैं कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों की वर्ग संरचना ऐसी ही रहे। इन स्कूलों में इस मामले में भ्रष्टाचार न पनप पाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह स्वयं एक बड़ा कार्य है। परन्तु मेरी प्रमुख समस्या 'अध्यापक' है। मैंने देखा है कि अध्यापक एक सामान्य स्कूल में, जहां विभिन्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थी होते हैं चाहे वह अन्यथा कितना भी अच्छा क्यों न हो, ऐसे स्कूल में जहां जिले के सभी क्षेत्रों से प्रतिभावान व बुद्धिमान विद्यार्थी आते हैं वह स्वयं को अधूरा महसूस करेगा : मैं इस समय इसी बात पर ध्यान दे रहा हूं, और यदि आप मुझसे पूछें तो अगले एक वर्ष के लिए नवोदय विद्यालय संगठन को केवल इसी पर ध्यान देना पड़ेगा, न केवल बाकी बातों पर, बल्कि बाकी मामलों को छोड़कर भी हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा, योजना अगले वर्ष तक असफल हो जाएंगी। यदि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित नहीं रखा जाता, यदि विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बार-बार बढ़ावा नहीं दिया जा सकता तो स्कूल के स्तर का विकास होना बन्द हो जाएगा और वह अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाएगा, जबकि नवोदय स्कूल का स्तर कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए। इसकी उपलब्धियां, समझ, जिज्ञासा और चुनौती का ग्राफ हमेशा उठता रहना चाहिए। हम उस स्कूल को वैसा ही चाहते हैं। हमें देखना होगा कि वह हमारी इच्छानुरूप कैसे बनेगा। अन्ततः जैसाकि मैंने कहा यह सब अथाह सागर-सा है और इस सागर में हम कहां पहुंचेंगे, हमें नहीं मालूम। पिछले दो वर्षों का अनुभव काफी अच्छा रहा है और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मन्त्री हूं, इसलिए भी नहीं कह रहा कि—मैं नवोदय विद्यालय समिति का प्रेसीडेंट हूं, बल्कि इस क्षेत्र के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका जन्म ऐसे गांव में हुआ था, जहां पर—जब मैं पढ़ता था तो, कोई स्कूल नहीं था, मैं जानता हूं कि इन स्कूलों में हमें जो सुधार दिखाई दे रहा है और जिस तरह की प्रतिभा हमें वहां पर हमें मिल रही है—वह शानदार है। और हमें इसे बढ़ावा देना है, तथा इसी भावना से हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।

श्री ए० ई० टी० बैरो : इस प्रयोजनार्थ अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम उसी बात पर विचार कर रहे हैं। हो सकता है अगले सत्र में मैं इसके बारे में आपको और अधिक बता सकूं। यह बात नहीं कि प्रत्येक अध्यापक नाकाबिल है किन्तु जिस बात का मैं पहले से अनुमान लगा रहा हूं वह यह है कि अध्यापक उस प्रतिभा-स्तर के साथ खरे नहीं उतर सकते जिसके लिए उन्हें काम करना है। इस समय हां, पहले एक या दो वर्ष, प्रधानाचार्य के एक बहुत अच्छा व्यक्ति होने के कारण अध्यापकों के लिए ऐसा करना लाजिमी हो। किन्तु आप यह आशा नहीं कर सकते कि सिर्फ कहने भर से उत्तम कोटि के 450 प्रधानाचार्य उपलब्ध हो जाएंगे। आपको अध्यापक बदलने पड़ेंगे। इसीलिए हमने उन्हें अन्तिम रूप से, स्थाई आधार पर भर्ती नहीं किया है। वे जहां से आए हैं वहां वापिस भेजे जा सकते हैं और अपने काम पर फिर लग सकते है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति की आकर्षक शर्तों पर हमारे यहां नियुक्त हुए हैं। कम से कम पहले 5 या दस वर्षों तक मैं नहीं जानता कि कितनी समय-सीमा तक स्थाई भर्ती न करने का वास्तविक आशय यही है। किन्तु हमने ऐसा इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। अन्यथा कोई अध्यापक, अच्छा, बुरा या लापरवाह, जिसे

गलती से या गफलत से हुए गलत निर्णय के कारण बहुत अच्छा समझ लिया जाता है, की यहां भर्ती कर ली जाती है, तो अगले 30 वर्षों के लिए वह स्थाई बोझ बन जाता है, और संस्था को नुकसान होता है।

इसलिए इन नए स्कूलों के सम्बन्ध में इस वास्तविकता को स्वीकार किया गया है।

एक बात जो सभा की जानकारी में पूरी तरह से नहीं लाई गई है या जो सदस्यों की जानकारी में नहीं आई है, वह है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्—अब मैं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं—विधेयक पारित हो गया है। अब यह कानून बन गया है। सामान्यतया ऐसा करने में काफी समय लगता है। आखिरकार यह कहा गया है कि वादी की समस्या तब शुरू होती है जब उसे भारत के किसी न्यायालय से डिग्री प्राप्त होती है। इसी तरह जब कोई विधेयक संसद में पारित होता है तो प्रशासक की समस्या शुरू होती है, क्योंकि कार्यान्वयन में काफी बाधाएं हो सकती हैं। यह एक अदृश्य बाधा-दौड़ है। अदृश्य इस दृष्टि से कि आप इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि कौन-सी बाधा आएगी। एक सामान्य बाधा दौड़ में आप जानते हैं कि अमुक स्थान पर एक बाधा है किन्तु यहां आप नहीं जानते कि सामने कोई बाधा है, वह अचानक आती है। इसलिए एक बार जब हम विधेयक पारित कर देते हैं और उसे एक कानून बना देते है तो यह एक किस्म की अदृश्य बाधा-दौड़ बन जाती है, जिसका हमें सामना करना होता है। हमने न केवल इसे कानून बना दिया है, अपितु कानून के अन्तर्गत बनाए जाने वाले निकाय भी गठित कर लिए गए हैं, और अगले शैक्षिक वर्ष अर्थात् जून के बाद से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नए कानून के अन्तर्गत सही ढंग से शुरू हो जाएगी। मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा करता हूं कि यह एक उपलब्धि है क्योंकि हमने इस विषय पर बहुत बार बैठकें कीं, दिन-रात बैठकें कीं, अधिकारियों की बैठकें हुईं और हम पूरे मसले तक पहुंचे और एक किस्म के युद्ध स्तर पर हमने यह कार्य किया। परिणामतः हम विधान के द्वारा बहुत आशाओं के साथ यह नया निकाय प्राप्त कर सकेंगे, जैसाकि सभी माननीय सदस्य जानते भी हैं। वे आशाएं झूठी नहीं पड़ेंगीं और निकाय गठित होगा और अगले शैक्षिक वर्ष से काम करना आरम्भ करेगा।

इस मामले में हमने बहुत सी बातों का ध्यान रखा है, लड़कियों की तकनीकी शिक्षा का ध्यान रखा गया है, कम्यूनिटी पोलिटैक्निक का ध्यान रखा गया है, और हमने इन संस्थाओं की सूची बनाई है। जैसाकि मैंने कहा है, मैं उन संस्थाओं की एक सूची भेजूंगा जिसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और यदि वहां आपको कोई कमी दिखाई देती है तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा—और देखूंगा कि इसमें किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है।

फिर उच्चतर शिक्षा की बात आती है। मैं जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अन्य कई बातें भी शामिल की गई हैं। उच्चतर शिक्षा के बारे में हमें सिर्फ दो महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। एक है स्वायत्तशासी कालेजों का प्रश्न, जिसके बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। शिक्षा जैसे मामलों में भिन्न-भिन्न राय होना स्वाभाविक है किन्तु हमने स्वायत्तशासी कालेजों को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया है, क्योंकि यदि हम किसी कालेज को स्वातत्तता देते हैं, जो इसके लायक नहीं है तो पूरी योजना बदनाम होती है। इस बारे में मुझे कोई संकेत नहीं है। इन कालेजों को स्वायत्तता हमें बहुत सोच कर देनी होगी। यदि कोई कालेज इस लायक है और उसे स्वायत्तता नहीं मिलती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस समय इसे स्वायत्तता नहीं मिली हुई है। किन्तु यदि किसी महाविद्यालय को स्वायत्तता मिल जाती है और वह इसका दुरुपयोग करता है या उस कालेज के शैक्षिक प्राधिकारियों के हाथ में जाकर यह असफल

हो जाता है तो यह अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि हमने 500 कालेजों की बात की है, हम चाहते थे कि सभी उपलब्ध सुविधाओं, सभी उपलब्ध सम्भावनाओं इत्यादि पर विचार करके, आकलित आंकड़ों पर आधारित न होकर यह संख्या हमारे अभीष्ट लक्ष्य के अनुसार और अधिक होती। वह आंकड़े ऐसे नहीं हैं जिन्हें अलंघ्य माना जाए। अलंघ्य बात यह है कि हम नहीं चाहते कि कालेजों की स्वायत्तता की यह योजना लक्ष्य से परे हट जाए। यदि यह संख्या 200 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि यह 1.0 हो जाए, क्योंकि शिक्षाविदों के एक भाग ने बहुत विवेकपूर्ण चर्चा की थी और अलग-अलग मत व्यक्त किए थे।

इसलिए हम उसमें कोई असावधानी नहीं बरतना चाहते। निश्चय ही उसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी बाते हैं, किन्तु हमने सोच समझकर निर्णय लिया है और उस निर्णय का कार्यान्वयन इस ढंग से नहीं किया जा सकता कि इसका प्रयोजन ही पूरा न हो सके। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा। 500 की संख्या को ही सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए, हो सकता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर-अन्दर हम 500 का लक्ष्य प्राप्त न कर सकें। हमें पहुचना इस लक्ष्य पर है कि स्वायत्तताप्राप्त कालेज सही ढंग से कार्य करें।

जामिया मिलिया के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं। श्री अजीज कुरेशी यहां पर हैं। मैं यह कहूंगा कि इसे एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने में सरकार के इरादों मे कोई कमी नहीं है। हमने काफी समय पहले एक निर्णय किया था और वह अब भी मान्य है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं—जिनमें पहले से विद्यमान संस्थान, ऐसा संस्थान, जो हमें विरासत में मिले हैं, उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नए ढांचे में ढालना है। अब हमें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। वे कठिनाईयां किसी निर्णय समाधान के रास्ते में बाधक हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस क्षण ऐसा किया जाएगा, में जामिया मिलिया को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा और मुझे इसकी पूरी-पूरी आशा है कि -यह इस सत्र में सम्भव हो सकेगा।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : अलीगढ़ विश्वविद्यालय का क्या हुआ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला अब विजिटर के पास लम्बित है। जब भी किसी विश्वविद्यालय की बात होती है मुझे विशेषरूप से परेशानी होती है। एक तर्क यह दिया जाता है कि हमें विश्वविद्यालय में कोई कार्यवाही करने की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह सभी स्वायत्तशासी निकाय हैं। दूसरी ओर जब भी विश्वविद्यालय में कुछ गड़बड़ी होती है, वहां जो भी कुछ होता है उसकी जवाबदेही मुझसे की जाती है। मुझे बताइए कि मेरे पास कोई शक्ति है या नहीं। यदि कुछ सुधार किया जाना है तो उसकी शक्ति केवल विजिटर के पास ही होती हैं। कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामलों में यह देखा जा चुका है। आप दोनों बातें नहीं कर सकते। यह सीधी सी बात है? मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं हर सदस्य की तरह विश्वविद्यालय की स्वात्तता का आदर करता हूं। परन्तु यदि कोई सदस्य अपनी सुविधा के लिए कोई आपत्ति उठाना चाहता है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरे अनुकूल होता, मैं अपने सिद्धान्तों का पालन करने में सुविधा है, उन्हें तोड़ता मैं नहीं। जब भी कोई माननीय सदस्य चाहता है कि मैं सिद्धान्त का पालन न करूं, तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं सिद्धान्त का पालन करूंगा। विजिटर के पास शक्तियां होती हैं। उन्हें अभ्यावेदन दिए गए हैं, वह चाहे जिससे—चाहे केन्द्र सरकार से—परामर्श लेना चाहें ले सकता, तब वह स्वयं निर्णय लेगा। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उन विश्वविद्यालयों का क्या होगा जो स्वायत्तशासी हैं परन्तु वह विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि वहां स्वायत्तता असफल हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि कुछ कालिजों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसका स्वागत है। परन्तु कई विश्वविद्यालय सरकार के, राज्य सरकारों के सीधे नियन्त्रण में हैं। इसलिए क्या यह विचार किया गया है कि उनमें किस प्रकार सुधार किया जाए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा में तीन विश्वविद्यालय हैं, जो सभी सरकार के सीधे नियन्त्रण में आते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसकी जांच करूंगा। किन परिस्थितियों के भीतर ऐसा हुआ मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है अथवा नहीं, यद्यपि स्थिति में अन्तर भी हो सकता है। मैं इसकी जांच करूंगा। आप मुझे कुछ विवरण दें तब मैं आपको वहां की स्थिति की सूचना दूंगा।

भारतीय भाषाओं के विकास के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा चुके हैं तथा उनका उत्तर भी दिया जा चुका है; कुछ विवरण भी दिए जा चुके हैं। परन्तु मैं यही कहूंगा कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, यह सही है कि हर क्षेत्र में कुछ किया जाना बाकी है। परन्तु यदि मुझसे एक ऐसा क्षेत्र चुनने के लिए कहा जाए जिसमें काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है तो वह क्षेत्र है भारतीय भाषाओं का विकास। हम भाषाओं पर इतना अधिक ध्यान नहीं दे पाए हैं। यह सही है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा आदि पर अधिक ध्यान दे रहे हैं परन्तु अब ऐसा नहीं है। अब हमें आधारभूत स्तर, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता पर अधिक ध्यान देना होगा। हमें भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा केवल वही भाषाएं नहीं जो संविधान में वर्णित हैं परन्तु सामान्यतः भाषा पर, आज वह 34 हैं कल वह 300 भी हो सकती हैं। परन्तु कोई विशेष भाषा का विकास किस सीमा तक किया जाना चाहिए या उसमें विकास की कितनी क्षमता है यह तो कोई भाषा विशेषज्ञ ही बता सकता है क्योंकि किसी भी भाषा का उसकी सीमा से अधिक विकास नहीं किया जा सकता। उसे उसकी अधिकतम सीमा तक पहुंचने देना चाहिए। यदि उस पर बहुत जोर डाला जाएगा तो वह टूट जाएगी। कठिनाइयां पैदा करेगी। इसलिए यह बहुत तकनीकी विषय है। मुझे इस विषय में बहुत कम, समुद्र में एक बूंद बराबर मालूम है। इसलिए हमें देश में अनेकों भाषा विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। हम यह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संस्कृत के सम्बन्ध में भी हम यही कह रहे हैं। अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे अरबी पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में जिन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है उनमें से एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है, इनमें से किसी को भी भविष्य के लिए नहीं टाला गया है हम सभी क्षेत्रों में कार्यवाही कर रहे हैं। शिक्षा में जितने भी क्षेत्र सम्भव हो सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में इस पर जोर अधिक है, अन्य क्षेत्रों में हम धीरे-धीरे प्रगति करेंगे परन्तु सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, और यही सरकार का आशय है। एक बार फिर मैं सभी सदस्यों का उनके सभी मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी अपील है कि वह अनुदानों की मांगों पर अपना अनुमोदन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव लेता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या एक पेश किया जा चुका

है। परन्तु माननीय मंत्री द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को सांविधिक पद देने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अपना कटौती प्रस्ताव सं० 1 वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी के कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 2 से 15 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 46 से 49 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
46.	शिक्षा विभाग	261,85,00,000	12,00,000	13,19,27,00,000	62,00,000
47.	युवा कार्य और खेल विभाग	15,74,00,000	42,00,000	78,73,00,000	2,12,00,000
48.	कला और संस्कृति	25,57,00,000	3,42,00,000	81,82,00,000	17,08,00,000
49.	महिला और बाल विकास विभाग	44,06,00,000	...	205,40,00,000	...

(दो) वस्त्र मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वस्त्र मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 72 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए छः घन्टे का समय नियत किया गया है। सदन में उपस्थित जिस माननीय सदस्य के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्तव परिचालित किए जा चुके हैं, यह यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभापटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची थोड़ी देर में सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभापटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 72 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
वस्त्र मंत्रालय :					
72.	वस्त्र मन्त्रालय	87,26,00,000	47,95,00,000	436,78,00,000	239,76,00,000

श्री जी० एम० बनातवाला ने वस्त्र मन्त्रालय की अनुदान मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव रखे हैं। क्या वह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जी, हां। मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वस्त्र मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया कर दिया जाए।"

[लम्बे समय से संकट का सामना कर रहे विद्युतकरघा और हथकरघा बुनकरों की सहायता करने के लिए पर्याप्त उपाय करने में असफलता] (1)

"कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाए।"

[हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में धागा उपलब्ध कराने में असफलता] (2)

"कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाए।"

[हथकरघा निगम की भांति अखिल भारतीय विद्युतकरघा निगम स्थापित करने में असफलता] (3)

"कि वस्त्र मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाए।"

[देश में विद्युतकरघों के प्रति भेदभाव पूर्ण तथा सौतेला व्यवहार] (4)

"कि वस्त्र मन्त्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम कर दिए जाएं।"

[वस्त्र उद्योगों के सभी वर्गों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए वस्त्र नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता] (5)

3.00 म० प०

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र मन्त्रालय की अनुदान की मांगें वर्ष 1985 में घोषित सरकार की वस्त्र नीति के सन्दर्भ में तैयार की गई हैं। महोदय, स्वतन्त्रता पूर्व का हमारा वस्त्र उद्योग का अत्यन्त शानदार इतिहास है। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारा कार्य-निष्पादन बहुत बुरा रहा है। भारत सरकार ने वस्त्र नीति के बारे में तीन बार घोषणा की थी। पहली बार 1978 में घोषणा की गई। फिर 1951 में और 1955 में इसमें संशोधन किया गया। अभी हम इस नई वस्त्र नीति को लागू कर रहे हैं। महोदय, नई वस्त्र नीति के बारे में जो हमारी आशंका थी। वह सही निकली। रुग्ण मिलों और बन्द मिलों की सूची तैयार की गई है। इस समय लगभग 133 कपड़ा मिलें बन्द हैं जिनमें लगभग 1.76 लाख कामगार कार्यरत थे।

3.02 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

महोदय, वर्ष प्रतिवर्ष रुग्ण मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानता कि इस कपड़ा नीति से मिलें कैसे बन्द हुईं। वर्ष 1983 में 14 मिल बन्द हुईं। 1984 में 16 मिलें और वर्ष 1985 में जब यह कपड़ा नीति घोषित की गई थी 7 मिलें बन्द हुईं। उसके बाद, वर्ष 1986 में 33 कपड़ा मिलें बन्द हुईं और पिछले वर्ष 1987 में 49 मिलें बन्द हुईं। महोदय, इससे पता चलता है कि नई

वस्त्र नीति के बारे में हमारी आशंकाएं सही सिद्ध हुई हैं। महोदय, हमारे देश में प्रतिव्यक्ति कपड़े की उपलब्धता क्या है? वर्ष 1984 में यह 14.52 मीटर प्रति वर्ष थी, 1985 में 14.04 मीटर प्रति-वर्ष और वर्ष 1956 में कपड़े की उपलब्धता मामूली बढ़ी। वह 15.01 मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1989-90 में उत्पादन लक्ष्य 16.44 मीटर प्रतिव्यक्ति निर्धारित किया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या हम 16.44 मीटर प्रति व्यक्ति का यह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे या नहीं।

महोदय, देश में कपास उत्पादकों की क्या स्थिति है। सभापति महोदय, आप कपास उत्पादक राज्य से सम्बन्ध रखते हैं। महोदय, पिछले वर्ष हमें पता चला कि सूखे की स्थिति के कारण, कपास के मूल्य बढ़ गए थे। परन्तु उस वर्ष, अर्थात् पिछले वर्ष आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटूर जिलों में 20 लोगों ने आत्म-हत्या की। आपको वह वस्तु स्थिति समझनी चाहिए। कपास उत्पादक कई प्रकार से दुख उठा रहे हैं। उन्हें उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर दिन-प्रतिदिन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं के मूल्य हर रोज बढ़ रहे हैं। उन्हें उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिए। कच्चे माल और उत्पादन के साधनों के मूल्य बढ़ रहे हैं और उन्हें अपने उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है।

महोदय, इस देश की आधी जनसंख्या के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आज वास्तविकता यह है। लगातार घोषित तीन कपड़ा नीतियों में सरकार की ऊंची-ऊंची बातों के बावजूद, वास्तविकता यह है।

बड़ी संख्या में रुग्ण पड़ी कपड़ा मिलों का बकाया बैंक ऋण जो 1985-86 में 962 करोड़ रु० था 1986-87 में बढ़ कर 1,118 करोड़ रु० हो गया है। बैंक कपड़ा मिलों के मालिकों को धन दे रहे हैं परन्तु वर्ष प्रति वर्ष मिलें रुग्ण होती जा रही हैं और कोई इस बारे में कार्यवाही नहीं कर रहा है। नई कपड़ा नीति ने मिल मालिकों को मिलें बन्द करने की स्वतन्त्रता दे दी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अपनी इच्छा से मिलें बन्द कर सकते हैं। नियोक्ता स्वयं निर्णय करेंगे कि कौन-सी मिल रुग्ण हो गई है और अपनी इच्छानुसार वे अपनी मिलें बन्द कर देंगे। हमारे देश के श्रमिकों को नुकसान पहुंचा कर ऐसा किया जाएगा। इसके साथ-साथ हमारे देश का कपास उत्पादक और उप-भोक्ता दोनों दुख उठा रहे हैं। सरकार का यह दावा है कि उसने नई वस्त्र नीति के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि निर्यात में वृद्धि हुई है। यह बात सच है। परन्तु निर्यात कितना बढ़ा है? इस वर्ष के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का निर्यात होने का अनुमान है। क्या हम दूसरे देशों से इसकी तुलना कर सकते हैं? चीन की स्थिति क्या है? उनका कपड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात प्रतिवर्ष 12000 करोड़ रु० है? ताइवान लगभग 10,000 करोड़ रु० मूल्य के कपड़ों का निर्यात कर रहा है जबकि हम केवल 3000 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात कर रहे हैं और हम श्रेय ले रहे हैं कि हम बहुत-सी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। यद्यपि, सरकार के पास कपड़ा नीति है तथापि वे हमेशा तदर्थ घोषणाएं करती रहती है। यह उसकी आदत बन चुकी है।

महोदय, कपास के निर्यात की अनुमति दी गई थी। तब मूल्य बढ़ गए फिर 1987 में क्या हुआ? सरकार ने कपास का निर्यात स्थगित कर दिया। अब वे दूसरे देशों से कपास का आयात करने की बात सोच रहे हैं। हम इस दिशा में जा रहे हैं। यद्यपि हमारे पास स्थायी निर्यात नीति है तथापि हम तदर्थ आधार पर कार्य करते हैं। कपास उत्पादकों बल्कि कपड़ा उद्योग के लिए ही सरकार की कोई दीर्घकालीन संदर्शी योजना नहीं है।

जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है देश में तस्करी से प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रु० मूल्य का 2000 मिलियन मीटर कपड़ा आने का अनुमान है और सरकार सो रही है। तस्करों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में कपड़े का उत्पादन मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अन्य उत्पादकों के अनुरूप नहीं है। 67 प्रतिशत मानवनिर्मित रेशे और 33 प्रतिशत सूती धागे से बने टेरिकोट का मूल्य थाइलैंड में 12 रुपए प्रतिमीटर है जबकि भारत में यह 24 रु० प्रतिमीटर की दर से मिलता है। इसी प्रकार हमारे देश में उत्पादन मूल्य भी बहुत अधिक है। मिल मालिक लाभ कमा रहे हैं और स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। इस वर्ष के बजट में सरकार ने पोलीस्टर और अन्य कृत्रिम रेशे पर अधिक बल दिया है, जिससे हमारे पारम्परिक सूती कपड़ा उद्योग, पारम्परिक हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कृत्रिम रेशे या अन्य पोलिस्टर पर जो छूट देने का सरकार का प्रस्ताव है; वह छूट उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी। वह कुछ कपड़ा मिल मालिकों, जैसे रिलायंस और बाम्बे डाईंग को लाभ पहुंचायेगा। बड़े कपड़ा उद्यमी लाभ उठायेंगे और सूती कपड़ा उद्योग—कुटीर उद्योग, हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों को नुकसान होगा। सरकार इस तरह से कार्य कर रही है।

स्वतन्त्रता के बाद कपड़ा उद्योग का क्या हो रहा है। मिल मालिकों को लाभ मिलता है किन्तु उन्होंने मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उसका जरा-सा भाग भी पुनः निवेश नहीं किया। इसलिए, मिलें रुग्ण हो गयी है। स्वतन्त्रता के बाद किसी ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार ने कुछ भी नहीं किया और इस समय उन्होंने मिल मालिकों से रुग्ण मिलों को बन्द करने और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति दे दी है।

चालू वर्ष के दौरान, हमारे रूई-उत्पादकों ने अच्छा उत्पादन किया है। पहले रुई के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर था। अब हमारा अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन हो रहा है। किन्तु लाभ उत्पादकों को नहीं मिल रहा और नहीं हमारे देश के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। सरकार ऐसी नीति बना रही है, जिसमें बड़े मिल मालिकों को लाभ पहुंचे और कुछ निर्यात के माध्यम से कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित हो। केवल एक बुनियादी बात सरकार यह कर रही है कि कपड़ों का कुछ सामान निर्यात किया जा रहा है और कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है, जिसका लाभ कुछ बड़े मिल मालिकों को जाएगा। सबसे अधिक नुकसान कामगारों को और समूचे देश को होगा। इसलिए एक व्यापक, एकीकृत और वास्तविक नीति की आवश्यकता है। हर बार हम अपना सुझाव देते हैं। ये मिल मालिक ही हैं, जिन्होंने पूरे उद्योग को नष्ट कर दिया है। इसलिए समूचा एकमुश्त राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। केवल राष्ट्रीयकरण ही कामगारों और उद्योग की रक्षा कर सकता है। किन्तु उस दिशा में बढ़ने के बजाय सरकार विपरीत दिशा में बढ़ रही है। वे बड़े मिल मालिकों और बड़े कपड़ा उद्यमियों के आगे झुक रही है।

सस्ती किस्म के कपड़ों के बारे में क्या स्थिति है? महोदय, आप जानते हैं कि सस्ती किस्म के कपड़े का उत्पादन उतना लाभप्रद नहीं है। उस क्षेत्र में लाभ कम होता है। इसलिए उसे हथकरघा क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया है। मिल-मालिको को किसी किस्म के सस्ते कपड़े का उत्पादन नहीं करना होता, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ अर्जित करने की अनुमति प्राप्त है। जहां कम लाभ का मामला है वह हथकरघा का है और गरीब बुनकरों को वह काम करना होता है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम सस्ते कपड़े की कुछ किस्मों का उत्पादन करता था। उन्हें भी उसके उत्पादन से छूट मिल गयी है और पूरा बोझ मिलमालिकों और सरकारी क्षेत्र से हटकर गरीब हथकरघा बुनकरों पर जा पड़ा है। उन्हें कपड़े

की सस्ती किस्म का उत्पादन करना है। मिल-मालिक क्या करेंगे ? वे ऊंची किस्म का कपड़ा उत्पादित करेंगे। ऊंची किस्म के कपड़े का मूल्य भी अधिक होगा और लाभ भी अधिक होगा। इसलिए हमारे देश में उन्हें हथकरघा बुनकरों की कीमत पर अधिक लाभ कमाने की अनुमति दी गयी है।

आधुनिकीकरण-निधि के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन उसके बारे में क्या किया गया है ? वस्त्र आधुनिकीकरण-निधि की स्थापना अगस्त, 1986 में की गयी थी जिसमें 750 करोड़ रु० का उपयोग पांच वर्षों में होना है। किन्तु इस समय वास्तविक वितरण 122.30 करोड़ रुपए है। इसका मतलब अब तक बहुत कम राशि का वितरण हुआ है। आप जानते हैं कि रुग्ण मिलों को निधियां उपलब्ध कराने में हुआ विलम्ब कठिनाइयों को और बढ़ा देता है। कुल स्वीकृत राशि में से, वास्तव में अल्प राशि ही उपलब्ध करायी जाती है। परिणामतः, आधुनिकीकरण में ठहराव आ जाता है और इस बीच आयातित मशीनरी के मूल्य बढ़ जाते हैं। सरकार अन्य देशों से परिष्कृत मशीनरी का आयात करने के लिए ड्यूटी में कमी कर रही है और हमारी देशी विनिर्माण इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं। हमारे कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कामगारों की छंटनी हो रही है, साथ ही देशी विनिर्माण इकाइयों में जो कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक मशीन बनाती हैं, में काम करने वाले कामगारों की छंटनी होती है और सरकार इस प्रक्रिया को चलने दे रही है।

शुल्क में छूट वाला आयात करने की अनुमति आधुनिकतम मशीनों के लिए दी जा रही है, जो केवल बहुत ही चुने हुए मिल मालिकों के लाभ के लिए है। सरकार की नीति यही हो गयी है।

पटसन हमारा पारम्परिक उद्योग है हमने वर्षों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई है। यहां आप रूई तथा पटसन उत्पादकों का एक-सा हाल देखते हैं। भारत सरकार की नीति से लगभग 40 लाख कृषक परिवार प्रभावित हुए हैं। पटसन का निर्यात निरन्तर घट रहा है। वर्ष 1960-61 में यह 776.5 हजार टन था और आज केवल 224.6 हजार टन रह गया है। यदि नई कपड़ा नीति की घोषणा के बाद आप रुपयों में आंकलन करें तो इसमें भी कमी पाएंगे। वर्ष 1984-85 में यह 333 करोड़ रु० मूल्य का था। बाद में वर्ष 1985-86 में यह घट कर 270 करोड़ रु० मूल्य का रह गया। पिछले वर्ष (1986-87) में यह और घटकर 230 करोड़ रु० मूल्य का रह गया। अधिकांश पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं। 25 लाख औद्योगिक कामगार गम्भीर तौर पर प्रभावित हुए हैं। वे बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की नीति से यह स्थिति पैदा हुई है।

इस सम्बन्ध में क्या किया गया ? सितम्बर, 1986 में प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगाल गए और 1,007 करोड़ रु० के पैकेज की घोषणा की, जिसमें पटसन आधुनिकीकरण निधि के लिए 150 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

यह आधुनिकीकरण निधि नहीं है। यह ऋण देने वाली निधि है। सरकार कुछ पटसन मिल मालिकों को धन उधार दे रही है और 6 करोड़ रु० तक की राशि 11.5% ब्याज पर दी जा रही है, तथा जब यह राशि 6 करोड़ रु० से अधिक होती है, तो ब्याज दर सामान्य ही होती है अर्थात् यह ब्याज दर वह होती है जो इस समय चल रही है—14 प्रतिशत। किन्तु सितम्बर से अब तक निष्पादन क्या रहा ? 19 महीनों में छ पटसन मिलों को 150 करोड़ रु० की निधि में से केवल 21.89 करोड़ रु० की राशि ही वास्तविक रूप से मिली है। 150 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि को पूरी तरह से खर्च करने के लिए कितना समय चाहिए होगा ? 19 महीनों में उनका निष्पादन यह रहा। पूरी राशि को खर्च करने में कितना समय चाहिए ?

दूसरे कार्यक्रम की भी घोषणा की गयी थी। वह 100 करोड़ रु० की विशेष पटसन विकास निधि के बारे में थी। 19 माह की अवधि पहले ही बीत चुकी है। अब तो लगभग दो वर्ष ही बीत चुके हैं। इन दो वर्षों में उन्होंने कागजों पर ही एक योजना बनायी है और 100 करोड़ रु० में से अब तक केवल 8 करोड़ रु० का ही वितरण हुआ है। 6 करोड़ रु० की निधि कृषि मन्त्रालय को वितरित की गयी है। भारतीय पटसन निगम को दो करोड़ रु० मिले हैं। मैं नहीं जानता कि कृषि मन्त्रालय और भारतीय पटसन निगम कब इस सारी राशि को खर्च करेंगे। सितम्बर-अक्तूबर की अवधि से पहले भारतीय पटसन निगम इस धन को व्यय नहीं करेगा। इसलिए दो वर्षों में 100 करोड़ रु० की आबंटित निधि में से केवल 8 करोड़ रु० का ही उपयोग हुआ है। किन्तु बड़ी-बड़ी बातें इसी तरह चलती रहेंगी। महोदय, आप जानते हैं कि अधभरी गगरी सदैव छलका करती है। सरकार भी इसी तरह कार्य कर रही है। आज की आवश्यकताओं के अनुकूल कुछ गैर-परम्परागत वस्तुओं के उत्पादन के लिए पटसन उद्योग में विविधीकरण लाना अनिवार्य है। कम्बलों तथा कालीनों का उत्पादन किया जा सकता है। ये आवश्यक वस्तुएं हैं। इसके पश्चात हमें परम्परागत उत्पादन से वैविध्य उत्पादन की ओर जाना होगा। हम पटसन के कम्बलों तथा कालीनों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए निर्यात बाजार भी बहुत अच्छा है। सरकार इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं कर रही है। वह इस विषय पर विचार नहीं कर रही है।

पटसन उद्योग तथा वस्त्र उद्योग में भी बहुत-सा अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिए और अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए। पटसन, वस्त्र तथा रेशम उद्योग में आधुनिकीकरण करने का अर्थ केवल कुछ मशीनें खरीदने, उन्हें आयात करने तथा उन्हें स्थापित करना ही नहीं है। इसे, वास्तव में आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता। आधुनिकीकरण एक विज्ञान है। हमें आधुनिक विधियों को अपनाना होगा, ताकि हम आगे विकास के लिए आधार बना सकें। हम अपनी मिलों को अनुसन्धान तथा विकास के बिना आधुनिक नहीं बना सकते हैं। सशक्त अनुसन्धान तथा विकास विंग के बिना हम अपने वस्त्र, पटसन तथा रेशम उद्योग को आधुनिक नहीं बना सकते हैं।

बड़ी-बड़ी दरों के साथ नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई थी। किन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि यह कुछ बड़े मिलमालिकों के लाभ के लिए थी। इसका अर्थ कुछ मिलमालिकों द्वारा हमारे करोड़ों हथकरघा बुनकरों, वस्त्र उद्योग बिजली करघा और मिलों के कामगारों तथा इस देश के उपभोक्ताओं से लाभ कमाना था। परन्तु इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः समय आ गया है जब हम अपनी नीति की समीक्षा करें तथा इस सम्बन्ध में लम्बी अवधि की व्यापक नीति अपनाए। आज, जनता की यही पुकार है। यही अभाव है जो आज बना हुआ है। मेरा विचार है कि सरकार इस मामले पर ध्यान देगी तथा रूई उत्पादकों, पटसन उत्पादकों व उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक कामगरों के लाभ के लिए नई वस्त्र नीति प्रस्तुत करेगी।

महोदय, एक और मुद्दा है जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, हम न केवल वस्त्र उद्योग में अपर्याप्त उत्पादन की समस्या का ही सामना कर रहे हैं, अपितु हमें अपर्याप्त क्रय शक्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें अपने लोगों में क्रय शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। वस्त्र नीति हमारे देश की क्रय शक्ति के परिप्रेक्ष्य के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। हमें विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए। किन्तु आप जानते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया कठोर है। वास्तव में दिन-प्रतिदिन लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। मुद्रा-स्फीति तथा बढ़ती हुई कीमतों ने वास्तव में लोगों की क्रय शक्ति को कम कर

दिया है। हमारा देश एक बड़ा देश है। हमें ऐसे सभी प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके तथा वे ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीद सकें। इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपने वस्त्र उद्योग की ओर ध्यान देना होगा। जब तक हम अपनी जनता की क्रय शक्ति में सुधार नहीं लाते, तब तक हम अपने वस्त्र उद्योग में भी सुधार नहीं ला सकते। मेरे विचार से, इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : पीठासीन अधिकारी महोदय, मैं वस्त्र मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते हुए, मैं पिछले वर्ष के दौरान मंत्रालय के निष्पादन पर टिप्पणी करना चाहूंगा। यदि हम इस मन्त्रालय के निष्पादन को अथवा नई वस्त्र नीति जो जून, 1985 में घोषित की गई थी, के प्रभाव को देखें, जो इस वस्त्र नीति के कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह कहना होगा कि नई वस्त्र नीति सफल नहीं रही है। चूंकि यह सफल नहीं रही है अतः स्थिति का पुनः-मूल्यांकन करना होगा। जब तक सरकार इसे गम्भीरता से नहीं लेती तथा वस्त्र नीति की समीक्षा नहीं करती, उत्पादन दिन-प्रतिदिन कम होता जाएगा, तथा इसका परिणाम बम्बई जैसे नगरों में अधिक से अधिक संख्या में मिलों का बन्द होना होगा, जिसके परिणामस्वरूप, भारी संख्या में वस्त्र उद्योग के कामगार, बेरोजगार हो जायेंगे। यदि हम उत्पादन के सम्बन्ध में भी वस्त्र नीति की जांच करें तो हम पायेंगे कि निष्पादन बजट में दिए गए उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उत्पादन में गिरावट दर्शा रहे हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान कपड़े का लक्ष्य उत्पादन 4,7400 लाख वर्ग मीटर था तथा अनुमानित उत्पादन केवल 3,3170 लाख वर्ग मीटर हुआ। उसके एक वर्ष बाद, अर्थात् वर्ष 1987-88 में पुनः, लक्ष्य 4,6600 लाख वर्ग मीटर करवाया गया, और पहले नौ महीनों अर्थात् अप्रैल से दिसम्बर 1988 तक का उत्पादन केवल 2,296 लाख वर्ग मीटर रहा। ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि इन सघटित कपड़ा मिलों में कपड़े के उत्पादन में गिरावट आ रही है तथा यही स्थिति राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की भी है। पिछड़े वर्गों को उचित दामों पर अच्छा कपड़ा उपलब्ध कराना, जो इस वस्त्र नीति का एक उद्देश्य था, के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से भी यह प्रदर्शित होता है कि जब इन राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के लिए पोलिएस्टर-सूती मिश्रित कपड़ों की योजना लागू की गई थी, वर्ष 1986-87 में नियन्त्रित कपड़े का वास्तविक उत्पादन—लक्ष्य 2000 लाख वर्ग मीटर था, जिसमें से 1550 लाख वर्ग मीटर सूती वस्त्रों के लिए तथा 180 लाख वर्ग मीटर पोलिएस्टर तथा सूती शर्टिंग के लिए था—जो अब तक, जहां तक सूती वस्त्रों का सम्बन्ध है 1481.10 लाख वर्ग मीटर है तथा पोलिएस्टर सम्मिश्रित शर्टिंग में यह 151 लाख वर्ग मीटर है। यहां भी उत्पादन में गिरावट आई है।

यदि हम वर्ष 1987-88 के आंकड़े देखें, तो लक्ष्य 1750 लाख वर्ग मीटर रखा गया था, जिसमें से 1300 लाख वर्ग मीटर सूती वस्त्रों के लिए तथा केवल 180 लाख वर्ग मीटर पोलिएस्टर-सूती शर्टिंग के लिए था। वर्ष 1987-88 में सूती वस्त्रों के नौ महीनों का वास्तविक उत्पादन केवल 430 लाख वर्ग मीटर तथा पोलिएस्टर-सूती शर्टिंग में 82 लाख वर्ग मीटर था। इसके बाद उत्पादन की जांच करने पर भी यह स्पष्ट है कि इस वस्त्र नीति में जो जून 1985 में घोषित की गई थी, कहीं कुछ कमी है, और इस दृष्टि से भी इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

3.32 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

यदि हम मिलों के बन्द होने की ओर ध्यान दें, तो इस बारे में भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। नीति की घोषणा हो जाने के बाद इकाइयों का बन्द होना तेजी से बढ़ गया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे यह प्रकट होता है कि 1985 में 70 इकाइयां बन्द हुईं, जिससे 94,997 श्रमिक बेरोजगार हो गए। वर्ष 1986 में 75 एकक बन्द कर दिए गए और 1,13,237 कामगारों को कारखाने से निकाल दिया गया। वर्ष 1987 में 120 एकक बन्द हो गए और 1,50,000 कामगार बेरोजगार हो गए जबकि 1988 में 133 एकक बन्द हुए और बेरोजगार कामगारों की संख्या 1,78,000 हो गई। यह आंकड़े माननीय मन्त्री द्वारा 26 फरवरी, 1988 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 865 के उत्तर से मेल खाते हैं जिसमें उन्होंने यह कहा था कि 31-12-87 को बन्द हुए एककों की संख्या 133 है। यह सामान्य स्थिति है।

बम्बई शहर की स्थिति और भी खराब है। बाडबेरी मिल, मुकेश मिल और श्रीनिवास कॉटन मिलों की नीति की घोषणा करने से पूर्व ही बन्द कर दिया गया था। जब से नीति घोषित की गई है तब से मॉडर्न मिल, न्यू ग्रेट मिल और स्वान मिल का एक एकक बन्द है और स्वेन मिल के दो एकक बन्द होने की स्थिति में है। रघुवंशी मिल नाम की एक और मिल भी अपने कामगारों को भुगतान नहीं कर पा रही है और यह भी बन्द होने की स्थिति में है। एक और मिल—श्रीराम मिल्स ने बिजली और पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया है और कामगारों के बकायों अर्थात् उपदान, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान, अवकाश आदि की राशि जो 3,36,00,000 रु० बनती है का उपयोग कर रही है। इस धन का उपयोग करके किसी तरह यह मिल चल रही है लेकिन यह भी बन्द होने की स्थिति में है। वर्ष 1983 में बम्बई में हमने 13 मिलों को अपने हाथ में लिया था जिनमें लगभग 41,000 कामगार थे। 41,000 कामगारों में से केवल 23,000 कामगारों को काम पर लिया गया था और 18,000 कामगारों को काम नहीं दिया गया। इनमें से लगभग 10,000 कामगारों ने अनिच्छा से उपदान ले लिया और चले गए लेकिन अभी भी 8,000 कामगार काम पर अथवा मिल में लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन मिलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया था उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। जिन कामगारों की छंटनी की गयी थी उनके बकाया का भुगतान करने के लिए हम कोई दायित्व नहीं ले रहे हैं। मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय मजदूर मिल संघ उनकी ओर से नियमित रूप से दावा दर्ज कर रहा था। श्रमिक अदालत में वे सफल भी हो गए थे। उन्हें उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के समक्ष भी सफलता मिल गई थी और मिलों को उनके बकाया का भुगतान करने के आदेश दे दिए गए थे लेकिन हमारी सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर से उच्चतम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। इस प्रकार के मामले में उच्चतम न्यायालय तक जाकर स्थगन आदेश प्राप्त करना तथा सरकार द्वारा अधि-ग्रहीत मिलों के कामगारों को अपना बकाया प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करवाना उस सरकार को शोभा नहीं देता जो कामगारों के पक्ष का समर्थन करती है। उन्होंने केवल तकनीकी मुद्दे के आधार पर ही स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं। सभी कामगारों को जिन्हें आप काम पर वापिस नहीं ले सकते हैं उनके बकाया का भुगतान करना चाहिए ताकि वे वह धन पाकर सन्तुष्ट हो सकें। इस दृष्टिकोण से कपड़ा नीति ने कोई प्रभाव नहीं डाला है। इसके परिणामस्वरूप और अधिक मिलें बन्द हो रही हैं जिससे इस क्षेत्र में बेरोजगारी अधिकाधिक बढ़ रही है।

अब कपड़ा नीति में ही हमने यह घोषणा की है कि जहां तक विद्युत करघों का सम्बन्ध है उनका पंजीकरण अनिवार्यतः होगा। अब पंजीकरण का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। कोई भी राज्य सरकार विद्युत करघों का पंजीकरण नहीं कर पाई है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत करघों के

उत्पादन के उसके द्वारा दिए गए सभी आंकड़े बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं हैं। जहां तक विद्युत करघों का सम्बन्ध है उनमें कामगारों की कार्य करने की स्थितियों, उनके काम के घण्टों, लाभ और सामाजिक योजनाओं के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। कामगारों पर खुले आम अत्याचार किए जा रहे हैं। विद्युत करघा क्षेत्र में उत्पादन इतना सस्ता है कि यह संघटित मिलों से प्रभावी रूप से प्रतियोगिता कर रहा है। संघटित मिलों को लाभ न हो पाने का एक कारण यह भी है। मुझे बताया गया था कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह स्पष्टतया कहा गया है कि इन संघटित मिलों में लाभ निवेश के 10% से अधिक नहीं है। इसलिए यदि यह लागत इसी प्रकार बढ़ती रही और हम अनियन्त्रित तस्करी और अनियन्त्रित रूप से अपंजीकृत विद्युत करघा विस्तार की अनुमति देते रहे, तो कपड़ा उद्योग में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी।

हमने कामगारों के लिए पुनर्वास योजनाओं की भी घोषणा की है। जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है तो जब कोई एकक बन्द होने वाला हो तो उस विशेष अवधि के लिए उनके वेतन का 75%, तत्पश्चात् 50% और अन्त में 25% पुनर्वास के रूप में दिया जाएगा। अब अनुभव से यह पता चलता है कि इस प्रकार के भुगतान के लिए एक शर्त यह है कि बन्द करने के लिए समुचित सरकार की अनुमति हो। कोई भी समुचित सरकार मिल बन्द करने की अनुमति नहीं देती है, जिसके परिणामस्वरूप यद्यपि मिलें बन्द हैं परन्तु कामगार बेरोजगार हो जाते हैं हमारे द्वारा घोषित पुनर्वास योजनाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है और इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

कार्य-निष्पादन बजट में भी कुछ नहीं कहा गया है। इसके पृष्ठ 3 पर केवल यह कहा गया है :

> "जो कपड़ा मिलें अर्थक्षम नहीं है उन्हें स्थायी तौर पर बन्द करने पर जो कामगार विस्थापित हो गए हैं, के लिए जून, 1985 में बनाई गई कपड़ा नीति के अनुसार वर्ष 1986-87 में एक पुनर्वास कोष भी बनाया गया था।"

यह बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि कार्य-निष्पादन कितना है, अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है और किस एकक में किया गया है। यह आगे और कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि पुनर्वास कोष के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसमें एक बाधा है जिसे हम हटा नहीं पाए हैं। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन और अनुरोध है कि इस योजना की पुनरीक्षा की जाए और इसे उदार बनाया जाए ताकि जब मिलें बन्द हों तो कम से कम उन मिलों के कामगार पुनर्वास कोष का लाभ प्राप्त कर सकें। इसे और उदार बनाया जाना चाहिए और इसे तब तक उपलब्ध कराना चाहिए जब तक कामगारों का वास्तव में पुनर्वास नहीं कर दिया जाता।

जहां तक आधुनिकीकरण कोष का सम्बन्ध है, कार्य-निष्पादन बजट में कहा गया है कि वर्ष 1986-87 में पांच वर्षों के लिए 750 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए थे। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए अब तक केवल 150 करोड़ रु० ही दिए गए हैं, इसका अर्थ है कि आधुनिकीकरण के लिए जबकि पांच वर्षों में हमें 750 रु० व्यय करने हैं और अब तक दो वर्ष बीतने पर भी वास्तव में 150 करोड़ रु० ही व्यय किए गए हैं, इस प्रकार व्यय की गति काफी धीमी है।

इस कपड़ा नीति का एक उद्देश्य श्रमिक भागीदारी भी था। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों और उसकी सहायक निगमों में भी राष्ट्रीय स्तर पर कामगारों की ओर से एक भी निदेशक नहीं है। यदि सरकार स्वयं ही हमारी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में

कामगारों की भागीदारी के बारे में रुचि नहीं रखती है तो हम अन्य मिलों में इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं दुबारा यह निवेदन करता हूं कि हमें इस नीति की पुनरीक्षा करनी चाहिए। नीति के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। कपड़ा नीति अधिकाधिक रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मिलें बन्द नहीं होनी चाहिए और जहां तक कपड़ा श्रमिकों का सम्बन्ध है उनमें बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए।

निस्सन्देह इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के रूप में हमने बजट में कतिपय रियायतें दी हैं। मैं बजट भाषण के पैरा 146 से 155 में उल्लिखित उन रियायतों की विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन रियायतों में से कुछ रियायतें ऐसी हैं जिनसे न तो कपड़ा मिलों को फायदा हुआ है और न ही उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। केवल पोलिएस्टर विनिर्माताओं अर्थात रिलायन्स और के और जे के उद्योगों को ही लाभ हुआ है। इन रियायतों से इन्हें ही फायदा होगा न कि मिलों या उपभोक्ताओं को। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी उत्पाद-कर नीति, कराधान नीति ऐसी बनाई जानी चाहिए कि मिलों की उत्पादन लागत युक्तिसंगत हो और जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, उत्पाद सस्ता हो।

हमारी नीति से मिलें भी रुग्ण नहीं होती। वस्तुतः कुछ कमियां मिलमालिकों की भी हैं। बहुधा, यह देखा जाता है, जैसाकि मैंने कहा, कि यह उद्योग अब बिल्कुल भी फायदेमन्द नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार लाभ 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए कोई भी विनिर्माता इस उद्योग में रुचि नहीं रखता और इसी कारण वे इस उद्योग से अधिकाधिक पैसा निकाल कर दूसरे उद्योग में लगा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि समयान्तर में, यदि यह स्थिति जारी रहने दी गई तो मिलमालिकों की सभी कपड़ा मिलें बन्द हो जाएंगी। इसलिए, हमें न केवल अच्छी नीति बनानी चाहिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार की नीति कुछ उन मिलों, जो रुग्ण प्रायः होने वाली हैं, के ही अधिग्रहण की या केवल कुछ उन्हीं मिलों को जो रुग्ण होने वाली हैं, के राष्ट्रीयकरण करने की निरुत्साहपूर्ण अथवा अव्यवस्थित नीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब समय आ गया है जब हमें वह कदम उठाना होगा कि उन सभी मिलों, चाहे वे अर्थक्षम हों अथवा नहीं, चाहे वे लाभ दे रही हों अथवा नहीं, का राष्ट्रीयकरण करना होगा ताकि इस उद्योग पर एक विहंगम दृष्टि डाली जा सके। हमारा उत्पादन अच्छा और सस्ता हो जिन्हें उपभोक्ता खरीद सके और साथ ही इस उद्योग में बराबर रोजगार मिलता रहे और इस देश में यह उद्योग फलता/फूलता रहे। मुझे विश्वास है, कि कपड़ा मन्त्रालय इस दृष्टि से इस मामले की जांच करेगा और जहां तक उनकी नीति का सम्बन्ध है उसमें ये सभी संशोधन किए जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, इस विषय पर बोलते हुए मुझे खुशी है और सर्वप्रथम कपास वर्ष को अगस्त से अक्तूबर तक करने के लिए मैं कपड़ा मन्त्री का धन्यवाद करूंगा। यह एक ऐसी व्यावहारिक बात है जिसे यद्यपि कुछ विलम्ब से किया गया परन्तु समय रहते ही कर लिया गया है। सत्ता पक्ष के माननीय सहयोगियों के अनुसार नई कपड़ा नीति चाहे सफल हो अथवा नहीं, नई कपड़ा नीति के पश्चात विशेषकर 1986-87 और 1987-88 में कपास बोने वाले किसानों, जोकि भारत की रीढ़ की हड्डी है, को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है। भारत में कपास उत्पादन के इतिहास में पहली बार, मध्यम रेशे वाली कपास का मूल्य 800 रु० से बढ़कर 1000 रु० और अधिक लम्बे रेशे

वाली कपास का मूल्य 1300 रु० से बढ़कर 1500 रु० हो गया है। अतः, माननीय सहयोगी के अनुसार कपड़ा नीति चाहे सफल रही हो अथवा नहीं, इससे किसानों को कुछ कामयाबी मिली है। वे बता रहे थे कि सभी कपास मिलें बन्द हो गई हैं। यद्यपि कपड़ा नीति से कीमतें कम करके सन्तुलित दर पर लानी थीं, कपड़ा नीति के बाद कपड़ों की कीमतों में वृद्धि हुई और तदनुसार कपास की कीमतें भी बढ़ गई हैं। समाचारपत्र/पत्रिकाओं में शोर मचा हुआ है कि कपास की कीमतों में 55% की वृद्धि हुई है जोकि वस्तुतः तथ्यपूर्ण नहीं है। हम हैं तो राजीव गांधी काल में लेकिन लोगों को गांधी कालीन 'डांडी यात्रा' की ओर ले जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे गांधी जी के युग को समझने का प्रयत्न करें। गांधी जी ने हमको तलवार नहीं थमाई। मैं उस समय उच्च स्कूल का एक विद्यार्थी था। उन्होंने हमारे हाथ में 'तकली और रत्नम' दिया, न की संश्लिष्ट रेशे, कपड़ा नीति से उत्पन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें संश्लिष्ट रेशों को अधिक रियायतें दी गई हैं, और कपास को वंचित रखा गया है और इस तरह कपास की खपत कम हो गई है।

इसीलिए कपास उत्पादक नुकसान उठा रहे हैं। इसी कारण आन्ध्र प्रदेश में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है और यही अब हो रहा है। हमें इस आधारभूत तथ्य को स्वीकारना चाहिए कि हमारा देश कपास उत्पादक देश है अतः संश्लिष्ट, मानव निर्मित रेशों और प्राकृतिक रेशों के मध्य ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिससे कपास उत्पादक पीड़ित न हों।

माननीय मन्त्री जी अभी मिलों की रुग्णता का उल्लेख कर रहे थे। जैसा हम जानते हैं, कि मिलों की रुग्णता पूंजीवादियों द्वारा बनाई गई बात है। उन्होंने पांचवें दशक से आठवें दशक तक लाभ कमाया है। जितना लाभ वे कमा सकते थे, कमाने के बाद उन्होंने उद्योग को जिस सीमा तक वह चल सकता था चलने के लिए छोड़ दिया। उन्हें इसकी चिन्ता नहीं थी कि उद्योग दम तोड़ रहा है। मिल-मालिकों का यही दृष्टिकोण है। आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और दूसरी जगहों पर भी इस तरह के इतने मिलमालिक हैं जो निर्यात के मामले में अग्रणी हैं। कपड़ा नीति असफल रही है, और यह सोचना कि रुग्णता का उपचार राष्ट्रीयकरण है, तो यह गलत धारणा है।

उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को लें। 31 मार्च, 1987 को विद्यमान 1027 मिलों में से 95 मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थित हैं और 175 मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के स्वामित्व में हैं। सहकारी क्षेत्र में स्थित पिच्चानवें मिलें हमारी अपनी पूंजी से बनाई गई हैं। परन्तु राष्ट्रीय कपड़ा निगम की लगभग 175 मिलों का क्या हाल है? सरकार द्वारा इनका निर्माण नहीं किया गया है। मूलतः इन्हें कोई और चला रहे थे। वे भाग खड़े हुए और केवल रोजगार देने के लिए आपने इन मिलों का अधिग्रहण किया और इन पर अपना धन लगाया। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ये 175 मिलें सरकार के कोष से नहीं, बल्कि गैर-सरकारी लोगों के धन से बनी थीं। ये गैर-सरकारी मिलें थीं। रोजगार देने के लिए आपने इनका अधिग्रहण किया। आपके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें भी घाटे में चल रही है।

प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 744 कताई मिलें है और 283 समन्वित मिलें हैं जिनमें 26.10 मिलियन तकुवे लगाए गए हैं जो विश्व में सबसे अधिक हैं, परन्तु हमारे सामने ऐसी भी समस्याएं है जो कभी हल नहीं हो सकती। हमारी मिलें रुग्ण हैं और यह रुग्णता चारों ओर फैली हुई है। हमारे यहां यह रुग्णता क्यों हैं? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी क्षमता का उपयोग दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। यदि आप सूती कपड़ा उद्योग में क्षमता का उपयोग देखें तो जहां 1980-81

में यह 77 प्रतिशत था, 1987-88 में यह घटकर केवल 72 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद भी क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए आपने कोई कार्यवाही नहीं की। यह तो तकुवों के मामले में था, करघों के सम्बन्ध में 1980-81 में क्षमता का उपयोग 77 प्रतिशत था और 1987-88 में यह घटकर केवल 61 प्रतिशत रह गया है। क्षमता के उपयोग में कमी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं रुग्णता का एक कारण यह भी है।

आपके प्रतिवेदन के अनुसार सूती और कृत्रिम धागे के सम्बन्ध में अपनी बात के पक्ष में मैं यह बता दूं कि 1986-87 में सूती धागों का उत्पादन 1302 मिलियन कि० ग्रा० था जबकि 1987-88 में यह घट कर 1000 मि० कि० ग्रा० रह गया है। शत प्रतिशत गैर-सूती धागे के मामले में इन दो वर्षों के दौरान उत्पादन क्रमशः 80 मिलियन कि० ग्रा० और 91 मिलियन कि० ग्रा० था जो 11 मि० कि० ग्रा० अधिक है। यदि आप इसमें दिए गए आकड़ों के अनुसार कपड़े का उत्पादन देखें तो 1980-81 में कपड़े का उत्पादन 8351 मिलियन मीटर हुआ था जिसमें सूती कपड़ा 5443 मिलियन मीटर था। इस वर्ष कुल 9539 मिलियन मीटर कपड़े में सूती कपड़ा केवल 6146 मिलियन मीटर है। कृत्रिम धागे के मामले में 1986-87 में इसका उत्पादन लगभग 3393 मिलियन मीटर था, जो 1980-81 में 2903 मिलियन मीटर था। अतः सूती और कृत्रिम धागे बीच की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, जो दिन प्रति दिन सूत के विपरीत जा रही है, हम यह नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा। अब कपास का मूल्य 3 महीनों के भीतर 1000 रु० से 3000 रु० तक गिर गया है।

हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद, अधिकारियों ने उद्योग के लिए बिजली की मांग की है। उद्योग के लिए बिजली में धागों की जमाखोरी भी शामिल है। इसकी जांच भी की गई है परन्तु वे अभी तक ओटाई के कारखानों तक नहीं पहुंचे हैं। जमाखोरी के कारण जो अपने विद्युत चालित करघों के लिए 10 से 12 गांठें तक खरीद रहे थे, अब केवल दो गांठें खरीद रहे हैं। इस प्रकार खपत अपने आप कम हो गयी है और कपास की कुल खरीद घट गई है। एस० आर० ए० कपास, जो तमिलनाडु में 1000 रु० प्रति क्विंटल बिकता था आज 725/- रु० की दर से बिक रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें क्योंकि भारतीय रूई निगम कपास खरीदने के लिए तमिलनाडु आयेगा क्योंकि कपास का मौसम आने वाला है।

रूई के आयात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को रूई का आयात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कपड़ा समिति ने रूई का आयात करने का निर्णय किया था। परन्तु एक कपास उत्पादक के रूप में मैं बता देना चाहता हूं कि कपास उत्पादकों के हित में 22 मि० मि० से कम लम्बाई के किसी रेशे का आयात नहीं किया जाना चाहिए। यदि 22 मि० मि० की लम्बाई से कम के किसी रेशे अथवा और किसी चीज का आयात किया गया तो इसका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारतवर्ष पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि रूई सलाहकार बोर्ड में कपास उत्पादक राज्यों में से प्रत्येक राज्य के किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। एक ऐसा रूई बोर्ड होना चाहिए जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों का प्रतिनिधित्व हो। जहां पर भी कपास का उत्पादन होता हो बोर्ड में वहां का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

रूई का आयात करने के लिए 'हिन्दू' जैसे विभिन्न अखबार लेख निकाल रहे हैं और लॉबी तैयार कर रहे हैं। वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इस बात को नोट करते हुए बहुत खेद होता है

कि उन्होंने 'शंकर' रूई को 'केलिफोर्नियां' रूई को बराबर का दर्जा दिया है। केलिफोर्नियां रूई 1 और 1/8 की है जबकि शंकर एक इंच से अधिक नहीं है। उसी अखबार में पाकिस्तान की रूई को 1 और 1/16 दर्शाया गया है। यह उनकी रूई की अल्पज्ञता को दर्शाती है: वे समाचारपत्रों में नासमझी के वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे हम पर नहीं हसेंगे? यह लेख, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, श्री ई० के० वासुदेवन ने लिखा था। रूई उद्योग की हालत आजकल ऐसी हो रही है। यदि ऐसी स्थिति है तो धागों के बारे में आप उनके वास्तविक ज्ञान का अन्दाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृत्रिम धागों पर छूट देने की इस अवांछनीय प्रणाली को, जिससे कपास उत्पादकों को उनके लाभप्रद मूल्यों से वंचित रहना पड़ेगा, बन्द किया जाए। महात्मा गांधी जी ने हमें विदेशी कपड़े के प्रयोग के प्रति चेतावनी दी थी। यदि वर्तमान कपड़ा नीति अपनाई जाती है तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें कृत्रिम कपड़े पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब केवल सूती कपड़े का प्रयोग होगा और वह समय अब दूर नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नयी कपड़ा नीति अच्छी नहीं है। इसके कुछ अच्छे पहलू भी है परन्तु उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इस नीति में जो दोष है उन्हें दूर किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के मेरे दोस्त ने कुछ कहा था, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। नयी कपड़ा नीति के ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए।

'आइटोकान' मशीनरी के आयात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 1987 से जो भी छूट दी गई हैं उसे वापस ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने मूल्यों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है।

4.00 म० प०

अब मैं धागे के निर्यात के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। श्री राजीव गांधी के समय में तमिलनाडु में उत्पादित धागे को चेकोस्लावाकिया, स्पेन और जापान में थोड़ा बहुत बाजार उपलब्ध हुआ है। जापान, तमिलनाडु में राजापलायम से रूई का आयात कर रहा है। वर्तमान सीमा के साथ धागा निर्यात करने की वर्तमान नीति जारी रहनी चाहिए।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि बजट के बाद रूई अपशिष्ट उद्योग को नई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लौह अपशिष्ट और कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट की ही तरह रूई अपशिष्ट उद्योग से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि वह 60 प्रतिशत लाभ की घोषणा करे जिसमें से 20 प्रतिशत को आय कर के रूप में जमा करना होगा। इसके कारण रूई अपशिष्ट उद्योग को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है, मेरा अनुरोध है कि उसे हटा दिया जाए। फिक्की और इस व्यवसाय के अन्य लोगों ने भी इस सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं। मैं सरकार से पुनः कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद): महोदय, कपड़ा मन्त्रालय द्वारा इस सभा के समक्ष रखी गई मांगों का मैं समर्थन करता हूं। कुछ सदस्यों के निराशावादी रवैये से मैं सहमत नहीं हूं जो कपड़ा उद्योग में हर असफलता का कारण नई कपड़ा नीति को मानते हैं। निसन्देह, नई कपड़ा नीति के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं। नीति का मुख्य उद्देश्य है तीनों क्षेत्रों अर्थात् हथकरघा, बिजलीकरघा तथा संगठित मिल क्षेत्र को सुदृढ़ करना। और जब से इस नीति की घोषणा की गई है, सरकार इसका निरन्तर अनुपालन

कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठित क्षेत्र भी बिजलीकरघा और हथकरघा क्षेत्र के साथ विकास करे, बिजलीकरघा क्षेत्र को भी संगठित मिल क्षेत्र के बराबर रखा गया। नई कपड़ा नीति की घोषणा के समय अच्छी आशाएं की गई थीं परन्तु दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए हैं। किसी भी औद्योगिक नीति जिसमें कपड़ा नीति भी शामिल है का आधारभूत और मुख्य उद्देश्य रोजगार की सुरक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना चाहिए। संभवतः राष्ट्रीय कपड़ा नीति की घोषणा के समय इस उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया गया था। मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय कपड़ा नीति के निम्न वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :

> "यदि किसी एकक की यथोचित अवधि के भीतर आर्थिक सक्षम होने की सम्भावना नहीं रहती तो उस एकक को बन्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता बशर्ते कामगारों के हितों की रक्षा की जा सके।"

महोदय, क्या यह हमारे आधारभूत दर्शन के अनुसार उचित है। हमारे संविधान के निदेशक तत्वों में प्रतिपादित आधारभूत दर्शन काम के अधिकार की गारन्टी देता है।

यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं ? क्या हम उसका दयाभूत अन्त अथवा दवा देने से मना करके उसका अन्त कर देते हैं ? या हम व्यक्ति को स्वस्थ करने का प्रयत्न करते हैं ? रुग्ण व्यक्ति को निरोग करने की नीति ही रुग्ण कपड़ा एककों के सम्बन्ध में अपनाई जानी चाहिए। हमारी नीति रुग्ण एककों को ठीक करने की होनी चाहिए न कि उनको बन्द करने की। राष्ट्रीय कपड़ा नीति में आगे यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा इन रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने अथवा उनके राष्ट्रीयकरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तथा सरकार को ऐसा नियम बना लेना चाहिए कि वह ऐसे मामलों में बिल्कुल नहीं पड़े। कपड़ा नीति का यह भाग भी सराहनीय नहीं है। जैसाकि मैंने ध्यान दिलाया है रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी योजना अथवा नीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तथा रोजगार की संभावनाओं की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीयकरण का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं इस माननीय सभा का ध्यान स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की घोषणा की ओर दिलाना चाहूंगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की घोषणा को मैं अब भी भारत के लिए पथप्रदर्शक मानता हूं। 2 मार्च, 1970 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्य सभा में वाद-विवाद के समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था :

> "मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण के किसी भी प्रस्ताव की जांच दो परीक्षणों द्वारा की जानी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या इससे सरकारी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति हासिल कर पाता है। दूसरे, हमारा रवैया वास्तविकता और व्यवहार्य होना चाहिए। यदि किसी समय कोई गैर-सरकारी उद्योग राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है अथवा राष्ट्र की प्रगति में बाधा डाल रहा है तो उसके अधिग्रहण में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था।

राज्य सभा में दिए गए एक अन्य भाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान 29 मार्च, 1972 को उन्होंने कहा :

"सरकार न तो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है न ही उससे डरती है। परन्तु राष्ट्रीयकरण हमारी अर्थव्यवस्था की बदलती स्थितियों के सन्दर्भ में हमारी योजनाओं की वरीयता के अनुसार होना चाहिए। हम किसी उद्योग अथवा एकक का राष्ट्रीयकरण अर्थव्यवस्था पर सरकारी क्षेत्र के नियन्त्रण को सुदृढ़ करने के लिए करेंगे। इसी कारण 14 प्रमुख बैंकों का तथा बाद में जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि इस बात के प्रमाण हों कि यदि कोई एकक या उद्योग राष्ट्रीय हितों में बाधा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है तो उसका राष्ट्रीयकरण करने में भी हम नहीं हिचकेंगे।"

कपड़ा उद्योग में क्या हुआ है? कई कपड़ा एकक रुग्ण हो गए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। 50% से अधिक संयुक्त एकक केवल गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस समय, देश में 135 कपड़ा एकक बन्द हो चुके हैं। इन 135 एककों में से 50 एकक संयुक्त क्षेत्र में हैं। 27 संयुक्त एकक केवल गुजरात में ही बन्द हो गए, 16 मेरे शहर अहमदाबाद में बन्द हुए। इससे अहमदाबाद, बड़ोदा और भड़ोच में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। गुजरात में बन्द की गई 27 मिलों में उनके बन्द होने की तारीख को 40,000 श्रमिक कार्यरत थे। सौभाग्यवश श्री राजीव गांधी का गुजरात तथा अन्य स्थानों के श्रमिक वर्ग के प्रति काफी सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा है। इसलिए 1985-86 में 2 बन्द कपड़ा मिलों के अधिग्रहण के मामले में प्रधानमन्त्री द्वारा प्रदान की गई मंजूरी तथा भारत सरकार की ओर से गुजरात सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के प्रति मैं बहुत आभारी हूं।

दुर्भाग्यवश, तब से 16 अन्य गैर-सरकारी कपड़ा मिलें बन्द हो चुकी हैं। गुजरात सरकार ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि एकक बन्द करने की प्रक्रिया को रोका जा सके तथा जहां तक सम्भव हो सके, कपड़ा एककों को दोबारा चालू किया जा सके।

12 बन्द कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के बाद गुजरात सरकार ने बिक्री कर और विद्युत शुल्क की देय राशि की अदायगी देर से करने की अनुमति दे दी। इसके परिणामस्वरूप, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक एकक को 30 लाख रु० से 60 लाख रु० का लाभ हुआ। दुर्भाग्यवश 1984 के बाद से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि सीमा विधान को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने मिलों की भूमि की बिक्री के सम्बन्ध में रियायत दी है। सरकार स्वयं इसमें है सामने आती है, और कठिनाई में शहरी भूमि बेचती है। भूमि को बेचकर जो धन मिलता है, वह कपड़ा मिलों को दे दिया जाता है ताकि वह अपनी मिलों का आधुनिकीकरण कर सकें और अपने श्रमिकों की पुनः नियुक्ति कर सकें। भुगतान की लम्बी अवधि को देखते हुए यह स्थिति अर्द्ध-इक्विटी के समान लगती है। राज्य सरकार ने हानि या बैंक के खाते में जमाराशि से अधिक पैसा निकालने पर 110 करोड़ रु० की राशि तक की गारण्टी भी दी है। राज्य सरकार ने बिक्री कर, खरीद कर, विद्युत शुल्क की बकाया राशि के भुगतान, आधुनिकीकरण और पुनर्वास आदि के लिए निधियां लगाने पर कई प्रकार की छूट देने की घोषणा की है। इसके बावजूद भी बराबर कठिनाइयां बनी हुई हैं।

गुजरात में लगभग 50,000 कामगार बेरोजगार हैं। गुजरात तथा विशेष रूप से मेरे शहर में कामगारों की बहुत दयनीय दशा है। कई कपड़ा कामगारों ने आत्महत्या कर ली है। बाकी भी सन्तुष्ट नहीं हैं। बेरोजगार कामगारों के परिवारों की महिलाओं को दो जून रोटी के लिए कई बार अपनी इज्जत भी बेचनी पड़ती है। ऐसी दुखद स्थिति, जिसकी अत्यन्त बाकपटुता द्वारा भी अभिव्यक्ति नहीं की जा

सकती, की जांच करनी होगी और इसके समाधान के लिए कुछ रास्ता निकालना होगा। कपड़ा उद्योग के प्रति सरकार के लगातार सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण और श्रमिकों के प्रति सरकार के मानवतापूर्ण दृष्टिकोण के बावजूद ऐसा क्यो हुआ; और कपड़ा उद्योग को प्रतिवर्ष रियायतें देने के बावजूद, पिछले बजट में घोषित रियायतों सहित, कपड़ा उद्योग उस स्थिति से नहीं उभर रहा है। हम कपड़ा मिल मालिकों को अनुशासित नहीं कर पाए हैं। विगत में, वे सदैव ही सरकार से ऋण के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते रहे हैं ताकि उन्हें कठिनाई के समय में जैसा कि उनके कथनानुसार वे पार कर रहे हैं, कार्यचालन पूंजी मिलती रहे।

वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से इतनी धनराशि प्राप्त की गई है कि आज अधिकांश कपड़ा उद्योगों का प्रबन्ध संस्थागत वित्त व्यवस्था पर चल रहा है। प्रबन्धक वर्ग मुश्किल से 10 या 15 प्रतिशत राशि लगाते हैं। उन्होंने प्रबन्ध निदेशकों, प्रबन्धकों या कपड़ा मिल मालिकों के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने सरकार और संस्थागत वित्त से प्राप्त धनराशि को अपने दूसरे उद्योगों में लगा दिया है ताकि उनका विविधीकरण किया जा सके। यह देखकर कि कपड़ा उद्योग उनके लिए अब लाभप्रद नहीं रहा, उन्होंने रसायन यूनिटें और दूसरी यूनिटें लगा ली हैं तथा गुप्त रूप से या खुले रूप से अपने धन को दूसरे उद्योगों में लगा दिया है परन्तु राज्य कुछ नहीं कर पाया क्यों? वहां भी राज्य असमर्थ है। गुजरात सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 250 के उल्लंघन के लिए 16 मुकदमें दायर किए। मिल प्रबन्धकों ने बिना किसी आर्थिक औचित्य के और बिना कपड़ा प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लिए यूनिटों को बन्द कर दिया जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(ण) में इस आशय का उपबन्ध है। वे इसे लागू भी नहीं करते। इसलिए, गुजरात सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया परन्तु दुर्भाग्य से वे उच्च न्यायालय चले गए और उच्च न्यायालय ने तीन मामलों में स्थगन आदेश जारी कर दिए। उच्च न्यायालय जाने वाले सभी चौथे, 5वें या छठे मिल मालिक को पहले तीन मामलों में पूर्ण उदाहरण को देखते हुए स्थगन आदेश मिल जाएगा। वस्तु स्थिति यह है। कल्याण सम्बन्धी कानून लागू करते समय क्या बाधा सामने आती है? इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नही है जब कोई कहे कि निहित स्वार्थों के लिए न्यायालय स्वर्ग है। यदि न्यायालय अपराधी मिल मालिकों को संरक्षण प्रदान करती रहे तो गुजरात सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार भी असमर्थ रहेगी। दोषी मिल मालिक, जो कि समाज के दुश्मन हैं और औद्योगिक कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना मिलों को बन्द कर देते हैं जिससे हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते हैं और इस प्रकार श्रमिकों को स्वयं ही आर्थिक मृत्यु दण्ड की सजा दे देते हैं, उच्च न्यायालयों द्वारा संरक्षण दिए जाने पर दोषमुक्त हो जाते हैं। इसलिए, मिल प्रबन्धकों को सही करने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए। कई उपाय किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कम्पनी कानून से सम्बन्धित लोगों के लिए इस बात पर विचार करने का समय है कि क्या मिल प्रबन्धकों पर मिल बन्द करने या मिल रुग्ण हो जाने पर असीमित जिम्मेदारी डालना सम्भव नहीं है। वे सीमित देयता का लाभ उठाते हैं। कम्पनी रुग्ण हो जाने पर भी उसके प्रबन्धकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति रुग्ण नहीं होती। वे अपने रिश्तेदारों की फर्मों के खरीद एजेंट और बिक्री एजेंट का काम शुरू कर देते हैं। वे हमेशा रुग्ण कम्पनी के नाम पर लाभ कमाते हैं जिसका उन्हें प्रबन्ध करना चाहिए था। इसलिए, रुग्ण यूनिटों अथवा आर्थिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रतिकूल कार्य करने वाले प्रबन्धकों के विरुद्ध असीम देयता रखी जानी चाहिए।

इसी प्रकार, इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए कि क्या कम्पनी अधिनियम में एक उपबन्ध जोड़ दिया जाए ताकि हम स्वस्थ कपड़ा यूनिटों में रुग्ण कपड़ा यूनिटों का अनिवार्य विलय कर

सकें। वास्तव में, अहमदाबाद में इस प्रकार कुछ यूनिटों का अधिग्रहण किया गया : अरविन्द मिल्स ने लक्ष्मी मिल्स का अधिग्रहण किया और सौभाग्य से, दोनों मिलें अर्थात् मूल मिल और विलय हुई मिल आज बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। परन्तु सरकार कम्पनियों के अनिवार्य विलय को लागू करने के बारे में सोच सकती है। चाहे कुछ भी हो, आपको कपड़ा यूनिटों का एक ही प्रबन्ध अथवा एक ही कम्पनी की कैमिकल यूनिटों और दूसरी यूनिटों के साथ विलय रोकने के लिए तत्काल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए ताकि ऐसा न हो सके कि कपड़ा यूनिटें रुग्ण हो जाएं और कैमिकल यूनिटें अथवा विविधिकृत यूनिटें मूल कपड़ा यूनिटों को नुकसान पहुंचा कर लाभ कमाएं।

पिछले सप्ताह श्री मिर्धा की अहमदाबाद यात्रा के दौरान सम्बन्धित पक्षों के साथ बैठक में कई बातें सामने आईं। श्री मिर्धा ने श्रमिकों की बातें बड़े धैर्य से सुनी। प्रधानमन्त्री ने भी श्रमिकों की बातें अत्यन्त धैर्य से सुनी। प्रधानमन्त्री ने इस मामले की छानबीन करने के लिए राष्ट्र स्तर की समिति बनाने का भी वायदा किया। मेरा वस्त्र मन्त्री से यह निवेदन है कि वे इस समिति के तत्काल गठन के लिए प्रधानमन्त्री से आग्रह करें ताकि सभी समस्याओं पर विचार किया जा सके। परन्तु चाहे वस्त्र मन्त्री की इस बारे में कितनी भी सहानुभूति हो, उन्हें कपड़ा नीति के दायरे में ही कार्य करना है और जब तक वह पैरा जिसमें सभी मिलों के अधिग्रहण और तथाकथित व्यवहार्य यूनिटों को बन्द करने की अनुमति सम्बन्धी उपबन्ध को कपड़ा नीति से निकाला नहीं जाता, वस्त्र मन्त्री की सम्पूर्ण सहानुभूति होते हुए भी, वह श्रमिकों की सहायता नहीं कर पाएंगे। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा नीति की तत्काल विस्तृत पुनरीक्षा की जाए ताकि कपड़ा उद्योग के विकास की गति प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें, श्रमिकों के रोजगार को बचाया जा सके और रोजगार के अधिक अवसर जुटाए जा सकें।

पुनर्वास के उपायों की घोषणा की गई है। वे बहुत अच्छे हैं। परन्तु हमें एक बात की चिन्ता है कि बन्द होने वाली मिलें श्रमिकों को समापन लाभ, छटनी राहत, परिदान राशि, नोटिस वेतन, देय मजदूरी, छुट्टी वेतन भी नहीं देती। क्या किया जाए? सरकार को उन्हें मजदूरों को देय राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करना चाहिए। यदि वे भुगतान से मना करते हैं तो सरकार को उन यूनिटों की आस्तियों का अधिग्रहण करना चाहिए और श्रमिकों को समापन लाभ देने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए, यदि यूनिटों को चलाना सम्भव नहीं है तो। या तो मिल को चलाओ, यदि सम्भव है तो; यदि सम्भव नहीं है तो श्रमिकों के लिए तो कुछ करो। बहुत से श्रमिक खुशी से जाने को तैयार हैं बशर्ते उन्हें छंटनी लाभ, समापन लाभ और पुनर्वास योजना के पूरे लाभ देने का आश्वासन दिया जाए। श्रमिक सोचते हैं :

"सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित:"

यदि रोजगार जाना है और पूर्णतया बर्बादी होनी है तो कम से कम छंटनी राहत, समापन लाभ, पुनर्वास लाभ से तो सन्तोष किया जाए। परन्तु ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि यूनिट को चलाना असम्भव हो। सर्वप्रथम यूनिट को चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उद्योग और समाज के हितों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि कपड़ा उद्योग, कपड़ा यूनिटें जनउपयोगी निकाय हैं। यह कपड़ा बनाती हैं और कपड़ा जनउपयोगी वस्तु है। इसलिए, इस दृष्टि से देखते हुए, यूनिटों को चलाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, श्रमिकों को समापन लाभ और पुनर्वास लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अहमदाबाद की यूनियनों ने सुझाव दिया है कि पुनर्वास लाभ को अधिक उदार बनाया

जाना चाहिए । 3 वर्ष की अवधि के दौरान श्रमिकों को दी जाने वाली 18 महीने की तनख्वाह की बजाय, कम से कम 30 महीने की तनख्वाह 5 वर्ष की अवधि में दी जानी चाहिए ताकि इस बीच वह वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर सके ।

इससे भी बेहतर योजना यह होगी कि मिल बन्द होने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाए ताकि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक उन्हें कुछ पेंशन मिलती रहे । यदि सरकार कर पाए तो यह आदर्श योजना होगी । कपड़ा उद्योग पर निराशावादिता का लांछन नहीं लगना चाहिए । मन्त्री महोदय ने पूर्व अवसरों पर ठीक ही उल्लेख किया है कि सभी तीनों क्षेत्रों—हथकरघा, बिजलीकरघा तथा संघठित क्षेत्र—में उत्पादन बढ़ा है । हमको अपनी निर्यात सम्भावनाओं का उपयोग करना है । मिल-मालिकों ने सरकार को सूचित किया है कि निर्यात सम्भावनाएं 8000 करोड़ रु० तक की हैं । मौजूदा निर्यात 2500 करोड़ रु० प्रति वर्ष है निस्सन्देह हम वस्त्र यूनिटों में सुदृढ़ कर इसका उपयोग कर सकते हैं । किन्तु एक बात विभाग में रखनी है कि कपड़ा एककों को केवल उत्पाद शुल्क के मामले में राहत देने से मिल-मालिकों को ही फायदा मिलेगा किसी अन्य को नहीं । मिल-मालिकों ने सरकार की सद्भावना पर अनुकूल रवैया नहीं अपनाया है । उन्होंने लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है । हमने कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों के बारे में सुना है । लेकिन सुविज्ञ स्रोतों से पता चलता है कि यह केवल एक छलावा है । बजट प्रस्तावों की घोषणा से एकदम पूर्व सूत की कीमतों में उछाला आया । और अब इनकी कीमतें घटाकर पूर्वस्थिति में लाने की कोशिश है और इससे रियायतों के कोई भी लाभ उपभोक्ताओं को दिए जाने की मन्शा नहीं है ।

आपको उत्पाद शुल्क कानून भी सख्त कर देने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पाद शुल्क मे किफायत का लाभ तत्काल ही उपभोक्ताओं को मिल सके ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरे नगर की बात है, इसकी हालत लगभग बिगड़ चुकी है । अहमदाबाद की पचास प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्था वस्त्र उद्योग पर टिकी है । न केवल कपड़ा मिलें ही, बल्कि संसाधन यूनिटें भी काफी खराब अवस्था में हैं और बन्द कर दी गई हैं । इसलिए, अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग के और विनाश बचाने के लिए कुछ करना होगा । कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं यह नहीं कहता कि मिल-मालिकों को और अधिक धन दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अकेले गुजरात में दिसम्बर, 1986 के अन्त मे रुग्ण एककों, लघु उद्योग एककों और बड़े औद्योगिक एककों द्वारा बैंकों को देयराशि 420.45 करोड़ रु० थी ।

मैं नहीं जानता कि "420" का यहां आना मात्र संयोग मात्र है अथवा यह भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित ठगने से सम्बन्धित खण्ड को दर्शाता है । लेकिन, कुछ भी हो 420.45 करोड़ रु० शोच्य है, ये धनराशि रुग्ण एककों मे फंसी पड़ी है, 57.14 करोड़ रु०, 29.32 करोड़ रु० और 15.63 करोड़ रु० क्रमशः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और आई० आर० डी० बी० को देय है तथा ब्यौरे से पता चलता है कि इन देय राशियों का बड़ा हिस्सा वस्त्र उद्योग के नाम है । अकेले गुजरात में वस्त्र उद्योग को 244.64 करोड़ रु० बैंकों को, 35 करोड़ रु० भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, 12.69 करोड़ रु० भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा 7.54 करोड़ रु० आई० आर० बी० आई० को अदा करने हैं ।

आपको इस वस्त्र उद्योग की स्वस्थ हालत में लाने के लिए व्यापक कदम उठाने होंगे । इसकी और बिगड़ती स्थिति को रोकना होगा । और जहां तक अहमदाबाद का सम्बन्ध है, कृपया यह भूल जाए

कि यह महानगरीय स्थिति में है। यह भी किसी सूखा-पीड़ित क्षेत्र की तरह ही है। कृपया इसको सूखा-पीड़ित अथवा पिछड़ा क्षेत्र के रूप में देखा जाए और अहमदाबाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित की जाए ताकि श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आशान्वित हूं कि सरकार श्रमिकों की दयनीय अवस्था पर जरूर ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर कदम उठाएगी कि अहमदाबाद में वस्त्र श्रमिकों के रोजगार की सम्भावनाओं पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, तथा जो एकक बन्द हो गए हैं उन्हें तत्काल पुनः चालू किया जाए और आगे कोई एकक बन्द न हो—इन्हीं शब्दों और टिप्पणियों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी (मधुबनी) : मुहतरम चेयरमैन साहब, ये जो टैक्सटाइल्स की डिमान्ड्स पेश की गई हैं, मैं उनकी ताईद करता हूं मगर साथ ही साथ कुछ बातें जो इस पालिसी के मुताबिक हैं, रखना जरूरी समझता हूं। अभी तक हमारे मुहतरम भाइयों ने मिल सैक्टर और पावरलूम सैक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन हैंडलूम एक ऐसा सैक्टर है, जिसके पास न कोई जुबान है और न इसकी जोरदार आवाज इस हाऊस में पहुंच पाती है। आप लोगों ने पिछले दिनों अखबारात के जरिए सुना होगा कि सारे भारत के अन्दर हैंडलूम में लगे बुनकरों को पहली बार रोड पर आना पड़ा और अपनी फरियाद लोगों के सामने रखनी पड़ी। इस पालिसी के तहत उनको जो तरह-तरह की सहूलियतें फराहम की गई हैं, उनकी खुलेआम अवहेलना हुई है। हैंडलूम पालिसी को देखने से ऐसा लगता है कि 9 नुकाती प्रोग्राम के मुताबिक कुछ सहूलियतें मुहैया की गई हैं जैसा कि सूता के बारे में रा-मैटीरियल्स के जरिए से है, या हैंक यार्न जो उसके लिए जरूरी होता है, उसको मुहैया करने के सिलसिले में है या फाइनेन्शियल स्कीम, सूता डिपो और कपड़ा रिजर्वेशन से ताल्लुक रखती हैं। इसके अलावा जनता वस्त्र, जो सस्ते दामों पर गरीब लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वह हैंडलूम सैक्टर को दी गई है। इसी तरीके से उनके बैकिंग हाऊसिज के बारे में और मोडरेनाइजेशन स्कीम्स के तहत जो स्कीमे चलायी जा रही हैं उनका तस्किरा किया गया है। मैं बिल्कुल मुख्तसर में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

सूता प्रोडक्शन के सिलसिले में जब मुझे 1987 में यह जानकारी मिली कि शायद भारत से बड़े पैमाने पर गैर-मुल्कों में यह भेजा जा रहा है तो मैंने इसी हाऊस में अपने प्रश्न नम्बर 2708 के जरिए से एक सन्देह जाहिर किया था। उस प्रश्न के जवाब में मुझे इत्मीनान दिलाया गया था कि हम बहुत ही कम तादाद में सूता को गैर-मुल्कों में भेजने जा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी यकीन दिलाया गया था कि इससे हैंडलूम सेक्टर को परेशानी का सामना करना नहीं होगा।

दूसरी बार जब मैंने 19-11-87 को नियम 377 के अधीन इसी हाऊस में सूता की कमी के बारे में सन्देह जाहिर किया था कि इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके जवाब में भी मुझे इसी तरह की बातें कही गयी थीं कि हैंडलूम सेक्टर को किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। मगर आपको यह सुनकर हैरत होगी कि जो सूता पहले एक सौ रुपए में मिलता था वह आज एक सौ अस्सी रुपए में भी मिलना मुश्किल हो गया है और उसकी तादाद इतनी कम हो गयी है कि जगह-जगह पर उसकी उपलब्धि भी मुश्किल हो गयी है। इसका नतीजा यह है कि तीन करोड़ बुनकर जो अपनी जिन्दगी का मदार इस पर रखते थे आज उनके बच्चे फाका मस्ती से दो-चार हुए हैं और वे भूख और गरीबी

से लाचार होकर बड़े-बड़े शहरों में गन्दी नालियों के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।

जनता वस्त्र जिसके बारे में बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम इतनी बड़ी तादात में इसको तैयार करते हैं, मुल्क भर में जगह-जगह पर 20 परसेंट से ज्यादा बुनकरों को काम नहीं मिल पाया है। इसके फिगर आप देख लें। इसका प्रमाण यह है कि 80 फीसदी बुनकर आज जनता वस्त्र के काम में नहीं लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अन्दर हैंडलूम करघे का उद्योग एक इतना बड़ा उद्योग है कि इसकी अपनी एक तवारीख है। इसने न केवल भारत में अपना कपड़ा मुहैया किया बल्कि गैर-मुल्की मंडियों में भी इसका होल्ड था। गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने अपने मुल्क में जो कारीगर कपड़ा उत्पादित करते थे, उन कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए थे। लेकिन आज भी वह कारीगर अपने मुल्क में कपड़ा उत्पादित करने से महरूम हो रहा है। इसकी खास वजह यह है कि न उसको रा-मैटीरियल मिलता है और न उसको दूसरी सहूलियतें मिलती हैं। इस तरह से वे लोग परेशानियों से दो-चार हैं।

जनता वस्त्र के अन्दर भारत सरकार ने एक साल में 20 परसेंट लोगों की बेरोजगारी मिटाने की कोशिश की। उसके अन्दर भी एक्सपलायटेशन हो रहा है। इसके बारे में अनेकों बार, अनेकों जगहों पर कहा गया। आल इण्डिया वीवर्स कांग्रेस जिसके सदर प्रोफेसर रंगा हैं और मैं भी एक छोटा-सा कार्यकर्त्ता हूं, ने भी प्रस्ताव पास करके टेक्सटाईल मिनिस्टर को दिया कि आप इस चीज को देखें। लेकिन बार-बार यही कहा जाता है कि यह मसला राज्य सरकार के अधीन आता है, वही इसे देखने की हकदार होती है।

मैं नहीं समझता कि जहां पर इस देश की इतनी बड़ी रकम भेजी जा रही है, गरीबों के नाम पर, बुनकरों को सहूलियतें पहुंचाने के नाम पर, वहीं पर आम बुनकरों को काम नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि फर्जी तौर पर सूता उठाते हैं और मार्किट में बेच देते हैं। उससे सब्सीडी डकार करते हैं। इस तरह के अनेकों केसिज मंत्रालय में पेंडिंग हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कब हैंडलूम सेक्टर को काम मिल पायेगा।

सूता के डिपो के बारे में कहा गया। बिहार के अन्दर मुश्किल से दो डिपो हैं और मेरे जिले के अन्दर एक भी डिपो नहीं है जहां करीब 25 हजार करघे चलते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आज उन करघों पर पांच सौ बुनकर नहीं लगे हैं। बाकी सभी बुनकर बड़े-बड़े शहरों में या तो रिक्शा खींच रहे हैं या बेकारी के तौर पर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। इस बात पर किसी को शक हो तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहां पर कोई टीम भेजकर निरीक्षण करा लिया जाए और देख लिया जाए कि वहां के लोगों की क्या हालत है। मैं इस बात का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब बिहार के उत्तरी हिस्सों में भयंकर सैलाब आया, उन दिनों में भी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वहां पर प्रोडक्शन दिखाया गया है। अगर इन बातों की छानबीन नहीं की गई तो मैं नहीं समझता कि देश के अन्दर जो भयंकर तौर पर शोषण हो रहा है, उसकी रोकथाम हो सकेगी।

इसी तरह से हमारे पास महाराष्ट्र के लोग भी आए, उन्होंने भी यही बात कही। सारे मुल्क में जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं, मुल्क के अनेक हिस्सों से आ रहे हैं और मिल रहे हैं। राजीव जी ने जिन चीजों का ऐलान किया है, अगर उनको कार्यरूप नहीं दिया गया और सिर्फ राशियों के आवंटन तक ही हम सीमित रहे तो मैं नहीं समझता कि हम उस हर दिल अजीज लीडर के साथ वफाई कर रहे हैं, यह तो एक तरह का नीतियों का उल्लंघन होगा, जिससे और बेरोजगारी फैलेगी। टैक्स पेयर्स के

पैसे का इससे दुरुपयोग होगा। अगर इन बातों को गहराई के साथ नहीं सोचा गया तो हम जनता के सामने दोषी हैं, इन बातों को हमें सोचना चाहिए।

1972 में जब श्री श्रीनिवासन जी ने भयंकर बेरोजगारी में माडर्नाइजेशन के तौर पर पावर-लूम को इंट्रोड्यूज किया, उस जमाने में भी बुनकर बेरोजगार हुए। मिल सेक्टर के लोगों ने सूत के दाम बेतहाशा बढ़ाकर बुनकरों को बेरोजगार किया। उस जमाने में भी यह आश्वासन दिया गया कि हैण्डलूम सेक्टर को इससे जूझना नहीं पड़ेगा और इस रिपोर्ट में भी यही गारण्टी दी गई है, यह कहा गया है कि किसी तरह से भी सूत की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज भी हमको उत्तर मिला है कि सूत बाहर भेजा जाएगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिस मुल्क में 3 करोड़ करघे सूत की वजह से बन्द हो रहे हैं, वहां दूसरे मुल्कों को सूत भेजा जाएगा, इसकी क्या तुक है। इससे इस बात का भी संदेह पैदा होता है कि कहीं इसमें किन्हीं लोगों का हाथ तो नहीं है। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस तरह के एक्सपोर्ट को रोक दिया जाए। हैंक यार्न के बारे में भी हमें शक है कि यह करघे तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि हर जिले में सूत की दुकान खोली जानी चाहिए और प्रिसक्राइब रेट होना चाहिए, जिस पर बुनकरों को सूत उपलब्ध कराया जाए। अगर यह व्यवस्था नहीं की जाएगी तो किसी कीमत पर बुनकरों को सूत नहीं मिल पाएगा और कुछ लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे।

इसी तरह से जो 80 परसेंट नान जनता वस्त्र को लेने का भी, उसकी मार्केटिंग का उचित इन्तजाम किया जाना चाहिए और 20 परसेंट जनता वस्त्र के बारे में भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें दी जाने वाली सबसिडी का दुरुपयोग होता है। हम इन बातों को इस हाउस में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हमें जनता के हित की बात करनी है। अगर हम इस काम को नहीं कर पाए तो आपकी यह स्कीम एक मजाक बनकर रह जाएगी और यह बेजुबान तबका परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाएगा, इसका विश्वास हम लोगों में खत्म हो जाएगा।

सभापति महोदय, आज अगर देश के अन्दर कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने में किसी धंधे का नाम आता है तो वह है करघा उद्योग। तीन करोड़ लोग आज इस धंधे में लगे हुए हैं और 5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं किसी मिल सेक्टर या पावरलूम सेक्टर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो हमारा प्राचीन उद्योग है, उसका विनाश न हो। महात्मा जी ने कहा था "अगर घरेलू उद्योग को प्रोटक्शन नहीं दिया गया तो हमारी आजादी खतरे में पड़ सकती है," हमें उन बातों को नहीं भुलाना चाहिए। इन्दिरा जी ने इस बात की यकीन दिहानी करायी है और मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हैंडलूम सेक्टर के साथ आप इन्साफ कीजिए और उन गरीब बेजुबान जिन्हें कुछ नहीं आता है, उनकी ओर दया की निगाह कीजिए और उनके हितों की बड़े-बड़े सेठ साहूकारों से, एक्सप्लायटर्स से और गन्दुमनुमा जां फरोश लीडरों से, हिफाजत कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं वस्त्र मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत, अनुदान की मांगों के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वस्त्र नीति के संचालनगत अंश के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहा गया है :—

"सरकार को आशा है कि उपरोक्त उल्लिखित नीति से भारत में वस्त्र उद्योग की आवश्यक पुनर्संरचना सुगम हो जाएगी, इससे उत्पादन नियोजन और निर्यात में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण योगदान करने तथा लोगों के सभी वर्गों की वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो जाएगी।"

यदि हम राष्ट्रीय वस्त्र नीति का सूक्ष्मता से विश्लेषण करे तथा पिछले दो सालों के परिणामों पर नजर डालें तो हम कतिपय निष्कर्ष निकालेंगे। पहले, वस्त्र उद्योग में लगे लोगों में से 70% लोग हथकरघा क्षेत्र में हैं और मैं अपने पूर्ववक्ता माननीय सदस्य से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि राष्ट्र के रूप में हमें हथकरघा उद्योग पर जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। संगठित क्षेत्र में हमारा उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है, बिजली करघा में मामूली वृद्धि हुई है तथा हथकरघा क्षेत्र लगभग स्थिर रहा है।

जहां तक वस्त्र उद्योग में रोजगार का सम्बन्ध है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है इसके विपरीत, हमारी कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं हमारी वस्त्र नीति के लागू होने के बाद से 57 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। हथकरघा क्षेत्र में भी अतिरिक्त काम नहीं निकला है।

निर्यात मोर्चे पर हम कुछ सन्तोष कर सकते हैं कि हमने 1000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन यदि हम अपने निर्यात लक्ष्यों को बारीकी से देखें तो हम देखेंगे कि सूती माल 311 करोड़ रु० से बढ़कर 475 करोड़ रु० का हो गया है।

4.38 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

किन्तु सूती धागे की कीमत में 64 करोड़ रु० से 296 करोड़ रु० अर्थात 43% की वृद्धि हुई है। हमने किस कीमत पर सूती धागे के निर्यात में वृद्धि की है। परिणामस्वरूप पूरे देश में हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। पहली बार वे खुलकर इस नीति के विरुद्ध बोले हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर अधिक गम्भीरता से विचार करें। यदि हम सूती धागा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो हमें हथकरघा उद्योग के लिए कम-से-कम पोलीएस्ट फाईबर यार्न उपलब्ध कराना चाहिए। किन्तु हथकरघा बुनकरों को धागा अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हम देखें कि हमने किन देशों को सूती धागे का निर्यात किया है, यदि हम इसका विश्लेषण भी करें तो हम पायेंगे कि हमने अपना सूती धागा गैर-परम्परागत क्षेत्रों अर्थात् ताइवान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया है जो वस्त्र उद्योग में हमारे प्रतियोगी हैं। हमने उन्हें सूती धागा निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर, अपने स्थानीय वस्त्र उद्योग तथा अपने हथकरघा बुनकरों की कीमत पर दिया है। मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। हथकरघा बुनकरों को पूर्व संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण पर टिप्पणी करना चाहूंगा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम में स्थिति और भी खराब है। वे किसी भी क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। वे अपने सामाजिक दायित्वों को भी पूरा नहीं कर पाये हैं। सुलभ टैक्सटाइल प्रोडक्शन, जिसे कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने तथा उनकी देखभाल करने का प्रस्ताव किया गया था, उसने कण्ट्रोल का कपड़ा नहीं बनाया है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण में भी सुधार करना होगा। भर्ती की नीति को कारगर बनाना होगा। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसे लोगों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम का चैयरमैन नियुक्त किया गया है जो वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं। इस तरह की बातों को ठीक करना होगा। ऐसे सभी लोग जो

वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कार्यरत हैं उन्हें तत्काल निकाल बाहर करना होगा। वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है किन्तु बढ़ती जा रही हानियां, गंभीर चिन्ता का विषय हैं।

संगठित क्षेत्र में भी, बहुत से व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इनमें से बहुत सी बन्द कपड़ा मिलें मूल स्थानों पर जैसे बम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर तथा यहां तक दिल्ली में भी हैं। यदि आपको कपड़ा मिलें चलानी हैं तो आधुनिकीकरण के लिए धन प्राप्त करना होगा। भारत सरकार कब तक संगठित क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती रहेगी? मूल भूमि क्षेत्र में, जहां ये कपड़ा मिलें हैं उसे बेचना होगा तथा इस भूमि पर होगी तथा इस अचल सम्पत्ति का विकास किया जाना चाहिए तथा मूल भूमि की बिक्री से प्राप्त हुए धन से रुग्ण एककों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को विश्वास मे लिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार की एक समिति होनी चाहिए जो प्रत्येक मामले की जांच करे किन्तु यदि आपको इन्हें संगठित क्षेत्र मे चलाना है तो इसका सिवाय इसके अन्य कोई विकल्प नही है कि इन मिलों को सस्ती भूमि पर स्थानान्तिरत करके मूल भूमि की बिक्री से प्राप्त हुए धन का प्रयोग कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किया जाए।

कपड़ा मंत्रालय द्वारा चालू किए गए बिजली करघा सेवा केन्द्र बिल्कुल भी प्रभावकारी नहीं हैं। इस समय बिजलीकरघा क्षेत्र को भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मेरे विचार से इसे बाद में वरीयता मिलनी चाहिए। प्राथमिकता पहले खादी को तथा इसके बाद हथकरघा को दी जानी चाहिए। खादी कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत आना चाहिए। खादी का उत्पादन देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिजलीकरघा सेवा केन्द्रों का विकास किया जाना चाहिए तथा उन्हे मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्हें तकनीकी तथा डिजाइन सम्बन्धी निवेश पर ध्यान देना चाहिए। बिजलीकरघा बुनकरों को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का उत्पादन करना है। इस प्रकार के निवेश का पूर्णतः अभाव है। मैं मध्यप्रदेश से हूं। वहां बुरहानपुर तथा जबलपुर में बिजली करघे अधिक हैं। वहां बिजलीकरघा बुनकरों की दशा बहुत ही खराब है। कपड़ा मन्त्रालय की ओर से उन्हें उपभोक्ता की पसन्द के अनुकूल अथवा आधुनिक फैशन के डिजाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। बिजली के किरायों में भी कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। हमारे कृषि उद्योग में भी बिजली के किरायों के सम्बन्ध में एक सीमा तक आर्थिक सहायता दी जाती है। विकेन्द्रीत क्षेत्रों में हमारे बिजलीकरघा बुनकरों को बिजली के किरायों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

मैं नही जानता कि बुरहानपुर तथा जबलपुर में बिजलीकरघा सेवा केन्द्र हैं अथवा नहीं। यदि बुरहानपुर तथा जबलपुर में कोई सेवा केन्द्र नहीं है तो दोनों स्थानों पर ऐसा एक केन्द्र होना चाहिए। हथकरघा कपड़ा उद्योग का मुख्य आधार है तथा इसे पूर्ण संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सूती धागे वी० एस० एफ० (विस्कोस स्टेपल फाइबर) यार्न अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बढ़िया किस्म के हथकरघों का अभी भी प्रयोग नहीं किया जा रहा तथा वे पुराने करघों पर ही काम कर रहे हैं। उत्पादों को संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें 600 करोड़ से 800 करोड़ रु० तक की कीमत का कपड़ा खरीदते हैं

किन्तु वह सब संगठित क्षेत्रों से ही कपड़ा खरीदते हैं। यदि आप हथकरघा तथा खादी क्षेत्र के बुनकरों को संरक्षण देना चाहते हैं तो आपको कठोरतापूर्वक इस नीति को लागू करना होगा कि भारत सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा राज्य सरकारें केवल खादी अथवा हथकरघा ही खरीदें। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो संगठित क्षेत्रों के साथ प्रतियोगिता करना बहुत कठिन है। हथकरघा उद्योग में फैशन डिजाइन तत्व तथा उपभोक्ता की पसन्द भी होनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है चरेलू तथा फरनिशिंग टैक्सटाइल पर की ध्यान देना होगा। चरेलू तथा फरनिशिंग फाइबर में अधिक से अधिक हथकरघे का प्रयोग होना चाहिए।

महोदय, हथकरघा बुनकरों के वेतनमानों में वृद्धि की जानी चाहिए। यद्यपि सरकार ने अपनी कपड़ा नीति में निर्णय लिया था कि कण्ट्रोल का कपड़ा अधिकतर हथकरघा क्षेत्र द्वारा बनाया जायेगा, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है। यद्यपि पिछले बजट में जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता 2 रु० से बढ़ाकर 2.75 रु० प्रति मीटर कर दी गई है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि धागे की कीमतें 2 गुना बढ़ी हैं जबकि आर्थिक सहायता काफी कम बढ़ाई गई है। बहुत सी सहकारी समितियां तथा हथकरघा उद्योग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं।

महोदय, पोलीएस्टर हथकरघा कपड़ा संसाधन के लिए निजी क्षेत्र में जाता है क्योंकि बहुत सी हथकरघा सहकारी समितियों के पास संसाधन की सुविधाएं नहीं हैं। वहां उन पर उत्पाद-शुल्क लग जाता है जबकि हथकरघा कपड़ा उत्पाद-शुल्क से मुक्त है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे यह मामला वित्त मन्त्री के साथ उठायें कि हथकरघा पोलीएस्टर कपड़ा जो संसाधान के लिए निजी क्षेत्रों में जाता है। उसे उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखा जाए।

महोदय, खादी उत्पादन को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है यद्यपि राष्ट्रीय कपड़ा नीति में इसका उल्लेख है किन्तु कपड़ा मन्त्रालय इसका ध्यान नहीं रख रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि खादी को वस्त्र मन्त्रालय के अन्तर्गत लिया जाए। मैं पुरजोर सिफारिश करूंगा कि कम रेशों का धागा अर्थात 15 या 20 रेशों का धागा केवल खादी की कताई करने वाले 'अम्बर चरखे' के लिए आरक्षित होना चाहिए। यदि आप इस देश से तथा ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं, तो आपको खादी कताई उद्योग को दूरदराज के क्षेत्रों तक ले जाना होगा तथा आपको इसमें तकनीकी निवेश करना होगा, जिससे कि इन चरखों का उत्पादन बढ़ सके। पाद-संचालित चरखे अच्छा काम कर रहे हैं, वे लोकप्रिय बनाए जाने चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमें इस कताई एकक में आधा अश्व-शक्ति की मोटरों को लगाना चाहिए फिर यह अच्छा काम करेंगी। आखिरकार हम क्या चाहते हैं? हम अधिकतम रोजगार चाहते हैं तथा यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार दे सकता है। खादी उद्योग में कताई तथा बुनाई को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी दोषपूर्ण है। जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत-सी संस्थाएं धन अर्थात् आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं---किन्तु बुनकर तथा वह व्यक्ति जो वहां पर काम कर रहा है उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जहां तक खादी और हथकरघे का सम्बन्ध है मैं पहले ही सरकारी खरीदों के सम्बन्ध में अनुरोध कर चुका हूं।

महोदय, एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है रेशम-उत्पादन। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारे जैसे देश में जहां बहुत बड़ी मात्रा में श्रम संभावना उपलब्ध है ऐसा श्रम-प्रधान क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित पड़ा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी सम्भावनाएं हैं और यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी

हटाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में काफी धन लगाना पड़ेगा। माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि रेशम उत्पादन की एक समन्वित नीति बनाई जाए क्योंकि अन्ततः रेशम उत्पादन कोया पालने से लेकर उत्पाद को बाजार में बेचने तक समन्वित तरीके से होगा। इसलिए भारत सरकार को समन्वित रेशम उत्पादन नीति अवश्य बनानी चाहिए।

महोदय, मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक से 700 करोड़ रु० ऋण लिया है। यह बहुत अच्छी बात है। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में रेशम का उत्पादन का तीव्र विकास किया जाए। रेशम का उत्पादन और कोसा उत्पादन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन के ढंग और आर्थिक प्रणाली के अनुरूप है इसलिए यह उनके लिए काफी उपयोगी हो सकेगा। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि कोया पालने से लेकर रीलें बनाने, बुनाई, संसाधन, रंगाई और छपाई करने तक, जनजातीय क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां कोसा उत्पादन चल रहा है, कोसा उत्पादन को एक परियोजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए। मेरा यह विचार है कि कपड़ा उद्योग के अनुसार वित्तीय नीति की गहनता से जांच की जानी चाहिए। कोई भी उत्पाद शुल्क लगाने से पहले कपड़ा मन्त्रालय पेट्रो-रसायन मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय में पूर्ण समन्वयन होना चाहिए। मैं सभा का ध्यान दिसम्बर, 1987 की उत्पाद शुल्क अधिसूचना की ओर दिलाना चाहता हूं जब अचानक ही शुल्क लगा दिया गया था और पूरे देश में उसका विरोध हुआ था तथा अन्त में दबाव में आकर सरकार को लगाया गया उत्पाद शुल्क वापिस लेना पड़ा था। पहले ही इसे लगाने की आवश्यकता नहीं थी और जब ऐसा कर दिया गया था तो अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा की गई जिससे बचा जा सकता था। वित्तीय नीति के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मामला कपड़ा मन्त्रालय द्वारा उत्पाद शुल्क लगाने का है जिसकी गहन रूप से जांच की जानी चाहिए और इसका समन्वय किया जाना चाहिए क्योंकि यह गम्भीर चिन्ता का विषय है तथा लोगों ने इस पर अनेक आक्षेप भी लगाए हैं मेरे विचार से लेकिन इनके सम्बन्ध में हमें पूर्णतः सजग रहना चाहिए।

यह आश्चर्यजनक बात है कि इस देश में 3,000 करोड़ रु० की लागत का कपड़े का सामान चोरी छिपे आता है। यह इतनी छोटी वस्तु नहीं है कि लोग अपनी जेबों में रखकर अथवा अन्य किसी तरीके से इसे ला सकें। यदि इस देश में 3,000 करोड़ रु० की लागत का कपड़े का सामान चोरी छिपे आ रहा है तो इसे रोकना होगा। यह अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है। माननीय कपड़ा मन्त्री जी को सम्बन्धित मन्त्रियों से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए।

एक तर्क और भी है कि तस्करी को रोकने के लिए उत्पाद शुल्कों को युक्ति-संगत बनाना चाहिए। यह एक सशक्त मामला है। लेकिन हमें इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि क्या वास्तव में यह तस्करी को रोकेगा या नहीं क्योंकि हमें उस स्थिति का शिकार नहीं होना चाहिए जहां हम शुल्क कम करें तो भी तस्करी जारी रहे।

अन्त में संगठित क्षेत्र की संघटित मिलों को हमारे वस्त्र उद्योग, निर्यात और सुख-सुविधा के बाजारों के लिए उच्च किस्म के कपड़े का उत्पादन करने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे खेद होगा यदि मेरा कोई सहयोगी इस बात से नाराज हो जाए कि हमें पुरानी मशीनरी वाली मिलों जो आज की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती हैं, को बन्द करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि मिलें बन्द करना और उसके कामगारों को सेवानिवृत्ति की आयु तक 50% वेतन देते रहना अधिक बेहतर होगा। यह आपके लिए भी मितव्ययी होगा। (व्यवधान) मेरे विचार से पुनर्वास योजना

अवश्य होनी चाहिए। सरकार के पास उपलब्ध संसाधन सबसे पहले हथकरघा उद्योग को मिलने चाहिए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि कपड़ा नीति की जांच करने और प्राथमिकताएं निर्धारित करने की वास्तविक आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो हम खादी और हथकरघा उत्पादन पर अधिक बल देकर बीच में सुधार कर सकते हैं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : हमारे देश में कपड़ा उद्योग कृषि उद्योग के बाद दूसरे नम्बर पर आता है जिसके तीनों क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ से भी अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। लेकिन इसके लिए इस सरकार की कोई भी योजना नहीं है। कपड़ा उद्योग में सारी योजनाए, विकास और सहायता केवल रुग्ण मिलों के लिए ही है। वह भी केवल उन्हें समाप्त करने के लिए है। मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं जो अच्छी मिलें हैं—मेरे विचार से सबसे अच्छी मिल श्री धीरूभाई अंबानी की रिलायन्स मिल हैं और इसके बाद जे० के० और आर० के० का नम्बर आता है, आप उनकी सहायता करते हैं, उन्हें रियायतें देते हैं तथा आधुनिकीकरण निधियां उपलब्ध कराते हैं और जो कपड़ा कामगार वास्तव में इस देश की अर्थव्यवस्था के निर्माता हैं, उनकी कीमत पर उन्हें और अमीर बनाया जा रहा है।

सभापति महोदय, आप भी बम्बई के ही हैं। तीन लाख कामगारों ने तीन पीढ़ियों में बम्बई का निर्माण किया है। इसी के कारण अन्य सभी उद्योग पनपे हैं तथा बम्बई के कपड़ा कामगारों की मेहनत से ही पूरा बम्बई अब सुन्दर बन गया है। सरकार की सम्पूर्ण नीति और आपके सभी अधिनियम इस शहर में कपड़ा कामगारों को अत्यधिक क्षति पहुंचा रहे हैं।

श्री मेहरा जो आपके दल के सदस्य हैं उन्होंने भी यही कहा था और इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद में कपड़ा कामगार आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। गरीबी के कारण महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ रही है और अहमदाबाद की 50% अर्थव्यवस्था क्षत-विक्षत हो गई है। मुझे आपके शब्द याद हैं, मैंने आपके शब्द नोट किए थे; ये कांग्रेस आई संसद सदस्य के विचार हैं। सरकार यह कपड़ा नीति अपना रही है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बोलूंगा।

पिछले बजट में हमने सुना था कि आपने लगभग 15 स्थानों पर, कपड़ा मालिकों को विभिन्न रियायतें देने की घोषणा की थी। इनके नाम बताने का समय नहीं है। पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर में 10 रु० और पॉलिस्टर धागे में 27 रु० के शुल्क की कमी की गई थी। इन दोनों शुल्क रियायतों से 266 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी जो पॉलिस्टर कपड़े के क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाएगी; इसमें से 155 करोड़ रुपए धीरूभाई अंबानी और उसके रिलायन्स को दिए जाएंगे। यहां से आप पूरे देश की योजना शुरू करते हैं और तब भी आप गरीबी की बातें करते हैं। मैं जानता हूं कि हमने इस पर आपत्ति की थी क्योंकि कामगार आपके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। मैं सरकार की नीति के बारे में जानता हूं।

अब उपभोक्ताओं की बात कीजिए। मेरे विचार से आपकी नीति उपभोक्ताओं के लिए है। इस सभा में बोलते हुए आपने कहा था कि आगे जाकर इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिल पाएगा। मुझे वस्त्र विभाग के सचिव श्री शर्मा का वक्तव्य मिला जिन्होंने पिछले एक महीने में सभी प्रमुख वस्त्र निर्माताओं की तीन बार बैठक बुलाई और उनको बताया कि हमने आपको रियायतें प्रदान की हैं, आप लोगों को इस बात की निगरानी रखनी चाहिए और ये रियायतें गरीब लोगों तक अवश्य पहुंचनी

चाहिए। मैंने एक निष्कर्ष निकाला है। जो रियायतें आपने प्रमुख वस्त्र निर्माताओं को दी हैं यदि वे उपभोगताओं तक पहुंचती हैं, तो पॉलिस्टर कपड़े की कीमत 2 रु० प्रति मीटर और फिलामेंट धागे की कीमत 40 नये पैसे के हिसाब से कम होनी चाहिए। रिलायन्स कम्पनी ने समाचारपत्रों में केवल मंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए समाचार दिया है कि उन्होंने कीमतें कम कर दी हैं। क्या वे उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई हैं? क्या ये उन लोगों तक पहुंची हैं जो इसे खरीदते हैं? क्या व्यापारी और बीच के अन्य लोग इन रियायतों को लोगों तक पहुंचने देते हैं? यदि ये रियायतें उपभोक्ताओं को मिलती हैं तो पॉलिस्टर साड़ी की कीमत 10 रु० कम होनी चाहिए। सरकार 35 दिन के लिए क्या कर रही है और आपका बजट किसलिए है? मजदूरों के बारे में भूल जाइए; आपने तो उनको खत्म कर दिया है; लेकिन कम से कम क्या आप अपनी वस्त्र नीति के द्वारा कम से कम उपभोगताओं के हितों का ध्यान रख रहे हैं? मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं।

आपने कितनी रियायतें दी है। नायलोन पर आपने 50% शुल्क कम किया है, सूती कपड़े पर आपने 3% कम किया है, विस्कोस स्टेपल धागे पर से आपने शुल्क हटा दिया है। मशीनें आयात करने के लिए आपने इन बड़े लोगों के लिए 15% से 10% तक आयात शुल्क कम कर दिया है। धीरूभाई अम्बानी और अन्य प्रमुख लोग आपको हिदायत देते हैं और आप इन लोगों के आगे ···** ··· की तरह नाचते हैं और अपनी वस्त्र नीतियों को सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं। मैं इस सभा में इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं।

यदि उपभोगताओं का लाभ नहीं पहुंचता है, यदि सभी लोगों को लाभ नहीं होता है, तो आपका बजट किसलिए है? महोदय, यह आपका भी अनुभव है। इस वस्त्र नीति से पहले आपने रियायतें दी हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार·····**·····की तरह नाच रही है। मैं समझता हूं कि यह असंसदीय है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : जो कुछ वह बोल रहे है, वह सब असंसदीय है।

डा० बता सामन्त : क्यों, आपको बुरा लगा है? मैंने नये पैसे तक का हिसाब दिया है, मन्त्री को उत्तर देने दो।

सभापति महोदय : सरकार के प्रति कहे गए उनके शब्द अपमानजनक हैं। अतः मैं उन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालता हूं।

डा० बता सामन्त : इसके लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। मन्त्री महोदय ने ऊपरी सदन में घोषणा की है कि उन्हें रुग्ण एककों की परवाह नहीं है; उन्हें अपनी मौत मरने दो; यह सरकार एक भी कपड़ा मिल का अधिग्रहण नहीं करेगी। मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा था। यदि मैं गलत हूं तो मन्त्री जी मेरे कथन को ठीक कर सकते हैं। यह है वह वक्तव्य जो उन्होंने ऊपरी सदन में दिया था।

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अब और किसी मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डा० दत्ता सामन्त : ठीक है, अब और किसी मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। आपने यही वक्तव्य दिया है जो मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है। मैं 99% सही हूं। यदि ऐसा है, तो इन सभी रुग्ण एककों का ध्यान कौन रखेगा ? मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनका अधिग्रहण करें। ये एकक रुग्ण क्यों हुई ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अन्य एककों की 50% मशीनरी चालीस या इससे अधिक साल पुरानी है। आपने टाटा और एम्प्रैस मिलों का अधिग्रहण किया है। टाटा की परिसम्पत्ति 4200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।

5.00 म० प०

बिड़ला की दो मिलें बन्द हैं। उसकी परिसम्पत्ति का मूल्य 4500 करोड़ तक पहुंच गया है लेकिन उसकी पुरानी मिलें रुग्ण हो चली हैं। भैंस 13 बच्चों को जन्म दे चुकी है। तब इसे किसी बूचड़ खाने भेजा जाना है, और सरकार को उस भैंस को लेकर खिलाना पड़ता है। आप इन मिल-मालिकों को दण्ड क्यों नहीं देते जिन्होंने इन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया ? 50 वर्षों तक मिल चलाते हुए उन्होंने क्या किया है कोई नहीं जानता। सरकार सोती रही है और जब वे एककों को रुग्ण बना देते हैं और फिर आपको सौंपते हैं, तब आप कहते हैं हम इनको अधिग्रहण नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि—बम्बई, अहमदाबाद और कानपुर के लाखों श्रमिक—इस समय 1.5 लाख श्रमिक मर रहे हैं और ऐसी अडियल और मालिकों की पक्षधर नीति के कारण यह सरकार मेरे बहुत से कपड़ा श्रमिकों का खात्मा करने जा रही है। मैं दृढ़तापूर्वक इन सभी श्रमिकों की भावनाओं को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अब राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कपड़ा मिलों को लें। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 125 मिलें हैं। वे 80% उत्पादन कर रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कपड़ा मिलों हेतु अगले पांच वर्षों के लिए क्या प्रावधान किया है ? यह केवल 117 करोड़ रुपए का है। इसमें से 80 करोड़ रुपए भवन की मरम्मत—शौचालयों और बोयलर्स की मरम्मत—के लिए है जो टाटा और बिड़ला ने नहीं करवाए। वे केवल बड़े मालिकों का कार्य कर रहे हैं। इससे आपकी मंशा जाहिर होती हैं। श्रमिकों को बकाया देय राशि देने के लिए केवल 42 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस सरकार की मंशा मिलों को बन्द करने, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के श्रमिकों की नौकरियां खत्म करने और उनका खात्मा करने की है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। आपने सैन्चुरी, बिड़ला और रिलायन्स मिलों के लिए 750 करोड़ रुपए दिए हैं और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों को पांच साल के लिए और भवनों की मरम्मत के लिए केवल 117 करोड़ रुपये दिए हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आपने एक पैसा भी नहीं दिया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें कैसे चलेंगी। सरकार को इस बारे में कुछ महसूस करना चाहिए अब देखिए आपके सचिव ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के बारे में क्या लिखा है :

> "1986-87 में उत्पादन में लक्ष्यों की तुलना में गिरावट का मुख्य कारण बिजली की कमी, हड़तालें और साथ ही साथ श्रमिकों की अनुपस्थिति और देश के कुछ भागों में अशान्त स्थिति का होना है।"

श्रमिकों के असहयोग की बात करना तो एक फैशन हो चला है। उन्हें वेतन नहीं दिए गए। वे आत्महत्या कर रहे हैं और आपके सचिव ने यह लिखा है। कम-से-कम मन्त्री जी को इसे ठीक करना चाहिए था। आखिरकार आप श्रमिकों को दोषी ठहराते हैं, आप सभी नीति-विषयक विषयों पर

बिरला और टाटाओं से बातचीत करते हैं जबकि श्रमिक मर रहे हैं। क्या यह श्रमिकों की पक्षधर सरकार है ? मैं यहां आप सभी से पूछ रहा हूं। इस सरकार का सारा दृष्टिकोण मिलों को बन्द कराना है। आपने आधुनिकीकरण की व्यवस्था नहीं की है। आपने श्रमिकों को बकाया देय राशि का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं की है। यह सरकार पुराने कपड़ा मिलों के श्रमिकों का खात्मा करने जा रही है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मशीनरी 50 साल पुरानी है। क्या इसके लिए श्रमिक जिम्मेदार हैं ? उच्चाधिकारियों ने क्या किया है ? क्या सरकार सो रही है ?

मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। जब वी० पी० सिंह वित्त मन्त्री थे, तो तब रुग्ण उद्योग विधेयक पास किया गया था। वस्त्र नीति की घोषणा के बाद सारे देश में 45 मिलें बन्द हो गई हैं और बम्बई में 13 मिलें बन्द हो गई हैं। मैंने उस कपड़ा नीति की प्रतियां बम्बई की सड़कों पर जलाई थीं। एक घण्टे तक मैंने इस सभा में इसका विरोध किया। अब आप कह रहे हैं यह अच्छी नहीं है। आप हजारों श्रमिकों के हित नहीं देख सकते। अब आप रुग्ण उद्योग अधिनियम के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं करते ? जब शेयर पूंजी 50% से नीचे जा रही होती है तो माननीय बोर्ड कार्यवाही कर सकते हैं। मन्त्री महोदय निर्देश दे सकते हैं। आप निदेशक को बदल सकते हैं। यदि कोई मिल को बीमार करता है तो बोर्ड के पास विस्तृत शक्तियां हैं। मैंने वह संशोधन प्रस्तुत किया था और यह कानून में है। आप निदेशक को बदल सकते हैं। टाटा, सिंघानिया और बिड़ला की मिलें उस कानून के अनुसार बन्द हैं। यहां एक प्रावधान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप स्वस्थ एकक को बीमार मिल के साथ मिला दें। क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कुछ है ? आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं ? कानून में एक प्रावधान है। मेरा आग्रह इंजीनियरिंग एकक के लिए है। लेकिन यदि मिल रुग्ण होती हैं तो इस विभाग ने कुछ नहीं किया है। ये सभी बड़े-बड़े अधिकारी हैं। आप उन्हें निदेशक को हटाने के लिए कहें। आप उनसे कहिए कि हम रुग्ण मिलों को सेंचुरी मिल्स अथवा बिरला सीमेंट जैसी यूनिटों के साथ मिला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आपके पास उनका वित्त पोषण बन्द करने और ऋण रोकने के अधिकार हैं। लेकिन आप इन्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। अब आप 2000 करोड़ रु० की कोई परियोजना शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठगा है, लोगों को धोखा दिया है, आप उनका साथ दे रहे हैं। यह कानून इस सभा में केवल चर्चा हेतु ही है। उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिए सरकार ने सभी तीनों प्रावधानों का उपयोग क्यों नहीं किया ? विचारशीलता का नितांत अभाव है। इस मामले में क्रियान्वित किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है।

बम्बई में लोग मुसीबत में हैं। मुझे खुशी है कि आपने भी यह बात कही। लेकिन कितनी रुग्ण मिलों की आप देखभाल करेंगे ? 1100 करोड़ रु० फंसे पड़े हैं। माननीय मन्त्री जी, आपके मन्त्री बनने और वस्त्र विभाग के गठित होने से पूर्व देश-भर के बड़े-बड़े दिग्गज—वस्त्र उद्योग की प्रमुख हस्तियां—राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1500 करोड़ रु० का चूना लगा चुके थे। अधिकतम पैसा वस्त्र उद्योग के जाने माने व्यक्तियों ने ठगा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का अधिग्रहण करने के लिए आप खरबों रुपए के ऋणी हो रहे हैं। इन बड़े-बड़े मालिकों के लिए 750 करोड़ रु० की आधुनिकीकरण विधि बनाई गई है। उन्होंने अभी तक 150 करोड़ रु० लिए हैं। आधुनिकीकरण विधि के लिए आपने क्या नियम बनाए हैं ? सुचारू रूप से चल रही मिलों को तो यह पैसा मिले, लेकिन रुग्ण अथवा बदतर अवस्था वाली मिलों को यह पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए ? आधुनिकीकरण विधि के सम्बन्ध में इससे आपके दृष्टिकोण का पता चलता है।

सभापति महोदय, सेंचुरी मिल वाले आपके पड़ोसी बिरला ने अधिकतम पैसा लिया है। उसने

67 करोड़ रु० के सूती कपड़े का निर्यात किया। उसे 13 करोड़ रु० का लाभ हो रहा है। लेकिन उसने श्रमिकों को हटा दिया है उसने श्रमिकों को ठोकर मार कर बाहर कर दिया है। 13000 श्रमिकों में से उसके यहां अब केवल 7000 श्रमिक हैं। सरकार कह रही है कि आप महान हस्ती हैं; आप सभी चीजों का निर्यात कर रहे हैं। हम उन्हें कर में राहत दे रहे हैं।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय मन्त्री महोदय, मैं इस सरकार की हजारों नीतियां बता सकता हूं जिससे देश में इन बड़े-बड़े मालिकों को फायदा हो रहा है। आपकी आधुनिकीकरण विधि का उपयोग बम्बई में मोरारजी मिल्स, सेंचुरी मिल्स स्टैंडर्ड मिल्स, बॉम्बे डाईंग द्वारा किया जा रहा है जोकि बहुत लाभकारी मिलें हैं। इन मिलों को आधुनिकीकरण निधि देने की क्या आवश्यकता है ?

यदि इस आधुनिकीकरण निधि को लेने के पश्चात्, वे एक स्लेजर करघा आयात कर लेते हैं, जिससे एक श्रमिक 22 श्रमिकों का स्थापनापन्न होगा, तो नीति यही है क्या ? श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या यही रास्ता है ? इन करघों के सभी फायदे उन्हीं मिलमालिकों को मिलते हैं जिन्होंने पहले ही श्रमिकों के पैसे ठग लिए हैं। ये सभी 7-8 मिलें बहुत अच्छी चल रही हैं।

मिलमालिकों ने यह नीति अपना ली है कि मिल ठीक है, रियायतें सभी लो, इसको ठीक से चलाओ, दूसरी मिल अच्छी नहीं चल रही, इसे बन्द कर दो श्रमिकों का गला घोट दो। चम्पत हो जाओ तथा जमीन बेच जाओ।

बम्बई में इन लोगों को कोई सबक देने की बजाय, सरकार ने नई नीति बनाई है कि हम आपको जमीन बेचने की अनुमति देते हैं। यह तो सोना मिलने जैसी बात है। बम्बई वस्त्र मिलों की शेयर पूंजी 60-70 करोड़ रु० है। लेकिन जमीन बेचकर वे 1500 करोड़ रु० कमा लेंगे। ऐसे प्रलोभन दिखाए जाते हैं। ऐसी रियायतें दी जाती हैं उन्हें। धीरे-धीरे, पिछले दो वर्षों के दौरान 7-8 नई और हाल ही में बनी मिलें बन्द कर दी गई हैं। साधना मिल का 15 प्रतिशत काम बन्द हो गया है। अम्बिका मिल बन्द हो गई है। आप क्या कर रहे हैं ? फिर आप कहते हैं कि डा० दत्ता सामन्त ने कराया है यह। यह कहना फैशन बन रहा है। 1982 की हड़ताल को इस समय से कुछ नहीं लेना। मैं श्रीमान मेहता के क्षेत्र अहमदाबाद में हड़ताल कराने नहीं गया था। आप लोग श्रमिकों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। बम्बई के वस्त्र श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे महसूस करते हैं कि सरकार मिलमालिकों के साथ मिल कर चल रही है।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि भगवान के लिए वह कम से कम यह घोषणा करें कि हम उन लोगों को जमीन की बिक्री नहीं करने देंगे।

इसके विपरीत, मैं एक प्रस्ताव रखूंगा। आपके 1100 करोड़ रु० अवरुद्ध हो गए हैं। आप उनको 600 करोड़ रुपये की टैक्स में छूट दे रहे हैं और 750 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण निधि के लिए दे रहे हैं। यह धन देने के बावजूद भी, मैं नहीं समझता कि वस्त्र सस्ते होंगे और श्रमिक परेशान ही रहेंगे। इन सभी मिलों का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लिया जाता ? माननीय दिघे जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। आपके पास राष्ट्रीय वस्त्र निगम है। यह फिजूल का

खर्चा है। आपके पास इसकी कितनी शाखाएं हैं ? एक बम्बई में है, एक अहमदाबाद में है, इत्यादि। मैं समझता हूं उनको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए, मैं एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि सरकार को इन सभी मिलों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए और मैं समझता हूं कि इससे समस्या का हल निकल आएगा और इस तरह के काम के द्वारा मिल-मालिक आपको धोखा देंगे और अधिक परेशान करेंगे। 83 में से केवल 13 राष्ट्रीयकृत मिलें—और आप अब भी हिचक रहे हैं और बम्बई में 70,000 श्रमिक निकाले जा चुके हैं। सरकार ने कोहिनूर मिल से निकाले गए 1600 श्रमिकों को वापिस लेने का हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का पालन नहीं किया। मिलों के आधुनिकीकरण पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। इसे मजदूर संघ पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय मजदूर संघ को कुछ लोगों से सौदा करते हुए देखा है। मैं अब उस विवाद में नहीं जाना चाहता। इसलिए, श्रीनिवास मिल, खान देश मिल—ये प्रस्ताव आपके पास दो या तीन बार आ चुके हैं लेकिन इसके परिणामस्वरूप भी आपने परवाह नहीं की और वहां भी उसी नीति का प्रयोग किया गया है।

समस्या कपास के उत्पादकों की है। इस वर्ष का उत्पादन 87 लाख गांठें है। यह सरकार इन मिल मालिकों के इशारों पर नाची है। मैं इसे पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी अपनी लाबी है। उनकी प्रशंसा हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एक मीटर सूती वस्त्र के लिए आप को 8 आने का कपास चाहिए ? आप इस पर दो आना बढ़ाकर 4 आना कर दें। वस्त्र विक्रेता 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेचेगा। क्या उसे हानि होगी ? लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और हर आदमी चिल्ला-चिल्ला कर इसका समर्थन कर रहा है और सरकार यह कह कर कि हम आपको 5 लाख गांठें आयात करने की अनुमति प्रदान करेंगे, इस मालिक की सहायता करने जा रहीं है। 1.5 लाख मिल श्रमिक मर रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। आपको होश नहीं है। क्योंकि 5 लाख लोग नीचे जा चुके हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको आयात करने की अनुमति प्रदान करेंगे और आपको निर्यात नहीं करने देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन मिल मालिकों के विचारों और सनकों के लिए काम कर रहे हैं। यह बहुत बुरी बात है। जब कीमतें गिर रही होती हैं तो आप सी० सी० आई० का प्रयोग करते हैं लेकिन जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तो गरीब किसानों, को कुछ सौ रुपए और ले लेने दो। मैं समझता हूं कि कम से कम कपास उत्पादकों के लिए आप के दिल में कुछ प्यार है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने आत्महत्या की है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

तस्करी की वस्तुओं के सम्बन्ध में, क्या आपके ये आंकड़े सही हैं कि 3000 करोड़ रु० की वस्तुओं की तस्करी की गई ? क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है, अतः मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं चूंकि 3 वर्ष पहले अहमदाबाद में धीरुभाई अम्बानी तथा बम्बई में अजानभाई मोदी ने बम्बई में ऐसा ही कहा था। उन्होंने प्रचार किया है। उनका कहना है कि बहुत सी वस्तुओं की तस्करी की गई तथा आप उत्पाद शुल्क में छूट दे रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कितना तस्करी का माल पकड़ा है ? सीमा शुल्क ने 16 से 20 करोड़ रु० का तस्करी का माल पकड़ा है तथा वास्तविकता में इससे 10 गुणा अधिक वस्तुओं की तस्करी हुई है। समाचारपत्रों में इसका प्रचार किया गया। हम भी इस सम्बन्ध में बात करते हैं। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि तस्करी न की जाये, और यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या यह सही है कि 2000 से 3000 करोड़ रु० की वस्तुओं की तस्करी की गई अथवा नहीं।

एक अन्य मुद्दा यह है कि उत्पाद-शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने से मिल-मालिकों की लाबी को

ही लाभ होता है। तस्करी बढ़ जाती है यहां तक कि यदि आप कुल शुल्क में कमी कर भी दें तो भी हमारे कपड़े का मूल्य ताइवान तथा उस क्षेत्र के कपड़े से 12 से 15 रु० अधिक है। अतः इस प्रकार की गणना या हिसाब-किताब करते हुए मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मिल-मालिकों की लाबी के इशारे पर न चले तथा मैं यह जानना चाहूंगा कि इस देश में वास्तव में कितने रु० के माल की तस्करी की जाती है। अतः इस प्रकार की कपड़ा नीतियों से वास्तव में इन कपड़ा मिलों में काम कर रहे कामगारों को हानि होती है। हमारे बिजलीकरघा कामगारों से गुलामों की तरह काम लिया जाता है, जो भी हो सरकार उनकी ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है आपका सभी कपड़ों को उपभोक्ता दर तक कम करने का आशय भी सफल नहीं रहा है। मन्त्री महोदय आज इस सदन में यह घोषणा करें कि मैं इस नीति को समाप्त कर रहा हूं। जब यह वस्त्र नीति यहां अनुमोदित की गई थी, तो मेरा सबसे कटु वक्तव्य था। कामगार सहायता करने तथा उत्पादन देने के लिए तैयार हैं तथा आपकी आधुनिकीकरण करने के लिए दी जाने वाली सारी सहायता केवल कुछ ऊंचे लोगों के हाथों में ही जा रही है। मेरा विश्वास है कि लोग समझौता तो कर लेंगे किन्तु यह बात स्थाई सिद्ध नहीं होगी। अतः आपको राष्ट्रीय वस्त्र नीति को समाप्त कर देना चाहिए तथा सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। रूई उत्पादकों को अच्छी कीमतें मिलनी चाहिए तथा आपको आयात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बम्बई के कपड़ा कामगारों को संशोधित वेतन नीति का लाभ मिलना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री दत्ता सामन्त द्वारा उठाए गए बेतुके विवाद का उत्तर देना बहुत ही कठिन है···(व्यवधान)। वस्त्र नीति जून, 1985 में घोषित की गई थी तथा ये बम्बई, अहमदाबाद, तथा देश के अन्य भागों में मिलें बन्द होने का दोष सरकार की वस्त्र नीति पर लगा रहे हैं। कपड़ा नीति जून 1985 में घोषित की गई थी तथा बम्बई में हड़ताल 1981 तथा 1982 में मेरे विद्वान् मित्र द्वारा शुरू करा दी गई थी। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि किसी ने मिलों को···(व्यवधान)। भगवान का शुक्र है कि वे अहमदाबाद नहीं गए। मैं गुजरात सरकार को बधाई देता हूं कि उसने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी···(व्यवधान)

1981 में डा० दत्ता सामन्त ने कामगारों को गुमराह किया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य था। समय इतना खराब था, 1981 में पूरी दुनियां के ही कपड़ा उद्योग में बहुत मन्दी का समय चल रहा था। बम्बई में उस समय कपड़ा कामगारों की हड़ताल के क्या कारण थे ?···(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप कामगारों को प्रति दिन 4 रु० से अधिक का भुगतान कर रहे थे ?···(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : मैंने आपको परेशान नहीं किया। मैं डा० दत्ता सामन्त पर सांठ-गांठ का आरोप नहीं लगा रहा; यद्यपि बम्बई में कपड़ा यूनियनों के कुछ लोगों ने उन पर बम्बई के मिल-मालिकों के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगाया है।

डा० दत्ता सामन्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे विरुद्ध यह मामला उठाया है। यह धरती पर एक बहुत बड़ा अपराध है। दो लाख अथवा 5 लाख कामगार दो वर्ष के लिए बेकार हो गए थे। यह कोई सांठ-गांठ नहीं है, जो मेरे मित्र तथा अनेक नियोक्ताओं के बीच है। कम से कम कामगारों की भावनाओं के लिए आपको ये शब्द वापिस ले लेने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं होना चाहिए ।

श्री मुरली देवरा : मैंने यह नहीं कहा कि डा० दत्ता सामन्त ने सांठ-गांठ की है···(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : मुझे आपके प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री मुरली देवरा : आपने सरकार पर उन सब बातों के लिए आरोप लगाया है, जो सच नहीं हैं ।

डा० दत्ता सामन्त : यह सरकार मिल-मालिकों के साथ मिलकर काम कर रही है । एक केन्द्रीय मन्त्री ने मुझे बताया था कि जब हित का प्रश्न आता है तो वे मिल-मालिकों का हित देखते हैं क्योंकि वे उन्हें धन देते हैं···(**व्यवधान**)

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : आप मन्त्री का नाम बताइए । हम उनका बचाव नहीं करेंगे···(**व्यवधान**) इस तरह के आरोप मत लगाइए···(**व्यवधान**) । अभी उनका नाम बताइए ।

डा० दत्ता सामन्त : वे भूतपूर्व वित्त मन्त्री हैं···(**व्यवधान**) ।

श्री राम निवास मिर्धा : उनका अभी नाम बताइए, अन्यथा अपनी टिप्पणी वापिस लीजिए ।

डा० दत्ता सामन्त : वे प्रणव कुमार मुखर्जी हैं, जो उस समय वित्त मन्त्री थे । उन्होंने मुझे कहा था : "आपको यूनियन चलानी है, किन्तु मुझे पार्टी चलानी है तथा पार्टी चलाने के लिए, हमें मिल-मालिकों के हित को देखना होगा ।"

आप बम्बई मिल-मालिकों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि आप चुनाव के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं । मैं असेम्बली में पिछले 25 वर्षों से हूं । आपने कपड़ा कामगारों पर भारी अत्याचार किए हैं । आपके पास बात करने के लिए नैतिक साहस नहीं है···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि मैं यहां कुछ स्पष्टीकरणों के सम्बन्ध में पूछने के लिए बोल रहा हूं । मेरे माननीय सहयोगी ने उन्हें मन्त्री का नाम बताने के लिए कहा है । मेरे विचार से डा० दत्ता ने ठीक जानकारी नहीं दी···(**व्यवधान**) मेरा कहना यही है कि जब डा० दत्ता सामन्त संसद-सदस्य चुनकर आए थे, तब श्री मुखर्जी वित्त मन्त्री नहीं थे ।

डा० दत्ता सामन्त : जब कपड़ा मिलों में हड़ताल हुई थी तब मैं संसद सदस्य नहीं था ।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य से यह कह रहा हूं कि वे यह सही-सही बताएं कि वित्त मन्त्री कौन थे ।

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप और विस्तृत, जानकारी चाहते हैं । मैं एक वक्तव्य देने के लिए चुनौती दे सकती हूं । मैं जानता हूं कि उस समय आप माननीय प्रधान मन्त्री के साथ थे । मैं महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री और केन्द्रीय मन्त्रियों से हुई अपनी बातचीत का पूर्ण ब्यौरा दे सकता हूं । कपड़ा मिलों की हड़ताल के दौरान उन्होंने कहा कि आप मिल मालिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं । इसलिए उन्होंने बम्बई मिल मालिकों के हितों को बनाए रखने के लिए हड़ताल समाप्त करने को कहा ।

श्री मुरली देवरा : मैं अपने मित्र को नाराज नहीं करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

आपने सरकार को गाली दी है। आपने कहा है कि सरकार मिल मालिकों के सामने दुम हिला रही है। हम इसे सहन नहीं करेंगे। मेरा यह कहना है कि आप इस प्रकार सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं ?

डा० दत्ता सामन्त : सरकार इस प्रकार का व्यवहार कर रही है।

श्री मुरली देवरा : ठीक है, वह आपका विचार है (**व्यवधान**) सरकार और सरकार की कपड़ा नीति पर डा० दत्ता सामन्त द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि वस्त्र नीति जून, 1985 में घोषित की गई थी जबकि कपड़ा मिलों की वह हड़ताल, जिसके परिणामस्वरूप कई शहर के लगभग 150 से 250 हजार कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो गए थे और उसने उन्हें तबाह कर दिया था तथा जिसके अब तक जारी रहने का अनुमान था, वर्ष 1981 में घोषित की गई थी। मैंने इस बारे में श्री दिघे से भी बातचीत की थी और कपड़ा मिलों में हड़ताल करने का, जो आह्वान किया गया था वह अभी चल रहा है। भगवान का शुक्र है कि गरीब मजदूरों ने, जिन्हें गुमराह किया गया था, इतने वर्षों की प्रताड़ना के बाद·····(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : आप मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप सरकार पर किसी भी बात के लिए आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मेरा यह कहना है कि दुर्भाग्यवश गुमराह करने वाले कुछ मजदूर यूनियन नेताओं ने, जो पहले कपड़ा मिलों की यूनियन में शामिल नहीं थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मजदूरों को गुमराह किया और इसी कारण वस्तुतः बम्बई की 17% कपड़ा मिलें समाप्त हो गईं। मेरे विद्वान मित्र डा० दत्ता सामन्त एक विशेषज्ञ हैं, वह एक डॉक्टर हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं। यदि कोई कपड़ा मिल 3 वर्षों तक बन्द रहे, तो मिल का क्या होगा, यही बात मैं जानना चाहता हूं। कताई, बुनाई और प्रोसेसिंग मशीनों का क्या होगा ? आपने श्रीनिवास मिल, सोहन मिल आदि की स्थिति देखी है।

डा० दत्ता सामन्त : वह असंगत बात कर रहे हैं। मैंने श्रीनिवास मिल बन्द नहीं की है। यह एक नई मिल है। मैंने इसे बन्द नहीं किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्रीनिवास मिल ने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया था (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : संगत और सही बात केवल डा० दत्ता सामन्त ही कहते हैं। (**व्यवधान**) मेरा यह कहना है कि यदि औद्योगिक, वस्त्र अथवा इन्जीनियरिंग विभाग की कोई भी इकाई किन्हीं भी कारणों से, चाहे वे सही ही क्यों न हों, 3 वर्ष तक बन्द रहे, तो उस इकाई का क्या होगा। मिल की मशीनें और तकलियां जाम हो जाएंगी। आपने सही कहा है कि 40 वर्षों के बाद तकलियां पुरानी पड़ जाती हैं।

डा० दत्ता सामन्त : उन्होंने इन 40 वर्षों में क्या किया ?

श्री मुरली देवरा : हां, मैं उन्हें भी दोष दे रहा हूं।

डा० दत्ता सामन्त : मेरे सामने आने से पूर्व 4 मिलें बन्द थीं। आपने क्या किया था ?

(व्यवधान)

बम्बई नगर में प्रति वर्ष मिलें बन्द होती हैं। आपकी सरकार ने क्या किया है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कब तक बाधा डालते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : कभी-कभी डा० दत्ता सामन्त ऐसे बोलते है जैसे वे मिल गेट के बाहर बोल रहे हों। दुर्भाग्यवश वह यह नहीं समझते कि वह संसद सदस्य चुने गए हैं।

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें फिर नाराज कर रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : आप चिन्ता न करें। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। वह कांग्रेस के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें गुमराह किया गया है। अब वह दुबारा कांग्रेस में आ रहे हैं। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया है और मैं उसका समर्थन करता हूं। जब हम संगठित क्षेत्र में रोजगार दर लेते हैं तो पाते हैं कि सकल संगठित क्षेत्र में रोजगार का 17½% अथवा 18% कपड़ा उद्योग में हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जबकि हमारे देश की जनसंख्या में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में काफी कमी आई है। मैं इस बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1975 में पहला कपड़ा विकास कोष स्थापित करने के बाद से मिल क्षेत्र में 4267 मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1984 में 3440 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। यह भारत में कपड़ा उत्पादन में तीव्र गिरावट को दर्शाता है। इसका वास्तविक कारण श्री दिग्विजय सिंह द्वारा बताया गया है, फिर चाहे डा० दत्ता सामन्त उससे सहमत हो या न हों। लेकिन डा० दत्ता सामन्त ने यह भी सही कहा है कि उत्पादन में सिंथेटिक रेशे का अधिक उपयोग हुआ है और कई का उपयोग घट गया है। सिंथेटिक रेशे के प्रयोग से कपड़े का टिकाऊपन बढ़ गया है और इससे खपत में कमी आई है। लेकिन कपड़े के उत्पादन में गिरावट का वास्तविक कारण तस्करी है। सिंथेटिक वस्त्रों में तस्करी चाहे यह 3000 करोड़, 2000 करोड़, अथवा 1000 करोड़ रु० मूल्य की हो, के कारण हमारे देश में उत्पादन में कमी आई है। जब आप अगली बार मद्रास जाएं तो कृपया इण्डियन एयरलाइन्स का प्रकाशन 'स्वागत' जरूर पढ़िए। आप देखेंगे कि इस प्रकाशन में कैशमीलोन साड़ियों के लिए विज्ञापन एक सरकारी उपक्रम ने दिया है। वे ये कैशमीलोन साड़ियां भारत में कैसे बेच रहे हैं, जबकि देश में इनका निर्माण नहीं होता है ? वे तस्करी की वस्तुएं बेच रहे हैं। सरकार को इस प्रकार के विज्ञापनों के बारे में कुछ करना चाहिए और तस्करी को पूर्ण रूप से रोकना चाहिए।

जब जून, 1975 में वस्त्र नीति की घोषणा की गई थी तो इसका एक उद्देश्य स्वदेशी मूल्यों और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अन्तर को कम करना था। जो वस्तु ताइवान, हांग कांग, दक्षिण कोरिया और जापान में केवल 22 रु० किलो में ही मिल जाती है, भारत में उसका भाव 180 रु० प्रति किलो होता है। डा० दत्ता सामन्त को इसकी जानकारी है। अतः, श्रीमान जी, इस समस्या का वास्तविक उपचार है अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और भारतीय मूल्यों के अन्तर को कम करना। भारत में मूल्य आठ या नौ गुना हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम मूल्यों के कारण ही तस्करी को वस्तुतः प्रोत्साहन मिलता है। अब मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि लगभग दो वर्षों के विलम्ब के बाद भी, सरकार उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों को कम करने के लिए भरपूर चेष्टा कर रही है।

डा० दत्ता सामन्त : किसके फायदे के लिए ? रिलायन्स को फायदा देने के लिए न !

श्री मुरली देवरा : कृपया मुझे बोलने दीजिए। क्या डा० सामन्त ही भारतीय श्रमिक वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि है ? क्या डा० दत्ता सामन्त के अलावा और कोई इन विषयों पर नहीं बोल सकता ? कृपया मुझे बोलने दीजिए···(व्यवधान)

अतः मैं कहता हूं कि यह नीति सही है और सरकार ने जून, 1975 में जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए। समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने उत्पाद शुल्क को पहले ही कम नहीं किया। सरकार को इसे चरणबद्ध कार्यक्रम में काफी पहले ही कर देना चाहिए था। डा० दत्ता सामन्त ने भी यह ठीक ही कहा है कि जिन्हें इन रियायतों से फायदा मिलता है, उन्हें इन रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को भी देना चाहिए।

यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार को उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और यदि वे रियायतें आगे उपभोक्ताओं को नहीं देते हैं तो उनपर भारी अर्थदण्ड होना चाहिए। अतः इस बात पर मैं डा० दत्ता सामन्त का समर्थन करता हूं।

एक और छोटी सी बात पर मैं डा० दत्ता सामन्त के साथ हूं। यह बी० आई० एफ० आर० अधिनियम के बारे में है। मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है कि इस बी० आई० एफ० आर० अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है। बी० आई० एफ० आर० अधिनियम यह प्रावधान करता है कि एकक के रुग्ण होने की हालत मे सरकार द्वारा इसको अपने स्वामित्व में लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार को इस अधिनियम में परिवर्तन अथवा संशोधन करने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सरकार को न केवल इन्जीनियरिंग यूनिटों को बल्कि वस्त्र यूनिटों को भी बचाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

एक अन्य बात पर भी मैं डा० दत्ता सामन्त से समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण के समय, 1986 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्थापित वस्त्र आधुनिकीकरण विधि के रूप में 750 करोड़ रु० दिए गए हैं। अधिक पैसा नहीं लिया गया है। लेकिन मैं वस्त्र आधुनिकीकरण विधि के मिलें को आबंटन के सम्बन्ध में आपसे सहमत हूं। चाहे यह मोरारजी मिल है अथवा कोई दूसरी, इस मामले में मैं किसी के भी विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करे कि मिल मालिक श्रमिकों की छटनी न करें।

डा० दत्ता सामन्त ठीक कहते हैं कि यदि किसी मिल में 10 करघे हैं और यह एक मुल्टजरलूम का आयात कर लेती है तो यह अकेला 10 करघों का स्थान ले लेगा। इस प्रकार यदि 20 श्रमिकों के स्थान पर अकेला उक्त करघा आ जाता है तो, मन्त्री महोदय आप यह सुनिश्चित करियेगा कि ये 20 श्रमिक हटा न दिए जाएं। यह एक शर्त रखी जा सकती है। आपने यह सुझाव नहीं दिया। आपने केवल छंटनी कर दिए जाएंगे कहा। मैं आपको यह एक सुझाव दे रहा हूं।

डा० दत्ता सामन्त : मैं आपको एक सुझाव दूंगा। आप इसकी निगरानी रखें।

श्री मुरली देवरा : अक्तूबर, 1983 में 123 मिलें अधिग्रहित की गईं। इन मिलों के लगभग 20,000 श्रमिक अभी भी बम्बई नगर मे बेरोजगार है। अतः सरकार को देखना चाहिए कि इन मिलो के कार्यनिष्पादन में सुधार आए। जैसे ही एक बार आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक पुनर्गठन के नाम पर

मिलों को अधिग्रहित किया जाता है, श्रमिकों को निकाल बाहर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है।

डा० दत्ता सामन्त ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक सफेद हाथी बन गया है। इसका घाटा संचित होकर 1100 करोड़ रु० हो गया है। इसके स्वामित्व में 125 मिलें हैं। वह चाहते हैं कि समूचे वस्त्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मुझे खेद है कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं नहीं सोचता कि वस्त्र मिलों के राष्ट्रीयकरण से श्रमिकों का हित होगा। मैं इसका आश्वासन दे सकता हूं। एक तरफ तो डा० दत्ता सामन्त राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण पर दोष लगा रहे हैं···

डा० दत्ता सामन्त : यह एक रुग्ण मिल है।

श्री मुरली देवरा : मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि आप सभी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। उद्देश्य और वास्तविक नीति मिलों को लाभप्रद बना कर इनकी सहायता करना तथा इनके द्वारा युक्तिसंगत लाभ कमाने में इनकी मदद करना है। यदि उचित मुनाफा है, तो ढांचे में विस्तार होगा। यदि युक्तिसंगत मुनाफा है, तो आधुनिकीकरण होगा। यदि तर्कसंगत मुनाफा है तो श्रमिक ईमानदार रहेंगे और उनका जीवन अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि सामन्त जी के बाद और बम्बई के एक और सदस्य के बाद एक भोजपुरी को बोलने का मौका दिया। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं जो हैण्डलूम इण्डस्ट्री का केन्द्र है। जब इधर के या उधर के लोग टैक्सटाइल नीति की बात करते हैं तो अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर और बम्बई की जो इण्डस्ट्रीज हैं उनका कहीं जिक्र करते हैं। टैक्सटाइल पालिसी की चर्चा में जो हमारा बुनकर तबका है हैण्डलूम और पावर लूम सेक्टर उसको दबा देते हैं। मैं चाहता हूं इधर के और उधर के माननीय सदस्य एक बात को दिमाग में रखें कि मिश्राजी जैसे दक्ष आदमी के हाथ में भी टैक्सटाइल पालिसी का ठीक कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, उसमें जो खामी है उसकी चर्चा करते हुए जो इसका इतिहास है उस पर भी थोड़ी नजर डालें। यह वह हिन्दुस्तान है जहां विदेशी शक्तियों में होड़ लगती थी ढाका की मलमल ले जाने के लिए और ढाका की मलमल के जो बुनकर थे वह एक अंगूठी में से पूरा थान निकालने की क्षमता रखते थे। जब एक भी फैक्टरी हमारे देश में नहीं थी तो इस देश की सारी आबादी के लिए कपड़ा तैयार करने का काम इनके हाथों में था। अंग्रेजों ने कटवाकर इनके अंगूठे कटवाकर ढांका के उद्योग को समाप्त किया था। उसके बाद भी नई जो और फाइन किस्म की चीजें बनने लगीं उसे समाप्त किया गया और उस समय औद्योगिकरण हमारे देश में नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में औद्योगीकरण अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर था···वहां जो टैक्नोलोजी पुरानी हो चुकी थी, उससे कम मजदूरी देकर लाभ कमाने के लिए ही अंग्रेजों ने इस देश में टैक्सटाइल मिलों की स्थापना की। बम्बई और अहमदाबाद की जिन मिलों का जिक्र करते हुए, हमारे माननीय सदस्य डा० सामन्त अघाते नहीं हैं उनमें वही घिसी-पिटी टैक्नोलोजी प्रयोग में लाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। उस टूटी-फूटी सवा-सौ साल पुरानी टैक्नोलोजी को अपनाने के कारण ही आज हमारी बम्बई और अहमदाबाद की मिलें घाटे में जा रही हैं, बीमार हो रही हैं। उनकी बीमारी का एक कारण स्वयं माननीय सदस्य डा० दत्ता सामंत भी हैं। मैं बहुत विनम्रता-

पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य डा० दत्ता सामन्त ने कभी किसी फैक्टरी या मिल में स्वयं काम नहीं किया, आप कभी किसी मिल से निकाले नहीं गए हैं। इसलिए आपको किसी मजदूर के दुख दर्द की उतनी जानकारी नहीं हो सकती जितनी मुझे है, क्योंकि मैं एक चीनी मिल का निकाला हुआ मजदूर हूं। मैं जानता हूं कि हड़ताल कराने वाले लीडर हड़ताल कराने के बाद यहां पार्लियामैंट के मेम्बर बन जाते हैं लेकिन जो लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल में भाग लेकर कष्ट उठाते हैं, वे बाद में सड़कों पर घूमते-फिरते हैं। यहां पर उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाना व्यर्थ है।

(व्यवधान)

आप कृपया शांति से बैठकर मेरी बात सुनिए, रनिंग कमेन्टरी बन्द कीजिए। आपने जो कुछ कहा है, उसका जवाब भी तो सुनिए। महज यह कह देना कि हम प्राइवेट सैक्टर के लोगों को टैक्सटाइल पौलिसी में प्रोटैक्शन देना चाहते हैं, वह गलत है। वह इस माने में आपकी खामाख्याली है क्योंकि हम वास्तव में समाज के हर तबके को तन्दुरुस्त बनाना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें प्राइवेट सैक्टर का अहसान मानना ही पड़ेगा, कि जब हमारे देश में पब्लिक सैक्टर नहीं था तो औद्योगीकरण का कार्य केवल प्राइवेट सैक्टर ने ही किया था। हम प्राइवेट सैक्टर के वकील नहीं हैं। इसीलिए हम आज उसे एकदम गला घोंटकर मार डालने की बात नहीं सोच सकते। हमारी सरकार की जो टैक्सटाइल पौलिसी है, वह मजदूरों और सभी के हित में है और इसलिए हमारे मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। वैसे तो यहां कई माननीय सदस्यों ने सरकार की नई टैक्सटाइल पौलिसी में कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं परन्तु मैं यहां मिल सैक्टर में ज्यादा न जाते हुए, अपने आपको करघा सैक्टर या हैण्डलूम सैक्टर तक ही सीमित रखना चाहता हूं। हमारे हन्नान भाई ने हमारा काफी काम हल्का कर दिया है। उनका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे देश में लगभग 10-12 करोड़ व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हैण्डलूम सैक्टर पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। उनकी रोजी-रोटी इसी से चलती है। हमारे देश में काफी पुराने समय से रूई का उत्पादन होता आया है और सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, लाभकारी दाम मिले। रूई के दामों में स्थिरता लाने का फर्ज हमारी सरकार का है। आजादी से पहले और आजादी के बाद काफी लम्बे वर्षों तक हमारे देश में रूई या कपास के दामों में इतना भारी फलक्चुएशन नहीं हुआ करता था, रूई और सूत के दामों में भारी अन्तर नहीं हुआ करता था। मैं माननीय टैक्सटाइल मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि जैसे ही रूई की पैदावार हो, वह मार्केट में आये, सरकारी तौर पर उसकी खरीद और भंडारण कर ली जाए। उसके आगे वितरण का कार्य भी सरकार स्वयं करें। इससे जहां किसानों को अच्छा दाम मिलेगा वहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सुदृढ़ होगा। तभी हम वर्षभर एक भाव पर बुनकरों और उपभोक्ताओं को सूत तथा वस्त्र उपलब्ध करा सकेंगे, इससे मार्केट में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा। आप भंडारण के सम्बन्ध में गहराई से विचार करके कोई उपाय निकालें जिससे किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों को लाभ मिल सके और बिचौलियों को कम से कम अवसर मिलें।

इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे देश में करघा उद्योग को बदलते हुए जमाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। पहले अंग्रेजों ने दक्ष कारीगरों के अंगूठे कटवाकर, इस देश में मिलें स्थापित करके इस उद्योग को हानि पहुंचाई, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस उद्योग की व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार कीजिए ताकि यह अच्छी तरह पनप सके। बुनकर आज किसी एक प्रान्त विशेष में नहीं, सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। आपके सामने सारे हिन्दुस्तान का नक्शा है और

आप जैसी भी योजना बनायेंगे, उसी पर सारे हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की भलाई और बुराई निर्भर होगी। इसलिए आपको जो भी नीति अपनानी हो, आप जिस योजना पर अमल करना चाहें, उसे सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को सामने रखकर बनायें।

इसलिए जितने बड़े-बड़े बुनकर केन्द्र हैं, उन जगहों पर उनके ट्रेनिंग सैंटर्स खुलवाईए और जिस तरह के कपड़े और डिजाइन की मांग विदेशों में और हमारे देश में हो उसके मुताबिक डिजाइन उपलब्ध कराए जाएं, ट्रेनिंग सैंटर्स खोले जाएं प्रिंटिंग एण्ड प्रोसेसिंग मशीनरियां उन्हीं केन्द्रों के पास लगाई जाएं और सूती धागों का उत्पादन भी ऐसे केन्द्रों पर किया जाए जहां धुलाई की ज्यादा आवश्यकता न पड़े। ऐसा केन्द्र बनारस हो सकता है, गोरखपुर हो सकता है। ऐसे केन्द्र इस देश में अन्य भागों में जहां-जहां करघे के उत्पादक हैं वहां-वहां हो सकते हैं।

तीसरा मेरा सुझाव मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, उसके बारे में है। निश्चितरूप से जो सरकारी मशीनरी है उसे पाक-साफ होना पड़ेगा और कहां पर मार्केट है, इसको खोजना पड़ेगा और जो उत्पादक है, उसको कैसे वाजिब दाम दिया जाए, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सारी टैक्सटाइल पालिसी को दत्ता सामंत जी की एक हड़ताल बेकार करके छोड़ेगी।

डा० दत्ता सामंत : दत्ता सामंत क्यों बुरा लगता है आपको ?

श्री मदन पांडे : कहां बुरा लगता है। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं।

हैंडलूम सैक्टर में एक बहुत इम्पोर्टेण्ट चीज सेरीकल्चर के बारे में निवेदन कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी ने भी यह बात उठाई थी। मुझे सेरीकल्चर के बोरा में माननीय मिर्धा जी से निवेदन करना है कि आप उसके मन्त्री हैं और वर्षों से हैं, लेकिन सेरीकल्चर के डवलपमेंट का काम जो दोहरे स्तर पर हो रहा है वह केवल कर्नाटक में सफल हो रहा है। हमें उसके बारे में शिकायत नहीं है। रिसर्च सेंटर मैसूर में खुले हुए हैं या बंगलौर में खुले हुए हैं, लेकिन वहां पर यह दोहरा काम चल रहा है। इसी काम को स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और उसी काम को सेन्ट्रल गवर्नमेंट वहां कर रही है। वर्ल्ड बैंक का 80 करोड़ रुपया आता है वह सारा का सारा वहीं चला जाता है। आसाम में जो और दूसरी तरह की किस्म मूंगा और रेशम है उसका बहुत बड़ा केन्द्र बन सकता है, वहां ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से बिहार का आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ा केन्द्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश के देहरादून तथा गोरखपुर के तराई क्षेत्र में सेरीकल्चर की संभावना है। मैं बड़ी-बड़ी चिट्ठी लिखकर भेजता हूं, लेकिन उन सब चिट्ठियों को प्रोसेस कराने का काम बंगलौर में होती है जिनको वहां बैठकर न उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी है और न राजस्थान के डेजर्ट की जानकारी है और न उन्होंने आदिवासी इलाका देखा है। वे वहां बैठकर उसको रिजैक्ट कर देते हैं। बंगलौर में उनका बहुत शानदार दफ्तर है, लेकिन वहां से 3 हजार कि० मी० चल करके उत्तर भारत का विकास कैसे होगा जबकि रिसर्च डिवलेपमेंट इंस्टीट्यूट मैसूर में कायम हुआ है। जिस तरह का आपने बंगलौर में सेन्टर कायम किया है और जिस तरह की व्यवस्था आपने वहां बनाई है वैसी व्यवस्था आप यहां उत्तर भारत में भी करें। वहां तो आप अगर अब इस काम को न भी करें, तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर इस काम को तो स्टेट गवर्नमेंट ने संभाल लिया है। इस काम के लिए वहां की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं।

मिर्धा जी, आज आवश्यकता इस काम को करने की उत्तर प्रदेश में बिहार और आसाम में है। यहां पर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना कीजिए। उत्तर भारत के लिए एक अलग सिल्क बोर्ड बनाईए। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की सिल्क की आवश्यकता पूरी हो, तो आपको इस प्रकार

की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा लगभग 7 हजार टन रेशम का उत्पादन है और कई हजार टन खर्च करते हैं। अकेले बनारस में सिल्क की खपत है 2 हजार टन की है और उत्तर प्रदेश में 23 टन का उत्पादन किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, यह मेरा विलाप या प्रलाप है, आप जो कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन अगर हिन्दुस्तान के उत्तरी हिस्से को आप चीन के रेशम से बचाना चाहते हैं, तो उत्तरी भारत में सेरीकल्चर का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार करने की चेष्टा कीजिए और उत्पादन कराने की चेष्टा कीजिए। इसका एक ही रास्ता है कि बाला सुब्रह्मण्यम को आप कर्नाटक को सम्भालने दीजिए, और दिल्ली में या उसके आसपास देहरादून में कहीं पर एक बड़ा दफ्तर इस ढंग का बनाईये ताकि उनको 3 हजार किलोमीटर उड़कर जाने की जरूरत न पड़े, यह मेरा सुझाव है।

यदि फैरीकल्चर का मामला आप हल कर लेते हैं तो जो करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की जरूरत चीन का रेशम मंगाने के लिए पड़ती है, वह खत्म हो जाएगी। मऊ में भी अब इस किस्म का काम शुरू हो गया है। जो आल्टरनेटिव जाब की बात हम सोच सकते हों जो प्रमोटेड टैक्नॉलाजी की बात हम सोच सकते हों, उसको अडाप्ट करने के लिए हमारे आजमगढ़, मऊ और गोरखपुर के बुनकर तैयार हैं।

रेशम की खपत इस हिन्दुस्तान में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी बढ़ेगी, उसके मुकाबले का कपड़ा अभी तक इस दुनिया में ना पैदा हुआ है और ना होगा। इसलिए यह सारा बवाल जो आपका है वह दूर हो जाएगा और दत्ता सामन्त जी की मुसीबत भी थोड़ी कम हो जाएगी, उनको वहां हड़ताल कराने में ज्यादा दिक्कत होगी। अभी वह दवाखाने में बैठकर हड़ताल करा लेते थे और हमारे जैसे मजदूरों को निकलवाकर उसके बाद पार्लियामेंट में आ जाते थे। उनका काम हल्का हो जाएगा और पार्लियामेंट के लिए दूसरी बात उनको करनी पड़ेगी।

मेरा कहना यह है कि टैक्सटाइल मजदूर कामयाब हों, और जो सुझाव मैंने दिए हैं, आप बुनकरों की तकलीफ दूर कीजिए, फैरीकल्चर का उत्पादन उत्तर भारत में कीजिए।

मेरा सुझाव है कि जो मिलें इस वक्त चलने लायक नहीं हैं, उनका कोई रास्ता निकालने के लिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो मजदूर हैं, और वह यह जानते हैं कि दत्ता सामन्त जी मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्राइवेट सैक्टर के मिल मालिकान भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वर्तमान उद्योगों से पैसा निकालकर दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। उन जमीनों पर इस वक्त दूसरी तरह की इंडस्ट्री कायम न हों, वही इंडस्ट्री कायम होनी चाहिएं। माडर्नाइजेशन के लिए आवश्यक है कि मिल मालिकों को कह दीजिए कि जो स्क्रैप मशीने हैं उन्हें वह उठाकर ले जाएं। एन० टी० सी० पर जो आपने टेक-ओवर कर के बोझ लाद दिया है, उसे हल्का करने का एक ही उपाय है कि उन मिलों को आप स्क्रैप समझिए और जो दूसरी तरह की सिक मशीनरी है, उसको मंगवाइए। एक हजार करोड़ घाटे की बात देखते हुए और पैसा लगाने की बात दत्ता सामन्त जी लाख बार भी कहें तो आप उनकी बात को मत मानिए और ज्यादा पैसा उसमें न फंसाइए। कपड़े की जो दो-चार या अधिक फैक्टरी हैं। उनको लेकर प्रतिवर्ष नियोजित ढंग से विकास कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावानि (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी कपड़ा नीति में कई रियायतें अभी दी गई हैं, उसके बावजूद भी

आज कपड़े की 131 मिलें पूरे भारत में बन्द हैं। गुजरात में भी 30 से ज्यादा मिलें बन्द हैं। भारत में कपड़ा मिलों के करीबन 2 लाख मजदूर बेकार हैं और गुजरात में कपड़ा मिल के 45 हजार वर्कर बेकार हैं।

हमारे साथी ने बताया कि जो बीमार हैं, उनको मारना नहीं चाहिए बल्कि उनको दवा देकर जिलाना चाहिए, उसके जो अधिकार हैं; वह उनको देने चाहिएं। कपड़ा उद्योग में संकट का क्या कारण है ? मेरे ख्याल से देश के मजदूर नेता, एक्सपर्ट और उद्योगपति, सभी की एक राय तो है कि तस्करी की वजह से, स्मगलिंग की वजह से 3 हजार करोड़ रुपए का विदेशी कपड़ा हमारे देश में गैर-कानूनी तौर से लाया जाता है, यदि यह कपड़ा हम अपने देश में पैदा करें तो 200 करोड़ मीटर कपड़ा मिल उद्योग में पैदा होगा और 4 लाख कपड़ा मिल के मजदूरों को रोजी मिलेगी और 6 लाख मजदूरों को पावरलूम में काम मिलेगा और इस तरह ज्यादा पैदावारी होने से सरकार की आमदनी करोड़ों रुपए बढ़ेगी और ज्यादा टैक्स भी मिलेगा। सरकार यह तस्करी, स्मगलिंग क्यों नहीं रोक पाती, इसलिए कि कपड़े पर, खासतौर पर पोलिएस्टर कपड़े पर बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। पोलिएस्टर यार्न पर आज पाकिस्तान में पांच रुपया एक किलो पर एक्साइज लिया जाता है। लेकिन भारत में पुराने एक्साइज पर 40 परसेंट कटौती लगाने के बाद भी 54 रुपया एक के० जी० पर एक्साइज लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा एक्साइज पोलिएस्टर यार्न पर 11 गुना ज्यादा हुआ और ऐसा ही स्टैपल फाइबर पर भी है। पाकिस्तान में स्टेपल फाइबर पर एक के० जी० पर दो रुपया कम टैक्स है। लेकिन हमारे यहां 15 रुपया टैक्स है यानी कि सात प्रतिशत ज्यादा है। जाहिर है कि हम इसके तस्करी को दावत देते हैं। इतना ऊंचा टैक्स किसी भी देश में लगाया नहीं जाता है। हमारे देश में 1965 में पोलिएस्टर पर सिर्फ साढ़े तीन रुपया एक्साइज लगाया जाता था। लेकिन अब 54 रुपया लगाया जा रहा है। इससे देश को बहुत बड़ा नुक्सान होता है, कपड़ा मिलें बन्द हो जाती हैं और मजदूर बेकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं गुजरात में लोग खुद-कशी तक कर लेते हैं।

हमारे देश का तीन हजार करोड़ रुपया विदेश चला जाता है। यदि हम अपने देश में पोलिएस्टर और स्टेपल फाइबर पर पाकिस्तान में जो एक्साइज रोक लगायी जाती है, वैसी ही यहां पर लगायेंगे तो यार्न और फाइबर पर हमारी आमदनी कम होगी लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फायदा हमें प्रासेस्ड कपड़े पर होगा और डबल आमदनी सरकार को होगी।

हमारा पोलिएस्टर कपड़ा आज भी साड़ी से लेकर सूटिंग तक 35 से 55 परसेंट तक स्मगल्ड माल से ज्यादा कीमत रखता है। यह आज की बात है। इस बजट में पोलिएस्टर और स्टेपल फाइबर पर एक्साइज की कटौती के बाद भी ऐसा हमें देखने को मिलता है।

एक अफसोस की बात यह है कि हमारी कपड़ा नीति में स्मगलिंग का कोई जिक्र नहीं है। हमें इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह एक जाहिर बात है कि हमारे देश में पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और थाइलैन्ड से तीन हजार करोड़ से ज्यादा का सिंथेटिक कपड़ा आता है।

कुछ दिन पहले 12 मार्च को हमारे माननीय मन्त्री जी गुजरात में गांधीनगर आये थे। उस वक्त इन्टक के डैलीगेशन के साथ इस बारे में बातचीत हुई थी। हमारे मुख्यमन्त्री जी भी उस समय वहां

उपस्थित थे। इन्टक के सुझाव को श्री राजीव जी ने भी मान लिया था और उन्होंने कहा कि सरकार कपड़ा संकट के बारे में तीनों दलों यानी कि मजदूर, उद्योगपति और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन करेगी। मैं आज मन्त्री जी से अपील करती हूं कि वह इस कमेटी का ऐलान करें और हमारी कपड़ा नीति को बढ़ावा दें। मुझे पूरी आशा है कि हमारे कपड़ा मन्त्री जी मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री प्रकाश बी० पाटिल (सांगली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैक्सटाइल की डिमांड्स का समर्थन करता हूं। महाराष्ट्र में करीब पांच लाख पावरलूम्स हैं। लेकिन इनको पूरा काम नहीं मिल पा रहा है। अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारी इस टैक्सटाइल पालिसी की वजह से बहुत नुक्सान हो रहा है। 50% पावरलूम बन्द हैं। इसमें साढ़े सात लाख वर्कर्स हैं और लगभग 30 लाख लोग इस पर निर्भर है।

हमारे हैंडलूम सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वे बहुत कारीगरी का काम करते हैं। इस कपड़े की इन्टरनेशनल मार्किट में काफी मांग है। लेकिन इस बारे में पूरा मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वे अच्छा कपड़ा नहीं बना पा रहे हैं। अतः ऐसा मार्गदर्शन उनको अवश्य दिया जाना चाहिए। आज जापान 13,000 करोड़ का और कोरिया साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए का कपड़े का एक्सपोर्ट करते हैं। काटन के क्षेत्र में इतना अधिक सम्पन्न होते हुए भी हम ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एस० टी० सी० और दूसरी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर वह इस तरफ पूरा ध्यान दें तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी और उत्पादन भी ज्यादा करना होगा इससे वर्कर्स को काम भी मिलेगा।

हमारी टैक्सटाइल इन्डस्ट्री बहुत डार्क साइड में पड़ी हुई है। इसमें आज 13,000 मिलियन मीटर्स का उत्पादन होता है। 30,000 मिलियन मीटर की उत्पादन क्षमता है लेकिन 46 परसेन्ट ही हम उत्पादन कर रहे हैं, रिमेनिंग प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा है। बम्बई या अहमदाबाद में बहुत-सी कम्पोजिट मिल्स हैं उसमें भी पावरलूम्स हैं, मैं ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि जो कम्पोजिट मिल्स के साथ पावरलूम्स हैं उनको सैल्फ-एम्पलायमैंट क्रिएट करने के लिए, जैसाकि हमारे महाराष्ट्र स्टेट में पावरलूम 5 लाख से ऊपर सैल्फ-एम्पलायमैंट क्रिएट कर रहा है। कम्पोजिट मिल्स में अन्दाजन 2 लाख पावरलूम हैं। उसमें से 1 लाख 30 हजार वर्कर्स को काम है बाकि 70,000 पावरलूम्स एवं 70,000 वर्कर्स खाली हैं। तो यह पावरलूम्स, इन खाली (वर्कर्स) को दिया जाए सरकार इसमें मदद करें तथा सैल्फ एम्पलायमैंट क्रियेट किया जाए। और इसमें कपड़े का उत्पादन किया जाय। कम्पोजिट मिल में ज्यादातर यार्न का ही उत्पादन हो और इसके बदले जो कपड़ा यहां पैदा होने वाला था, वह डिस आर्गेनाइज्ड सैक्टर पावरलूम एवं हैण्डलूम में बनाया जाए तथा दोनों क्षेत्रों को उपयुक्त एलोकेशन का किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। इसी के साथ में टैक्सटाइल डिमांड्स को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सटाईल एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए में टैक्सटाईल के विषय में कुछ बोलना चाहता हूं। दक्षिण भारत में, और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सबसे बड़ा बाजार डोडाबालापुर है, जो भारत का प्रसिद्ध टैक्सटाईल केन्द्र है। वहां 10,000 पावरलूम हैं और वे रेशमी धागा प्राप्त करने में काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधि दल यहां तक की प्रधानमन्त्री से भी मिल चुका है।

हमारे माननीय मन्त्री जी भी इस परेशानी के बारे में अवगत हैं। विशेषकर इस समय धागें की कीमतें बढ़ गई हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने साड़ियों का उत्पादन करने के लिए आयातित चीनी रेशम के लिए भी प्रार्थना की है। पावरलूम के लोग बाजार पानें में काफी बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अब सरकार ने लघु पावरलूम स्वामियों जिनके पास दो या तीन पावरलूम हैं पर नियन्त्रण लगा दिया है ठीक वैसे ही जैसाकि उन्होंने हैंडलूम के मामलों में किया था। वे मध्यम आकार की साड़ियां बना रहे हैं, जो केवल मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही लाभकारी है। सरकार ने उन पर कुछ नियन्त्रण रखा है। लघु पावरलूम स्वामियों को साड़ियों में 25% जारी मिलानी पड़ती है, जिसमें वे बहुत कठिनाईयां पा रहे हैं। वे शत-प्रतिशत शुद्ध रेशमी साड़ियां बनाना चाहते हैं। उन लघु पावरलूम स्वामियों ने सरकार से उनको 300 रु० से 400 रु० तक की मध्यम-वर्ग के लोगों के लिए रेशमी साड़ियों का उत्पादन करने की अनुमति के लिए प्रार्थना की है ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के लोग, और किसान और व्यापारी लोग भी इन साड़ियो का प्रयोग कर सकें। 1,000 रु०, 1,500 रु०, और यहां तक की 2,000 रु० तक की साड़ियां केवल तथाकथित बड़े लोगों द्वारा ही खरीदी जाएगी। लेकिन छोटे

6.00 म० प०

और मध्यम वर्ग के लोग कीमती रेशमी साड़ियों को नहीं खरीद सकेंगे। वे इन कीमती साड़ियों को नहीं खरीद सकते। इसलिए, श्रीमन्, पावरलूम सैक्टर सस्ती साड़ियों का उत्पादन कर सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, उन्होंने लघु पावरलूम शुरू किए हैं और वे इन रेशमी साड़ियों का सस्ती कीमत पर उत्पादन करेंगे ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के लोग इन साड़ियों को खरीद सकें। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, कि वे उन्हें 100% रेशमी साड़ियों का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें क्योंकि हैंडलूम बुनकर इन रेशमी साड़ियों का और अधिक सस्ती दर पर उत्पादन नहीं कर सकता। छोटे और मध्यम वर्ग के लोग इन रेशमी साड़ियों को केवल तभी खरीद सकते हैं जब यह उनके सामर्थ्य में हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगे और पावरलूम सैक्टर द्वारा 100% रेशमी साड़ियों के उत्पादन के लिए आदेश जारी करने का प्रबन्ध करेंगे।

6.02 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 5 अप्रैल, 1988/16 चैत्र, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : स्टील स्लेट, मैं० कं० (प्रैस विभाग)
अजमेरी गेट दिल्ली-6